खण्ड-429, अंक-6
मंगलवार, 18 फाल्गुन, शक संवत् 1920
(9 मार्च, 1999 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1999)

खण्ड 429 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1999

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	ग–घ
नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को उठाये जाने का प्रयास... ...	1
प्रश्नोत्तर	1-89
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	90-91
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	91
जनपद फतेहपुर के थाना ललौली के गांव दतौली निवासी राम मनोहर सोनी के हत्याभियुक्त थानाध्यक्ष ललौली के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	91
क्षेत्र पंचायत हरैया जिला आजमगढ़ में राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	91-92
जनपद सीतापुर में जल निगम द्वारा इण्डिया मार्का–∏ हैण्डपम्प मानक के अनुरूप न लगाकर कथित भ्रष्टाचार की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	92
जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत कतिपय गांवों के कृषकों की सड़क निर्माण हेतु अधिगृहीत की गई भूमि का मुआवजा देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	92-93
नेहरू जिला पुस्तकालय डेम्पियर नगर मथुरा को शासन द्वारा अनुदान राशि उपलब्ध कराकर व्यवस्था सुधार करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	93
जनपद हरिद्वार स्थित विकास खण्ड बहादराबाद के कतिपय गांवों की ओर बांध एवं थोक रेट बनवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	93-94
जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड किसुनी के कतिपय गांवों से बिजली के लट्ठे एवं तारों की चोरी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	94
विभिन्न विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियों के गठन के संबंध में औचित्य का प्रश्न...	94-96
9 मार्च, 1999 को सत्रकाल के दौरान सिंचाई बन्धु जनपद इटावा की बैठक किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	97
उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार विधेयक, 1999 को दिनांक 9 मार्च, 1999 को विचार एवं पारण किये जाने के फलस्वरूप प्रक्रिया नियमावली के नियम 139 के अन्तर्गत संशोधनों हेतु अपेक्षित 36 घंटे पूर्व की सूचना उपलब्ध न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	97-99
प्रदेश में विकास कार्यों का शुभारम्भ/उद्घाटन जनप्रतिनिधियों/विधायकों द्वारा कराये जाने की सदन में की गई घोषणा की अवहेलना किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	99-100

विषय	पृष्ठ संख्या
दारुलशफा के ए ब्लाक के कक्ष संख्या 109 में प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक पानी न आने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	100
विधान सभा के पिछले सत्र में बजट भाषण में की गई घोषणा का अनुपालन न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	100-102
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के निर्धारण का प्रस्ताव .... (स्वीकृत)...	102-105
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	105-122
माननीय सदस्यों द्वारा दी गई विभिन्न सूचनाओं को उठाने का प्रयास.... ...	123
वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या 09 ऊर्जा विभाग ..... (स्वीकृत)	124-178
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	178-180
उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1999 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1999 .... (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित) ...	180-184
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्प कालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1998 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1999 .... (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित)	184-187
उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार विधेयक, 1999 (जारी)	197-193
सदन में कोरम के अभाव के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न (जारी)... ...	193
उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार विधेयक, 1999 (पारित)	193-238
जनपद अम्बेडकर नगर के चहुमुखी विकास के लिये लुम्बिनी दुद्धी मार्ग पर घाघरा नदी में सेतु का निर्माण कराये जाने एवं उक्त मार्ग की चौड़ाई बढ़ाये जाने से संबंधित श्री लालजी वर्मा का नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव .... (प्रस्तुत किया गया)	238-239
सदन में कोरम के अभाव के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न (सदन की बैठक अगले दिन के लिये स्थगित)	239
नत्थियां	240-250

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

मंगलवार, दिनांक 9 मार्च, 1999

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :--

अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय राय, श्री	वाराणसी
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अफ़ोज अली खां, श्री	रामपुर
अब्दुल कलाम, श्री	वाराणसी
अमीर आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
अशफाक अहमद, श्री	बरेली
उर्मिला देवी, श्रीमती	मैनपुरी
ओंकार सिंह, श्री	एटा
ओम प्रकाश गुप्त, श्री	सीतापुर
कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर
काजी मोहम्द मुहिउद्दीन, श्री	हरिद्वार
के० सी० सिंह, "बाबा", श्री	ऊधम सिंह नगर
गंगा बख्श सिंह,, श्री	उन्नाव
चन्द्रपाल सिंह यादव, श्री	झांसी
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जय नरायन तिवारी, श्री	सुल्तानपुर
जयपाल सिंह, श्री	मेरठ
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	सिद्धार्थ नगर
देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर	एटा
धनीराम वर्मा, श्री	इटावा
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
नारायण राम दास, श्री	अल्मोड़ा
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
प्रेम प्रकाश सिंह, श्री	देवरिया
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
बंश नारायण सिंह, श्री	भदोही
बंशीधर भगत, श्री	नैनीताल
बाबूराम, श्री	जालौन
बाबूराम यादव, श्री	मैनपुरी
बाबूलाल कुरील, श्री	उन्नाव
बालेश्वर त्यागी, श्री	गाजियाबाद
बिजेन्द्र आर्य, श्री	मुजफ्फरनगर
बिहारी लाल आर्य, श्री	झांसी
मंगल सिंह सैनी, श्री	मुरादाबाद
महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा	आगरा
महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा०	वाराणसी
मुख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मुन्ना लाल मौर्य, श्री	फतेहपुर
मुस्ताक सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
रंगनाथ मिश्र, श्री	भदोही
रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया" कुंवर	प्रतापगढ़
रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
राकेश धर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
राजा गजनफर अली खां, श्री	बिजनौर
राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री	फतेहपुर
राजेश कुमार सिंह, श्री	मुरादाबाद
राधेश्याम, श्री	कानपुर देहात
राधेश्याम गुप्त, श्री	फतेहपुर
राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा०	कानपुर नगर

अप्रकाशित

राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद	वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री	एटा
राम खिलाड़ी, श्री	बदायूं	वेद प्रकाश, श्री	बस्ती
राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद	शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर	शिवपाल सिंह यादव, श्री	इटावा
राम लखन, श्री	सुल्तानपुर	शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
राम सिंह, श्री	बुलन्दशहर	संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
लालजी टंडन, श्री	लखनऊ	संजय सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
विक्रमाजीत मौर्य, श्री	इलाहाबाद	सतीश शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद	सन्त राम सिंह, श्री	जालौन
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र	सुखपाल पाण्डेय, श्री	बस्ती
विनय कुमार पाण्डेय "बिन्नू", श्री	गोण्डा	सुरेश चन्द्र आर्य, श्री	उधम सिंह नगर
विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर	सुशील शाक्य, श्री	फर्रुखाबाद
विरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी	हरि नारायण, श्री	बलिया
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा	हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार दिनांक 9 मार्च, 1999

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को उठाये जाने का प्रयास

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, वन कर्मियों द्वारा सामूहिक रूप से -.....

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना आई है नियमों के अनुसार जहां तक मुझे स्मरण है नियम– 56 में आ गई है, देख लेते हैं ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में सरकारी नलकूपों के रखरखाव हेतु वर्तमान व्यवस्था की जानकारी

**1–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में सरकारी नलकूपों के रख-रखाव अथवा संचालन हेतु वर्तमान व्यवस्था/नीति में कोई परिवर्तन सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्यों तथा उसका विवरण क्या है ?

सिंचाई एवं गन्ना विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

राजकीय नलकूपों को ग्राम पंचायतों एवं अन्य के पक्ष में हस्तान्तरित कर निस्तारित करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है । योजना की रूपरेखा बनाई जा रही है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी से जानना चाहता हूं जैसी वर्तमान में व्यवस्था है उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी नलकूपों का मेंटीनेंस सिंचाई विभाग करता है उसके अन्तर्गत कई इंजीनियर्स और टेक्नीशियन्स आते हैं माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट किया कि ग्राम पंचायत को ट्यूबवेल के रख-रखाव का कार्य देंगे तो क्या ऐसे में यह अपेक्षा की जा सकती है कि वहां इंजीनियर्स उपलब्ध रहेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, शासन की नीति जो है वह विकेन्द्रीकरण की है ग्राम पंचायत को हम व्यावहारिक संस्था बनाना चाहते हैं इसलिए उन्हें कई विभागों का कार्य जो उन्हीं की सेवा में लगे हैं उनको नियंत्रण ग्राम पंचायत को देने की नीति शासन ने अपनाई है इसलिए अच्छी सेवा की दृष्टि से सिंचाई विभाग से ग्राम पंचायत को हस्तांरित किया जाए ऐसा निर्णय लिया गया है । जिसमें विस्तृत रूप-रेखा तैयार की जा रही है और कोई भी कर्मचारी जिस स्थिति में आज सेवा में है जो सुविधा ले रहा है वह सभी सुविधा उसको पूरे सेवाकाल में मिलती रहेगी उसके पूरे सेवाकाल में सुविधा बरकरार रहेगी इसकी जिम्मेदारी शासन की होगी ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, 1998-99 में पूरे प्रदेश में नलकूपों हेतु धन आवंटित किया गया होगा जो धन आवंटित होगा जो धन आवंटित हुआ होगा वह जिले-जिले में गया होगा ताकि टयूबवेल की नालियां हैं और नलकूप हैं उनकी व्यवस्था में सुधार हो इसमें सुधार भी हुआ होगा इसके सिलसिले में आपके पास कोई रिपोर्ट है कि क्या सुधार हुआ ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जो भी धन किसी विभाग को आवंटित होता है उसका उपयोग किया जाता है नलकूप के लिए जो धन दिया गया है उसका पूरी तरह से उपयोग किया गया है।

श्री भरत सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि विगत दिनों पूर्व में सरकारी नलकूपों की व्यवस्था ग्राम पंचायत को दी गई थी प्रयोग के तौर पर उसमें हम लोगों को जानकारी मिली कि वह व्यवस्था फेल हो गई है। तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि चीफ इंजीनियर, अधिशासी अभियंता, ए०ई०, जे०ई० इन तमाम ताम-झाम के बावजूद भी सरकारी नलकूप 50 प्रतिशत से ज्यादा सही स्थिति में नहीं चल रहे हैं तो किस आधार पर उनको दिया जायेगा, ग्राम पंचायत किस आधार पर उनकी व्यवस्था सुचारु रूप से कर सकेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्वीकार की गयी, पंचायत राज्य व्यवस्था स्वीकार किया। पंचायतों को अगर हम अक्षम समझेंगे तो यह उनके साथ न्याय नहीं होगा। पंचायतें बिना कार्य के पड़ी रहें यह हम नहीं चाहते हैं। जो विभाग उनकी सेवा ले रहा है उस पर यह नियंत्रण यह नहीं कर पायेंगी तो यह कहना ठीक नहीं है। हमारा यह मत है कि उनको कार्य दिये जाने चाहिए जिससे वह और सक्षम हों।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो तुगलकी आदेश निकाला है इसको निकालने से पूर्व क्या माननीय मंत्री जी ने इसका अध्ययन किया था ? जो 29 हजार राजकीय नलकूप इसको बन्द कराकर पंचायतों को सौंपने का निर्णय लिया। यह नालकूप इसलिए लगाये गये थे कि वहां पर सिंचन क्षमता बढ़े और इसको लगाने से सिंचन क्षमता बढ़ी है और उपज बढ़ी है। अब इन्हें पंचायतों को देने की योजना बन रही है तो क्या यह सूचारु रूप से कार्य कर पायेंगी। सरकार इतनी बड़ी-बड़ी मशीनरी होने के बावजूद भी इनको नहीं चला पा रही है तो यह कैसे चला पायेंगी। तो क्या माननीय मंत्री जी ने इनको देने से पहले इसका अध्ययन करा लिया है कि इससे कोई लाभ होने वाला है या नहीं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, यह नलकूप जिस तरह से चल रहे हैं उससे भी अच्छी तरह से चलें और इनका रख-रखाव के व्यवस्था में जो कठिनाईयां होगी उन कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए एक विस्तृत निर्णय लेकर हस्तान्तरण की प्रक्रिया विचाराधीन है उसका परीक्षण हो रहा है और हम निश्चित रूप से सुनिश्चित कर सकेंगे कि जिस तरह से आज यह सेवा कर रहे हैं उससे भी अच्छी सेवा बने और पंचायतों के नियंत्रण में हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री राजधारी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह चर्चा किसानों से संबंधित है, प्रदेश के उत्पादन से संबंधित है। कई साथियों ने शंका इसमें जाहिर की है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इतना बड़ा निर्णय आप लेने जा रहे हैं क्या गांव सभा की जो पात्रता है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के पहले क्या शासन या विभाग के माध्यम से इसे योग्य बनाने की कार्य योजना बनायी है ? मान्यवर, आप ग्राम सभाओं को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे रहे हैं, उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है जिससे वह इसका संचालन कर सकें ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, निश्चित रूप-रेखा बनाते समय सभी समस्याओं, परिस्थितियों, अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उसकी विस्तृत रूप-रेखा बनाने की बात शासन के विचाराधीन है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, एक नलकूप स्थापित करने में 15 लाख का व्यय आता है और उसका रख-रखाव अधिशासी अभियन्ता के नियंत्रण में होता है। ग्राम सभा के पास ये सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं तो क्या सिंचाई विभाग के अधीन जो इंजीनियर काम कर रहे हैं उनकी सेवाएं ग्राम सभाओं को मिल सकेंगी ? दूसरे इतने बड़े कार्य के संचालन के लिए सरकार ग्राम सभाओं को अनुदान देने पर विचार कर रही है ? तीसरे, प्रदेश स्तर पर अभी इस पर विचार न करके क्या पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में इसको लेकर मिर्जापुर या अपने निर्वाचन क्षेत्र में मंत्री जी इसके संचालन का प्रमाण देख लेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, लोगों की आशंकायें, पंचायतों की क्षमता पर होगी, हमें पूरा विश्वास है। विभाग के जो अधिकारी/कर्मचारी इस समय हैं जो नलकूप के संचालन में अपना योगदान कर रहे हैं उनका योगदान इनको किस रूप में मिल सकें, इसका भी हम विचार कर रहे हैं।

श्री कौकब हमीद–

जो लोग मान्यवर, अभी तक इस विभाग में कार्यरत हैं इन सेवाओं के हस्तांतरित होने से उनको क्या घर बैठे तनख्वाह देंगे या उनका कैसे संचालन करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, जो लोग सेवा में लगे हुये हैं उन सबका पूरा उपयोग पंचायतों द्वारा भी संचालन करते समय किया जायेगा इस पर भी विचार किया जा रहा है। मान्यवर, हम सब प्रदेश के व्यापक हित में काम कर रहे हैं।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, एक बात स्पष्ट है कि केवल नलकूपों के स्वामित्व के हस्तान्तरण हो जाने से नलकूप नहीं चल पायेंगे जो इस कार्य के संचालन के लिए ग्राम पंचायतों को संसाधनों की आवश्यकता होगी क्या वह शासन की ओर से उपलब्ध कराये जायेंगे या ग्राम सभाओं को स्वयं में अर्जित करने होंगे ? आज की तारीख में जो लोग इस कार्य में लगे हुये हैं उन लोगों की सेवायें क्या ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगी ? पंचायतों के नियंत्रण में सेवायें होंगी जैसा माननीय मंत्री जी की तरफ से बयान आया है, उसके अंदर कहा गया था कि नलकूप विभाग में भविष्य में जो नियुक्तियां होंगी, वह भी पंचायतों को स्वयं करनी हैं। इस प्रकार जो नियुक्तियां होंगी, मैन पावर होगा, जो धन की आवश्यकता होगी, वह इन्तजाम कहां से किया जायेगा ? मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। कुछ वर्ष पूर्व एक व्यवस्था

जल संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड क्षेत्र में लागू की गई थी, उसमें सिंगल विलेज स्कीम पंचायतों को ट्रांसफर कर दी गई, नतीजा यह हुआ कि डेढ़ साल के अन्दर वह सब डिफेक्ट हो गई और शासन को शासनादेश करना पड़ा कि जल संस्थान वापस इनको अपने नियंत्रण में ले । मैं जानना चाहता हूं कि यह संसाधन कहां से आयेगा, मैन पावर का क्या होगा और उनके ऊपर पंचायतों का किस तरह का प्रशासनिक नियंत्रण होगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, यह नीतिगत निर्णय है कि नलकूपों का हस्तान्तरण पंचायतों को किया जायेगा क्योंकि हम पंचायतों को सशक्त करना चाहते हैं, यह शासन पंचायत व्यवस्था को सही साकार रूप में लागू करना चाहता है । बाकी विस्तार के विषय हैं । जो माननीय सदस्य इधर के या उधर के कुछ रहे हैं, वह सब बिन्दु विचारणीय हैं । विस्तृत विवरण आ जाने के बाद मैं समझता हूं, कि पूरा सदन इससे संतुष्ट हो जायेगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मैं माननीय मंत्री जी से बड़ा प्रभावित हुआ कि उन्हें पंचायतों का बड़ा ख्याल है । जिला पंचायत के अध्यक्ष सी०डी०ओ०, सी०आर० नहीं लिख सकता, वह कलेक्टर के यहां जाते हैं । ब्लाक प्रमुख सी०आर० नहीं लिख सकता । आपने इनको इतना अधिकार दे दिया है, इस पर पुर्नविचार करिये । आप यह तुगलकी काम मत करिये । आप लालजी वर्मा से भी सहमत न हों कि इसे आप अपने क्षेत्र में पहले लागू कर लें । मेरा सुझाव है कि आप हर जिले में एक-एक ट्यूबवेल ले लें, इस समय 83 जिले हैं और 83 को आप ले लें और इनको चलवा कर देख लीजिये, अगर यह कार्यक्रम सफल हो जाता है तो उसे लागू करिये वरना मत करिये । विगत कई सरकारों ने करोड़ों रुपये लगाकर यह परिसम्पत्ति बनाई है, इसका सत्यानाश मत करिये । होगा यह कि कभी ट्यूबवेल के पाइप खुल जायेंगे, न नाली रह जायेंगी, न मोटर रहेगी, न बिल्डिंग रहेगी । मेरा आपसे आग्रह है कि यह इस तरह लागू करने से पहले आप खुली डिबेट करवा लीजिये और व्हिप भी इश्यू मत करिये, चाहे इधर के हों, चाहे उधर के हों, सभी माननीय विधायकों का क्या मत है, इस बारे में, वह आ जाना चाहिये । ऐसा कानून मत लागू करिये जिससे कि पूरी जो सिंचाई व्यवस्था है, वह ठप्प हो जाय और सब सत्यानाश हो जाय । आपने जो जी०ओ० इश्यू किया है, उसमें पंचायतों या अन्य किसी को देने की बात कही है, ऐसा करने से माफिया गिरोह के लोग 10–10, 15–15 ट्यूबवेल ले लेंगे और गरीब आदमी सिंचाई नहीं कर पायेगा, इसलिये इस पर आप क्या पुर्नविचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

इस पर विचार कर लीजियेगा ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, प्रदेश में लाखों हेक्टेयर खेती को सींचने के लिये 29 हजार ट्यूबवेल हैं । इन पर कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन और इनके रख-रखाव के लिये । वर्ष में आप कितना धन देते हैं ? क्या इतना ही धन ग्राम पंचायतों को देने के लिये व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे या नहीं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, यह पहली सरकार है जिसने ग्राम पंचायतों को राजस्व 360 करोड़ सीधे देने का फैसला लिया है । अब तक तो उनको 20–25 करोड़ रुपये ही दिया करते थे । यह हमारी नीयत को साफ करता है कि हम पंचायतों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाना चाहते हैं । पंचायतें इन सारी चीजों को अच्छी तरह चला सकें, इन सारी चीजों पर विचार करके अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, जब तक पूरी तरह से हस्तान्तरण नहीं हो जाता तब तक पूरे व्यय और संचालन की जिम्मेदारी शासन की है और बाद में अच्छी तरह संचालित कराने की जिम्मेदारी शासन की है ।

(शोर)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मंत्री जी इस गम्भीर प्रश्न पर अगम्भीर हैं । यह पूरे प्रदेश के किसानों का सवाल है । यह सरकार किसानों की रीढ़ तोड़ रही है इनका कोई दृष्टिकोण नहीं है । माननीय मंत्री जी के गैर जिम्मेदाराना बयान के खिलाफ हम और हमारा दल सदन का त्याग करता है ।

(श्री अम्बिका चौधरी अपने दल के सदस्यों के साथ नारे लगाते हुए सदन को त्याग कर चले गये ।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह अत्यंत लोक महत्व का प्रश्न है । 85 फीसदी क्षेत्र प्रदेश का कृषि बाहुल्य क्षेत्र है । इस पर मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । मान्यवर, इस पर कम से कम 1 घंटे की चर्चा कराने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखित सूचना दे दीजिये ।

उत्तरांचल क्षेत्र को निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं को निजी कम्पनियों को बेचने की जानकारी

**2–श्री लाखी राम जोशी–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उत्तरांचल क्षेत्र की अनेक निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं को निजी कम्पनियों को बेचने हेतु सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो विक्रय की शर्तें क्या हैं और उसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, उत्तरांचल क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनायें वर्षों से अधूरी पड़ी हैं उन पर काम नहीं चल रहा है । लखवाड़ व्यासी, मनेरी भाली, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर यह जो योजनायें हैं उनको पूरा करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है । माननीय सदस्य ने पूछा था कि क्या इन परियोजनाओं को निजी क्षेत्र को बेचने जा रहे हैं ।

लखवाड़ व्यासी और मनेरी भाली यह जो दो परियोजनायें हैं इनमें ठेकेदारों का डिस्पूट था । इसके लिए शासन ने एक कमेटी बनायी थी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है । निर्णय लेने के बाद उस पर कार्यवाही शुरू कर दी जायेगी ।

श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि बार-बार ये परियोजनायें जिनका नाम मैंने पहले लिया है, सरकार की तरफ से आता है कि निजी क्षेत्र में यह परियोजनायें दी जा रही हैं । अभी माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं को निजी कम्पनियों को सरकार नहीं बेच रही है । मेरा प्रश्न इसी सन्दर्भ में था कि जैसे मनेरी भाली परियोजना पर 75 प्रतिशत खर्चा हो चुका है उसको पूरा करने के लिए सरकार अभी तक सकारात्मक पहल नहीं कर पा रही है और उसके कारण उसमें जो पैसा लगा है उसका अपव्यय तो हुआ ही है लेकिन भविष्य के लिए कम से कम यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस परियोजना का काम पूरा हो, उसके लिए सरकार की तरफ से कोई समुचित कार्यवाही की जानी चाहिए । बार-बार यह आता है कि निजी क्षेत्र में परियोजनायें दी जायेंगी । विष्णु प्रयाग परियोजना पर जय प्रकाश इण्डस्ट्रीज ने काम शुरू किया था लेकिन वह बन्द हो गयी । श्रीनगर परियोजना एक निजी कम्पनी को दिया गया था उस पर 28 करोड़ रुपया सिंचाई विभाग की तरफ से भुगतान भी किया गया लेकिन कोई कार्य नहीं हुआ । वह कम्पनी 28 करोड़ रुपया लेकर चम्पत हो गयी और आज तक उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

श्री अध्यक्ष–

जोशी जी, आप पूरक प्रश्न पूछिये ।

श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि अनुसन्धान एवं नियोजन विभाग द्वारा सर्वे किया गया था और तथ्य आपके सामने आये थे कि 20,000 मेगावाट बिजली की क्षमता उत्तराखण्ड क्षेत्र में है । इस 20,000 मेगावाट की क्षमता का उपयोग कैसे करेगी जब सरकार आधी-अधूरी परियोजनायें छोड़कर बैठी हुई है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

वैसे आज ऊर्जा विभाग का बजट पेश कर रहे हैं । माननीय सदस्य की बहुत सी शंकाओं का निदान हो जायेगा । मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नये उत्तराखण्ड राज्य का गठन हो रहा है । सरकार एक भी परियोजना को निजी क्षेत्र में नहीं दे रही है । उत्तरांचल राज्य बनेगा वह अपने हिसाब से निर्णय लें । मनेरी भाली और लखवाड़ व्यासी परियोजना को निजी क्षेत्र में नहीं दे रहे हैं । विष्णु प्रयाग योजना पर अगले महीने से काम शुरू होने जा रहा है जय प्रकाश इण्डस्ट्रीज वाले इस कार्य को करायेंगे । श्री नगर परियोजना का जहां तक सवाल है यह कहा गया कि 28 करोड़ रुपया लेकर भाग गये तो ऐसी कोई बात नहीं है, वह हमारा पैसा कहीं गया नहीं है । वह फाइनेन्सियल क्लोजिंग 31 दिसम्बर तक करेंगे ।

श्री लाखी राम जोशी–

माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि निजी क्षेत्र में किसी विद्युत परियोजना को नहीं दे रहे हैं । वहीं अभी यह कह रहे हैं कि विष्णु प्रयाग परियोजना पर जय प्रकाश इण्डस्ट्रीज वाले काम शुरू करने वाले हैं ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जो सरकार की परियोजना है उसको नहीं दे रहे हैं, जो निजी क्षेत्र की परियोजनायें हैं उनका निर्माण निजी क्षेत्र कर रहा है ।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, उत्तरांचल क्षेत्र में जल विद्युत परियोजना की लगभग 22 परियोजनायें स्वीकृत हुई हैं और कई परियोजनायें कागजों पर पूर्ण हो चुकी हैं और भौतिक निरीक्षण करने पर वहां पर नहीं पायी गयी हैं । मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूंछना चाहूंगा कि क्या ऐसी परियोजनाओं का कोई सर्वेक्षण करा लिया गया है कि इन परियोजनाओं को कब तक बना लिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष–

मूल प्रश्न से तो यह बात आती नहीं हैं, अगर सूचना हो तो मंत्री जी बता दें ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, 22 परियोजनाओं के पी०पी०ए० साईन किये गये थे, निर्माण एक का भी शुरू नहीं हुआ है । दबाव बनाये हुये हैं निर्माण शुरू किया जायेगा ।

श्री अजय भट्ट–

वहां दस-दस साल हुए एग्रीमेंट वाले मामलों में काम नहीं शुरू हुआ है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

हमारा दबाव उन पर बना हुआ है अगर वह काम नहीं करेंगे तो पुर्नविचार करेंगे ।

श्री केदार सिंह फोनिया–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक स्पेसिफिक बात जानना चाहता हूं । विष्णु प्रयाग परियोजना की बात आपने की वहां काम भी शुरू हो गया लेकिन उसके बाद काम बन्द हो गया । जे० पी० एसोशिएट से अनुबन्ध लिखा गया उस अनुबन्ध में उस काम को पूरा करने के लिए कितनी समय सीमा तय है और यदि उस समय सीमा पर जे० पी० एसोशिएट वाले काम पूरा नहीं करते हैं तो सरकार क्या करेगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

यह प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है । फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि वह लोग आए थे उन्होंने मुख्यमंत्री जी से अप्रैल में समय मांगा है । मुख्यमंत्री जी ने समय देना स्वीकार कर लिया है ।

श्री मुन्ना चौहान–

माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि उत्तरांचल की जल विद्युत परियोजनाओं को निजी क्षेत्र में दिए जाने पर विचार नहीं किया जा रहा है । दूसरी बात अभी मंत्री जी ने कही कि लखवाड़ व्यासी और मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना का काम प्रारम्भ होने जा रहा है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गत वर्ष के सालाना बजट में 80 करोड़ रुपए का प्राविधान मनेरी भाली फेस–2 व लखवाड़ व्यासी परियोजना के संचालन के लिए किया गया था कौन से कारण हैं जिसकी वजह से उन रुपयों में से 80 नए पैसे भी उन परियोजना के संचालन के लिए निर्गत नहीं किए गए । हमारी निश्चित जानकारी और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि मनेरी भाली फेस–2 परियोजना के कारण सम्पूर्ण उत्तरकाशी जनपद बन्द रह चुका है फिर भी सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया था कि मनेरी भाली फेस–2 परियोजना को निजी क्षेत्र में नहीं दिया जा रहा है । मैं आरोप लगा रहा हूं कि सरकार ने यह विनिश्चय

किया है कि उत्तरांचल की जल विद्युत परियोजनाओं को सम्पूर्ण रूप से बन्द कर दिया जाए । उसको बेचने की साजिश चल रही है जो बजट में 80 करोड़ का प्राविधान था उसको रोक दिया गया है । मंत्री जी ने कभी यह नहीं कहा कि इसका निजीकरण नहीं कर रहे हैं । इसी कारण पूरे इंजीनियर्स हड़ताल पर गए थे ।

श्री अध्यक्ष–

जिस समय बजट पर चर्चा हो उस समय अपनी बात रखें ।

श्री मुन्ना चौहान–

जब बजट में प्राविधान किया गया था तो कौन से कारण हैं जिसके कारण पैसा निर्गत नहीं किया गया ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

यह सरकार की स्पष्ट नीति है कि उत्तरांचल राज्य बनने जा रहा है इसलिए कोई भी परियोजना जो बन्द रही है उसको किसी निजी क्षेत्र में नहीं देने जा रहे हैं । जब राज्य बनेगा तो वह अपना स्वयं निर्णय लेगा । जहां तक बजट के प्राविधान की बात है सिंचाई विभाग और विद्युत विभाग के ठेकेदारों में डिस्प्यूट था जिसके कारण दोनों ठेकेदारों ने काम करा दिया । इस संबंध में सरकार ने एक कमेटी गठित की थी उसने बात करके अपनी रिपोर्ट शासन को दे दी है । शासन के निर्णय के उपरान्त जो रुपए का प्राविधान है उसका इस्तेमाल किया जाएगा ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

शासकीय सचिवालय के प्रमुख सचिव/सचिव के पदों को सृजित किये जाने हेतु मानक निर्धारण की जानकारी

*1–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शासकीय सचिवालय के प्रमुख सचिव/सचिव के पदों को सृजित किये जाने का क्या कोई मानक निर्धारित है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या वर्तमान प्रमुख सचिवों एवं सचिवों के पद मानक के अनुसार सृजित किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार बिना मानकों के अनुपालन के सृजित ऐसे पदों को समाप्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

जी नहीं । आवश्यकतानुसार कार्यहित में पद सृजित किये जाते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आवश्यकता के अनुसार एवं कार्यहित में पद सृजित किये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं वर्ष 1993 में प्रमुख सचिव के कितने पद प्रदेश में सृजित थे और उसके बाद कितने पद और क्यों सृजित किए गए ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

30-4-98 को भारत सरकार ने अधिसूचना जारी करके कुछ पदों का सृजन किया था और यह तय किया कि प्रमुख सचिव के 16 पद थे । कृषि उत्पादन आयुक्त का एक पद इसी के समकक्ष है 6 मण्डलायुक्तों के पद इसी के समकक्ष हैं ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैंने प्रश्न पूछा था कि वर्ष 1993 में कितने पद प्रमुख सचिव के थे और इसके बाद शासन ने कितने पद प्रमुख सचिव के सृजित किये और क्यों किये ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, जो मूल प्रश्न किया गया था वह मौजूदा परिस्थितियों के बारे में पूछा गया था जिसे मैंने बता दिया ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, सामान्यतः अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु कार्मिक विभाग/वित्त विभाग से राय ली जाती है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रमुख सचिवों के पदों पर प्रोन्नति हेतु कौन सी प्रक्रिया निर्धारित है और उसका आधार क्या है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, कार्मिक विभाग को जाती तो है परन्तु मुख्य मंत्री जी स्वयं सक्षम हैं ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बड़ा अजीब सा उत्तर दिया । पूछा यह गया था कि प्रमुख सचिव/सचिव के पदों को सृजित किये जाने का कोई मानक निर्धारित है तो इसके उत्तर में मंत्री जी ने कहा जी नहीं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब आज वित्तीय अनुशासन को बनाये रखने की बात कही जा रही है तो ऐसी परिस्थिति में इस बात का ध्यान रखते हुए कि प्रमुख सचिवों के पदों पर नियुक्ति हेतु कोई एक मानक निर्धारित होना चाहिए कि किस वर्कलोड के आधार पर प्रमुख सचिव के पद सृजित होंगे । क्या कोई ऐसा मानक बनाने पर माननीय मंत्री जी विचार करेंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में 535 का संवर्ग है और उसके लिए अलग-अलग वेतनमान निधारित हैं और उसके अन्तर्गत ही अधिकारियों की नियुक्ति होती है और इसी में से प्रतिनियुक्ति पर भारत सरकार में अधिकारी जाते हैं । निर्धारित अनुपात में यदि अधिकारी भारत सरकार नहीं जाते हैं तो उन्हें कार्य की आवश्यकतानुसार समायोजित किया जाता है ।

श्री राजधारी–

मान्यवर, यह एक मुख्य सवाल उठाया गया है और जनता में भी एक संदेश गया है कि हमारे जो बड़े अधिकारी हैं अपने हित में जब चाहते हैं बिना किसी मानक/नियम के पद सृजित कर लेते हैं और जो फील्ड वर्कर हैं उनके लिए न तो कोई मानक है और न कोई उनकी नियुक्ति होती है । प्रमुख सचिव

जैसे महत्वपूर्ण जैसे पदों पर आर्थिक व्यय भी होता है तो ऐसी स्थिति में क्यों न सरकार कोई ऐसा मानक निर्धारित करती है तथा कार्यहित में अन्य पदों पर भी इसी प्रकार नियुक्ति करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

वैसे इस प्रश्न का मोटे तौर से उत्तर आ गया है ।

श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शासन में प्रमुख सचिव के कितने पद सृजित हैं ? क्या सृजित पदों के विपरीत अधिक अधिकारी कार्यरत हैं ? यदि हां, तो प्रदेश की दयनीय आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अधिक अधिकारियों को कार्यरत रखने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार अतिरिक्त अधिकारियों को हटाकर आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगी ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैंने पहले ही जानकारी दे दी कि पूरे प्रदेश में पदों की संख्या 535 हैं और इसमें अलग-अलग वेतनमान के अधिकारी कार्यरत हैं और इसी में से 40 प्रतिशत अधिकारी केन्द्र में प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं, इनकी संख्या लगभग 116 है यदि यह अधिकारी उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं तो उन्हें कार्य की आवश्यकता को देखते हुए उसी हिसाब से समायोजित किया जाता है ।

श्री समरपाल सिंह–

जितने हमारे प्रदेश में प्रमुख सचिव के पद सृजित हैं क्या उससे अधिक कार्यरत हैं ?

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी ने उत्तर दे दिया कि आवश्यकतानुसार कार्य हित में पद सृजित किये जाते हैं ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्तमान में कितने पद सृजित हैं और कितने लोग काम कर रहे हैं ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

भारत सरकार के प्रधान सचिव जिसे उत्तर प्रदेश में प्रमुख सचिव कहा जाता है । 16 पद सृजित हैं । 6 पद हमारे पास मण्डलीय आयुक्त के हैं । कृषि उत्पादन आयुक्त का भी पद है, इसके अतिरिक्त रेजिडेंशियल आयुक्त का है । कुल मिलाकर हमारे यहां 32 लोग कार्यरत हैं ।

श्री समरपाल सिंह–

16 पदों के अगेन्स्ट 32 कार्य कर रहे हैं क्या इन्हें हटाने की कोई प्रक्रिया करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

यहां पर जरा यह स्पष्ट कर दें । प्रमुख सचिव के पद की बात हो रही है आपने कहा मण्डलीय आयुक्त, मण्डलीय आयुक्त समकक्ष हो सकता है लेकिन उसे प्रमुख सचिव का नाम नहीं देंगे । रेजिडेंशियल कमिश्नर को आयुक्त का पद दे देंगे लेकिन प्रमुख सचिव का पदनाम नहीं दे पायेंगे तो इस तरह से आप यह बतायें कि कितने पद प्रमुख सचिव के सृजित हैं और कितने कार्यरत हैं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

16 पद सृजित हैं जिसके मुकाबले 32 कार्यरत हैं ।

श्री अध्यक्ष–

32 प्रमुख सचिव कार्यरत हैं।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जी हां।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, 16 पद सृजित हैं। 32 प्रमुख सचिवों से काम लेने का क्या आधार है। जनता की गाढ़ी कमाई का क्यों अपव्यय कर रहे हैं ? मान्यवर, मैं इस पर चर्चा की मांग करता हूं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

थोड़ा शान्त हो जायं। एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात नहीं सुनाई देगी। डा० बाजपेयी अपने प्रश्न को फिर से कह दीजिये।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन है कि हमारे प्रदेश में प्रमुख सचिव स्तर के 16 पद सृजित हैं और उसके अगेन्स्ट 32 लोग कार्य कर रहे हैं। जनता की गाढ़ी मेहनत की कमाई उन्हें वेतन और भत्ते के रूप में क्यों दी जा रही है ? इसका आधार क्या है ? इसकी आवश्यकता और अनिवार्यता क्या है, यह सदन को बता दें अन्यथा इस पर चर्चा करा लें।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैंने पहले ही बताया कि कई स्केल निर्धारित हैं। एक जूनियर और एक सीनियर है उसके बाद जूनियर ऐडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड और फिर सेलेक्शन ग्रेड है। सुपरटाइम स्केल स्तर के अधिकारी सचिव स्तर पर और भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेट्री को प्रमुख सचिव स्तर का माना जाता है। जितने उस स्केल के हैं उनको प्रमुख सचिव कहा है।

श्री अध्यक्ष–

वेतन क्रम भिन्न हो जाता है फिर भी पद नाम दे दिया जाता है ?

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

सभी माननीय सदस्य एक साथ न बोलें। सब एक साथ बोलेंगे तो बात नहीं सुनी जायेगी। पहले श्री कौकब साहब और उसके बाद श्री बी० आर० वर्मा जी।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, यह बहुत जरूरी प्रकरण है मंत्री जी बता रहे हैं कि 16 जगह हैं और 32 लोग काम कर रहे हैं तो यह जो 16 लोग हैं जिनकी अभी स्वीकृति नहीं है क्या उनको वापस करेंगे। इतना वित्तीय संकट होने के बाद भी सरकार इस तरह कर रही है। या तो इसे प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सौंप दें या इस पर चर्चा करा लें। यह ऐसी चीज है अगर इस पर रोक न लगे तो आगे दिक्कत पड़ेगी।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, आज जिस आसन पर आप विराजमान हैं सदन में जो प्रश्न उपस्थित है आप अपने विवेक से देंखे, जैसा कि परिलक्षित हो रहा है इससे आप स्वयं दुखी हैं, ब्यूरोक्रेसी किस तरह से हावी है चाहे किसी की सरकार हो इस तरह ब्यूरोक्रेसी हावी नहीं होनी चाहिए। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि 16 पद सृजित हैं और 32 लोग कार्यरत हैं तो या तो सरकार उनको नियमित कर दें 32 पद सृजित कर दें ताकि अनियमितता समाप्त हो जाएं और अगर 32 पद सृजित नहीं होते हैं अनियमितता बनी रहती है तो अनियमितता समाप्त होनी चाहिए। तो माननीय मंत्री जी बता दें कि कौन सा उपाय मंत्री जी करने जा रहे हैं। जो सरकार वित्तीय संकट से जूझ रही है मंत्री परिषद् से लेकर हर स्तर पर वित्तीय मितव्ययता को अंगीकार कर वित्तीय अनुशासन को मजबूत करने के लिए लगी हुई है ऐसी स्थिति में अनियमितता समाप्त करें अनियमितता समाप्त नहीं कर रहे हैं तो पैसा जो ज्यादा दिया जा रहा है हर स्तर पर दिया जा रहा है जब यह हर स्तर पर कटौती कर रहे हैं तो अधिकारियों को लाभान्वित करने का औचित्य क्या है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, कोई अतिरिक्त पैसा नही दिया जा रहा है। यह अतिरिक्त पद, निःसंवर्गीय पद हैं। इनमें 25 परसेन्ट आरक्षित हैं 40 परसेन्ट लोग प्रतिनियुक्ति के लिए हैं अगर केन्द्र अधिकारियों को नहीं बुलाती है तो वह प्रदेश स्तर पर ही रहेंगे।

(व्यवधान)

श्री बी० आर० वर्मा–

अगर अनियमितता समाप्त नहीं करते हैं तो 16 को बढ़ाकर 32 कर दें।

श्री अध्यक्ष–

जो अधिक संख्या में प्रमुख सचिव के पद पर अधिकारीगण कार्य कर रहे हैं उससे शासन के ऊपर वित्तीय भार नहीं आ रहा है इससे यह बात स्पष्ट हो गई है।

श्री बी० आर० वर्मा–

यह 16 पद को बढ़ाकर 32 क्यों नहीं कर देते हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी का सुझाव है कि 16 पद जो सृजित हैं और 32 लोग कार्य कर रहे हैं तो उनको 32 पद क्यों नहीं कर देते हैं ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

इस संदर्भ में प्रस्ताव का परीक्षण कर लिया जाएगा।

श्री बी० आर० वर्मा–

पद सृजित हो जाएं वह वेतनमान तो पा ही रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

वेतनमान भिन्न-भिन्न हैं इसलिए मैंने स्पष्ट करा लिया है।

श्री बी० आर० वर्मा–

प्रमुख सचिव के पद पर काम कर रहे हैं परन्तु वह पद है नहीं।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, यह सरकार ब्यूरोक्रेसी के सामने नतमस्तक हो गयी है उस पर अंकुश लगाने का नैतिक साहस इनमें नहीं है । इसलिए नहीं है कि मान्यवर, मोरार जी देसाई कमीशन ने यह तय किया था कि मंत्रिपरिषद् में 1/10 से अधिक सदस्यों की संख्या न की जाय लेकिन फिर भी इन्होंने उस परम्परा का निर्वाह न करके 93 मंत्रियों का मंत्रि-मण्डल बना डाला । जब मंत्रि-परिषद् दो गुने से ज्यादा कर दिया गया तो उसी तरह से प्रमुख सचिव भी 16 की जगह 32 हो गये । जो यह आई० ए० एस० कैडर हैं जिसमें प्रमुख सचिव, सचिव हैं तो इनका जो निर्धारित मानक हैं उससे अधिक पद बना दिये हैं तो इन अनावश्यक पदों को तत्काल समाप्त करने का विचार करेंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, प्रदेश के ऊपर कोई भार इससे नहीं पड़ रहा है यह मैंने पूर्व में ही बता दिया है । यह निःसंवर्गीय पद हैं और इन्हें आवश्यकतानुसार कम या ज्यादा किया जा सकता है ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, कई प्रमुख सचिव और सचिव ऐसे हैं जिनके ऊपर बड़ी-बड़ी जांचे चल रही हैं और जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है....

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न में नहीं आता है आप बैठ जायें ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह बताया है कि वेतनमान वही है । इससे अतिरिक्त वित्तीय भार प्रदेश में नहीं पड़ रहा है । मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि लखनऊ के जिलाधिकारी का एक पद सृजित है । वेतनमान वहीं रखते हुए क्या तीन चार अधिकारियों को जिलाधिकारी लखनऊ के पद पर नियुक्ति की जा सकती है ?

श्री अध्यक्ष–

काल्पनिक उदाहरण नहीं दिया जा सकता है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं अभी माननीय मंत्री जी ने जैसा बताया कि प्रतिनियुक्ति पर केन्द्र में भेजा जाता है परन्तु अभी भारत सरकार ने उनको नहीं लिया है । तो ऐसे कितने अधिकारी हैं जिनको केन्द्र सरकार ने नहीं लिया है ?

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न में नहीं आता है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, इसमें सूचना की आवश्यकता होगी ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, सारा सदन चाहता है इसमें चर्चा करा दें ।

सतर्कता विभाग द्वारा विगत वर्षों में आई० ए० एस० अधिकारियों के विरुद्ध जांच

*2–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 1996, 1997 एवं 1998 में कितने आई० ए० एस० अफसरों के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा जांच करायी गयी ? उनमें से अब तक किन-किन को दण्डित किया गया ? कितने आई० ए० एस० अफसरों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच लम्बित है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

सतर्कता विभाग द्वारा वर्ष 1996 में 10, वर्ष 1997 में 18 तथा वर्ष 1998 में 20 आई०ए०एस० अधिकारियों के विरुद्ध जांच आदेशित की गयी ।

चार अधिकारियों के विरुद्ध जांच आख्या प्राप्त हुई है । जिन पर कार्यवाही प्रचलित है, अभी किसी को दण्डित करने का अवसर नहीं है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी हैं नहीं, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, अभी चर्चा हो रही थी कि 16 की जगह 32 प्रमुख सचिव कार्यरत हैं । तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं ।

मान्यवर, पी० ए० संगमा जी, ने भी टिप्पणी की है कि विकास में यह आई०ए०एस० सबसे बड़े अवरोधक हैं । यह 39 आई०ए०एस० के खिलाफ जांच चल रही है इसमें से कितने सम्प्रति प्रमुख सचिव के पद पर व मंडलायुक्त व जिलाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, इसका अलग से वर्गीकरण इस आधार पर नहीं कराया गया है ।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आप संरक्षण दें, यह सीधा प्रश्न है और इनके पास पूरी सूचना होगी कि कौन कहां नियुक्त हैं ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैंने कहा है कि इस आधार पर इसका वर्गीकरण अलग से नहीं कराया गया ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, यह 39 लोगों की सूची दे दें । यह भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है ।

श्री अध्यक्ष–

फिर पुराना क्रिया-कलाप शुरू हो गया ।

श्री अम्बिका चौधरी–

1996 से आप बता दें कि कब-कब जांच शुरू हुई । मान्यवर, यह सब व्यक्तिगत रूप से जानते हैं । कोई रिकार्ड देने की जरूरत नहीं है । सभी के नाम सदन में बतायें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, यह जांच कुछ अधिकारियों के खिलाफ हो रही है अगर आप चाहेंगे तो हम आपके कक्ष में विवरण दिखा देंगे ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं । आप सारी सूचना कक्ष में दिखा दीजिएगा ।

*3–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

[गोपनीयता के आधार पर निरस्त]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रियां तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

स्प्रिंग फील्ड स्कूल, मुरादाबाद की अध्यापिकाओं का प्रबन्ध तंत्र के विरुद्ध आन्दोलन की जानकारी

*1–श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जुलाई, 1997 से स्प्रिंग फील्ड स्कूल, मुरादाबाद की अध्यापिकाओं का प्रबन्ध तंत्र के विरुद्ध आन्दोलन चल रहा है ? क्या यह सही है कि इस संबंध में मंत्री जी, जिलाधिकारी को समय-समय पर अनेक ज्ञापन भी दिये गये हैं ? यदि हां, तो इस विवाद को समाप्त कराने हेतु शासन द्वारा क्या प्रभावी कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा मंत्री (डा० नैपाल सिंह)–

आन्दोलन किये जाने की सूचना प्राप्त हुई है ।

जी हां और जिलाधिकारी ने प्रकरण पर मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक (मा०) से जांच कराई ।

इस संबंध में मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक मुरादाबाद मण्डल से विस्तृत जांच किये जाने हेतु शिक्षा निदेशक (मा०) को दिनांक 4-2-99 में निर्देश दिये गये हैं और जांचोपरान्त अनियमितता पाये जाने पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सौलत अली एडवोकेट–

माननीय अध्यक्ष जी, यह दिनांक 16-2-99 का स्थानान्तरित प्रश्न है । सदन यह अपेक्षा करता था कि इसका पूर्ण और स्पष्ट उत्तर मंत्री जी प्रस्तुत करेंगे, लेकिन उत्तर पूर्ण न होने के कारण मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह मंत्री जी के गृह जनपद का प्रकरण है, जो डेढ़ साल से चल रहा है । आठ अध्यापिकाओं और अध्यापकों को सेवानिवृत्त कर दिया गया है और 7 को निलम्बित कर दिया गया है । लगभग एक वर्ष पहले माननीय मंत्री जी से इन अध्यापकों का एक डेलीगेशन अपने ज्ञापन के साथ दिनांक 5-4-98 को मिला था, जिसको आपने स्वीकार भी किया है । एक वर्ष से मामला आपकी जानकारी में है, मैं जानना चाहता हूं कि आपके स्तर से क्या कार्यवाही हुई है ? जिलाधिकारी को जो ज्ञापन दिया गया है, उसमें जिलाधिकारी ने मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक से जांच कराई, उस जांच में क्या हुआ ? तीसरी बात जानना चाहता हूं कि मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मुरादाबाद मण्डल से जो जांच कराई जा रही है, उसकी क्या स्थिति है ? यह 15 अध्यापकों के रोजी-रोटी का सवाल है वह सड़क पर पड़े हैं और मुरादाबाद के 27 संगठन इनसे जुड़ चुके हैं, बराबर धरना-प्रदर्शन, भूख हड़ताल चल रही है, इस मामले में शिथिलता का कारण क्या है ?

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, इस विद्यालय में 7 शिक्षिकाओं को विद्यालय हित में विपरीत काम करने तथा अनुशासनहीनता के आरोप में निलम्बित किया गया और प्रत्येक प्रकरण पर अलग-अलग जांच अधिकारी नियुक्त किये गये । निलम्बित अध्यापिकाओं को सुनवाई का अवसर देते हुये, जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर 5 अध्यापिकाओं को सेवा से हटाये जाने का निर्णय लिया गया । छठी अध्यापिका ने जांच कार्यवाही से पूर्व ही अपना त्याग-पत्र दे दिया । सातवीं अध्यापिका द्वारा माफी मांग लेने के आधार पर पुनः विद्यालय में नियुक्ति दे दी गई । इस मामले में जांच मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) से कराई गई । इस संबंध में उल्लेख किया गया है कि आई०सी०एस०ई०, नई दिल्ली के नियमों के अनुसार शिक्षिकाओं की नियुक्तियां अनुबंध के आधार पर की गई हैं, ऐसी स्थिति में इन विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के प्राविधान लागू न होने के कारण हस्तक्षेप करना विधिसम्मत नहीं है ।

श्री सौलत अली एडवोकेट–

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया कि एक जांच मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, माध्यमिक से कराई जा चुकी है, इसमें क्या हुआ और दूसरी जांच जो मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मुरादाबाद मण्डल से कराई जा रही है, वह कब तक पूर्ण हो जायेगी, वह किस स्थिति में है ?

डा० नैपाल सिंह–

एक जांच पूरी होकर आ गई है और उसके बारे में स्पष्ट उत्तर मैंने दे दिया है । दूसरी जांच आरोपों के संबंध में चल रही है, मैं अतिशीघ्र इस प्रक्रिया को समाप्त करा दूंगा ।

तारांकित प्रश्न

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उ० प्र० लखनऊ द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु राज नेताओं के कट-आउट लगवाने पर व्यय का विवरण

*1–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 21 मार्च, 1997 से लेकर अब तक सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, उ० प्र० लखनऊ द्वारा कोई धन प्रसार-प्रचार हेतु खर्च किया गया है ? यदि हां, तो कब, कितना और किस मद में ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त अवधि में किस-किस राजनेता के कटआउट बनवाकर लखनऊ राजधानी में लगवाये गये और इस मद में कितना धन खर्च किया गया ? क्या सरकार जातिवाद एवं सम्प्रदायवाद को समाप्त करने के लिये प्रगतिशील साहित्य के प्रकाशन एवं वितरण की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण एवं पर्यटन मंत्री (श्री कलराज मिश्र)–

जी हां ।

दिनांक 21 मार्च, 1997 से दिनांक 31-12-98 तक प्रचार-प्रसार आदि पर कुल रु० 29,95,33,955.15 विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार व्यय हुए:–

(क) प्रदर्शनी जैसे प्रचार माध्यमों पर रु० 80,76,930.00

(ख) गीत एवं नाट्य योजना के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु रु० 14,00,900.00

(ग) प्रचार-परक प्रकाशन के अन्तर्गत रु० 2,52,78,303.60

(घ) सजावटी एवं वर्गीकृत विज्ञापन पर रु० 26,47,77,821.55

उपरोक्त अवधि में लगाये गये कटआउट तथा उन पर हुए कुल व्यय रु० 6,63,846.00 का विवरण निम्न प्रकार है :–

(क) डा० भीमराव अम्बेडकर के 8 कटआउट के निर्माण पर रु० 79,000.00 तथा पूर्व मुख्य मंत्री सुश्री मायावती के 7 कटआउट के निर्माण पर रु० 69,300.00

(ख) राजधानी में वर्तमान मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह) के 21 मार्च, 97 से पूर्व स्थापित होर्डिंगों पर 50 कटआउट के निर्माण पर रु० 4,09,836.00

(ग) उपरोक्त पूर्व निर्मित 50 कटआउट में से क्षतिग्रस्त 31 कटआउटों के निर्माण पर रु० 1,05,710.00

जातिवाद एवं सम्प्रदायवाद को समाप्त करने के लिये सामाजिक समग्र विकास, समरसता, एक्य–भावना तथा बन्धुत्व भावना को बढ़ाने वाला साहित्य सूचना विभाग समय-समय पर प्रकाशित करता रहता है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, आप इस बात से सहमत होंगे कि अभी सम्प्रदायिकता की कोडीफाइड परिभाषा नहीं है । यह प्रदेश की ही नहीं देश की ज्वलन्त समस्या है और देश की अस्मिता से यह जुड़ा प्रश्न है । सम्प्रदायिकता की परिभाषा को कोडीफाई करने के लिए क्या एक आयोग गठित करेंगे जिसमें हिन्दू, बौद्ध, जैन, पारसी, मुसलमान सदस्य हों और जो रिपोर्ट दे कि किस आधार पर सम्प्रदायिकता पैदा होती है और उसका निदान क्या है । मैं यह जानना चाहता था कि सम्प्रदायिकता और जातिवाद को समाप्त करने के लिए कौन से लिट्रेचर का प्रसार-प्रचार किया गया है, इसका गोल-मोल जवाब दिया गया है जो सन्तोषजनक नहीं है । लेकिन मैं उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता कि मंत्री जी स्पष्ट जवाब दें । आपने 21 मार्च, 97 से 31-12-98 तक 29 करोड़ रुपया खर्च किया है जिसमें से सजावटी एवं वर्गीकृत विज्ञापन पर 26 करोड़, 47 लाख, 77 हजार, 821 रुपये 55 पैसे खर्च किये गये हैं । मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि सजावटी और वर्गीकृत विज्ञापनों पर जो 26 करोड़ रुपया खर्च किया गया है तो वह विज्ञापन किन-किन समाचार-पत्रों पर किये गये ।

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने सम्प्रदायिकता और जातिवाद को समाप्त करके सद्भाव व सामाजिक समरसता पैदा करने के लिए कुछ सुझाव दिये और यह भी कहा कि जो उत्तर दिया गया है उसमें स्पष्ट उल्लेख नहीं है । आपने पूछा है कि किस प्रकाशन के माध्यम से यह कार्य किया गया है और 26 करोड़ की धनराशि किन मदों पर खर्च की गयी है । तो मैं बताना चाहता हूं । मान्यवर, विज्ञापन मद में दिनांक 21 मार्च, 97 से 31 मार्च, 97 तक 1,04,84,394.00 रुपये, पी०एल०ए० में जमा धनराशि रु० 35,00,000.00 रुपये जो वित्तीय वर्ष 1997-98 में भुगतान की गयी । वित्तीय वर्ष 1997-98 में 1-4-97 से 21-9-97 तक की अवधि में कुल व्यय की गयी धनराशि रु० 4,52,03,263.50 वित्तीय वर्ष 1997-98 में दिनांक 22-9-97 से 31-3-98 तक 6,27,90,605.55 रुपये, 1 अप्रैल, 1998 से 31 दिसम्बर, 98 तक 14,27,67,584.70 रु० की धनराशि व्यय की गयी । इस तरह से कुल 26,47,45,821.55 रुपये खर्च किये गये । विज्ञापन के अन्तर्गत सारे प्रकाशन के नाम हैं, वह विभिन्न समाचार-पत्रों के माध्यम से, सांस्कृतिक क्रिया-कलापों के माध्यम से सूचना विभाग करता है । उसमें से यह सारे खर्चे हैं । एक-एक का नाम बताना सम्भव नहीं है । लेकिन इस पर 26 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च हुआ है ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि कुछ समाचार-पत्रों को एडवांस विज्ञापन के लिए कर दिया गया लेकिन विज्ञापन नहीं निकला, प्रकाशन नहीं हुआ । लाखों-करोड़ों रुपया दिया गया । जिस साहित्य के प्रकाशन के लिए दिया गया, मेरी निश्चित जानकारी है कि साहित्य का प्रकाशन नहीं हुआ पैसे का गोलमाल हो गया । मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट रूप से जवाब जानना चाहता हूं ?

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, जो भी प्रचार कार्य हुए हैं उसका समुचित तौर पर भुगतान हुआ है । जो साहित्य की बात बतायी है, निश्चित रूप से साहित्य छपा है उसको पढ़ सकते हैं । आप अगर अनुमति दें तो इसको पढ़ दें । इसलिए यह कहना कि साहित्य छपा नहीं है, यह आरोप उचित नहीं है ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त अवधि में किस-किस राजनेता के कट-आउट बनाकर लखनऊ में लगाये गये । अम्बेडकर साहब, सुश्री मायावती और मौजूदा मुख्य मंत्री जी के कट-आउट लगाये गये । अब सुश्री मायावती जी का कट-आउट लखनऊ में नहीं है । मौजूदा मुख्य मंत्री जी के कट-आउट इतने खराब और जर्जर स्थिति में हैं । पक्षी उसे और खराब कर रही हैं जिससे शक्ल सूरत बदल गयी है जैसे कि आपकी सरकार की शक्ल-सूरत बदल रही है । उस कट-आउट को सुरक्षित करने के लिए कुछ पैसा लगाइये, जैसे आपने तमाम पैसा खर्च कर दिया । किसी कट-आऊट में तो मुख्य मंत्री जी दोनों हाथ पसारे हुए हैं ऐसा लगता है कि विदेश से कुछ मांग रहे हैं । मुख्य मंत्री जी के इन कट-आउटों के रख-रखाव के लिए कुछ व्यवस्था करें । शक्ल सूरत से तो मुख्य मंत्री जी अच्छे नहीं लगते लेकिन फोटो में अच्छे लगते हैं ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

यह मुख्य मंत्री जी के कट-आउट को बढ़िया नहीं रखना चाहते हैं । क्या उनको सही तरह से रखने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री कलराज मिश्र–

माननीय सदस्य ने जो बात कही है उस सम्बन्ध में कहना है कि माननीय मुख्य मंत्री जी के 21 कट-आउट जर्जर हो गये थे उनको पुनः ठीक किया गया । अगर आगे खराब होंगे तो उनको ठीक किया जायेगा ।

सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण सम्बन्धी शासन को प्राप्त रिपोर्ट में की गयी मुख्य संस्तुतियों की जानकारी

*2–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सामान्य वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के सम्बन्ध में सरकार को कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट में की गयी मुख्य संस्तुतियां क्या हैं ? क्या उस पर सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग से इतने आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को राजकीय सेवाओं में आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार हेतु कौशिक समिति का गठन किया गया था जिसका प्रतिवेदन शासन को वर्ष 1991 में प्राप्त हुआ था ।

उक्त रिपोर्ट की मुख्य संस्तुतियां पृथक से संलग्न है ।

जी नहीं ।

अन्य आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था करने को मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा संवैधानिक नहीं माना गया है ।

(देखिये नत्थी ''क'' आगे पृष्ठ 240 पर ।)

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें उत्तर के अन्तिम में कहा गया कि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे संवैधानिक नहीं माना गया है । वह कौन सा केस है जिसमें अन्य लोगों को किसी प्रकार का आरक्षण न दिए जाने की बात कही गई हैं ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

यह केस रिट संख्या 930/1990 निर्णय 16-11-92 है । जिसमें निर्णय दिया गया कि राजकीय सेवाओं में आरक्षण किसी प्रकार से 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है । इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि नागरिकों के पिछड़े क्लास को आर्थिक आधार पर चिन्हित नहीं किया जा सकता है ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

जब सरकार ने कौशिक समिति का गठन किया था तो निश्चित रूप से यह माना जा सकता है कि सरकार इससे सहमत थी कि जो अन्य वर्ग के लोग हैं, उच्च वर्ग के हैं व आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको आरक्षण की सुविधा दी जा सकती है । तो क्या उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखते हुए राज्य सरकार केन्द्र सरकार से इस प्रकार की सिफारिश करेगी कि संविधान में इस प्रकार का संशोधन किया जाए ? जिससे आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण की सुविधा मिल सके ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

केन्द्र सरकार ने ही 10 प्रतिशत आरक्षण आर्थिक आधार पर दिये जाने का कार्यालय ज्ञापन जारी किया था जिसके विरुद्ध यह केस उच्चतम न्यायालय को गया और उन्होंने इस प्रकार का निर्णय दिया ।

डा० राम बाबू हरित–

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखते हुए क्या ऐसे तबके के लोगों को कुछ आर्थिक संस्था बनाकर उनकी स्थिति सुधारने में कुछ योगदान दिया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष–

इसके लिए अलग से प्रश्न कर लें ।

प्रदेश में विगत वर्षों में हुए पूंजी निवेश की जानकारी

*3–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 में कितना पूंजी निवेश हुआ है ? नये पूंजी निवेश के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? जिससे उत्तर प्रदेश भी अन्य विकसित राज्यों के मुकाबले में आ सके ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रदेश में उद्योगों में पूंजी निवेश हेतु वर्ष 96-97 एवं 97-98 में एल०ओ०आई० एवं आई०ई०एम० की स्थिति तथा लघु उद्योगों में पूंजी निवेश की स्थिति निम्न प्रकार रही :–

(रु० करोड़ में)

वर्ष	प्रस्तावित पूंजी निवेश		पूंजी निवेश
	एल०ओ०आई०	आई०ई०एम०	एस०एस०आई०
96-97	8751.80	4146.93	266.32
97-98	1183.24	5246.19	403.89

प्रदेश में नई पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए तथा औद्योगिक परिवेश को समृद्ध एवं प्रभावी बनाने हेतु उ० प्र० सरकार द्वारा विकास परक औद्योगिक नीति 1998, खनिज नीति एवं निर्यात नीति बनायी गयी है जिससे उद्योगों हेतु व्यवधान मुक्त तथा उद्योग परक वातावरण सृजित हो सकें एवं अधिक से अधिक पूंजी निवेश आकर्षित हो सके ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कौन-कौन से तीन प्रदेश पूंजी निवेश में भारत वर्ष में सबसे आगे हैं । दूसरे आज जो उत्तर दिया गया है उसको देखें तो जो 1996-97 और 1997-98 में पूंजी निवेश प्रदेश में हुआ है उसमें मूलधन दो प्रतिशत और तीन प्रतिशत ही लगा है तो सरकार क्या यह बतायेगी कि इसको बढ़ाने के लिए सरकार क्या करेगी ?

"पटेल" राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने यह जानकारी चाही है कि पूंजी निवेश के बारे में हमारे प्रदेश की क्या स्थिति है । वर्ष 1996-97 में पूंजी निवेश के मामले में हमारा प्रदेश चौथे स्थान पर था और 1997-98 में यह दूसरे स्थान पर आ चुका है । 1998 में हम गुजरात जैसे प्रदेश से आगे निकल गये हैं अब केवल महाराष्ट्र ही हमसे आगे है ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, 1996-97 में जो एल०ओ०आई० हुए वह 8751.80 करोड़ रुपये का हुआ और उसके विपरीत पूंजी निवेश 266.32 करोड़ रुपया हुआ, यह लगभग 2 प्रतिशत के बराबर आता है । इसी प्रकार 1997-98 में एल०ओ०आई० 1183.24 करोड़ रुपये के हुए और इसके विपरीत पूंजी निवेश 403.89 करोड़ रुपये का हुआ । प्रारम्भ में उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए जो औद्योगिक वातावरण होना चाहिए था तथा सरकार द्वारा जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वह नहीं दी गयी इसलिए जितने के एल०ओ०आई० जारी हुए उसके विपरीत पूंजी निवेश मात्र 2 से 3 प्रतिशत हुआ इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश के अन्दर औद्योगिक वातावरण की

परिस्थितियों को सुदृढ़ करके जितने के एल०ओ०आई० जारी हुए हैं उसके अनुरूप प्रदेश में पूंजी निवेश हो सके, इसके लिए वह प्रयास करेंगे ?

"पटेल" राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, सरकार औद्योगीकरण के लिए कृत संकल्पित है और इस बात को हमने अपने उत्तर में कहा भी है, इस ओर प्रगति हुई भी है, आज पूंजी निवेश के सन्दर्भ में हम दूसरे स्थान पर हैं। मान्यवर, पूंजी निवेश करने वाला व्यक्ति तुरन्त पूंजी निवेश नहीं करता, अब निवेश का क्रम प्रारम्भ हुआ है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रदेश में औद्योगिक वातावरण को ठीक किया जायेगा और हम औद्योगिक क्षेत्र में आगे जायेंगे।

*4–श्री राजधारी–

[7वें सोमवार में ता० प्र० सं०–4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में कृषि फसलों की सुरक्षा हेतु वनरोजों (नीलगायों) को समाप्त करने की योजना की जानकारी

*5–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में (नीलगायों) वनरोजों की अधिकता से लाखों एकड़ जमीन की फसलें बर्बाद हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या इनको समाप्त करने के लिए सरकार ने कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री रघुवर दयाल वर्मा)–

वनरोजों (नीलगायों) द्वारा कृषि फसलों को नुकसान पहुंचाने के तथ्य से शासन भिज्ञ है।

कृषि हेतु हानिकारक वनरोजों (नीलगायों) को नष्ट करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जिलाधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी घोषित कर दिया गया है। इसके अनुसार प्रभावित कृषक सम्बन्धित जिला अधिकारी से अनुमति लेकर उत्पाती वनरोजों (नीलगायों) को नष्ट कर सकते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

बालिकाओं के शैक्षिक उन्नयन एवं निजी प्रबन्ध तन्त्र के प्रोत्साहन हेतु ललिता शास्त्री बालिका इण्टर कालेज विकास खण्ड पूरा बाजार फैजाबाद को भूमि दिये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृत करने की मांग

*6–श्री लालजी वर्मा–

क्या माध्यमिक शि.. मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि असेवित विकास खण्डों में बालिकाओं के शैक्षिक उन्नयन हेतु निजी प्रबन्ध-तन्त्र के माध्यम से विद्यालय खोले जाने को प्रोत्साहन दिये जाने के लिए शासनादेश संख्या 1201/15-8-94/3009(5)/94, दिनांक 21 सितम्बर, 1994 तथा संख्या 1242/15-8-94/3009(5)/94, दिनांक 31 मई, 1995 जारी कर प्रबन्ध-तन्त्र को दस लाख रुपया सहायतार्थ व एक एकड़ भूमि ग्राम समाज से दिलाये जाने की व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो क्या वर्ष 1995-96 में शासन से स्वीकृत ललिता शास्त्री बालिका इण्टर कालेज, रोशन नगर, विकास खण्ड पूरा बाजार, जिला फैजाबाद को भूमि दिये जाने का प्रस्ताव 8-10-97 को जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व को भेजा गया है ? क्या सरकार उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नत्थी "घ" के तारांकित प्रश्न संख्या–3 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

राजस्व विभाग के शासनादेश दिनांक 6 नवम्बर, 1998 तथा शिक्षा विभाग के शासनादेश दिनांक 3 दिसम्बर, 1998 द्वारा उपरोक्त विद्यालय को भूमि आवंटित कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा के स्तर के सुधार हेतु रिक्त पदों पर अध्यापकों के चयन की कार्यवाही को समयबद्ध कराने की मांग

*7–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि माध्यमिक विद्यालयों में पिछले अनेक वर्षों से रिक्त अध्यापकों के पदों के कारण माध्यमिक शिक्षा का स्तर अधिक गिरा है ? यदि हां, तो क्या सरकार शिक्षा के स्तर के सुधार के लिए अध्यापकों की चयन प्रक्रिया को समयबद्ध करेगी ? यदि हां, तो सरकार की चयन प्रक्रिया की समयबद्धता की सीमा क्या होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही समय-समय पर की जाती रही है । इसके पूर्व आयोग द्वारा प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के पद पर लगभग 500, प्रवक्ता पद पर 467 तथा एल०टी० ग्रेड में 1827 अभ्यर्थियों का चयन किया जा चुका है । सम्प्रति माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही की जा रही है । इससे माध्यमिक शिक्षा के स्तर के गिरने का प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

इस सम्बन्ध में उ० प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली, 1998 जारी की गयी है, जिसके अधीन आगामी वर्ष में होने वाली रिक्तियों का अधियाचन एक वर्ष पूर्व अर्थात् भर्ती के वर्ष की जुलाई 31 तक चयन बोर्ड को उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर, विकास खण्ड ऐलिया, मुख्यालय इमिलिया, सुल्तानपुर में हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट विद्यालयों के खोले जाने की मांग

*8–श्री रमेश राही–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड ऐलिया के मुख्यालय इमिलिया, सुल्तानपुर में हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट के विद्यालय न होने के कारण छात्रों को 15 कि०मी० दूर जिला मुख्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आना पड़ता है । यदि हां, तो क्या सरकार वहां हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट विद्यालय खुलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

जिला योजनान्तर्गत परिव्यय आवंटित न होने के कारण राजकीय विद्यालय खोला जाना सम्भव नहीं है । निजी प्रबन्धतन्त्र द्वारा विद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में दो विद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 के नियम–5 के शिथिलीकरण की शक्ति एवं उसके प्रयोग की जानकारी

*9–डा०लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य मृतक आश्रित सेवा नियमावली के नियम–3 के अन्तर्गत मृतक की मृत्यु के 5 वर्ष से अधिक हो जाने पर उसके आश्रित को नौकरी में लिए जाने हेतु शिथिलीकरण की शक्ति शासन को प्राप्त है ? यदि हां, तो 21 अप्रैल, 1997 से उक्त शक्ति शासन के किस अधिकारी में निहित की गयी है ? क्या उक्त अधिकारी द्वारा उक्त अवधि में अपनी शक्ति का प्रयोग किया गया है ? यदि हां, तो ऐसे कितने मामले हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (यथा संशोधित) के नियम–5 में सेवायोजन के लिए आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा को शिथिल करने की शक्ति राज्य सरकार को प्राप्त है ।

उक्त शक्ति किसी एक अधिकारी में निहित नहीं की गयी है बल्कि प्रत्येक विभाग के समस्त अधिकार विभाग के प्रभारी मा० मंत्री जी में निहित होते हैं । माननीय मंत्रीगण विशिष्ट प्रकरणों में अपने आदेश द्वारा न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारी को उक्त शक्ति के प्रयोग का अधिकार दे सकते हैं ।

इस सम्बन्ध में समस्त विभागों से सूचना संकलित की जा रही है ।

मेरठ तथा सहारनपुर मण्डलों में माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग द्वारा प्रधानाचार्यों की नियुक्ति की जानकारी

*10–श्री राम सिंह सैनी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा मेरठ तथा सहारनपुर मण्डलों में नियुक्ति हेतु 227 प्रधानाचार्यों का चयन किया गया था ? क्या यह सही है कि इन प्रधानाचार्यों को कार्य भार ग्रहण कराने के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने दिनांक 6-10-1998 को निर्णय दिया था ? यदि हां, तो क्या उसका अनुपालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां । माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग द्वारा मेरठ तथा सहारनपुर मण्डल के 227 नहीं बल्कि 215 विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों की पैनल सूची उपलब्ध करायी गयी थी ।

जी हां ।

जी हां । इस सम्बन्ध में शासनादेश सं०–5841/15-7-10(55)/98, दिनांक 7-1-99 द्वारा निर्देश दिये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मेरठ के सकौती-टाड़ा रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज के निर्माण की कार्य योजना की जानकारी

*11–प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली-हरिद्वार मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग घोषित होने के उपरान्त जनपद मेरठ के सकौती-टाड़ा रेलवे क्रासिंग ओवर ब्रिज के निर्माण की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

दिल्ली-हरिद्वार मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग घोषित होने के उपरान्त प्रश्नगत रेलवे उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु भारत सरकार के जल भू-तल परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली को राज्य सरकार के पत्र संख्या–4667/23-9-98-88आर/79, दिनांक 30-11-98 द्वारा अनुरोध किया गया है । इस सम्बन्ध में भारत सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है ।

प्रदेश के उपेक्षित तीर्थ-स्थलों के विकास हेतु प्राधिकरण बनाने की मांग

*12–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के वर्षों से उपेक्षित तीर्थ-स्थलों के विकास के लिये सरकार ने प्राधिकरण बनाने की कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो इसे कार्यरूप कब तक दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नई पर्यटन नीति 1998 के अन्तर्गत ऐसे पर्यटन स्थलों के सुनियोजित विकास हेतु 10 परिपथ घोषित किये गये हैं ।

*13–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

[4थे शुक्रवार में तारा० प्र० सं०–8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*14–श्री कमलेश कुमार सिंह–

[दिनांक 24-2-99 को ता० प्र० सं०–16 द्वारा उत्तरित]

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के मुसलमानों को आरक्षण देने के संबंध में जानकारी

*15–श्री समरपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार पिछड़ी जाति के लिये निर्धारित 27 प्रतिशत आरक्षण में जनसंख्या के अनुपात में 8.4 प्रतिशत आरक्षण पिछड़ी जाति के मुसलमानों को देने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

उ० प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 के द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण सीधी भर्ती के प्रक्रम में अनुमन्य है। आरक्षण अधिनियम 1994 की अनुसूची एक में उल्लिखित पिछड़ी जातियों जिसमें मुसलमान भी हो सकते हैं, को उक्त आरक्षण अनुमन्य है।

*16–श्री दिलीप कुमार वर्मा–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

*17–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

बड़े पुलों एवं भवनों के निर्माण हेतु मिनी प्लान्टों द्वारा तैयार सीमेन्ट के प्रयोग की जानकारी

*18–श्री राम ललित चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बड़े पुलों एवं भवनों के निर्माण के लिये मिनी प्लान्टों द्वारा तैयार सीमेन्ट का प्रयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या मिनी प्लान्ट तथा बड़े प्लान्टों द्वारा उत्पादित सीमेन्ट की शक्ति में कोई अन्तर है ? यदि हां, तो निर्माण निगम तथा अन्य निर्माण करने वाली इकाईयों के द्वारा सरकारी निर्माण में कम अच्छी एवं कम शक्ति के सीमेन्ट के प्रयोग का क्या कारण है ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं।

यह उत्पादित सीमेण्ट के ग्रेड पर निर्भर करता है।

बड़े पुलों एवं बड़े भवनों के निर्माण में अधिक शक्ति के सीमेण्ट का ही उपयोग किया जाता है।

प्रदेश में कागज उत्पादक इकाइयों की स्थिति को सुधारने हेतु योजना की मांग

*19–श्री केशो मेहरा–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में अनेक कागज उत्पादन करने वाली इकाइयां बन्द हो गयी हैं तथा अनेक बन्द होने के कगार पर हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन इकाइयों की स्थिति को सुधारने हेतु कोई कदम उठा रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां।

26 इकाईयों के बन्द होने की सूचना प्राप्त हुई है।

कोई सूचना नहीं है।

रुग्ण औद्योगिक इकाईयों के सहायतार्थ पुनर्वासन योजना चलाई जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में दो-दो कि०मी० के दो मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण कराने की मांग

1–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1998 में सरकार द्वारा की गयी घोषणा के अनुसार प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में दो-दो कि० मी० के दो मार्ग लेपन स्तर तक निर्मित कराये जायेंगे ? यदि हां, तो इसका कार्यान्वयन कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

प्रक्रियानुसार स्वीकृतियां निर्गत किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय डिग्री कालेज चम्पावत में प्रधानाचार्य एवं प्रवक्ता के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

2–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय डिग्री कालेज चम्पावत में प्रधानाचार्य व प्रवक्ता, नागरिक शास्त्र के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो उन पर नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

जी हां ।

प्राचार्य का पद रिक्त है । प्रवक्ता राजनीति शास्त्र के पद के प्रति श्री दिनेश शर्मा दिनांक 30-12-98 से कार्यरत हैं ।

प्राचार्य चम्पावत का पद स्थानान्तरण द्वारा भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

राजकीय डिग्री कालेज चम्पावत में संस्कृत, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान तथा शिक्षा शास्त्र के विषयों को मान्यता प्रदान करने की मांग

3–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय डिग्री कालेज चम्पावत में संस्कृत, मनोविज्ञान, गृहविज्ञान तथा शिक्षा शास्त्र के विषयों की मान्यता न मिलने के कारण वहां के छात्र उक्त विषयों के अध्ययन से वंचित हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त विषयों की मान्यता कब तक प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

वर्तमान विषयों में स्थाई सम्बद्धता होने के उपरान्त औचित्य होने पर । वर्तमान में औचित्य नहीं है ।

गोण्डा–लखनऊ मार्ग के सरजू नदी पर बने पुल की लागत की जानकारी तथा पुल से टैक्स समाप्त करने की मांग

4–श्री बिन्दु लाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा लखनऊ मार्ग के सरजू नदी पर बने पुल पर कितनी लागत आयी है ? उक्त पुल पर कितना पैसा टैक्स के रूप में वसूला जा चुका है ? क्या लागत से ज्यादा पैसा टैक्स के रूप में वसूला जा चुका है ? यदि हां, तो क्या इस पुल पर से टैक्स की वसूली समाप्त की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

गोण्डा–लखनऊ मार्ग के कि० मी० 221 पर सरयू नदी पर कटरा घाट पर बने पुल की मूल निर्माण लागत वर्ष 1964 में रु० 14.11 लाख थी मार्च, 1998 तक पुल की मूल लागत, व्यवस्थापन व्यय, अनुरक्षण व्यय एवं बकाया वसूली पर ब्याज सहित कुल टोल से वसूल की जाने वाली राशि रु० 198.84 लाख है । प्रश्नगत सेतु पर पथकर के रूप में मार्च, 1998 तक रु० 131.84 लाख की वसूली की जा चुकी है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि वसूली पूर्ण नहीं हुई है ।

ग्रामीण वृक्ष अधिनियम, 1976 को समाप्त/सरलीकरण करने की मांग

5–श्री बिन्दु लाल–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि ग्रामीण वृक्ष अधिनियम, 1976 से किसानों का शोषण हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधिनियम को समाप्त करने या उसका सरलीकरण करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपर्युक्तानुसार ।

जनपद हरदोई, मल्लावां क्षेत्र के क्षतिग्रस्त रोड की मरम्मत की मांग

6–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र से माधौगंज से मटियामऊ रोड व माधोगंज से गौरा रोड एवं माधोगंज से परचल रसूलपुर रोड का डामरीकरण काफी समय पूर्व कराया गया था ? क्या यह सही है कि अब उक्त मार्ग क्षतिग्रस्त हो गये हैं ? यदि हां, तो उक्त मार्गों की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी हां ।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद संत रविदास नगर जंगीगंज रामदेव डिग्री कालेज को उच्च शिक्षा मान्यता प्रदान करके स्नातक कक्षाएं प्रारम्भ करने की मांग

7–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद संत रविदास नगर में छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई को देखते हुए जंगीगंज रामदेव डिग्री कालेज जिसकी प्राथमिक शर्तें पूर्ण हैं, उच्च शिक्षा की मान्यता प्रदान करके क्या आगामी शिक्षा सत्र जुलाई, 1999 में स्नातक की कक्षाएं प्रारम्भ करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

प्राथमिक शर्तें अभी पूर्ण नहीं है । प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़, पट्टी के मार्ग करैला/भैसानी, अमरगढ़–बैजलपुर मार्ग नरायनपुर-भुजाही के शेष कार्य को पूर्ण कराये जाने की मांग

8–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के मार्ग करैला/भैसानी, अमरगढ़–बैजलपुर मार्ग नरायनपुर भुजाही के शेष कार्य को अभी तक पूर्ण न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या इसे किसी निश्चित समयसीमा में पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

करैला–भैसानी मार्ग के 100 मीटर लम्बाई में बनना शेष है । इस 100 मीटर लम्बाई में पड़ने वाले अवशेष भाग में अवस्थित नाले पर पुल स्वीकृत न होने के कारण उसके पहुंच मार्ग के भाग को बनाया जाना सम्भव नहीं हो पाया है । पुल निर्माण की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

अमरगढ़-बैजलपुर मार्ग का निर्माण पूर्वांचल विकास निधि योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है । मार्ग के अवशेष भाग का निर्माण पूर्वांचल विकास निधि योजना से धनराशि प्राप्त होने पर करा दिया जायेगा । नरायनपुर–भुजाही मार्ग के अवशेष भाग का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजगमढ़ में आजमगढ़–वाराणसी मार्ग पर बेसों नदी पर राज्य सेतु निगम द्वारा निर्मित पुल के सम्पर्क हेतु अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर का न्यायालय में लम्बित मामला

9–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में आजमगढ़–वाराणसी मार्ग पर देसों नदी पर राज्य सेतु निगम द्वारा निर्मित पुल का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त पुल का सम्पर्क मार्ग बन गया है ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी उक्त सम्पर्क मार्ग में किसानों की ली जाने वाली भूमि का मुआवजा देकर जनहित में शीघ्र पुल को चालू करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी नहीं ।

सम्पर्क मार्ग में पड़ने वाली भूमि के प्रतिकर का मामला मा० सिविल जज आजमगढ़ के न्यायालय में लम्बित है । मा० न्यायालय द्वारा निर्णय देने पर यथाशीघ्र सम्पर्क मार्ग का निर्माण कर सेतु को यातायात हेतु खोला जा सकेगा ।

जनपद मेरठ तथा सहारनपुर मण्डलों के चयनित प्रधानाचार्यों को कार्य भार ग्रहण कराने हेतु मा० उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन की मांग

10–श्री संजय सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णयादेश दि० 06-10-98 का अनुपालन करते हुए मेरठ तथा सहारनपुर मण्डलों के माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग द्वारा चयनित लगभग 227 प्रधानाचार्यों को कार्य भार ग्रहण कराने के संबंध में अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां । मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में शासनादेश संख्या–5841/15-7-10(55)/98 दिनांक 7-1-99 द्वारा निर्देश दिये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चित्रकूट मानिकनगर ऊंचाडीह मार्ग के निर्माण कार्य में अनियमितता हेतु प्राप्त शिकायती-पत्र पर कार्यवाही की मांग

11–श्री दद्दू प्रसाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चित्रकूट में मानिकनगर ऊंचाडीह मार्ग के निर्माण कार्य में की गयी अनियमितता के संबंध में प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्रांक 51/वि०मा०/98, दिनांक 12-8-98 प्रमुख सचिव, लो०नि०वि० को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या इस मार्ग की पुलियों/रपटों आदि की टी०ए०सी० से जांच करवायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उपरोक्त निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई, ग्राम सहिजना से नेवादा तक की रोड का डामरीकरण की मांग

12–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में माधौगंज नयागांव रोड पर ग्राम सहिजना के पास से ग्राम नेवादा तक रोड पर गिट्टी पड़ी है परन्तु अभी तक उस का डामरीकरण नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त मार्ग का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

यह मार्ग मण्डी परिषद् के अन्तर्गत आता है ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद मथुरा के डी०ए०वी० इण्टर कालेज गोवर्धन में अनियमित नियुक्ति के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक मथुरा के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कार्यवाही की मांग

13–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के डी०ए०वी० इण्टर कालेज गोवर्धन में रिक्त स्थान न होने के बावजूद नियुक्ति किये जाने के संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक, मथुरा के विरुद्ध कार्यवाही विषयक मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्रांक –सी०एम०/ वि०को०/ एम–3/12716/मथुरा/98, दिनांक 1-7-98 प्रमुख सचिव, शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

प्रश्गनत पत्र पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद–महराजगंज फरेन्दा धानी मार्ग पर बने हड़हवा पुल पर टोल टैक्स वसूलने संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही

14–श्रीमती गौरी देवी–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि फरेन्दा धानी मार्ग पर बने हड़हवा पुल पर टोल टैक्स वसूलने के संबंध में दि० 23-11-98 का प्रश्नकर्ता का पत्र उन्हें और जिलाधिकारी, महराजगंज को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां परन्तु जिलाधिकारी, महराजगंज को प्राप्त नहीं हुआ है ।

मुख्य अभियन्ता, गो० क्षे०, लोक० नि० वि० गोरखपुर से प्राप्त आख्या के अनुसार हड़हवा सेतु पर वर्ष 1997-98 के अन्त में वसूली योग्य अवशेष धनराशि रु० 57,33,822.00 है। सेतु की कुल लागत, अनुरक्षण व्यय व ब्याज आदि की सम्पूर्ण वसूली हो जाने अथवा पथकर वसूली के पचास वर्ष होने पर पथकर मुक्त किया जा सकेगा ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद गोरखपुर मंझरिया बुजुर्ग मार्ग निर्माण हेतु प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

15–श्रीमती गौरी देवी–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले के मंझरिया बुजुर्ग मार्ग के निर्माण के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र के उत्तर में पत्र सं० 9153 दि० 12-11-97 भेजा गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता ने दि० 21-6-98 को उनके उक्त पत्र की फोटो कापी के साथ मंत्री जी को भेजा हुआ पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां । प्रश्नगत निर्माण कार्य के संबंध में क्षेत्र से अनुमानित लागत रु० 22.50 लाख का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है तथा परीक्षणोपरान्त कार्य का आगणन प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग से मांगा गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई, ब्लाक रुदामऊ से गौरा रोड से शाहपुर वासुदेव ग्राम पंचायत तक रोड के डामरीकरण की मांग

16–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में ब्लाक रूदामऊ से गौरा रोड से शाहपुर वासुदेव ग्राम पंचायत तक वर्ष 1989 में गिट्टी डाली गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त रोड पर अभी तक बजरी डलवाकर डामरीकरण नहीं कराया गया है ? क्या उक्त रोड क्षतिग्रस्त हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रोड का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सम्भव नहीं है ।

जनपद गोण्डा, मनकापुर में गड्ढामुक्त योजना के अन्तर्गत विभिन्न मार्गों के कार्यों की जानकारी

17–श्री राम विशुन आजाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि गड्डा मुक्त योजनान्तर्गत 1998-99 में विधान सभा क्षेत्र मनकापुर जनपद गोण्डा किन-किन मार्गों पर कार्य करवाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में गड्ढामुक्त योजना के अन्तर्गत 1998-99 में उतरौला–फैजाबाद–इलाहाबाद मार्ग (राज्य मार्ग सं०–9), दर्जीकुआं–मनकापुर बभनान मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग सं०–49), मनकापुर–मसकनवा–बभनान मार्ग (अन्य जिला मार्ग) तथा मनका मछलीगांव मार्ग (अन्य जिला मार्ग) पर कार्य कराया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा, मनकापुर के कतिपय मार्गों पर राज्य योजनान्तर्गत लेपन कार्य की जानकारी

18–श्री राम विशुन आजाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत छपिया–गोन्दहा मार्ग, बीरपुर संगया मार्ग, महुली–खोरी पायर खास मार्ग, अमवा–बीरेपुर मार्ग, बक्सरा बेइलिया मार्ग, परसा–मंडफ मार्ग, मसकनवां सिकन्दरपुर मिसिंग मार्ग, कुड़ासन चौबेपुर मार्ग, चिरैया–चौखट घाट मार्ग पर राज्य योजनान्तर्गत लेपन कार्य कराने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार लेपन कार्य कब तक करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सम्भव नहीं है ।

जनपद महोबा में चरखारी–कुंडार मार्ग निर्माण जांच कराने तथा दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

19–डा० छोटेलाल वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महोबा में चरखारी–कुंडार मार्ग के निर्माण की जांच विगत दो साल से चल रही है ? क्या उक्त जांच पूर्ण हो गयी है ? यदि हां, तो जांच में दोषी पाये गये लोगों के खिलाफ क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जांच कार्यवाही गतिमान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महोबा, चरखारी में सड़क निर्माण में अनियमितताओं संबंधी शिकायती-पत्र की जांच

20–डा० छोटेलाल वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र चरखारी, जनपद महोबा में वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 में कराये गये सड़क निर्माण कार्यों में की गयी अनियमितताओं के संबंध में

दिनांक 17-12-97 को दिया गया कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उस की जांच करायी गयी ? जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां । प्रश्नकर्ता का 6 मार्गों पर अनियमितता विषयक शिकायती-पत्र दिनांक 17-12-97 प्राप्त हुआ ।

जी हां ।

जांच में कार्य सन्तोषजनक पाया गया । अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग लखनऊ के आदेश पर जनपद मेरठ में विभाग के कर्मचारियों के वेतन वृद्धि एवं अधिक वेतन वसूली का प्रकरण

21–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता, लो० नि० वि०, लखनऊ के पत्रांक 1151/व्यख/334/व्यख/76, दिनांक 31 मई, 1991 के द्वारा आदेश दिये गये थे कि लिपिकीय पदों पर समस्त अवैध स्थानापन्न पदोन्नतियां तत्काल निरस्त कर दी जायें तथा जो अधिक वेतन का भुगतान या वेतन वृद्धियां दी गयी हों, उनकी तुरन्त वसूली सुनिश्चित की जाये ? यदि हां, तो क्या ऐसी अवैध स्थानापन्न पदोन्नतियों पर क्षेत्रीय कार्यालय लो० नि० वि०, मेरठ में लाभान्वित कर्मचारियों की वेतन वृद्धियों एवं अधिक वेतन की वसूली अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

कथित पदोन्नतियां अवैध पदोन्नतियों की श्रेणी की नहीं है जो पदोन्नति आदेश हुये हैं वे प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग के आदेशों/निर्देशों के अन्तर्गत है । अतः किसी प्रकार की वसूली इत्यादि का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

22–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[दिनांक 23-2-99 को अता० प्र० सं०–93 द्वारा उत्तरित]

23–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[दिनांक 23-2-99 को अता० प्र० सं०–90 द्वारा उत्तरित]

वर्ष 1989 के उपरान्त तदर्थ नियुक्तियों को विनियमित कराये जाने की मांग

24–श्री अक्षयवर लाल–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1989 के उपरान्त तदर्थ रूप में की गयी नियुक्तियां, जिनकी सेवाएं निरन्तर तीन वर्ष की हो गयी हैं, को विनियमित किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो उसका शासनादेश कब तक ज़ारी कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई लखनऊ–हरदोई मार्ग से ग्राम नारायनपुर तक के सम्पर्क मार्ग को पेन्टिंग स्तर तक बनवाने की मांग

25–श्री राम औतार शाक्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड सण्डीला के अन्तर्गत लखनऊ–हरदोई मार्ग से ग्राम नरायनपुर तक 2.6 कि० मी० सम्पर्क मार्ग पूर्व में एक कि० मी० तक खड़न्जा स्तर तथा 1.6 किमी० कंकरीट स्तर तक बनवाया गया था, जो अब पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुका है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग को पेन्टिंग स्तर तक कब तक बनवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां । परन्तु 1.6 कि० मी० कंकड़ मार्ग है ।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद मैनपुरी में प्रान्तीय खण्ड एवं निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 1998-99 में सड़कों की मरम्मत/नवीनीकरण सहित रख-रखाव पर व्यय धनराशि का विवरण

26–श्री राम औतार शाक्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1998-99 में जनपद मैनपुरी में निर्माण खण्ड एवं प्रान्तीय खण्ड के अभियन्ताओं द्वारा किन-किन सड़कों पर कितनी-कितनी धनराशि मरम्मत हेतु खर्च की गयी ? क्या सरकार फर्जी बाउचर दिखाकर कतिपय सड़कों पर मरम्मत कार्य हेतु करोड़ों रुपये की घपले की जांच अधीक्षण अभियन्ता से करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जनपद मैनपुरी में प्रान्तीय खण्ड व निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 1998-99 में दिसम्बर, 1998 तक सड़कों की मरम्मत एवं नवीनीकरण सहित रख-रखाव पर व्यय की गई धनराशि के विवरण क्रमशः तालिका 1 तथा 2 पर संलग्न है ।

प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ० प्र० को जांच कराये जाने के आदेश कर दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 241-245 पर ।)

श्री बलजीत प्रसाद प्रधान अध्यापक प्राइमरी पाठशाला पुलिस लाइन जनपद हरदोई के मरणोपरान्त उनके आश्रित की नियुक्ति

27–श्री दद्दू प्रसाद–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि बलजीत प्रसाद प्रधान अध्यापक बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत प्राइमरी पाठशाला पुलिस लाइन नगर पालिका हरदोई का सेवाकाल के दौरान दिनांक 3 जून, 1988 को देहान्त हो गया था ? यदि हां, तो क्या उनके मृतक आश्रित पुत्र अशोक कुमार द्वारा 16 नवम्बर, 1996 में नियुक्ति किये जाने हेतु बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई को आवेदन-पत्र दिया था ? यदि हां, तो अब तक मृतक आश्रित की नियुक्ति न करने का क्या कारण हैं ? मृतक आश्रित की नियुक्ति सरकार कब तक कर देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री बालेश्वर त्यागी)–

जी हां ।

जी हां । दिनांक 9-5-97 को आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ ।

मृतक आश्रित अशोक कुमार की नियुक्ति कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी के ग्राम बड़ाहार, मौजा सकत बेवर, ब्लाक–बेवर, में निर्माणाधीन प्राथमिक विद्यालय के भवन की स्थल जांच की रिपोर्ट

28–श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम बड़ाहार, मौजा सकत बेवर, ब्लाक–बेवर, जनपद मैनपुरी में निर्माणाधीन प्राथमिक विद्यालय के भवन की स्थल जांच मुख्य विकास अधिकारी, मैनपुरी द्वारा माह सितम्बर, 1998 में की गयी है ? यदि हां, तो क्या मुख्य विकास अधिकारी, मैनपुरी/जिलाधिकारी, मैनपुरी ने विद्यालय भवन के निर्माण की अपनी रिपोर्ट में संस्तुति की है ? क्या उक्त संस्तुति रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां । रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गयी है ।

जनपद चित्रकूट में गोस्वामी तुलसीदास राजकीय महाविद्यालय, कर्वी में प्रवक्ताओं एवं प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों पर नियुक्ति एवं छात्रों के लिये फर्नीचर की व्यवस्था की मांग

29–श्री ददू प्रसाद–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास राजकीय महाविद्यालय, कर्वी, जनपद चित्रकूट में प्रवक्ताओं तथा प्रधानाचार्यों का पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो उन रिक्त पदों पर नियुक्ति तथा छात्रों के बैठने के लिये फर्नीचर की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

राजकीय महाविद्यालय कर्वी चित्रकूट में वर्तमान में निम्न पद रिक्त हैं :–

(1) प्राचार्य–एक पद ।

(2) प्रवक्ता अंग्रेजी–एक पद ।

प्राचार्य का पद शीघ्र भर दिया जाएगा । चयन किया जा चुका है ।

महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के फर्नीचर हेतु शासन द्वारा रु० 3.20 लाख की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तथा निदेशक द्वारा रु० 30,000 की धनराशि अलग से स्वीकृत की गयी है ।

30–श्री यशपाल सिंह चौहान–

[3रे शुक्रवार में अता० प्र० सं०–118 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद जालौन, में नगर कालपी, ग्राम जोल्हूपुर में पर्यटकों के लिए होटल निर्माण हेतु भूमि क्रय करने की जानकारी

31–श्री श्रीराम पाल–

क्या पर्यटन विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन में कालपी नगर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ग्राम जोल्हूपुर की मोड़ के पास पर्यटकों के ठहरने के लिये प्रस्तावित होटल के निर्माण हेतु कुछ भूमि अधिग्रहीत की गयी है ? यदि हां, तो अधिग्रहीत भूमि का गाटा सं० तथा कृषक का नाम क्या है ? क्या यह सही है कि अधिग्रहीत भूमि का मूल्य मात्र 2 लाख रु० के लगभग होते हुए भी शासन द्वारा 17.50 लाख रुपया स्वीकृत किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या गलत आख्या देने वाले के विरुद्ध कार्यवाही करके उक्त भूमि का पुनः बाजार रेट के आधार पर पुनः मूल्यांकन कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जनपद जालौन, कालपी में मार्गीय सुविधा के निर्माण के लिये भूमि क्रय करने हेतु रु० 18.15 लाख स्वीकृत किया गया है ।

जी नहीं । अभी तक कोई भूमि अधिग्रहीत नहीं की गई है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1992-93 से 1997-98 के माह अक्टूबर तक जनपद जालौन के विभिन्न पर्यटक स्थलों के विकास एवं जीर्णोद्धार हेतु स्वीकृत धनराशि का विवरण

32–श्री श्रीराम पाल–

क्या पर्यटन विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन में वर्ष 1992-93 से 1997-98 के माह अक्टूबर तक जनपद के विभिन्न पर्यटक स्थलों के विकास एवं जीर्णोद्धार हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है ? यदि हां, तो वे कौन-कौन से स्थान हैं तथा प्रत्येक के लिये कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है ? क्या यह सही है कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उक्त वित्तीय वर्षों में स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्माण/जीर्णोद्धार कार्यों में न करके धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या उच्च तकनीकी समिति गठित करके कार्यों का भौतिक सत्यापन एवं मूल्यांकन कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

वर्ष 1992-93 से 1997-98 के अक्टूबर माह तक स्वीकृत की गयी योजनायें निम्नवत् हैं :–

योजना का नाम	वर्ष	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
1	2	3
1–असरादेवी मन्दिर का जीर्णोद्धार	1992-93	1.00
2–व्यास टीला कालपी का जीर्णोद्धार	1994-95	1.00
3–व्यास टीला कालपी का जीर्णोद्धार	1995-96	1.00

1	2	3
4–जालौन देवी मन्दिर का जीर्णोद्धार	1996-97	1.89
5–परासन में स्थित पंचमुखी मन्दिर का जीर्णोद्धार	1996-97	1.89
6–व्यास टीला का सौन्दर्यीकरण एवं विकास	1997-98	9.50
7–कंजौसा इंटौरा (अकबरपुर) जालौन देवी खुर्द एवं परासन मन्दिर का जीर्णोद्धार/सौन्दर्यीकरण	1997-98	8.00
8–कालपी (जालौन) में यात्री निवास हेतु भूमि क्रय करना	1997-98	18.50

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

33–श्री छब्बू पटेल–

[दिनांक 18-2-99 को अता० प्र० सं०–139 द्वारा उत्तरित]

जनपद चन्दौली विकास खण्ड काशी विद्यापीठ के कतिपय ग्राम सभा व गांवों में सड़कों के मानक की जांच कराने की मांग

34–श्री छब्बू पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा भीटी, विकास खण्ड काशी विद्यापीठ व ग्राम सभा एकौनी से खजूर गांव व बरथरा से केशवपुर, मन्नापुर से कबीरपुर विकास खण्ड नियामताबाद जी०टी० रोड से रामपुर विकास खण्ड सकलडीहा की सड़कें मानक के अनुरूप बनाई गई है ? क्या इसके लिये प्रशासनिक अधिकारियों और विधायकों की कमेटी बनाकर जांच करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नगत सड़कों के निर्माण कार्य की जांच कराये जाने के निर्देश जारी किये जा चुके हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला बिजनौर, नजीबाबाद आर्य कन्या इण्टर कालेज की सहायक अध्यापिका श्रीमती शशिबाला के वेतन भुगतान के संबंध में जानकारी

35–श्री मूलचन्द चौहान–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शशिबाला, सहायक अध्यापिका, स्नातक ग्रेड आर्य कन्या इण्टर कालेज, नजीबाबाद, जिला–बिजनौर का वेतन भुगतान करने हेतु माननीय उच्च

न्यायालय इलाहाबाद द्वारा 14-3-97 को आदेश दिया गया है ? क्या यह सही है कि जिला विद्यालय निरीक्षक, बिजनौर द्वारा पारित आदेश की अवहेलना की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार मा० उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराने एवं दोषी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह—

जी हां । रिट याचिका सं०—9136/97 में मा० उच्च न्यायालय ने दिनांक 14-3-97 के अपने आदेश में श्रीमती शशिबाला राजपूत, सहायक अध्यापिका के अवशेष वेतन भुगतान दो माह के भीतर करने के आदेश दिये हैं ।

जी नहीं ।

श्रीमती राजपूत को नियमानुसार उनके देयकों का भुगतान किया जा चुका है । इसलिये दोषी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के प्रत्येक मण्डल में बालिकाओं की शिक्षा हेतु नये विद्यालयों की स्थापना के लिये 20 लाख अनुदान की व्यवस्था के विषय में जानकारी

36—श्री गोरखनाथ पाण्डेय—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा प्रस्तावित प्रदेश के प्रत्येक मण्डलों में बालिकाओं के शिक्षा हेतु नये विद्यालयों की स्थापना हेतु 20 लाख अनुदान की व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो इसको कार्यान्वित करने हेतु कब तक शासनादेश जारी कर दिया जायेगा ?

डा० नैपाल सिंह—

जी नहीं । बल्कि प्रदेश के असेवित विकास खण्डों तथा एक कन्या विद्यालय सेवित विकास खण्डों में बालिकाओं के शिक्षा हेतु निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा विद्यालय स्थापित किये जाने के लिये रु० 20.00 लाख अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है ।

शासनादेश संख्या—1930/15-8-98/3070/98, दिनांक 28-12-1998 द्वारा इस संबंध में कार्यकारी सिद्धान्त जारी किया जा चुका है ।

जिला चित्रकूट राजापुर में पीपे का पुल निर्धारित समय में बनवाये जाने की मांग

37—श्री दद्दू प्रसाद—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजापुर जिला चित्रकूट में पीपे का पुल बरसात बाद बना दिया जाता है ? क्या उक्त पुल बनाने हेतु कोई तिथि/माह निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या वर्ष 1998 में नियमानुसार निर्धारित समय में उक्त पुल नहीं बनाया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस प्रकरण में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

नदी का जल स्तर अधिक होने के कारण ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

38–श्री अजय कुमार पोइया–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

जनपद बलिया के प्रान्तीय खण्ड में सन्दवापुर चड़वा बरवां मार्ग के निर्माण सम्बन्धी जानकारी

39–श्री राजधारी–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद अन्तर्गत प्रान्तीय खण्ड में सन्दवापुर चड़वा बरवां मार्ग के निर्माण के लिये स्वीकृत धनराशि विभाग को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग के निर्माण का कब तक लक्ष्य है ? क्या निर्माण कार्य रुका है ? यदि हां, तो उक्त रुके हुए कार्य की बाधाओं को दूर कर कब तक उक्त मार्ग बन जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जून, 1999 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

कि० मी०–2 में गांव के भाग में विवाद के कारण मिट्टी का कार्य रुका रहा ।

जून, 1999 तक कार्य को लेपन स्तर तक पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सांसदों की भांति वरिष्ठता सूची के आधार पर विधायकों को भी लखनऊ में आवास आवंटन की मांग

40–श्री राजधारी–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सांसदों की तरह वरिष्ठता सूची के क्रम में विधायकों को भी लखनऊ में आवास का आवंटन करने पर सरकार विचार करेगी ? क्या सभी विधायकों हेतु समान रूप से कवर्ड एरिया के आवास लखनऊ में उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो इस विसंगति को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं । माननीय विधायकों को "उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के निवास स्थान संबंधी नियमावली, 1963" के अनुसार आवास उपलब्ध कराये जाते हैं ।

जी नहीं । माननीय विधायकों के लिए बने विधायक निवासों में उपलब्धता के आधार पर उन्हें आवास आवंटित किये जाते हैं ।

जी नहीं । ऐसी कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है ।

जनपद बिजनौर, राजकीय इण्टर कालेज नजीबाबाद से सेवा निवृत्त प्रधानाचार्यों के समस्त देयकों का भुगतान

41–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के राजकीय इण्टर कालेज, नजीबाबाद के प्रधानाचार्य के पद पर वर्ष 1989 से वर्ष 1992 तक कौन-कौन से प्रधानाचार्य रिटायर हुए हैं ? क्या इन प्रधानाचार्यों के समस्त देयकों, यात्रा भत्ता बिलों का भुगतान विभाग द्वारा

किया जा चुका है ? यदि हां, तो भुगतान न होने के लिये कौन अधिकारी उत्तरदायी है ? उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? उक्त के भुगतान कब तक कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां । जनपद बिजनौर के राजकीय इण्टर कालेज नजीबाबाद के प्रधानाचार्य पद से वर्ष 1989 से वर्ष 1992 तक मात्र दो प्रधानाचार्य क्रमशः (1) श्री कैलाश चन्द्र सक्सेना तथा (2) श्री रमेश चन्द्र द्विवेदी सेवा निवृत्त हुये हैं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

42–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[दिनांक 23-2-99 को अता० प्र० सं०–61 द्वारा उत्तरित]

43–श्री राम औतार शाक्य–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रदेश में ''बृज भाषा अकादमी'' की स्थापना की मांग

44–श्री अजय कुपार पोइया–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ब्रज भाषा के विकास हेतु ''बृज भाषा अकादमी'' की स्थापना पर शासन विचार कर रहा है ? यदि हां, तो उसकी स्थापना कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

बृज भाषा अकादमी की स्थापना से सम्बन्धित प्रस्ताव शासन में प्राप्त नहीं हुआ है ।

45–श्री भरत सिंह–

[दिनांक 2-2-99 को अता० प्र० सं०–183 द्वारा उत्तरित]

उत्तर प्रदेश औद्योगिक अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत गठित सभी प्राधिकरणों के बोर्डों में शासन की नीति के अनुसार जन-प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की मांग

46–श्री नवाब सिंह नागर–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत गठित प्रदेश के सभी प्राधिकरणों के बोर्डों में जनता का प्रतिनिधित्व नहीं है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उन जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करने के लिये इस अधिनियम में संशोधन कर बोर्डों में जन प्रतिनिधित्व करने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्तमान व्यवस्था संतोषजनक रूप से चल रही है ।

जनपद गौतमबुद्ध नगर के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त दादरी जास्पा रोड को बनवाने की मांग

47–श्री नवाब सिंह नागर–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद गौतमबुद्ध नगर के अन्तर्गत दादरी जास्पा रोड बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त रोड बनाये जाने हेतु निकट भविष्य में कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं । केवल कि० मी०–1, 4 एवं 11 में आबादी भाग में मार्ग क्षतिग्रस्त है ।

जी हां ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–मथुरा डी०ए०वी० इण्टर कालेज गोवर्धन में बायलोजी की मान्यता के संबंध में जानकारी

48–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद स्थित डी०ए०वी० इण्टर कालेज गोवर्धन की बायलोजी की मान्यता सम्बन्धी आख्या जिला विद्यालय निरीक्षक ने 2 वर्ष से अधिक समय से रोक रखा है ? यदि हां, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत विद्यालय द्वारा इण्टर जीव विज्ञान अति० विषय की मान्यता हेतु आवेदन-पत्र वर्ष 1999 की परीक्षा के लिए दिनांक 26-8-96 को परिषद् कार्यालय मेरठ में जमा किया गया था । जिला विद्यालय निरीक्षक के पत्र दिनांक 28-1-99 द्वारा आख्या प्रस्तुत की गई । जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आख्या समयान्तर्गत उपलब्ध न कराये जाने के कारण उन्हें सचेत किया गया है ।

जिला छत्रपति शाहूजी महाराज नगर में वर्ष 1996-97, 1997-98 में घेरबाड़ तथा सामाजिक वानिकी के कार्यों हेतु मजदूरी के भुगतान दर की जानकारी

49–श्री ददू प्रसाद–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला छत्रपति शाहूजी महाराज नगर में वर्ष 1996-97 तथा वर्ष 1997-98 में घेरबाड़ तथा सामाजिक वानिकी के लिये किस-किस योजना से कितना-कितना धन अवमुक्त किया गया ? क्या अवमुक्त धनराशि से कार्य पूर्ण करवाया गया ? इन कार्यों में मजदूरों को किस दर से मजदूरी का भुगतान किया गया है ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

वित्तीय वर्ष 1996-97 में जिला छत्रपति साहू जी महाराज नगर स्थापित नहीं हुआ था । उक्त

जनपद वर्ष 1997-98 में स्थापित हुआ और इस वर्ष में उक्त जनपद हेतु योजनावार निम्न धनराशि अवमुक्त हुई :—

योजना का नाम	धनराशि लाख में
	1997-98
1	2
1–सामाजिक वानिकी	19.12
2–जवाहर रोजगार योजना	03.581
3–सुनिश्चित रोजगार योजना	24.945
4–डी०पी०ए०पी०	06.25
योग–	53.896

जी हां।

शासन द्वारा निर्धारित रु० 47/–प्रति मानव दिवस की दर से भुगतान किया।

जनपद बांदा, खानकाह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को इण्टरमीडिएट की मान्यता प्रदान करने हेतु प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

50–श्री दद्दू प्रसाद–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को इंटरमीडिएट कालेज की मान्यता प्रदान करने की क्या नीति है ? क्या खानकाह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बांदा को इंटरमीडिएट की मान्यता प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16-6-97 मुख्य मंत्री के सचिवालय के विधायक कोष्ठक के पत्रांक एम–1/63-65/बांदा/97. के साथ सचिव, माध्यमिक शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या खानकाह उ० मा० वि० बांदा को इण्टरमीडिएट की मान्यता प्रदान कर दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

मान्यता हेतु इच्छुक संस्थाओं द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों की पूर्ति कर विहित प्रपत्र पर निर्धारित अवधि के भीतर परिषद्/निरीक्षक कार्यालय में आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने एवं निरीक्षण आख्या प्राप्त होने पर मान्यता समिति की संस्तुति के आधार पर मान्यता दी जाती है।

जी हां।

दिनांक 9 फरवरी, 1999 को मान्यता पत्र निर्गत कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़–जौनपुर राजकीय मार्ग के सम्पर्क मार्गों के निर्माण/व्यय की जानकारी

51–श्री हरदेव सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़–जौनपुर राजकीय मार्ग से बरदह कोहरौली सम्पर्क मार्ग बनवाया गया है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य कब प्रारम्भ कराया गया था

अब तक उस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी ? क्या यह सही है कि ग्राम चौकी से मीरा व बरदह चौकी मार्ग गिट्टी बिछाकर पक्का कराया गया है लेकिन चौकी से कोहरौली मार्ग अभी तक पक्का नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त चौकी से कोहरौली मार्ग कब तक पक्का करा दिया जाएगा तथा उस पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

निर्माण कार्य वर्ष 1994-95 में प्रारम्भ किया गया तथा माह 3/97 तक रु० 13.32 लाख व्यय किया जा चुका है ।

चौकी से भीरा मार्ग पूर्व से ही लेपित है । बरदह चौकी कोहरौली कि० मी०–1. 2 लेपित स्तर तक पूर्ण है एवं कि०मी०–3 व 5 सोलिंग स्तर तक पूर्ण है ।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद आजमगढ़ ब्लाक मार्टीनगंज के बेसो नदी पर पक्का पुल निर्माण कराने की मांग

52–श्री हरदेव सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद के मार्टीनगंज ब्लाक के ग्राम–कोहरौली, पिछौरा, बीकापुर आदि ग्रामवासियों द्वारा ग्राम कोहरौली के पास बेसो नदी पर पक्का पुल बनाये जाने की निरन्तर मांग की जा रही है ? क्या यह सही है कि बेसो नदी पर कोई पक्का पुल न होने के कारण ग्राम कोहरौली पिछौरा, खजुरा आदि के निवासियों का, ब्लाक सोसाइटी से सम्पर्क बरसात के महीनों में कटा रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नदी पर पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सम्प्रति संभव नहीं है ।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग इलाहाबाद में चयनित एल०टी०/सामान्य प्रवक्ता के पद पर श्री बंश गोपाल कुशवाहा को कार्यभार ग्रहण की जानकारी

53–श्री दद्दू प्रसाद–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद के पत्रांक पृष्ठांकन संख्या माध्यमिक शिक्षा आयोग/चयन/1055-57/96-97, दिनांक 11-4-97 द्वारा श्री वंशगोपाल कुशवाहा निवासी ग्राम व पो० बड़ोखर बुजुर्ग, जिला बांदा का चयन एल०टी०/सामान्य प्रवक्ता के पद के लिये कर लिया गया था ? यदि हां, तो चयनित अभ्यर्थी को कब तक कार्यभार ग्रहण करा दिया जायेगा ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

श्री वंशगोपाल कुशवाहा को तिलक इण्टर कालेज औरैया, इटावा में कार्य भार ग्रहण करा दिया गया है ।

जनपद मैनपुरी के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के क्षतिग्रस्त भवन निर्माण हेतु प्रदत्त धनराशि में घोटाले की जांच

54—श्री राम औतार शाक्य—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वित्तीय वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 में बेसिक शिक्षा परिषद्, मैनपुरी के अधीन किन-किन प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के क्षतिग्रस्त विद्यालयों के भवनों के निर्माण हेतु किस-किस को कितना धन प्रदान किया गया ? क्या उसके शत प्रतिशत उपयोग का कोई सत्यापन कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि जनपद मैनपुरी में परिषद् के अधिकारियों की मिली भगत से उक्त प्रदत्त धन का सही उपयोग नहीं किया गया और लाखों रुपयों का घोटाला कर लिया गया ? क्या सरकार इस घोटाले की उच्च स्तरीय जांच करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी—

वर्ष 97-98 में 46 प्राथमिक तथा 10 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को तथा वर्ष 98-99 में 77 प्राथमिक तथा 8 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को संलग्न सूची † अनुसार धन प्रदान किया गया ।

जी हां ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर तहसील बिन्दकी, आदर्श जन कल्याणकारी जूनियर हाई स्कूल मिस्सी के प्रबन्ध कमेटी द्वारा की गयी नियुक्तियों को समाप्त करने की मांग

55—श्री समरपाल सिंह—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आदर्श जन कल्याणकारी जूनियर हाईस्कूल मिस्सी तहसील बिन्दकी, जनपद फतेहपुर की प्रबन्ध कमेटी का चुनाव कब-कब हुआ ? क्या प्रबन्ध कार्यकारिणी सदस्यों के निकट सम्बन्धियों को उक्त स्कूल में नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो नियुक्ति कब और कैसे की गयी ? पूर्ण विवरण सदन पटल पर रखा जायेगा ? क्या वे सभी नियुक्तियां नियमानुसार हैं ? यदि नहीं, तो क्या उनकी सेवायें समाप्त की जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी—

आदर्श जन कल्याणकारी जूनियर हाई स्कूल मिस्सी फतेहपुर एवं असहायता प्राप्त अस्थायी "व" श्रेणी मान्यता प्राप्त विद्यालय है । प्रबन्धक के उपलब्ध न होने के कारण सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी ।

जांच अधिकारी द्वारा इसकी जांच की जा रही है ।

अनियमित नियुक्तियों की दशा में शीघ्र विधिक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

† छापी नहीं गई ।

जनपद बरेली में जिला विद्यालय निरीक्षक, संयुक्त शिक्षा एवं उप शिक्षा निदेशक के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों को आवासीय सुविधा की व्यवस्था की मांग

56–श्री छोटेलाल गंगवार–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में जिला विद्यालय निरीक्षक, संयुक्त शिक्षा निदेशक, उप शिक्षा निदेशक के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों/अधिकरियों के लिये आवासीय व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो सरकार कब तक इन कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये आवासीय व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

संयुक्त शिक्षा निदेशक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के (16) आवासों की व्यवस्था है ।

प्रस्ताव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

57–श्री नरेन्द्र सिंह–

। आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।

58–श्री श्रीराम पाल–

। दिनांक 23-2-99 को अता० प्र० सं० 88 द्वारा उत्तरित ।

59–श्री अजय कुमार पोइया–

। दिनांक 8-3-99 को अता० प्र० सं० 89 द्वारा उत्तरित ।

जनपद मैनपुरी बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापक विहीन प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षकों के स्थानान्तरण/नई नियुक्ति से भरने की मांग

60–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मैनपुरी में बेसिक शिक्षा परिषद् के कौन-कौन से प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनमें माह सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर, 1998 में एक भी अध्यापक कार्यरत नहीं था ? क्या सरकार शिक्षक विहीन विद्यालयों में अविलम्ब शिक्षकों के स्थानान्तरण अथवा नई नियुक्तियों से जगह भरेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मैनपुरी के बेसिक शिक्षा परिषद् के प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालय की स्वीकृति तथा अपूर्ण भवनों को पूर्ण कराने की मांग

61–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मैनपुरी में बेसिक शिक्षा परिषद् में वित्तीय वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 तथा 1998-99 में कितने प्राथमिक विद्यालय एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्वीकृत हुए और इनमें से कितने विद्यालयों के भवन पूर्ण हो चुके हैं और कितने-कितने विद्यालयों के भवन अपूर्ण हैं ? विद्यालय भवनों के अपूर्ण होने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार अपूर्ण भवनों को पूर्ण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश में बौद्ध पर्यटक स्थलों को विकसित करने संबंधी कार्य योजना की जानकारी

62–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1998 में प्रदेश सरकार ने सारनाथ में आयोजित बौद्ध महोत्सव के नाम पर कितना धन खर्च किया ? क्या सरकार प्रदेश में स्थित बौद्ध पर्यटक स्थलों को विकसित करने के लिए कोई विशेष कार्ययोजना बनाने जा रही है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रदेश सरकार द्वारा बौद्ध महोत्सव/सेमिनार के आयोजन पर रु० 25.00 लाख की धनराशि व्यय की गई ।

जी हां ।

नई पर्यटन नीति 1998 के तहत ऐसे पर्यटन स्थलों के सुनियोजित विकास हेतु "बौद्ध परिपथ" घोषित किया गया है । इस परिपथ में नियमित रूप से बौद्ध महोत्सव आयोजित किया जा रहा है एवं गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव भी केन्द्रीय सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया था । इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा बौद्ध परिक्रमा रेल गाड़ी भी चलाई गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आजमगढ़, जौनपुर मुख्य मार्ग से बरदह चौकी कोहरौली मार्ग का निर्माण

63–श्री हरदेव सिंह–

क्या लोक निर्मोण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जौनपुर मुख्य मार्ग से निर्माणाधीन बरदह–चौकी–कोहरौली मार्ग के निर्माण हेतु किन-किन किसानों की भूमि ली गयी है ? क्या यह सही है कि संबंधित किसानों को अभी तक उनकी भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? मुआवजे का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री कलराज मिश्र–

इसके संबंध में सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं ।

निःशुल्क भूमि लेने के कारण मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत किसानों की सहमति से निर्माण होने के कारण भूमि-प्रतिकर का प्राविधान नहीं था ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

राजधानी में राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन कालोनियों में गैर सरकारी व्यक्तियों को आवंटित आवास के विवरण की जानकारी

64–श्री चन्द्रनाथ सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की राजधानी में राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन विभिन्न कालोनियों में कितने गैर सरकारी व्यक्तियों को आवास आवंटित हैं और वे कौन-कौन गैर सरकारी व्यक्ति हैं और इन्हें सरकारी आवास कब तथा किसके द्वारा आवंटित किया गया है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

कुल 117 (सूची संलग्न) † गैर सरकारी व्यक्तियों/संस्थाओं को शासन द्वारा आवास आवंटित किये गये हैं ।

† छापी नहीं गई ।

जनपद गोण्डा, मनकापुर के 1000-2000 की आबादी वाले गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने की योजना की जानकारी

65–श्री राम विशुन आजाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में कितने ऐसे ग्राम हैं जिनकी आबादी 1000–2000 है किन्तु उन्हें मुख्य मार्गों से नहीं जोड़ा गया है ? क्या सरकार सर्वे करवाकर उन ग्रामों को मुख्य मार्गों से जोड़ने हेतु कोई योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो योजना का प्रारूप क्या है ?

श्री कलराज मिश्र–

जनपद गोण्डा में मनकापुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 1000-2000 आबादी वाले 62 ग्राम मुख्य मार्ग से नहीं जुड़े हैं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मार्ग विकास नीति के अनुसार 1000 से अधिक आबादी के सभी गांवों को सन् 2005 तक सम्पर्क मार्गों से जोड़ने का कार्यक्रम है ।

जनपद गोण्डा, मनकापुर में चयनित स्वर्ण जयन्ती ग्रामों को पक्की सड़क से जोड़ने की योजना की जानकारी

66–श्री राम विशुन आजाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 और 1998-99 में कितने स्वर्णजयन्ती ग्रामों का चयन किया गया है ? क्या सरकार ने चयन किये गये सभी ग्रामों को पक्की सड़क से जोड़ दिया है ? चयनित ग्रामों में विकास की कौन-कौन सी योजनाओं को चलाया जा रहा है ? सारी योजनाओं को पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री कलराज मिश्र–

मनकापुर विधान सभा क्षेत्र में चौबेपुर (ब्लाक मनकापुर) व खजुरी (ब्लाक छपिया) दो गांव चयनित है ।

चौबेपुर गांव जुड़ा है । जिला योजना में स्वर्णजयन्ती ग्रामों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने में वरीयता दी जाती है ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद उन्नाव ब्लाक–बीघापुर ग्राम इन्देमऊ को लिंक रोड के डामरीकरण की जानकारी

67–श्री रणधीर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर–रायबरेली मार्ग पर स्थित ग्राम इन्देमऊ ब्लाक–बीघापुर जनपद उन्नाव के लिंक मार्ग को डामर युक्त करने के आदेश हुए थे ? यदि हां, तो कितने किलोमीटर तक डामर डालने के आदेश थे ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कितने किलोमीटर तक डामर डाल दिया गया है ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

6.50 कि० मी०, ग्राम बरदहा तक ।

1.00 किलोमीटर ।

68–श्री श्याम किशोर यादव–

[3रे शुक्रवार में अता० प्र० सं०–119 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

जनपद देवरिया विकास खण्ड देसही देवरिया के प्राथमिक विद्यालय की बाउन्ड्री वाल बनवाने की मांग

69–श्री श्याम किशोर यादव–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम–देवरिया बुद्धू खान विकास खण्ड–देसही देवरिया, जनपद देवरिया में नवनिर्मित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय के आस-पास गड्ढों में पूरे वर्ष जल भराव रहने के कारण उक्त प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले छोटे-छोटे बच्चों को डूबने की आशंका रहती है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्राथमिक विद्यालय की बाउन्ड्री वाल के लिए शासन द्वारा धन उपलब्ध कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

बाउन्ड्रीवाल के लिए बजट प्राविधान उपलब्ध न होने के कारण धन दिया जाना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1998 में माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अधीन रिक्त सहायक अध्यापकों/प्रवक्ताओं के पदों को भरने हेतु प्रवेश परीक्षा शुल्क से प्राप्त धन को वापस करने की मांग

70–श्री राम औतार शाक्य–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अधीन रिक्त सहायक अध्यापकों/प्रवक्ताओं के पदों को भरने हेतु अगस्त/सितम्बर, 1998 में कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुये और प्राप्त आवेदन-पत्रों से प्रवेश परीक्षा शुल्क हेतु कुल कितना धन लिया गया है ? क्या यह सही है कि प्रत्येक आवेदक से 200/–का झाफ्ट लिया गया है ? क्या उक्त परीक्षा की कोई तिथि निश्चित की गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या परीक्षा न कराये जाने की दशा में आवेदकों को शुल्क वापिस किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां । 97168 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं । अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थी से रु० 50/–, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी से रु० 100/–तथा अन्य से रु० 200/–प्रवेश शुल्क लिया गया है ।

जी नहीं ।

लिखित परीक्षा दिनांक 21 फरवरी, 1999 को सम्पन्न करायी जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय में रिक्त पदों को भरने हेतु परीक्षा न कराने की दशा में वर्ष 1998 में बी०टी० सी०/बी०एड० के आवेदकों से प्राप्त धनराशि को वापस करने की मांग

71–श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों की भर्ती हेतु बी० टी० सी० के स्थान पर बी० एड० बेरोजगारों से आवेदन-पत्र वर्ष 1998 में प्राप्त किये गये हैं ? यदि हां, तो कितने और उन आवेदनों से कुल कितनी धनराशि परीक्षा

शुल्क के रूप में प्राप्त हुई है ? क्या उक्त आवेदकों की भर्ती की जायेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ? परीक्षा न लिये जाने की दशा में क्या सरकार इस हेतु प्राप्त धनराशि आवेदकों को वापिस करेगी ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

कुल 1,94,975 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं । जिनकी प्रक्रिया शुल्क के रूप में रु० 90,13,462 मात्र की धनराशि प्राप्त हुई है ।

उक्त आवेदकों में से नियमानुसार विशिष्ट प्रशिक्षण हेतु चयनित एवं प्रशिक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न करने वाले अभ्यर्थियों की भर्ती की जायेगी । प्रशिक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के उपरान्त ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी जिला बेसिक शिक्षा समिति की बैठक में लिए गये निर्णयों का अनुपालन कराने की मांग

72–श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–मैनपुरी में जिला बेसिक शिक्षा समिति की बैठक दिनांक 13-5-98 में कौन-कौन से सदस्य/विधायकगण व उनके प्रतिनिधिगण उपस्थित थे तथा उसमें क्या-क्या निर्णय लिये गये ? उक्त मीटिंग में लिये गये निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करा लिया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

निम्नलिखित मा० सदस्य तथा उनके प्रतिनिधि उपस्थित थे :–

1–डा० श्रीमती समन यादव, अध्यक्ष जिला पंचायत मैनपुरी ।

2–मा० श्री बलराम सिंह यादव, सांसद के प्रतिनिधि ।

3–मा० डा० सच्चिदानन्द साक्षी सांसद के प्रतिनिधि ।

4–श्री बाबूराम यादव विधायक, करहल ।

5–राम औतार शाक्य विधायक भोगाव ।

6–रामेश्वर दयाल बाल्मीकी, विधायक किश्नी ।

7–मानिक चन्द्र यादव, विधायक, काहल ।

8–श्रीमती उर्मिला यादव, विधायक धिरौर ।

9–अवधपाल सिंह यादव, एम०एल०सी० के प्रतिनिधि ।

10–सत्येन्द्र पाल सिंह जादौन, एम०एल०सी० के प्रतिनिधि ।

11–श्रीमती गंगादेवी, ब्लाक प्रमुख, किशनी ।

12–श्री सतीश चन्द्र यादव धिरौर ।

13–श्री अशोक सिंह चौहान, सदस्य, जिला पंचायत, मैनपुरी ।

14–श्री राजवीर कसह, सदस्य, जिला पंचायत, भोगांव ।

15–श्री रामकिशन, सदस्य, जिला पंचायत, करावली ।

16–श्रीमती शशि गुप्ता, अध्यक्ष, नगर क्षेत्र, मैनपुरी ।

17–जिला विद्यालय निरीक्षक, मैनपुरी ।

18–उप विद्यालय निरीक्षक, मैनपुरी, भोगांव एवं करहल ।

19–जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैनपुरी (सचिव) ।

समिति की बैठक में मुख्य-मुख्य निम्नवत् निर्णय लिये गये :—

(1) उच्च प्राथमिक पाठशालाओं की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया ।

(2) भवन निर्माण में जिस अध्यापक ने मानक के अनुसार कार्य नहीं किया है उनके कार्य की जांच कराकर अध्यापक से रिकवरी कराई जाये ।

(3) शिक्षा समिति द्वारा चयनित स्थान के अतिरिक्त स्थान पर यदि निर्माण कार्य कराया गया है तो उसकी जांच कराकर आरोप सत्य पाये जाने पर ग्राम प्रधान/प्रधान अध्यापक से व्यय धन की रिकवरी कराई जाये ।

(4) भवनहीन प्राइमरी पाठशालाओं की सूची से भवनों के पुनर्निर्माण अनुमोदित किये गये ।

(5) प्राइमरी पाठशालाओं में हैण्ड पम्प एवं कन्या उच्च प्राइमरी पाठशालाओं में शौचालयों का अनुमोदन स्वीकृत के आधार पर किया गया ।

(6) विकास खण्ड बेवर के ग्राम नैकामऊ एवं मझला टाकन एवं विकास खण्ड सु० गंज के ग्राम–गणेशपुर/शाहआलमपुर में से मानक के अनुसार अति उपयुक्त एक-एक ग्राम में उच्च प्राथमिक पाठशालाओं का निर्माण अनुमोदित किया गया ।

(7) अम्बेडकर ग्रामों हेतु स्वीकृत प्राइमरी पाठशाला की स्थापना हेतु विचार किया गया ।

(8) भवनहीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवनों के निर्माण पर निर्णय लिया गया ।

(9) वर्ष 1996-97 हेतु स्वीकृत दो विद्यालयों का भवन ग्राम–पशुघर की पलिया एवं ग्राम भरतपुर (जागीर) में निर्मित किये जाने हेतु निर्णय लिया गया ।

(10) नगला प्रेमी का स्वीकृत विद्यालय नगला प्रेमी में ही निर्मित करने हेतु स्वीकृत किया गया ।

(11) वर्ष 1995-96 में स्वीकृत दो विद्यालयों एवं वर्ष 1996-97 के शेष 8 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना/भवन निर्माण हेतु शासन से अनुमति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उच्च प्राथमिक पाठशाला की स्थापना हेतु प्रस्तुत असेवित बस्तियों की सूची को मानक के अनुसार गलत बताकर निरस्त किया गया ।

जी हां । अनुपालन कराया जा रहा है ।

शीघ्र ।

प्रश्न नहीं उठता ।

73–श्री अजय कुमार पोइया–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।

पी०एम०वी० पालीटेक्निक मथुरा में अनुसूचित जाति के प्रवक्ता केमिकल इंजीनियरिंग के पद पर नियुक्ति के संबंध में प्राप्त शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

74–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी० एम० वी० पालीटेक्निक मथुरा में शासन द्वारा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित प्रवक्ता केमिकल इन्जीनियरिंग के पद पर नियुक्ति के संदर्भ में विधायक कोष्ठक का पत्रांक : सी० एम०/वि० को०/एम– 3/14244/ मथुरा/98, दिनांक 28-7-98 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

मा० सदस्य विधान सभा के संदर्भित पत्र के साथ श्री महेश चन्द्र का शिकायती-पत्र दिनांक 24-7-98 संलग्न था । जिसमें पी०एम०वी० पालीटेक्निक, मथुरा के प्रधानाचार्य के विरुद्ध आरोप लगाये गये थे कि प्रधानाचार्य द्वारा प्रवक्ता रसायन अभियंत्रण के पद हेतु चयन के विरुद्ध योगेश शर्मा द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त किये जाने पर उसे निरस्त नहीं कराया जा रहा है । इस संबंध में तथ्यों की छानबीन की गयी है तथा प्राधिकृत नियंत्रक पी०एम०वी० पालीटेक्निक, मथुरा को प्रधानाचार्य से स्पष्टीकरण प्राप्त करके कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं ।

जनपद गोण्डा, मनकापुर के क्षेत्र पंचायत छपिया के कतिपय मार्गों का लेपन स्तर कार्य करवाने की मांग

75–श्री राम विशुन आजाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के क्षेत्र पंचायत छपिया में सकदरपुरमवइया–कोटखास, महराजगंज ग्रन्ट मार्ग और छपिया गोंदहा मार्ग, महुली खोरी, पाभरखाल मार्ग, परसामण्डप मार्ग पर कई वर्ष पूर्व पत्थर सोलिंग स्तर तक कार्य करवाया गया था ? क्या उसके पत्थर उखड़ कर ऊपर आ चुके हैं तथा आवागमन बाधित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार लेपन स्तर तक कार्य करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी हां ।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय, राज्य तथा जनपद मार्गों के किनारे बसे गांवों के किनारे दोनों ओर जल निकासी नाला बनवाने संबंधी योजना की जानकारी

76–प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय मार्ग, राज्य मार्ग, जनपद मार्गों के किनारे पड़ने वाले गांवों में मार्गों के किनारे दोनों ओर जल निकासी नाला बनाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

लोक निर्माण विभाग की ऐसी कोई योजना नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

गांवों में मार्गों के दोनों ओर जल निकासी हेतु नाली निर्माण एवं अनुरक्षण का कार्य स्थानीय निकाय के कार्य क्षेत्र में आते हैं ।

जनपद आजमगढ़, लालगंज बाईपास मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण करा कर वाहनों का आवागमन चालू कराने की जानकारी

77–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में लालगंज बाईपास मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो क्या इस पर भारी वाहनों का आवागमन चालू कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी हां ।

जनवरी, 99 में ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मेरठ, सरधना के दौराला कस्बा में महिला पालीटेक्निक खोलने संबंधी योजना की जानकारी

78–प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरधना विधान सभा क्षेत्र जनपद मेरठ के दौराला कस्बा में महिला पालीटेक्निक खोलने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो इस पर कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मेरठ जनपद के दौराला कस्बे में राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय पुराने भवनों का निर्माण करवाकर एक महिला पाली० खोले जाने की योजना है ।

योजना के लिए धन का आवंटन होते ही इस पर कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

जनपद मेरठ नगर सरधना में स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय खोलने संबंधी योजना की जानकारी

79–प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरधना विधान सभा क्षेत्र जनपद मेरठ के ऐतिहासिक सरधना नगर में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर महाविद्यालय खोलने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

औचित्य स्थापित नहीं होता है ।

80–श्री राम औतार शाक्य–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।

जनपद सन्त रविदास नगर की सीतामढ़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना की जानकारी

81–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद संत रविदास नगर ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र की सीतामढ़ी को जो पौराणिक स्थली एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है तथा यहां हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं ? क्या इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

पर्यटन विभाग द्वारा जिला योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 1996-97 में सीतामढ़ी स्थल के पर्यटन विकास हेतु रु० 5.00 लाख अवमुक्त किया गया था । इसके अतिरिक्त राज्य योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 1998-99 में भी सीतामढ़ी स्थल के पर्यटन विकास हेतु रु० 5.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है । जिसमें पार्क का विकास व बायर फेंसिंग, आर०सी०सी० बेंचों का निर्माण व लैण्ड स्केपिंग का कार्य सम्मिलित है ।

श्री जुगुल किशोर शर्मा इलेक्ट्रीशियन पी०एम०बी०पी० लि०, मथुरा के समस्त देयकों के भुगतान विषयक कार्यवाही की जानकारी

82–श्री अजय कुमार पोद्दा–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जुगुल किशोर शर्मा, रिटायर्ड इलेक्ट्रिशियन पी० एम० बी०पी० लि०, मथुरा की पेंशन, ग्रेच्युटी, पेंशन राशिकरण आदि के भुगतान किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम–3/14236/ मथुरा/98, दिनांक 28-7-98 मा० मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

श्री जुगुल किशोर शर्मा, रिटायर्ड इलेक्ट्रीशियन के पी०एम०बी० पाली०, मथुरा में गैर अनुमोदित पद के विरुद्ध कार्यरत होने के कारण उन्हें पेंशन, ग्रेच्युटी, पेंशन राशिकरण आदि का भुगतान नहीं किया गया ।

वस्तुस्थिति से मा० प्रश्नकर्ता सदस्य को अर्धशासकीय पत्र संख्या–सी०एम०–43/98–प्रा०शि०–3–72 (बी)/87, दिनांक 3 सितम्बर, 1998 द्वारा अवगत करा दिया गया है ।

जनपद देवरिया में वन प्रयाग के भवन निर्माण के ठेकेदारों के कतिपय कार्यों के समस्त देयकों का भुगतान कराने की मांग

83–श्री अफजाल अहमद–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1996-97 में जनपद देवरिया में वन प्रभाग के भवन का निर्माण किस ठेकेदार द्वारा कराया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त ठेकेदार का विद्युतीकरण 9%, वाटर सप्लाई 6%, कन्डेन्सी 3%, वर्क इन्वेस्टमेन्ट 2% व एन०एस०सी० आदि का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच करके अवशेष उपरोक्त सारे देयकों का भुगतान कराने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

वर्ष 1996-97 में देवरिया जनपद में वन प्रभाग के कार्यालय भवन के ऊपरी तल का निर्माण श्री वृन्दा प्रसाद जायसवाल, ट्यूबवेल कालोनी, देवरिया एवं आवासीय परिसर में 2 अदद टाइप–तृतीय भवन भूतल का निर्माण मेसर्स एन०डी०एस० कन्सट्रक्शन कम्पनी, जेल रोड, गोरखपुर द्वारा कराया गया था ।

ठेकेदारों का समस्त देयकों का भुगतान कर दिया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वन प्रभाग देवरिया के ए०जी०एफ० (तात्कालिन) श्री श्रीवास्तव के विरुद्ध निष्पक्ष जांच कराने की मांग

84–श्री अफजाल अहमद–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि ए०सी०एफ० (तात्कालीन) वन प्रभाग देवरिया श्री श्रीवास्तव के विरुद्ध कितनी जांचें विभागीय एवं अन्य एजेन्सियों से चल रही है ? क्या यह सही है कि डी०एफ०ओ० के खिलाफ देवरिया निवास मे मिट्टी वर्क में वर्ष 1994 में धांधली, बच्चों को घुमाने व प्रशिक्षण हेतु मिला धन रु० 5 लाख में घपला, पौधे व नर्सरी में घपला आदि की कई जांचें चल रही है ? क्या यह सही है कि जांच अधिकारी निष्पक्ष जांच न करके उन्हें बचाने का कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

विभागीय जांच नहीं चल रही है । अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति की 3 शिकायतों की जांच चल रही है ।

प्रश्नगत शिकायती बिन्दुओं के संबंध में प्रमुख वन संरक्षक के माध्यम से जांच करायी गयी ।

जांच आख्या परीक्षणाधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद कुशीनगर के रामकोला में स्वीकृत सड़कों के अधूरे कार्य को पूर्ण कराने की मांग

85–श्री राधे श्याम सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1996-97, 1997-98 में विधान सभा क्षेत्र रामकोला जनपद कुशीनगर में स्वीकृत सभी सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो किन-किन सड़कों का निर्माण कार्य अधूरा है एवं उन्हें कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

विवरण संलग्न है ।†

†(देखिये नत्थी "ग" आगे 246-247 पृष्ठ पर ।)

86 व 87–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

[3रे शुक्रवार में अता० प्र० सं०–171 व 172 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

88–श्री अजय कुमार पोइया–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद मैनपुरी ब्लाक बेवर के कतिपय ग्रामों में नवीन प्राथमिक विद्यालय भवन बनाने हेतु प्राप्त पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी

89–श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-11-1997 जो ग्राम रायपुर, सोवनपुर व फतेहपुर गनी ब्लाक बेवर जनपद मैनपुरी में नवीन प्राथमिक विद्यालय भवन बनवाने के विषय में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

दिनांक 13-5-98 को जिला शिक्षा समिति, मैनपुरी की बैठक में भवन निर्माण प्रस्तावित किये गये । परन्तु समिति का स्पष्ट निर्णय नहीं मिल सका ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी में जूनियर हाई स्कूलों के विद्यालयों के निर्माण हेतु प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

90—श्री राम औतार शाक्य—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का मुख्य सचिव को प्रेषित पत्रांक 1099/पी०एस०एस०एम०/एम०एल० ए०/97, दिनांक 24-10-97 जो जूनियर हाई स्कूलों के विद्यालयों के निर्माण के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसके मुख्य बिन्दु क्या थे और उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी—

जी हां।

1—जनपद मैनपुरी में खासतौर से विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भोगांव जनपद—मैनपुरी में ब्लाक सुल्तानगंज, बेवर, जागीर किशनी में जूनियर हाईस्कूलों एवं प्राथमिक विद्यालयों के वे ही भवन निर्मित कराये जायं जो जिला शिक्षा समिति द्वारा अनुमोदित एवं स्वीकृत हैं।

2—उक्त क्षेत्र में वे विद्यालय कदापि न बनाये जायं जो शिक्षा समिति द्वारा अनुमोदित व स्वीकृत नहीं हैं।

3—अवैध रूप से निर्मित किये जा रहे विद्यालयों का निर्माण अविलम्ब रुकवाया जाय तथा अवैध रूप से बनाये जा रहे विद्यालयों का उत्तरदायित्व तय किया जाय व दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाय जो जूनियर हाईस्कूल के नवीन भवन वर्ष 96-97 के अनुमोदित व स्वीकृत हैं उनका निर्माण अभी तक शुरू भी नहीं हुआ वह निर्माण प्राथमिकता से कराया जाय। धन उपलब्ध कराया जाय।

जनपद मैनपुरी में विद्यालय भवनों का निर्माण नियमान्तर्गत कराया गया है।

वर्ष 96-97 में 20 जूनियर हाई स्कूलों के लक्ष्य के प्रति 12 जूनियर हाईस्कूलों के निर्माण के लिए धन की स्वीकृत प्रदान की गई थी। शेष 8 भवनों के निर्माण हेतु वर्ष 97-98 में प्राप्त स्वीकृति के प्रति जिला बेसिक शिक्षा समिति के समक्ष प्रस्ताव रखा गया था परन्तु प्रस्ताव समिति से पारित न हो पाने के कारण भवनों का निर्माण नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी—भोगांव मार्ग इण्डस्ट्रियल एरिया में उद्यमियों को आकर्षित कराने हेतु विशेष योजना चलाने की मांग

91—श्री राम औतार शाक्य—

क्या सरकार को ज्ञात है कि मौजा रूई सिनौरा परगना व तहसील—भोगांव, जनपद—मैनपुरी में मैनपुरी—भोगांव मार्ग के किनारे इण्डस्ट्रियल एरिया स्थित है ? यदि हां, तो उसमें कितने भूखण्ड हैं और उनमें से कितने भूखण्डों में उद्योग कार्यरत हैं ? क्या सरकार उक्त एरिया में उद्यमियों को आकर्षित करने के लिये कोई विशेष योजना आगामी वित्तीय वर्ष में चलाने जा रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां।

इस औद्यागिक क्षेत्र में वर्तमान में कुल 98 भूखण्ड हैं, जिनमें से 22 भूखण्ड उद्यमियों को आवंटित हैं। मात्र एक भूखण्ड पर इकाई कार्यरत है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के समग्र औद्योगिक विकास हेतु औद्योगिक नीति वर्ष 1998 में घोषित की गयी है । इस क्षेत्र विशेष के लिए विशेष योजनाओं का प्राविधान नहीं है । बल्कि पूरे प्रदेश के औद्योगिक विकास हेतु आवश्यक सभी तत्वों का समावेश है ।

जनपद मैनपुरी के प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की मांग

92–श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी में बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कितने अध्यापकों के पद रिक्त हैं और अध्यापकों के कितने पद और सृजित किये जाने हैं ? क्या सरकार खाली पदों/रिक्तियों को भरने जा ही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

स्वीकृत संख्या के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों में 523 पद एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में 139 पद रिक्त हैं । पद सृजन हेतु आवश्यक सर्वेक्षण गतिमान है ।

रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान है ।

शीघ्र ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मेरठ, सरधना ब्लाक के शहीद गांव भमौरी में कन्या इण्टर कालेज खोलने हेतु शासन की नीति

93–प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरधना विधान सभा क्षेत्र जनपद मेरठ, के सरधना ब्लाक के शहीद गांव भमौरी में कन्या इण्टर कालेज खोलने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

विकास क्षेत्र सरधना के गांव भामौरी में कन्या इण्टर कालेज खोलने की कोई योजना वर्तमान में नहीं है क्योंकि इस विकास क्षेत्र में 3 (तीन) कन्या माध्यमिक विद्यालय) (1) सेन्ट जोजफ कन्या इण्टर कालेज सरधना (2) जैन कन्या हाई स्कूल सरधना (3) कन्या इण्टर कालेज सतावा, निजी प्रबन्ध तंत्रों के मान्यता प्राप्त संचालित हैं । अतः विकास क्षेत्र सरधना सेवित है । नये कार्यकारी सिद्धान्त के अन्तर्गत भी उक्त गांव में नया कन्या माध्यमिक विद्यालय खोला जाना संभव नहीं है ।

जनपद फिरोजाबाद में लोक निर्माण विभाग खण्ड प्रथम द्वारा निर्मित स्पोर्ट स्टेडियम की जांच

94–श्री शिव सिंह चक–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद जनपद में नवनिर्मित स्पोर्ट स्टेडियम लोक निर्माण खण्ड प्रथम द्वारा बनाया गया है ? क्या इसकी जांच टी०ए०सी० द्वारा माह सितम्बर, 1998 में करायी गयी थी ? क्या मानकों से घटिया निर्माण पाया गया ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी घटिया निर्माण के लिये दोषी से वसूली कर पुनः निर्माण करावेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है । निर्मित भवन के पुनः निर्माण की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

जनपद मेरठ, प्राइमरी पाठशालाओं में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में जानकारी

95–श्री समर पाल सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मेरठ जनपद में प्राइमरी पाठशालाओं में अध्यापकों की कमी है ? यदि हां, तो कितने अध्यापक कम हैं ? यह कमी पूरी करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

236 सहायक अध्यापकों की कमी है ।

रिक्त पदों पर अध्यापकों की नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान है ।

जनपद बलिया, विकास खण्ड सीयर अखोप माईनर से निकली कतिपय महरों में वर्ष 1998 में कराये गये पीच कार्य में हुए घपले की जांच की मांग

96–श्री अफजाल अहमद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत अखोप माईनर से निकली नहर जो तरछापार होते हुये बहोरवा तक जाती है, की एक पटरी को वर्ष 1998 में पीच कराया गया है ? यदि हां, तो कितना धन तरछापार से बहोरवा तक पीचिंग में खर्च हुआ है ? क्या यह सही है कि उक्त सड़क की मोटाई एवं लेपन में भारी घपला किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी उच्च स्तरीय जांच करा कर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

लेपन स्तर तक मार्ग पर 12/98 तक रु० 89.51 लाख व्यय हुआ है ।

इस संबंध में जांच कराने के आदेश दिये जा रहे हैं ।

उपरोक्तानुसार ।

राजकीय पालीटेक्निक, लखनऊ एवं गोरखपुर के कर्मचारियों को वर्ष 1982 से स्वीकृत उच्च वेतनमान विषयक लेखाधिकारी प्राविधिक शिक्षा कानपुर से मांगे गये निर्देश पर कृत कार्यवाही की जानकारी

97–श्री दिलीप कुमार–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–1450/दस–3–सं० 04 (स)/82, दिनांक 6-11-85 के क्रम में निदेशक प्राविधिक शिक्षा उ० प्र० कानपुर के आदेश पत्रांक 23734–99/इ०दो–स०मा०वे०मा० दिनांक 10-10-86 द्वारा राजकीय पालीटेक्निक लखनऊ के कर्मचारियों को 1-7-85 से समयमान वेतन अनुमन्य किया गया है जबकि उक्त के क्रम में पत्रांक 18338–82/ई–2–वे० आ०, दिनांक 8-9-83 द्वारा राजकीय पालीटेक्निक, गोरखपुर के कर्मचारियों को 1982 से समयमान वेतनमान स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस संबंध में प्रधानाचार्य

राजकीय महिला पालीटेक्निक, लखनऊ ने अपने पत्रांक 5120/स्था०स०ग्रे०, दिनांक 16-10-90 द्वारा उक्त वेतनमान 1982 से स्वीकृत किये जाने के संबंध में लेखाधिकारी, प्राविधिक शिक्षा कानपुर से निर्देश मांगे थे ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

जी नहीं । राजकीय पालीटेक्निक, गोरखपुर के कर्मचारियों को समयमान, वेतनमान स्वीकृत करने के संबंध में इस संदर्भ संख्या का कोई आदेश जारी नहीं किया गया ।

जी हां ।

प्रस्ताव शासनादेशों व नियमों से आच्छादित न होने के कारण स्वीकार करने योग्य नहीं है ।

जनपद मेरठ, ब्लाक सऊरपुर खुर्द के ग्राम खिर्वा जलालपुर में कन्या कालेज खोलने की योजना की जानकारी

98–प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरधना विधान सभा क्षेत्र जनपद मेरठ के ब्लाक सऊरपुर खुर्द के गांव खिर्वा जलालपुर में कन्या इण्टर कालेज खोलने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला योजनान्तर्गत परिव्यय उपलब्ध नहीं है और सीधे राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज खोलने की कोई योजना नहीं है ।

जनपद मेरठ, सरधना विधान सभा क्षेत्र में कतिपय बाई पास तक सड़क को स्टेट सेक्टर से बनाने की योजना की जानकारी

99–प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरधना विधान सभा क्षेत्र जनपद मेरठ में सकौती-आहासा बाई पास, अटेरनी बाई पास गंगनपुर पुल तक सड़क को स्टेट सेक्टर से बनाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कब तक करा दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत संभव नहीं है ।

जनपद मेरठ, सरधना की क्षतिग्रस्त मार्गों के पुनर्निर्माण एवं चौड़ीकरण की योजना की जानकारी

100–प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि सरधना विधान सभा क्षेत्र जनपद मेरठ में सरधना दौराला-लबठ-मंसूरी मार्ग, सरधना दबभुआ मेरठ मार्ग, सरधना-सुभावली-सलावा-दादरी मार्ग व सरधना

खिर्वाजलालपुर-मेरठ मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या इनके पुनर्निर्माण एवं चौड़ीकरण कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी नहीं ।

संसाधनों की उपलब्धता पर है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद पिथौरागढ़, साहसिक प्रतिभाओं को बढ़ावा देने हेतु ट्रेकिंग कार्यक्रम पर व्यय एवं साहसिक प्रतिभाओं के लाभ की जानकारी

101–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जनपद पिथौरागढ़ में ट्रैकिंग कार्यक्रम संचालित किये गये हैं ? यदि हां, तो जनपद में अब तक इस कार्य पर कितना रुपया व्यय किया जा रहा है और कितने साहसिक प्रतिभाओं को इससे लाभान्वित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जनपद पिथौरागढ़ एवं चम्पावत में ट्रैकिंग से संबंधित कार्यक्रमों में वित्तीय वर्ष 1994-95 से 98-99 (25 जनवरी, 1999) तक 385 युवाओं की भागीदारी रही है । इस पर रु० 3,63,000.00 व्यय किये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पिथौरागढ़ व चम्पावत में युवा वर्ग हेतु रिवर राफ्टिंग प्रशिक्षण चालू कराने की मांग

102–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र (जनपद पिथौरागढ़ व चम्पावत) में "रिवर राफ्टिंग कार्यक्रम" काली नदी, सरयू व रामगंगा नदियों में प्रस्तावित है ? यदि हां, तो युवा वर्ग को रिवर राफ्टिंग का प्रशिक्षण कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जनपद पिथौरागढ़ व चम्पावत में रिवर राफ्टिंग कार्यक्रम काली नदी, सरयू एवं राम गंगा नदियों में प्रस्तावित है । यह कार्यक्रम उपकरणों की प्राप्ति के बाद आगामी वित्तीय वर्ष से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तरांचल के राजकीय महाविद्यालय में प्रधानाचार्य प्रवक्ता एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को भरने की मांग

103–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल के कितने रा० महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य, विभिन्न विषयों के प्रवक्ताओं एवं चतुर्थ श्रेणी के पद रिक्त हैं ? इन रिक्त पदों को भरने की सरकार की क्या योजना है ? कब तक रिक्त पदों को भर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

उत्तराखण्ड क्षेत्र में स्थित राजकीय महाविद्यालयों/कार्यालयों में निम्न विवरणानुसार पद रिक्त हैं :–

स्नातक प्राचार्य	प्रवक्ता	चतुर्थ श्रेणी
07	90	19

प्राचार्य तथा प्रवक्ता के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है। चतुर्थ श्रेणी के पदों को भरने हेतु प्रतिबन्ध है।

चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के संबंध में लगे प्रतिबन्ध हटने पर ही नियुक्ति संभव है।

राज्य सम्पत्ति विभाग में 12 वर्षों से कार्यरत आरक्षित श्रमिक दैनिक वेतन भोगी को स्थाई करने की मांग

104–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि राज्य सम्पत्ति विभाग में लगभग 12 वर्षों से दैनिक वेतन भोगी आरक्षित श्रमिक के पद पर कार्य कर रहे हैं ? क्या सरकार इन कर्मचारियों को स्थाई करेगी ? यदि हां, ती कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

विभाग में कतिपय दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी समूह 'घ' व 'ग' के पदों के विरुद्ध विगत 12 वर्षों से कार्यरत हैं।

"उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर दैनिक वेतन का विनियमितीकरण नियमावली, 1998" में निहित प्राविधानानुसार रिक्त पदों के विरुद्ध समूह 'ग' के पदों पर कार्यरत दैनिक वेतन कर्मचारियों को विनियमितीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर विनियमितीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

कालीदास मार्ग स्थित राज्य सम्पत्ति विभाग के कर्मचारी आवासों को अवर अभियन्ता द्वारा जर्जर दिखा कर किराये पर चलाने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

105–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि कालीदास मार्ग स्थित 5 ए खण्ड–2 में बने राज्य सम्पत्ति विभाग के कर्मचारी आवासों को अवर अभियन्ता द्वारा जर्जर दिखाकर कर्मचारियों को न देकर किराये पर चलाया जा रहा है ? क्या यह सही है कि इसी प्रकार दूसरे अभियन्ता द्वारा डी ब्लाक मुंशी पुलिया इन्दिरा नगर में भी आवास किराये पर चलाये जा रहे हैं ? क्या सरकार इन अभियन्ताओं के खिलाफ कार्यवाही

करके इन आवासों को राज्य सम्पत्ति विभाग के कर्मचारियों को आवंटित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

आवास संख्या–5ए, कालीदास मार्ग पूर्व मंत्री श्री सईदुल हसन के अध्यासन में है । जिसका मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है । प्रश्नगत कर्मचारी आवासों का आवंटन अलग से नहीं किया जाता है । इन कर्मचारी आवासों में श्री सईदुल हसन के व्यक्ति निवास करते हैं ।

इस सन्दर्भ में पूर्व में शिकायतें प्राप्त हुई थीं । जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही कराई जा रही है ।

संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करायी जा रही है । स्थिति स्पष्ट हो जाने पर नियमानुसार आवंटन किया जा सकता है ।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही करायी जा रही है ।

जनपद आजमगढ़ में स्मिथ इण्टर कालेज, अजमतगढ़ के सहायक अध्यापक श्री अरविन्द लाल श्रीवास्तव को अनियमित वेतन भुगतान कराये जाने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

106–श्री राम प्यारे सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के तीसरे मंगलवार हेतु निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न सं० 25 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त शिक्षा निदेशक (मा०) द्वारा दी गयी आख्या पर निदेशालय स्तर से श्री अरविन्द लाल श्रीवास्तव, सहायक अध्यापक, इण्टर कालेज, अजमतगढ़ को अनियमित रूप से वेतन भुगतान करने वालों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

संयुक्त शिक्षा निदेशक, आजमगढ़ द्वारा प्रेषित जांच आख्या के परीक्षण के उपरान्त सहायक अध्यापक श्री अरविन्द लाल श्रीवास्तव के विरुद्ध माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा–16ई (10) के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित करते हुये निदेशालय के पत्र दिनांक 29-12-98 के द्वारा नोटिस निर्गत की गयी । पुनः सुनवाई हेतु दिनांक 10-3-99 निर्धारित की गयी है । सुनवाई के उपरान्त दोष सिद्ध होने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

उपरोक्तानुसार ।

107–श्री राम प्यारे सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के तीसरे मंगलवार हेतु निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 24 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) से आख्या प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो प्राप्त आख्या पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बरेली, असेवित विकास खण्डों में स्वीकृत कन्या हाई स्कूल भवन के निर्माण एवं शिक्षण कार्य की जानकारी

108–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के कितने असेवित विकास खण्डों में वर्ष 1994-95, 1995-96, 1996-97 में स्वीकृत कन्या हाई स्कूल के भवन निर्माण का कार्य पूर्ण करा दिये गये हैं ? क्या उनमें शिक्षण कार्य चल रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

वर्ष 1994–95,1995–96 व 1996–97 में जनपद बरेली के आठ असेवित विकास खण्डों में कन्या विद्यालय स्वीकृत किये गये, जिसमें से तीन कन्या विद्यालयों के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।

एक विद्यालय में शिक्षण कार्य चल रहा है।

अवशेष दो पूर्ण निर्मित विद्यालयों में मान्यता न होने के कारण शिक्षण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।

जनपद बरेली के जिला विद्यालय निरीक्षक, संयुक्त उप शिक्षा निदेशक के कार्यालय हेतु भवन निर्माण की मांग

109–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री, बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के जिला विद्यालय निरीक्षक, संयुक्त शिक्षा निदेशक व उप शिक्षा निदेशक के कार्यालय किराये के भवनों में कब से चल रहे हैं ? क्या इन कार्यालयों के लिये सरकार निजी भवन निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जिला विद्यालय निरीक्षक बरेली और संयुक्त शिक्षा निदेशक बरेली का कार्यालय उद्योग विभाग द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराये गये भवन में संचालित है। उप शिक्षा निदेशक बरेली का कार्यालय वर्ष 1950 से किराये के भवन में संचालित है।

वर्तमान में आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर राजकीय बालिका इण्टर कालेज की प्रधानाचार्या द्वारा आवंटित आवास के पश्चात् मकान किराया भत्ता लेने की जांच एवं उनके स्थानान्तरण की मांग

110–श्री स्वामी परमानन्द दण्डी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय बालिका इण्टर कालेज जिला–रामपुर की प्रधानाचार्या श्रीमती चन्द्राजोशी जनपद में ही पदोन्नति प्राप्त कर करीब 20 वर्षों से रामपुर में कार्यरत हैं ? क्या श्रीमती जोशी जिस आवंटित आवास में रहती हैं, उसका किराया 125 रुपये प्रतिमाह है ? यदि हां, तो श्रीमती जोशी सरकार को धोखा देकर किस आधार पर 350 रुपये मकान किराया भत्ता ले रही हैं ? क्या मंत्री जी उक्त प्रधानाचार्या के विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच कराकर उन्हें दण्डित करने, की कार्यवाही करते हुए जनपद–रामपुर से बाहर जनहित में स्थानान्तरण करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

श्रीमती जोशी, जिलाधिकारी, रामपुर द्वारा आवंटित रेन्ट कन्ट्रोल के आवास में रहती हैं जिसका वह 125/–रुपये प्रतिमाह किराया भुगतान करती हैं । इसी आधार पर वह नियमानुसार 350/–रुपये मकान किराया भत्ता ले रही हैं ।

श्रीमती जोशी की उक्त कार्यवाही अनियमित नहीं पाई गई है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

विश्वविद्यालयों में आरक्षित शिक्षकों के रिक्त स्थान का कोटा पूर्ण न होने के संबंध में कार्यवाही

111–डा० राम बाबू हरित–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में विश्वविद्यालयों में कितने आरक्षित स्थान शिक्षकों के रिक्त हैं ? क्या सरकार इन रिक्त पदों को भरने के लिए कोई कार्यवाही करेगी ? क्या आरक्षण कोटा अब तक पूरा न करने के लिए किसी अधिकारी को दण्डित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

374 ।

विश्वविद्यालयों द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

जी नहीं ।

औचित्य नहीं है ।

जनपद मेरठ में मेरठ कालेज में वित्तीय घोटालों के संबंध में उच्च स्तरीय जांच एवं कार्यवाही की मांग

112–श्री अजय कुमार पोइया–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के दूसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–123 के उत्तर के संबंध में क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ कालेज, मेरठ की गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में विधिवत आदेशित जांच के अब तक क्या परिणाम आये हैं ? क्या सरकार जांच आख्या से सदन को अवगत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मेरठ कालेज, मेरठ की गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आदेशित विधिवत् जांच में प्राचार्य द्वारा प्रमुख रूप से निम्नलिखित अनियमिततायें की गई होनी पाई गई हैं :–

1—टाटा सूमो कार का अनधिकृत रूप से क्रय किया जाना ।

2—श्री फिरोज आलम रिजवी को महाविद्यालय में कार्य न करने देना एवं वेतन का भुगतान न किया जाना ।

3—विभिन्न कर्मचारियों को अनियमित रूप से अग्रिम दिये जाने की पुनरावृत्ति किया जाना ।

4—महाविद्यालय में 3500/–रु० के गबन के दोषी श्री राकेश कुमार को विभागीय जांच करके दंडित करने के बजाय प्रोन्नत दिया जाना ।

5—महाविद्यालय में प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति के समय वित्तीय अनियमितताओं यथा–श्री नसीरुद्दीन एवं विधिक खाते से ट्यूटर को तथा अध्यापकों एवं कर्मचारियों को विशेष भत्ते के रूप में विविध विकास व काशनमनी कोषों से अनियमित भुगतान करने, महाविद्यालय में अनियमित रूप से इंजीनियरिंग सेल खोलकर धनराशि का दुर्विनियोजन करने, रु० 550/–प्रतिमाह की दर से अनियमित वेतन का भुगतान स्वयं प्राप्त करने, महाविद्यालय के कर्मचारियों को ओवर टाइम भत्ते का भुगतान करने, रु० 11.26 लाख की सावधि जमा राशि के एफ०डी०आर० की स्थिति स्पष्ट न करने, रु० 4,33,544.53 के अग्रिमों का समायोजन न करने आदि के संबंध में कोई कार्यवाही न किया जाना । इन अनियमितताओं के लिये उत्तरदायी प्राचार्य के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने के निदेश जिलाधिकारी, मेरठ/प्राधिकृत नियंत्रक को दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

113–प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर–

[दिनांक 25-2-99 को अता० प्र० सं०–9 द्वारा उत्तरित]

राजकीय भारतीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उड़ीग, मथुरा के उत्तर पुस्तिकाओं हेतु प्राप्त शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

114–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर पुस्तिकाओं के संबंध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक/सी० एम०/वि० को०/एम–3/16031/मथुरा/98, दिनांक 11-9-98 प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

प्राप्त पत्र पर माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा जांच कराई गई । प्राप्त जांच आख्या के आधार पर प्रकरण परिषद् की परीक्षा समिति में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया । परीक्षा परिषद् द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने तथा भविष्य में राजकीय भारतीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उड़ीग, मथुरा को मूल्यांकन केन्द्र न बनाये जाने का निर्णय लिया गया है ।

जनपद सिद्धार्थनगर बुद्ध विद्यापीठ डिग्री कालेज के प्रधानाचार्य की सेवा अवधि समाप्त किन्तु कागजातों में जालसाजी कर पद पर बने रहने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

115–श्री राम विशुन आजाद–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद सिद्धार्थनगर में स्थित श्री दीनानाथ शुक्ल बुद्ध विद्यापीठ डिग्री कालेज में प्रधानाचार्य की सेवा अवधि समाप्त हो चुकी है लेकिन कागजात में जालसाजी करके जन्म तिथि पर कटिंग करके उक्त प्रधानाचार्य अब भी पद पर काबिज रहकर पद का दुरुपयोग कर रहे हैं तथा वरिष्ठतम अध्यापक को हक न मांगने के लिए धमकी दे रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जालसाज प्रधानाचार्य और उसकी जालसाजी में सहयोग करने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने जा रही है ? क्या सरकार जालसाजी करके प्रधानाचार्य बने रहने की विद्यालय

या सरकार से ली गई भुगतान राशि को उनकी पैतृक सम्पत्ति से वसूल कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला पडरौना तहसील हाटा में हरपुर मुड़िला के पास सड़क मरम्मत की मांग

116–श्री राधे श्याम सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र रामकोला, क्षेत्र पंचायत मोतीचक, तहसील हाटा, जिला पडरौना में हरपुर मुड़िला के पास इस वर्ष बाढ़ में सड़क कट गयी है ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र माह अक्टूबर, 1998 में जिलाधिकारी कुशीनगर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सड़क की मरम्मत करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सड़क की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्नगत मार्ग के चैनेज 3.10 के आगे का भाग बाढ़ से कट गया है । यह भाग जिला पंचायत के अधीन है ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

वर्ष 1998 में जनपद पिथौरागढ़ एवं चम्पावत में प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

117–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ तथा नवसृजित जिला चम्पावत में शिक्षा सत्र वर्ष 1998 में दिसम्बर, मास तक बेसिक शिक्षा परिषद में प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं ? क्या इन रिक्त पदों को भरने की सरकार की ओर से कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जनपद पिथौरागढ़ व चम्पावत में सम्मिलित रूप से प्रधानाचार्य के 184 पद एवं सहायक अध्यापक के 284 कुल 468 पद रिक्त हैं ।

जी हां ।

कार्यवाही गतिमान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद झांसी के सेवानिवृत्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के देयों का भुगतान कराने की मांग

118–श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी झांसी श्री क्षेत्रपाल शाक्य की सेवानिवृत्ति दिनांक 30-6-1995 के बाद सचिव शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन अनुभाग (1) को उनके पत्रांक 3/96-97 दिनांक 3-11-96, 4/97-98 दिनांक 27-5-97, 5/97 दिनांक 12-9-97 तथा पत्रांक 0/97-98 दिनांक 28-7-97 पेंशन व ग्रेच्युटी भुगतान करने के सम्बन्ध में प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या अभी तक उक्त देयों का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार श्री शाक्य के उक्त सभी भुगतान करना सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दालेश्वर त्यागी–

उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार पत्र दिनांक 12-9-97 तथा दिनांक 28-7-97 शिक्षा अनुभाग–1 में यद्यपि प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है तथापि श्री शाक्य का दिनांक 2-4-98 का पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उपर्युक्त सभी संदर्भों का उल्लेख है ।

श्री शाक्य का दिनांक 3-11-96 और 27-5-97 का पत्र शिक्षा अनुभाग–1 में प्राप्त हुआ है ।

जी हां ।

श्री क्षेत्रपाल शाक्य तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी, झांसी के विरुद्ध उनके उक्त कार्यकाल में बरती गई अनियमितताओं के संबंध में सी०सी०ए० के नियम 55 के अन्तर्गत गतिमान अनुशासनिक कार्यवाही उनकी सेवा निवृत्ति के उपरान्त सी०एस०आर० के अनुच्छेद 351 ए के अधीन गतिमान है । अनुशासनिक कार्यवाही गतिमान होने के कारण श्री शाक्य को अन्तिम पेंशन/ग्रेच्युटी का भुगतान अवरुद्ध है परन्तु उन्हें अन्तिम पेंशन भुगतान करने के आदेश दिनांक 13 मार्च, 1996 को निर्गत किये जा चुके हैं ।

अनुशासनिक कार्यवाही में अन्तिम निर्णय हो जाने के उपरान्त श्री शाक्य की अन्तिम पेंशन/ग्रेच्युटी का नियमानुसार भुगतान कर दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शिक्षा अनुभाग–3 के शासनादेश का क्रियान्वयन ठीक प्रकार से होने की जानकारी

119–डा० राम बाबू हरित–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश संख्या 2762/15–13–91–4(46)91, दिनांक 30 नवम्बर, 1991, शिक्षा अनुभाग–3 के आदेशों का क्रियान्वयन ठीक प्रकार से हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग इलाहाबाद द्वारा अनुसूचित जाति के एल०टी० ग्रेड में चयनित अध्यापक की तैनाती में दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

120–डा० राम बाबू हरित–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 11-4-96 को साक्षात्कारोपरान्त दिनांक 3-6-96 को कितने एल०टी०ग्रेड के अध्यापक अनुसूचित जाति के चयनित किये गये हैं ? उनकी तैनाती न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या इस विलम्ब के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग द्वारा स्नातक वेतनक्रम में कुल 1023 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का चयन किया गया है ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद प्रतापगढ़ तहसील सदर में भवनहीन जर्जर प्राथमिक/जूनियर प्राथमिक विद्यालय भवन के निर्माण की मांग

121–श्री चन्द्र नाथ सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद के सदर तहसील में भवनहीन तथा जर्जर भवन वाले प्राथमिक विद्यालय तथा जूनियर प्राथमिक विद्यालय कौन-कौन हैं ? उनके निर्माण हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

भवनहीन एवं जर्जर भवन वाले प्राथमिक विद्यालयों की सूची संलग्न है । †

जनपद में कोई भवनहीन तथा जर्जर भवन वाले जूनियर प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं ।

सदर तहसील के 24 जर्जर भवन वाले प्राथमिक विद्यालयों में से 4 जर्जर भवन वाले प्राथमिक विद्यालयों के नवीन भवन निर्माण हेतु धन आवंटित कर दिया गया है । निर्माण की कार्यवाही चल रही है ।

सदर तहसील के 15 भवनहीन प्राथमिक विद्यालयों में से 13 भवनहीन विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु धन आवंटित कर दिया गया है । निर्माण की कार्यवाही चल रही है । शेष 20 जर्जर भवन वाले तथा 2 भवनहीन प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कार्य सम्प्रति धनाभाव के कारण नहीं कराया जा सका है ।

† देखिये तत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 248-249 पर ।

प्रदेश में विगत वर्ष 1998–99 में राज्य सेक्टर सामान्य द्वारा स्वीकृत सड़कें अवमुक्त धनराशि का विवरण

122–श्री राम औतार शाक्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 1998-99 में कुल कितने किलोमीटर लम्बी सड़कें राज्य सेक्टर से स्वीकृत की गईं और उनमें से अभी तक कितने किलोमीटर लम्बी पेन्टिग स्तर की सड़कों के निर्माण हेतु धन अवमुक्त कर दिया गया है ? क्या सरकार ब्लाक बेवर जनपद मैनपुरी में बझेरा से जल्लापुर खददइया वाया गंगरवाला पेन्टिग स्तर तक राज्य सेक्टर से सड़क स्वीकृत कर पेन्टिग स्तर तक बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

राज्य सेक्टर सामान्य के अन्तर्गत वर्ष 98–99 में 304.44 कि०मी० लम्बी सड़कों की स्वीकृति प्रदान की गई है और इस पूरी लम्बाई के स्वीकृत कार्यों हेतु रु० 640.99 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है ।

राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत सम्प्रति सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ के स्थगन आदेश के उपरान्त लोक निर्माण विभाग में अनुसूचित जाति/ जनजाति के सहायक अभियन्ताओं को सेवा से निकालने में दोषी जनों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

123–डा० राम बाबू हरित–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग में आरक्षण कोटा पूर्ण न होने के बावजूद तीन वर्ष तक कार्य कर चुके अनुसूचित जाति/जनजाति के 87 सहायक अभियन्ताओं (सिविल) को मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ के आदेश संख्या–5685/ई०ए०ई०/ 8ई०ए०ई(तदर्थ)/94, दिनांक 27-8-98 के स्थगन आदेश के उपरान्त भी सेवा से निकाल दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार द्वारा अपने ही शासनादेश सं०–363/ई०वी०आर0/23-3-95–11ई०वी०आर०/ 94, दिनांक 8-2-95 का अनुपालन नहीं किया गया है ? क्या सरकार इसके लिए दोषी जनों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं । मा० उच्च न्यायालय के आदेशों का समादर करते हुये उक्त तदर्थ सहायक अभियन्ताओं को सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर दिनांक 5-2-98 से अग्रिम आदेशों तक नियुक्त रहने की स्वीकृति शासनादेश संख्या 3125 ई०बी०आर०/23-3-98, दिनांक 23 सितम्बर, 1998 द्वारा प्रदान की गई है । लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपलब्ध होने पर यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अम्बेडकर नगर, बसखारी से जहांगीरगंज सड़क पर लगे घटिया किस्म के खड़ंजे की जांच की मांग

124–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद अम्बेडकर नगर में बसखारी से जहांगीरगंज तक की मुख्य सड़क पर खड़ंजा नहीं लगाया गया है तथा वर्तमान समय में मुख्य बाजार जहांगीरगंज में लगा खड़ंजा बहुत ही घटिया किस्म का है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर सम्बन्धित अधिकारी को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नगत मार्ग के सम्पूर्ण प्रभाग में खड़न्जा नहीं लगा है । केवल जहांगीरगंज बाजार में 300 मीटर लम्बाई में 30 से०मी० चौड़ा खड़न्जा लगा है ।

जी नहीं ।

खड़न्जा कार्य लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप है । किसी अधिकारी को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अम्बेडकर नगर, जहांगीरगंज से अम्बेडकर ग्राम की सड़कों के निर्माण की अनियमितता की जांच कराकर दण्डित करने की मांग

125–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र जहांगीरगंज में अम्बेडकर ग्राम की निर्मित सड़कों में घटिया किस्म की गिट्टी एवं सामग्री का प्रयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी जांच करायेगी तथा सम्बन्धित दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दण्डित करेगी ?

श्री कलराज मिश्र–

मुख्य अभियन्ता फैजाबाद से जांच कराई जायेगी ।

जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर जांच के परिणाम के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद फिरोजाबाद के श्री के०पी० सिंह मेमोरियल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गढ़ी अफो, की बालिकाओं के लिये शुल्क क्षतिपूर्ति अनुदान की मांग

126–श्री शिव सिंह चक–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के दूसरे मंगलवार के लिये निर्धारित श्री रघुवर दयाल वर्मा के अता० प्रश्न संख्या–73 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा० रघुवर दयाल वर्मा द्वारा अपने पत्र दि० 9-9-97 के द्वारा मांगी गयी जानकारी प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

संदर्भित पत्र पर वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा को सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कर आख्या देने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय कन्या इण्टर कालेज, शाहजहांपुर में शिक्षा सत्र 1996–97 में साइकिल स्टैण्ड से प्राप्त धनराशि को प्रधानाचार्या द्वारा हड़पने की जांच की मांग

127–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या इण्टर कालेज, शाहजहांपुर में साइकिल स्टैण्ड शिक्षा सत्र 1996-97 से संचालित किये जाने हेतु प्रधानाचार्या को अधिकृत किया गया था ? क्या यह सही है कि शिक्षा सत्र 1996-97 से निरन्तर प्रधानाचार्या द्वारा छात्राओं से साइकिल

स्टैण्ड हेतु धनराशि लेकर हड़प ली गयी है ? यदि हां, तो साइकिल स्टैण्ड का ठेका किसके द्वारा लेकर चलाया गया है ? क्या सरकार जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

प्रधानाचार्या द्वारा छात्राओं से साइकिल स्टैण्ड हेतु धनराशि ली जाती थी । संबंधित ठेकेदार को भुगतान किये जाने का अभिलेख प्राप्त नहीं है । मामले की जांच की जा रही है ।

साइकिल स्टैण्ड का ठेका श्री महेश चन्द्र द्वारा चलाया गया है ।

जांच पूर्ण होने पर दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

राजकीय कन्या इण्टर कालेज, शाहजहांपुर के पूर्व कार्यवाहक प्रधानाचार्या द्वारा संचायिका का धन अवैध रूप से निकालकर व्यक्तिगत प्रयोग में लाये जाने की जांच

128–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के राजकीय कन्या इण्टर कालेज में पूर्व कार्यवाहक प्रधानाचार्या द्वारा संचायिका का धन संबंधित खातों में जमा नहीं किया गया तथा सत्र 1996-97 से निरन्तर उक्त धन अवैध रूप से निकाल कर अपने व्यक्तिगत प्रयोग में लाया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी प्रधानाचार्या के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

जांच कराई जा रही है ।

जनपद बांदा, सेमरी नाला सेतु में पहुंच मार्ग निर्माण के ठेकेदार के बकाया धनराशि का भुगतान कराने की मांग

129–श्री दद्दू प्रसाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में सेमरी नाला सेतु में पहुंच मार्ग निर्माण कार्य के ठेकेदार श्री चन्द्रभान सिंह को बकाया धन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कितना धन बकाया है ? भुगतान में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री कलराज मिश्र–

रुपये 8.50 लाख की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है । लगभग रु० 10.00 लाख की धनराशि भुगतान हेतु शेष है ।

पुनरीक्षित आगणन स्वीकृत न हो पाना तथा तदनुरूप धनावंटन प्राप्त न हो पाना ।

जनपद चित्रकूट के राजकीय आदर्श विद्यालय कर्वी क्रीड़ा मैदान में अवैध कब्जा हेतु प्रधानाचार्य के पत्र पर कृत कार्यवाही की मांग

130–श्री दद्दू प्रसाद–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आदर्श विद्यालय कर्वी, जिला–चित्रकूट के क्रीड़ा मैदान में जिला पंचायत चित्रकूट के अभियन्ताओं तथा ठेकेदारों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है ? क्या इस संबंध में राजकीय आदर्श विद्यालय कर्वी के प्रधानाध्यापक का पत्रांक 35/36/भवन/98-99/ दिनांक 6-11-98 बेसिक शिक्षा अधिकारी, चित्रकूट को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या शिक्षा अनुभाग–5 के शासनादेश सं०–2624/15-5-91-

266/91, दिनांक 15 अक्टूबर, 1991 तथा सचिव, उ० प्र० बे० शि० प० इलाहाबाद के पत्रांक बे०शि०प०/प्र०–12/16235-439/92-93 दिनांक 14-10-98 के निर्देशों का अनुपालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

जी हां ।

जिलाधिकारी तथा जिला पंचायत अध्यक्ष से प्रकरण निस्तारण हेतु सम्पर्क किया गया ।

जी हां, जिलाधिकारी को लिखित रूप से अवगत करा दिया गया है ।

कार्यवाही गतिमान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव के कतिपय मार्गों की मरम्मत हेतु प्रस्तावित आंकलन की निविदायें आमंत्रित किये जाने की जानकारी

131–श्री राम शंकर पाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद उन्नाव में बांगरमऊ–बिल्हौर मार्ग के किलोमीटर 87 से 99 तक तथा सहजनी जगत नगर मार्ग पर किलोमीटर एक से 10 तक विभिन्न प्रकार के मरम्मत कार्यों के लिये कितने लाख रुपये का आंकलन प्रस्तावित है ? प्रस्तावित आंकलन की निविदायें कब आमंत्रित हुईं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

बांगरमऊ-बिल्हौर मार्ग के कि०मी० 87 से 99 तक बाढ़ से प्रभावित तात्कालिक मरम्मत एवं अन्य कार्य हेतु लगभग 20 लाख रु० का तथा सहजनी जगत नगर मार्ग के कि०मी० 1 से 10 तक विभिन्न प्रकार की मरम्मत हेतु रु० 11.00 लाख का आंकलन है ।

जुलाई, 98 से अक्टूबर, 98 के मध्य ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर में माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा योजनान्तर्गत विषय विशेषज्ञों को प्रतिमाह भुगतान न होने में दोषी जनों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

132–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र पुरोनिधानित योजनान्तर्गत चयनित प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा में कार्यरत विषय विशेषज्ञों से प्रतिमाह, प्रति कक्षा, प्रति ट्रेड तीस व्याख्यानों का अध्यापन कार्य सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश माध्य० शिक्षा निदेशक, उ० प्र० के पत्रांक व्या०शि०/4-4505-520–97-98 दि० 6-10-97 द्वारा दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या गत सत्र में इनका परिपालन जनपद शाहजहांपुर के विषय विशेषज्ञों को प्रतिमाह 1500/- रु० की दर से भुगतान किया गया ? यदि नहीं, तो सरकार दोषी प्रधानाचार्यों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

जनपद के 7 विद्यालयों में से 5 विद्यालयों को शैक्षिक सत्र 1997–98 में मानदेय की मद में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण मात्र 5 माह की धनराशि उपलब्ध कराई गई थी, जिसे विद्यालय प्रधानाचार्यों द्वारा रु० 50/–प्रति व्याख्यान अधिकतम रु० 1500/–प्रतिमाह की दर से भुगतान किया गया। मात्र 2 विद्यालय सेठ सियाराम इण्टर कालेज जलालाबाद तथा लाला बुलाकीदास महिला इण्टर कालेज को वर्ष 1997–98 में कक्षा संचालन की सूचना प्राप्त न होने के कारण मानदेय स्वीकृत नहीं किया गया है।

संबंधित प्रधानाचार्यों का स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जनपद शाहजहांपुर के कुछ विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा योजनान्तर्गत अतिथि विषय विशेषज्ञों के मानदेय का भुगतान न किये जाने की शिकायत पर कार्यवाही की मांग

133–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक स्तर पर लागू व्यावसायिक शिक्षा योजना में अतिथि विषय विशेषज्ञों को 50/- रु० प्रति व्याख्यान की दर से (प्रतिमाह अधिकतम 1500/-) मानदेय भुगतान हेतु अनुदान प्रत्येक सत्र के अन्त में उपलब्ध कराया जाता है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि जनपद शाहजहांपुर के कुछ विद्यालयों में मानदेय मद में पर्याप्त अनुदान होने के बावजूद प्रधानाचार्यों ने प्रतिमाह भुगतान न करने तथा अपने बैंक खातों में उक्त राशि जमा कर रखी है ? किन-किन विद्यालयों में उक्त राशि बैंक खातों में होने के बावजूद प्रतिमाह नियमित भुगतान नहीं हो रहा है ? सरकार दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

व्यावसायिक शिक्षा योजनान्तर्गत अतिथि विषय विशेषज्ञों को रु० 50/–प्रति व्याख्यान रु० 1500/– अधिकतम मानदेय दिये जाने की व्यवस्था है।

दो विद्यालय लाला बुलाकीदास महिला इण्टर कालेज तिलहर तथा सेठ सियाराम इण्टर कालेज जलालाबाद को वर्ष 1997–98 में कक्षा संचालन की सूचना प्राप्त न होने के कारण मानदेय स्वीकृत नहीं किया गया था। लाला बुलाकीदास महिला इण्टर कालेज तिलहर में गत वर्षों में स्वीकृत मानदेय में से अवशेष धनराशि बैंक खाते में जमा थी, जिसमें से 1997–98 में मानदेय का भुगतान प्रधानाचार्य द्वारा नहीं किया गया।

लाला बुलाकीदास महिला इण्टर कालेज तिलहर शाहजहांपुर।

इस संबंध में संबंधित प्रधानाचार्य से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

आदर्श विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों को प्रोन्नति प्रदान करने की मांग

134–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि आदर्श विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों को पदोन्नति के लाभ से वंचित रखा गया है? यदि हां, तो इस विसंगति के क्या कारण हैं और आदर्श विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों को कब तक प्रोन्नत कर दिया जायेगा ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी ब्लाक बेवर में जूनियर हाई स्कूल बनाने हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

135–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम नगला टांकन मौजा मल्लामई ब्लाक बेवर, जनपद मैनपुरी में बेसिक शिक्षा परिषद् का जूनियर हाई स्कूल बनाये जाने विषयक पत्र मा० मुख्य मंत्री जी को पत्रांक एम–3/19763पी/मैनपुरी, दिनांक 30-10-98 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

विद्यालय स्वीकृत कर दिया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जनपद अल्मोड़ा द्वाराहाट के तीन इण्टर कालेजों में कार्यरत अध्यापकों के स्थानान्तरण की जानकारी

136–श्री राम अचल राजभर–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1997 के 3सरे मंगलवार हेतु निर्धारित अता० प्रश्न संख्या–4 के उत्तर के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सचिव माध्यमिक शिक्षा को प्राप्त लोक शिकायत अनुभाग–3 के पत्र संख्या–अल्मो०–880/ लो०शि०–3/96 दिनांक 19-9-96 में निहित निर्देशों के अनुपालन में किस तिथि को किस अधिकारी से जांच करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? रा० इ० का० द्वाराहाट के अध्यापकों के विरुद्ध कितने शिकायती पत्र विभाग में प्राप्त हुए ? प्राप्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ? शिकायती पत्रों में उल्लिखित अध्यापकों का प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण न किये जाने का क्या कारण है ? क्या शासन की नीतिनुसार 10 वर्षों से अधिक समय से तैनात अध्यापकों का जनहित में स्थानान्तरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद अल्मोड़ा में कुमायूं इंजीनियरिंग कालेज द्वाराहाट में भूमि अध्याप्ति परिवारों को सेवायोजित करने की जानकारी

137–श्री राम अचल राजभर–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 97 के 4 थे मंगलवार हेतु निर्धारित अता०प्र०सं०–113 के उत्तर के संदर्भ में क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमायूं इन्जीनियरिंग कालेज में सेवायोजन हेतु भूमि अध्याप्ति परिवार से संबंधित सदस्यों के प्राप्त पत्रों पर प्राचार्य द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? क्या भूमि अध्याप्ति परिवार के सदस्य श्री सुन्दर सिंह का संस्थान में नियमित/दैनिक वेतन में नियुक्ति हेतु प्रार्थना-पत्र शासन, शासन के माध्यम से प्राचार्य को प्राप्त हुये ? यदि हां, तो उन पत्रों पर प्राचार्य द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवार के लगभग 1000 सदस्यों के सेवायोजन संबंधी आवेदन-पत्र विभिन्न स्तरों से प्राप्त हुये हैं, जबकि वर्ष 1995 तक चतुर्थ श्रेणी के मात्र 18 पद सृजित हैं जिनमें से 14 पदों पर भूमि अधिग्रहण से प्रभावित सदस्यों को नियुक्त किया गया है । पद सीमित होने के कारण प्रत्येक पत्र पर प्राचार्य द्वारा कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है ।

जी हां ।

वर्ष 1995 के बाद चतुर्थ श्रेणी का कोई भी पद सृजित न हो पाने के फलस्वरूप इन आवेदन-पत्रों पर कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया, नहर पटरी योजनान्तर्गत कार्यों में अनियमितता पर कार्यवाही की जानकारी

138–श्री राजधारी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में नहर पटरी योजना में पूरे नहर पर कराये जा रहे कार्यों में निर्धारित मानक से कंकरीट आदि का कार्य किया जा रहा है ? क्या उक्त मार्ग के निरीक्षण के समय अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता द्वारा कोई अनियमितता पायी गयी है ? यदि हां, तो दोषी जनों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी हां । प्रकरण की जांच कराई जा रही है । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद हरदोई, बिलग्राम छिबरामऊ रोड से फतेहंका तक सड़क निर्माण कराने की मांग

139–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत बिलग्राम छिबरामऊ रोड से बाण्ड फरेहंका तक खण्डंजा का मार्ग न बना होने के कारण जनता को आवागमन में असुविधा होने के साथ उनके विकास का मार्ग अवरुद्ध है ? क्या जनहित में सड़क का निर्माण सरकार द्वारा करवाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत सम्भव नहीं है ।

जनपद लखनऊ वर्ष 1998 में 140 अध्यापकों से रिश्वत लेकर स्थानान्तरण एवं समायोजन किये जाने की जांच

140–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में प्राथमिक विद्यालय के वार्षिक स्थानान्तरण (सितम्बर/अक्टूबर, 1998) में 140 अध्यापकों के स्थानान्तरण एवं समायोजन रिश्वत

लेकर किये जाने पर क्या जांच चल रही है ? यदि हां, तो क्या उस पर अब तक जांच की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

नवम्बर, 1998 में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालयों के 106 सहायक अध्यापकों का जो मानक से अधिक कार्यरत थे विशेष समायोजन किया गया । इस संबंध में कुछ प्रत्यावेदन/शिकायतें प्राप्त हुये हैं, जिनकी जांच चल रही है ।

जांच गतिमान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

141–श्री अजय कुमार पोइया–

[मा० सदस्य द्वारा वापस लिया गया ।]

जनपद मथुरा के राजकीय भारतीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अडींग के अध्यापकों को सरकारी सेवा में आमेलित किये जाने हेतु प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

142–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय भारतीय उ०मा० विद्यालय अडींग मथुरा के अध्यापकों को सरकारी सेवा में आमेलित किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक : सी०एम०/वि०को/एम०–3/मथुरा/98, दिनांक 17–11–98 प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

राजकीय सेवा में अध्यापकों की सेवाओं का आमेलन हेतु नियमों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दे दिये गये हैं ।

जनपद झांसी में विपिन बिहारी महाविद्यालय के प्राध्यापकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने पर कार्यवाही की मांग

143–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा महाविद्यालय के प्राध्यापकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन किये जाने पर प्रतिबन्ध किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रतिबन्ध का अनुपालन विपिन बिहारी महाविद्यालय, झांसी के प्राध्यापकों द्वारा किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार प्रतिबन्ध का उल्लंघन करने वाले प्राध्यापकों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बहराइच में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण में व्यय की गई धनराशि में अनियमितता की जांच की मांग

144–श्री दिलीप कुमार वर्मा–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में वन विभाग में वर्ष 1993 से अब तक वृक्षारोपण में कुल कितनी धनराशि कहां-कहां व्यय की गई है ? उसका वर्षवार व्योरा क्या है ? क्या उक्त वृक्षारोपण में व्यय की गई धनराशि में अनियमिततायें की गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

बहराइच जनपद के अन्तर्गत वर्ष 1993 में वर्ष 1998 तक कुल 9218.937 हे० में वृक्षारोपण किया गया जिसके लिये रु० 690.68 लाख धनराशि व्यय की गई । उपरोक्त धनराशि चकिया, भिन्गा, बहराइच, पूर्वी मोहलवा, कैमरगंज, वर्दा, ककरदरी, पश्चिमी सोहलवा, तेजवापुर, नानपारा, रुपईडीहा, अब्दुल्लागंज, ककरहा, मोतीपुर, मुर्तिहा, धर्मापुर, निशानगाड़ा रेंजों में व्यय की गई है ।

वर्षवार व्योरा निम्न प्रकार है :–

वर्ष	क्षेत्रफल हे० में	धनराशि (लाख में)
1993	1342.647	48.92
1994	1022.290	68.51
1995	2100.000	169.76
1996	3917.000	341.73
1997	205.000	15.94
1998	632.000	45.82
योग :	9218.937	690.68

कतिपय मामलों में अनियमितता प्रकाश में आई है ।

वृक्षारोपण का सतत निरीक्षण एवं अनुश्रवण प्रभाग स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के उच्च स्तरीय अधिकारियों एवं विभिन्न अनुश्रवण/मूल्यांकन इकाइयों द्वारा किया जाता है । अनियमितता की जानकारी संज्ञान में आने पर भी उसकी जांच करवाई जाती है । प्रश्नगत वृक्षारोपणों में से कतिपय मामलों में कराये गये अग्रिम मृदा कार्य/वृक्षारोपण में कमी की जानकारी होने पर दोष/उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु उच्च स्तरीय जांच कराकर वन कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गई है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद एटा के लोक निर्माण विभाग (कासगंज) के अम्बेडकर ग्राम कार्यों के सम्पर्क मार्ग निर्माण में अनियमितता हेतु प्राप्त शिकायती-पत्र

145–श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15-11-97 जो कि जनपद एटा के लोक निर्माण विभाग (कासगंज एटा) द्वारा विकास खण्ड सहावर में अम्बेडकर ग्राम कार्यों के सम्पर्क मार्ग के निर्माण में की गई अनियमितता के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15-11-97 नहीं वरन् पत्र दिनांक 25-10-97 प्राप्त हुआ है जिस पर मुख्य अभियन्ता आगरा से जांच कराई गई । जांच में आरोप निराधार पाये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला पिथौरागढ़ व चम्पावत में कृषि की शिक्षा देने हेतु नये इण्टरमीडिएट कालेज खोलने की मांग

146–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेः जिला–पिथौरागढ़ व नव सृजित जिला चम्पावत में कुल कितने इण्टरमीडिएट कालेज हैं जिनमें कृषि विषय की शिक्षा दी जा रही है ? क्या सरकार इन जिलों में नये इण्टरमीडिएट कालेज कृषि विषय के साथ खोलने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जिला पिथौरागढ़ व नवसृजित जिला चम्पावत के किसी भी विद्यालय में इण्टरमीडिएट स्तर पर कृषि विषय की शिक्षा नहीं दी जा रही है ।

सीधे इण्टरमीडिएट कालेज खोलने की सरकार की कोई नीति नहीं है । किसी माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय द्वारा इण्टर कृषि वर्ग हेतु मान्यता आवेदन-पत्र दिये जाने पर उपरोक्त कक्षायें खोलने की अनुमति प्रदान कर दी जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापकों को बी०टी०सी० पाठ्यक्रम पत्राचार के माध्यम से कराये जाने के संबंध में जानकारी

147–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सचिव, बेसिक शिक्षा द्वारा दिनांक 6-9-94 को मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिये दो वर्षीय बी०टी०सी० पाठ्यक्रम पत्राचार के माध्यम से प्रशिक्षित करने के आदेश किये थे ? यदि हां, तो क्या इसका अनुपालन कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बुलन्दशहर में बी०टी०सी० पत्राचार की परीक्षा का परिणाम घोषित किये जाने की जानकारी

148–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बुलन्दशहर में बी०टी०सी० पत्राचार पाठ्यक्रम की परीक्षा हेतु दिनांक 1-11-96 से 15-11-96 के मध्य कितने

अप्रशिक्षित अध्यापकों के फार्म जमा कराये गये ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि क्या उक्त परीक्षा सम्पन्न कर परिणाम घोषित कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

121 आवेदन पत्र जमा कराये गये ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत अध्यापक अर्ह नहीं पाये गये क्योंकि विभाग द्वारा उनकी नियुक्ति अनुमोदित नहीं है ।

जनपद हरदोई, मल्लावां के उन्नाव रोड पर कतिपय ग्रामों के मार्गों पर खड़ण्जा बिछवाने की मांग

149–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत उन्नाव रोड पर बरहुआ के पुरवा होते हुए ग्राम अकबरपुर होते हुए फुलई तक तीन कि०मी० पर खड़ण्जा बिछा न होने के कारण जनता को आवागमन में घोर असुविधा होने के साथ ही विकास का मार्ग भी अवरुद्ध है ? क्या सरकार उक्त मार्ग पर खड़ण्जा बिछवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत सम्भव नहीं है ।

जनपद हरदोई, मल्लावां के बढ़नपुर खदरियापुर से नौमलिकपुर तक खड़ण्जा बिछवाने की मांग

150–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत बढ़नपुर खदरियापुर होते हुये नौमलिकपुर तक दो कि०मी० पर सड़क न होने के कारण जनता को आवागमन में घोर असुवि होने के साथ ही विकास का मार्ग भी अवरुद्ध है ? क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग पर खड़ण्जा बिछवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत सम्भव नहीं है ।

जनपद हरदोई, मल्लावां के माधोगंज रोड से छीखेड़ा तक खड़ण्जा बिछवाने की मांग

151–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां नि०क्षे० के अन्तर्गत माधोगंज रोड से छीखेड़ा तक एक कि०मी० सड़क का मार्ग न बने होने के कारण जनता को आवागमन

में घोर असुविधा होने के साथ ही विकास का मार्ग भी अवरुद्ध है ? क्या जनहित में उक्त मार्ग पर खड़ंजा बिछवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत स्वीकृति प्रदान करना सम्भव नहीं है ।

152–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

[3रे शुक्रवार में अता०प्र०सं० 179 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]]

153–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

[3रे शुक्रवार में अता०प्र०सं० 173 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]]

जनपद बरेली में नये विद्यालय खोलने के साथ अध्यापकों के रिक्त पदों को पूर्ण करने की मांग

154–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998-99 में प्रदेश में कितने प्राइमरी विद्यालय खोले जाने का लक्ष्य है, उनमें जनपद बरेली में कितने विद्यालय खोले जायेंगे ? क्या नये खोले जाने वाले प्राइमरी विद्यालयों में अध्यापकों के पदों के सृजन व रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

वर्ष 1998–99 में प्रदेश में कुल 1777 प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का लक्ष्य है ।

वर्ष 1998–99 में 60 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का लक्ष्य है ।

प्रधानाध्यापक के सृजित पदों पर तैनाती कर दी गई है । सहायक अध्यापक के पदों के सृजन की कार्यवाही गतिमान है ।

जनपद फिरोजाबाद विकास खण्ड नारखी में निर्मित सड़कों की गुणवत्ता के निरीक्षण में दोषी अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

155–श्री संजधारी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद जनपद के नारखी विकास खण्ड में प्रभारी राज्य मंत्री माननीय रामपाल राजवंशी द्वारा दिनांक 29-7-98 को नवनिर्मित सड़कों की गुणवत्ता का निरीक्षण किया था और मौके पर 16 से०मी० मोटाई के स्थान पर 9 से 10 से०मी० मोटाई की सड़कें निर्मित पायी गयी थीं ? यदि हां, तो संबंधित अभियन्ताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

ऐसी कोई जानकारी लोक निर्माण विभाग को प्राप्त नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल महावन मथुरा की सहायक अध्यापिका श्रीमती मधुबाला कुशवाहा के वेतन भुगतान हेतु प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

156–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती मधुवाला कुशवाहा, सहायक अध्यापिका, राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल, महावन मथुरा को वेतन भुगतान कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक : सी०एम०/वि०को०/एम–1/18213/मथुरा/98. दिनांक 17-11-98 प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

कार्यवाही विचाराधीन है ।

157–श्री राजेन्द्र सिंह–

[3रे शुक्रवार में अता०प्र०सं०–174 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जनपद देहरादून के राजकीय महाविद्यालय डाईवाला को संचालित कराने की मांग

158–श्री राजेन्द्र सिंह–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद देहरादून के डाईवाला में स्वीकृत राजकीय महाविद्यालय को कब तक संचालित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

संचालित करना फिलहाल संभव नहीं है ।

उत्तरांचल विकास विभाग द्वारा पद सृजन न हो पाने के कारण ।

159–श्री राजेन्द्र सिंह–

[3रे शुक्रवार में अता० प्र० सं०–175 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

160–श्री राजेन्द्र सिंह–

[3रे शुक्रवार में अता० प्र० सं०–176 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

टिहरी गढ़वाल के स्थान पर लम्बगांव एवं अंजनी सैंण में नये राजकीय महाविद्यालय खोलने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

161–श्री लाखीराम जोशी–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 9 मार्च, 1998 के सन्दर्भ में प्रश्नकर्ता को उन्होंने अपने पत्रांक शि० मं० 79/सत्तर–5–98. दिनांक 26 अप्रैल, 1998 द्वारा अवगत कराया था कि जिला टिहरी गढ़वाल के स्थान लम्बगांव एवं अंजनी सैंण में नये राजकीय महाविद्यालय खोलने के संबंध में आवश्यक निर्णय उत्तरांचल विकास विभाग से परामर्श प्राप्त होने के उपरान्त लिया

जायेगा ? यदि हां, तो क्या उतरांचल विकास विभाग से परामर्श प्राप्त कर लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त दोनों राजकीय महाविद्यालय कब तक स्वीकृत कर स्थापित कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

वित्तीय वर्ष 98–99 में उक्त महाविद्यालयों की स्थापना करने का औचित्य नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा के पी०एम०एक्स० पालीटेक्निक कालेज के प्रधानाचार्य के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

162–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा स्थित पी०एम०एक्स० पालीटेक्निक कालेज के प्रधानाचार्य के विरुद्ध जांच कराये जाने विषयक विधायक प्रकोष्ठ का पत्रांक सी०एम०/ वि०को०/एम–1/18209/मथुरा/98, दिनांक 17-11-98 प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

प्रधानाचार्य पी०एम०एक्स पाली०, मथुरा के विरुद्ध विभिन्न आरोपों के संदर्भ में अनुशासनिक कार्यवाही करते हुये उनको दण्डित किया गया है ।

जनपद मथुरा के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में घोटाले हेतु प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

163–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अडींग मथुरा स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में घोटालों के संबंध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम–3/18229/मथुरा/98, दिनांक 17-11-98 प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गई ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

शिकायतों की आडिट हो चुकी है अनुपालन आख्या प्राप्त की जा रही है ।

लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षकों पर यौन शोषण के आरोप के विरुद्ध कृत कार्यवाही की जानकारी

164–श्री समरपाल सिंह–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में कुछ शिक्षकों के विरुद्ध यौन-शोषण का आरोप है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी· हां । लखनऊ विश्वविद्यालय के दो शिक्षकों (डा० जी०एस० भदौरिया, प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग तथा श्री ज्ञानेन्द्र शुक्ला, कला एवं शिल्प महाविद्यालय) के विरुद्ध यौन शोषण संबंधी आक्षेप प्राप्त हुये थे । प्राप्त आक्षेप-पत्र पर विश्वविद्यालय के कार्य-परिषद् विचार किया गया और कार्य-परिषद् द्वारा दोनों प्रकरणों के लिये-अलग-अलग अनुशासनिक समितियां गठित की गई थीं । अनुशासनिक समिति की अनुसंशा पर डा० जी०एस० भदौरिया को निलम्बित कर दिया गया है तथा प्रकरण अनुशासनिक समिति के विवेचनाधीन है । जबकि श्री ज्ञानेन्द्र शुक्ला के संबंध में अनुशासनिक समिति की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

जनपद हरदोई में बाढ़ से प्रभावित सड़कों की मरम्मत हेतु प्राप्त धनराशि की जानकारी

165–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ के कारण प्रभावित सड़कों को तत्काल पुनर्स्थापित करने के लिये जनपद हरदोई में कोई ठोस कार्यक्रम बनाया गया है ? यदि हां, तो वह क्या है ? इसके लिये सरकार ने जनपद हरदोई को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

उपलब्ध संसाधनों से मार्गों की मरम्मत कराई गई है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्नगत कार्यों हेतु रु० 38 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई, मल्लावां के विकास खण्ड माधोगंज के ग्राम मवैया में भवन विहीन प्राइमरी पाठशाला के निर्माण की मांग

166–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड माधोगंज के ग्राम मवैया में प्राइमरी पाठशाला लगभग पैंतिस वर्षों से चल रही है जहां बच्चों को बैठने के लिये भवन नहीं बनाया गया है ? क्या छात्रों के हित में सरकार उक्त पाठशाला का भवन निर्मित करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

वर्ष 88–89 में एन०आर०ई०पी० योजनान्तर्गत भवन निर्माण स्वीकृत हुआ था परन्तु निर्माण इकाई द्वारा भवन निर्माण नहीं कराया गया ।

जी हां ।

वर्ष 98–99 में प्राथमिक विद्यालय मवैया के लिये धन स्वीकृत कर दिया गया है तथा धनराशि ग्राम शिक्षा समिति के खाते में स्थानान्तरित कर दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कानपुर के कतिपय जूनियर हाई स्कूलों के अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने की जानकारी

167–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइवेट शिक्षण संस्थान को शासन की ओर से छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक छात्रों हेतु नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि नेहरू जू०हा०स्कूल, 306 मारपुर कैण्ट कानपुर, मोहनदास कर्मचन्द गांधी हा० से०, गणेश जू० हा० स्कूल मूलगंज में धन आता है परन्तु वितरित नहीं होता है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं । छात्रवृत्ति दी जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रकरण की जांच की गई है वितरण में कोई अनियमितता नहीं पाई गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली में विकास खण्ड नवाबगंज व भदपुरा के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण की जानकारी

168–श्री छोटेलाल गंगवार–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1997–98 में जनपद बरेली में कितने प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत किये गये हैं ? क्या विकास खण्ड नवाबगंज व भदपुरा के सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण करा दिया गया है और शिक्षण कार्य चल रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

वर्ष 97–98 में बरेली जनपद में 60 प्राथमिक विद्यालय एवं 33 उच्च प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत किये गये हैं ।

विकास खण्ड नवाबगंज व भदपुरा के 8 प्राथमिक एवं 7 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 8 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण गतिमान है, 7 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, दूसरे के लिये धन की व्यवस्था कर दी गई है एवं अवशेष 5 विद्यालयों हेतु धन की व्यवस्था की जा रही है ।

8 प्राथमिक व 2 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारम्भ हो चुका है । शेष 5 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने की व्यवस्था की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

169–170–श्री लाखीराम जोशी–

[3रे शुक्रवार में अता०प्र०सं० 177 व 178 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जनपद झांसी में उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम की सूती मिल इकाई को चालू कराने तथा कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान की जानकारी

171–श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य वस्त्र निगम, झांसी की सूती मिल इकाई कब से बन्द है ? क्या उक्त मिल को चालू किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त मिल के कर्मचारियों का कितने माह का वेतन बकाया है ? क्या उनके बकाया वेतन का भुगतान किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

कताई मिल झांसी नवम्बर, 1997 से बन्द है ।

उ०प्र० राज्य वस्त्र निगम समूह की इकाईयों का अध्ययन इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट लखनऊ से कराने का निर्णय लिया गया है । उक्त अध्ययन की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त कार्यवाही की जायेगी ।

कताई मिल झांसी के कर्मचारियों को माह अगस्त, 98 तक वेतन/लेआफ का भुगतान कर दिया गया है ।

उक्त अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद सन्त रविदास नगर स्थित काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय में पांच विषयों की नवीनीकरण के उपरान्त स्थायी मान्यता दिये जाने की मांग

172–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सन्त रविदास नगर में एक मात्र रा० विद्यालय में कुछ विषयों की अस्थाई मान्यता समय पर नवीनीकरण न होने पर समाप्त कर दिया गया है जिससे छात्रों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? क्या सरकार की नीति द्वारा ऐसे विषयों को स्थाई मान्यता नहीं दी जा सकती ? यदि ऐसी व्यवस्था है तो काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय में पिछले दिनों पांच विषयों की नवीनीकरण के बाद स्थाई मान्यता दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

सम्बद्धता श्री कुलाधिपति महोदय के आदेश दि० 2-12-98 द्वारा दि० 30-6-2000 तक विस्तृत की जा चुकी है । अतः छात्रों के समक्ष कठिनाई का प्रश्न नहीं है ।

स्थाई सम्बद्धता विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण दल की आख्या के उपरान्त विश्वविद्यालय की संस्तुति पर श्री कुलाधिपति द्वारा प्रदान की जाती है ।

जी हां ।

स्थायी सम्बद्धता विश्वविद्यालय की संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात् ही किया जाना सम्भव है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

173-श्री सत्य प्रकाश सोनकर-

[5वें बुधवार में अता० प्र० सं० 186 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

कुमायूं मण्डल के अध्यापकों की भांति गढ़वाल मण्डल के अध्यापकों को भी लाभ दिये जाने की मांग

174-श्री मोहन सिंह रावत गांववासी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आदर्श विद्यालय से संलग्न दीक्षा विद्यालय के अध्यापकों की सी०टी० संवर्ग में गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत 50 प्रतिशत कोटे में पदोन्नति की गई ? क्या वर्ष 1989 में सी०टी० संवर्ग समाप्त होने पर गढ़वाल मंडल के दीक्षा विद्यालयों से संबंधित अध्यापकों की 10 वर्ष की सेवा पर बी०टी०सी० से एल०टी० में संविलीन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि कुमायूं मण्डल के राजकीय आदर्श विद्यालयों के समस्त अध्यापक सी०टी० से 10 वर्ष की नियमित व सन्तोषजनक सेवा के उपरान्त एल०टी० में संविलीन हो गये हैं ? यदि हां, तो गढ़वाल मण्डल में ऐसे पदधारी व इसी प्रकृति के शिक्षकों को उक्त लाभ अभी तक क्यों नहीं दिया गया ? उक्त लाभ कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री बालेश्वर त्यागी-

राजकीय आदर्श विद्यालय से दीक्षा विद्यालय संलग्न नहीं थे अपितु दीक्षा विद्यालयों से राजकीय आदर्श विद्यालय संलग्न रहे । दीक्षा विद्यालय अब टूट गये हैं । शासनादेश सं० 1371/15-2-91-27(88)/89 दिनांक 19-2-91 द्वारा सी०टी० संवर्ग को मृत घोषित करने से पूर्व दी गई ।

बी०टी०सी० से सीधे एल०टी० वेतनक्रम में पदोन्नति का कोई नियम नहीं है । अतः बी०टी०सी० से एल०टी० में संविलियन किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां, 10 अध्यापकों का संविलियन किया गया है ।

बी०टी०सी० से सीधे एल०टी० में पदोन्नति तथा परिणामी अधियाचन का नियम न होने के कारण ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिलाधिकारी जौनपुर द्वारा फर्जी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों के सत्यापन हेतु संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य का बयान लेने के संबंध में जानकारी

175-श्री अफजाल अहमद-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद की स्थानीय अभिसूचना इकाई ने 17-6-97 को जिलाधिकारी, जौनपुर को फर्जी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों के सत्यापन हेतु संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य का बयान भी संलग्न कर प्रेषित किया गया है ? यदि हां, तो शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों के बारे में प्राचार्य के बयान क्या हैं ? क्या प्राचार्य का बयान नहीं लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सिद्धार्थनगर में श्री कृष्ण करुणाकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सकारपार में कार्यरत शिक्षकों की नियुक्ति आरक्षण सेक्टर प्रणाली द्वारा कराने की जानकारी

176-श्री लालमणि प्रसाद-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिद्धार्थनगर जनपद में श्री कृष्ण करुणाकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सकारपार में कौन-कौन से अध्यापक कार्यरत है ? क्या इस विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की नियुक्ति आरक्षण रोस्टर प्रणाली के अन्तर्गत की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

श्री कृष्ण करुणाकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सकारपार, सिद्धार्थ नगर में निम्नलिखित 15 अध्यापक कार्यरत हैं :–

1–श्री अम्मन प्रसाद मिश्र

2–श्री दया शंकर मिश्र

3–श्री मु० खलील खां

4–श्री श्यामधर मिश्र

5–श्री नन्द लाल चतुर्वेदी

6–श्री देव नारायण यादव

7–श्री नन्द लाल प्रसाद

8–श्री दिवाकर मिश्र

9–श्री राम रक्षा मिश्र

10–श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र

11–श्री तीर्थराव वर्मा

12–श्री तामेश्वर प्रसाद पाण्डेय

13–श्री परमात्मा प्रसाद मिश्र

14–श्री अर्जुन प्रसाद यादव

15–श्री आत्मा प्रसाद पाण्डेय

जी नहीं ।

प्रश्नगत विद्यालय वर्ष 1996 अप्रैल, से अनुदान सूची पर लिया गया है । संयुक्त शिक्षा निदेशक, गोरखपुर के आदेश दिनांक 28-1-98 द्वारा संस्था के जूनियर हाईस्कूल स्तर पर कार्यरत शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के अध्याय–2 विनियम–4 के अन्तर्गत अनुमन्यता प्रदान की गयी है ।

उत्तरांचल के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/इण्टर कालेजों में प्रवक्ता/प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों पर नियुक्तियों की मांग

177–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि उत्तरांचल में रा०उ०मा०विद्यालय, इण्टर कालेजों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो जिलेवार किन-किन रा०उ०मा० विद्यालयों, इण्टर कालेजों में एल०टी० ग्रेड प्रवक्ता एवं प्रधानाचार्य के पद रिक्त हैं ? क्या सभी रिक्त पदों पर तत्काल नियुक्तियां होंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां । प्रश्नगत रिक्त पदों का जनपदवार/विद्यालयवार विवरण जो 96 पृष्ठों का है, मेरे कार्यालय कक्ष में माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ उपलब्ध है । प्रश्नगत रिक्त पदों पर नियुक्तियों की कार्यवाही गतिमान है ।

178–श्री हरदेव सिंह–

[3रे शुक्र में अता० प्र० सं० 196 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

हाईस्कूल/इण्टर कालेजों के प्रबन्धक, प्रबन्ध समिति में मंत्रि-परिषद् के सदस्यों की संख्या एवं वर्ष 1998 की परीक्षा में उपरोक्त केन्द्रों पर अनुचित साधन निवारण कानून के मामलों की जानकारी

179–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मंत्रि-परिषद् के कितने सदस्य विभिन्न हाई स्कूलों तथा इण्टर कालेजों के प्रबन्धक अथवा प्रबन्ध समिति में हैं तथा उनमें से कितने स्कूल/कालेज 1998 की माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं के केन्द्र थे ? इन केन्द्रों पर अनुचित साधन निवारण कानून के कितने मामले प्रकाश में आये ?

डा० नैपाल सिंह–

प्रदेश मंत्री मण्डल के 18 सदस्य 26 हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट कालेजों के प्रबन्धक हैं ।

वर्ष 1998 में 22 कालेज परीक्षा केन्द्र बनाये गये ।

48 छात्रों के मामले प्रकाश में आये ।

जनपद मैनपुरी के प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूल के भवन निर्माण हेतु आवंटित धन से निर्माण कार्य न कराने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

180–श्री बाबूराम यादव–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1996-97 एवं वर्ष 1997-98 में मैनपुरी जनपद में किन-किन प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाईस्कूल के भवन निर्माण हेतु धन आवंटित किया गया ? इनमें से कितने भवन अब तक पूर्ण निर्मित हो चुके हैं और कौन-कौन अभी अपूर्ण हैं ? अपूर्ण होने के क्या कारण हैं ? जिन भवन निर्माणकर्ताओं ने पूरा धन लेकर अभी तक निर्माण कार्य नहीं किये है क्या उनके विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

वर्ष 96-97 में 199 प्राइमरी पाठशाला एवं 14 जूनियर हाईस्कूल एवं 97-98 में 8 प्राइमरी पाठशाला एवं 11 जूनियर हाईस्कूलों के लिये भवन निर्माण हेतु धन आवंटित किया गया । सूची संलग्न है ।† वर्ष 96-97 के 81 प्राइमरी पाठशाला एवं 4 जूनियर हाईस्कूल भवन पूर्ण हो चुके हैं, शेष अपूर्ण हैं । वर्ष 97-98 के 11 जूनियर हाईस्कूल व 8 प्राइमरी पाठशालाओं के भवन अपूर्ण हैं ।

प्राइमरी भवनों पर सुनिश्चित रोजगार योजना का 60 प्रतिशत अंश 110 विद्यालयों का अभी तक प्राप्त नहीं हो पाने के कारण भवन अपूर्ण हैं ।

भवन निर्माण पूर्ण न करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

†(देखिये नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ 251 पर)

पौड़ी गढ़वाल में फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति की जांच

181–श्री मोहन सिंह रावत ''गांववासी''–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पौड़ी गढ़वाल जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति करने के लिए दोषियों को दण्डित करने हेतु मा० मुख्य मंत्री ने दिनांक 15-4-98 को कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे ? यदि हां, तो क्या नियुक्ति करने वाले अधिकारियों को दण्डित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जांच की कार्यवाही गतिमान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई ग्राम सिराली के सहायक अध्यापक द्वारा प्राइमरी पाठशाला भवन निर्माण कराये जाने हेतु शासकीय धनराशि का गबन किये जाने के संबंध में कार्यवाही की मांग

182–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के थाना कासिमपुर अन्तर्गत ग्राम सिराली की प्राइमरी पाठशाला भवन निर्माण कराये जाने हेतु लगभग एक लाख रुपया निर्माणकर्ता सहायक अध्यापक श्री प्रभाशंकर तथा ग्राम प्रधान सिराली द्वारा शासकीय धनराशि आहरित करके गबन कर लिए जाने के संबंध में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, बेन्हन्दर द्वारा दिनांक 10-10-98 को मुकदमा अपराध संख्या 13/98 धारा 406/409 आई०पी०सी० के अन्तर्गत पंजीकृत कराया गया है ? यदि हां, तो पुलिस द्वारा अब तक अभियुक्तों को गिरफ्तार न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार इस विलम्ब के लिए दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

रामगंगा कमाण्ड भूमि संरक्षण इकाई के कर्मचारियों द्वारा कराये गये कार्यों में की गयी अनियमितता की जांच की मांग

183–श्री श्रीराम पाल–

क्या क्षेत्रीय विकास एवं परती भूमि विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन में कार्यरत रामगंगा कमाण्ड भूमि संरक्षण इकाई के भूमि संरक्षण अधिकारी तथा कुछ अन्य कर्मचारियों को उनके द्वारा कराये गये कार्यों में अनियमितताओं के कारण वर्ष 1997–98 में निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो क्या उनकी सेवायें पुनः बहाल कर दी गयी हैं ? जिन कार्यों में अनियमिततायें की गयी थीं क्या उनकी उच्च स्तरीय जांच करायी गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

क्षेत्रीय विकास एवं परती भूमि विकास मंत्री (श्री मण्डलेश्वर सिंह)–

जी हां । वर्ष 1997-98 में रामगंगा कमाण्ड की भूमि संरक्षण इकाई डी० पी० ए० पी० उरई में कार्यरत तत्कालीन भूमि संरक्षण अधिकारी, अवर अभियन्ता एवं सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक को उनके द्वारा कराये गये कार्यों में अनियमितता पाये जाने के फलस्वरूप निलम्बित किया गया था ।

जी हां ।

जी हां । मामले में अर्न्तग्रस्त अवर अभियन्ता एवं सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक के विरुद्ध सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए रामगंगा कमाण्ड द्वारा जांच करायी गयी । जांच आख्या के आधार पर तत्कालीन आयुक्त एवं प्रशासक, रामगंगा कमाण्ड के आदेश दिनांक 7-8-98 द्वारा उक्त कर्मियों को सवेतन बहाल करते हुए रु० 859/- के अधिक भुगतान के वसूली के आदेश दिये गये । इसके अतिरिक्त मामले में अर्न्तग्रस्त भूमि संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित है जिसके अन्तर्गत अपचारी अधिकारी पर आरोप पत्र तामील कराया जा चुका है । संबंधित भूमि संरक्षण अधिकारी को अनन्तिम रूप से शासनादेश दिनांक 14-7-1998 द्वारा बहाल कर दिया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद मथुरा में सचिव, जवाहर कृषि एवं खादी ग्रामोद्योग संस्थान जतीपुरा को भूमि एवं नलकूपों का कब्जा दिलाने हेतु प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

184–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या क्षेत्रीय विकास एवं परती भूमि विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के श्री करन सिंह बघेल, सचिव, जवाहर कृषि एवं खादी ग्रामोद्योग संस्थान जतीपुरा को भूमि एवं दो नलकूपों का कब्जा दिलाने विषयक वि० कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/विको/एम3–12589/मथुरा/98. दिनांक 29-6-98 जिलाधिकारी, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मण्डलेश्वर सिंह–

जी हां ।

उल्लेखनीय है कि मण्डलीय विकास निगम लि०, आगरा के ग्राम गाठौली स्थित केवल नलकूपों को ही श्री करन सिंह बघेल के हाथ विक्रय किया गया है जिसका उन्हें कब्जा दिलाया जाना है परन्तु इस संबंध में मा० न्यायालय में दायर अपील संख्या–195/96 रामेश्वर आदि बनाम आगरा मण्डलीय विकास निगम आदि में मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 5-11-96 को यथास्थित बनाये रखने के आदेश दिये गये हैं । अतः मा० न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में श्री बघेल को नलकूपों का कब्जा दिलाया जाना फिलहाल सम्भव नहीं है ।

भूमि संरक्षण इकाई, डी० पी० ए० पी० गोण्डा प्रथम पचपेड़वा के अवर अभियन्ता के कार्यों की जांच की मांग

185–श्री राम विशुन आजाद–

क्या सरकार को जानकारी है कि भूमि संरक्षण इकाई डी०पी०ए०पी० गोण्डा प्रथम स्थान पचपेड़वा में कार्यरत अवर अभियन्ता द्वारा वर्ष 1994-95, 1996-97 तक फर्जी मापन की कार्य की जांच सी०बी०आई० द्वारा चल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मण्डलेश्वर सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

चूंकि प्रश्नगत कार्य के संबंध में सी० बी० आई० की जांच प्रचलित नहीं है, अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

प्रदेश में प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाईस्कूलों में गर्मी से पूर्व पीने के पानी की व्यवस्था की मांग

186–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्राइमरी पाठशालाओं में जू० हा० स्कूलों में गर्मी के मौसम से पूर्व इण्डिया मॉर्का–2 हैण्ड पम्प लगवाकर बच्चों के लिए पीने के पानी की समुचित व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

बेसिक शिक्षा परिषदीय सभी प्राइमरी पाठशालाओं व पूर्व माध्यमिक स्कूलों में गर्मी के मौसम के पूर्व हैण्डपम्प लगवाया जाना सीमित वित्तीय साधनों के कारण संभव नहीं है ।

धन की उपलब्धता के अनुसार क्रमिक रूप से हैण्डपम्प लगाये जा रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

187–श्री अम्बरीष कुमार–

[4थे सोमवार में अता० प्र० सं० 175 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

पर्वतीय जनपदों में उद्योग हेतु आवंटित भू-स्थलों पर चालू उद्योग यूनिट के विवरण की जानकारी

188–श्री अजय भट्ट–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू०पी०एस०आई०डी०सी० द्वारा वित्तीय वर्ष 1996-97 के अन्त तक व पर्वतीय जनपदों (कुमायूं कमिश्नरी) के उद्योग हेतु आवंटित सभी भू-स्थलों का इक्यूमेन्टेशन का कार्य पूरा कर लिया गया है ? यदि हां, तो कितने यूनिट के उद्योग चालू हो गये हैं तथा कितनी यूनिटों के उद्योग किस कारणवश शेष हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वित्तीय वर्ष 1997-98 के अन्तर्गत किन-किन पर्वतीय (कुमायूं कमिश्नरी) जनपदों में कितनी भूमि का आवंटन किस-किस प्रकृति के उद्योग हेतु किया जाना प्रस्तावित है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

कुमायूं मंडल में निगम के 9 औद्योगिक क्षेत्र हैं । इन औद्योगिक क्षेत्रों में वर्ष 1996-97 तक 84 इकाइयों को भूखण्ड आवंटित किये गये हैं, जिनमें से 74 इकाइयों ने अनुबन्ध/डाक्यूमेन्टेशन निष्पादित कराये । 10 इकाइयों द्वारा डाक्यूमेन्टेशन नहीं कराये जाने के कारण यह इकाईयां उद्योग स्थापना होने की प्रक्रिया में नहीं आ पाईं ।

इनमें से 36 इकाइयों की स्थापना हुई तथा 22 इकाइयां उत्पादनरत हैं । परियोजना वायबल न होने, उत्पाद विपणन की समस्या, ढुलाई लागत का अधिक होना एवं वित्तीय संस्थाओं से ऋण न उपलब्ध होने के कारण 38 इकाइयों द्वारा डाक्यूमेन्टेशन का कार्य कराये जाने के बाद भी इकाईयां स्थापित नहीं की गयी ।

वित्तीय वर्ष 1997-98 में औद्योगिक क्षेत्र भीमताल जनपद नैनीताल में 0.16 एकड़ भूमि पालीथिन उद्योग हेतु 0.18 एकड़ भूमि मोमबत्ती उद्योग हेतु, जनपद उधम सिंह नगर बाजपुर प्रथम में 0.33 एकड़ भूमि फार्मुलेशन आफ टैबलेट उद्योग हेतु तथा बाजपुर–द्वितीय में 13.40 एकड़ भूमि बाटलिंग आफ स्वीटेन्ड एरियेटेड वाटर/फ्रुट जूस उद्योग हेतु आवंटित की गई है ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

* श्री नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । आज अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों पर 15 मिनट का अतिरिक्त समय लग गया जबकि परिपाटी यह है कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों पर केवल 20 मिनट का समय रहेगा तो क्या जो आज 15 मिनट का अतिरिक्त समय लग गया है । उस अतिरिक्त समय में आप शेष अतारांकित प्रश्नों को लेने की कृपा करेंगे, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्राय: प्रयास होता है कि निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत प्रश्न समाप्त हो जायं परन्तु अगर कहीं अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पर प्रश्न पूछना अपरिहार्य और आवश्यक हो जाता है तो अध्यक्ष पीठ से अनुमति दी जाती है जिससे कुछ अतिरिक्त समय लग जाता है । पीठ को सदैव यह अधिकार है कि वह थोड़ा समय बढ़ा सकता है ।

डा० रामबाबू हरित–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आज की कार्यसूची के अतारांकित प्र० सं०–120 पर मेरा एक प्रश्न लगा है जिसका आधा उत्तर आया है और आधे उत्तर के बारे में कहा गया है कि सूचना एकत्र की जा रही है । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

इस प्रकार के उत्तरों पर व्यवस्थायें पहले दी जा चुकी हैं । इसमें कोई नयी बात नहीं है ।

श्री कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैंने 110 में एक प्रस्ताव दिया था ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने प्रस्ताव की प्रति माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को प्रेषित कर दी है ।

*श्री राम प्यारे सिंह–

मैंने बहुत पहले पत्र लिखा था माननीय शिक्षा मंत्री जी को और तृतीय सत्र 1998 के तीसरे मंगलवार के लिये निर्धारित प्रश्न का उत्तर आया था कि सूचना एकत्र की जा रही है फिर दोबारा मैंने लिखा और दोबारा भी आज फिर वही जवाब आया कि सूचना एकत्र की जा रही है । उसी प्रश्न के एक भाग से संबंधित दूसरा प्रश्न पूछा था कि क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा दी गयी आख्या पर निदेशालय स्तर से श्री अरविन्द लाल श्रीवास्तव सहायक अध्यापक इन्टर कालेज आजमगढ़ को अनियमित रूप से वेतन भुगतान करने वालों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई ? उत्तर आया कि संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा प्रेषित जांच आख्या के परीक्षण के उपरान्त सहायक अध्यापक श्री अरविन्द लाल श्रीवास्तव के विरुद्ध माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा–16ई (10) के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए निदेशालय के पत्र दिनांक 29-12-98 के द्वारा नोटिस निर्गत की गयी । पुन: सुनवाई हेतु दिनांक 10-3-99 निर्धारित की गयी है । सुनवाई के उपरान्त दोष सिद्ध होने पर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी । अब सवाल यह पैदा होता है कि जो प्रश्न किया था कि उनकी नियुक्ति गलत की गई है तो उत्तर आया कि सूचना एकत्र की जा रही है ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, जिसके प्रमाण हैं, जिसकी जांच हो चुकी है उसमें बार-बार यह आता है कि सूचना एकत्र की जा रही है। उसी के एक भाग में यह आ रहा है कि कार्यवाही की जा रही है। मेरा कहना है कि जब जांच हो चुकी है और यह सत्य है कि उसकी नियुक्ति गलत है तो ऐसी स्थिति में नोटिस देने का क्या औचित्य है।

श्री अध्यक्ष–

यह लिखकर मुझे सूचना दे दीजिये कि दोनों उत्तर में विरोधा भास है।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 9 मार्च, 1999 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 24 सूचनाएं प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गई। पहली सूचना श्री अयोध्या प्रसाद पाल की, दूसरी सूचना श्री राम प्यारे सिंह, तीसरी सूचना श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी, चौथी सूचना श्री श्रीराम पाल की है वे अनुपस्थित हैं, पांचवीं सूचना डा० धर्मज्ञ मिश्र की, छठवीं सूचना श्री अजय कुमार पोइया की है, सातवीं सूचना श्री राम सिंह सैनी की है। श्री श्रीराम पाल जी के अनुपस्थित होने के कारण प्रतीक्षा सूची में से श्री राम औतार शाक्य की सूचना स्वीकृत की जाती है। शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुई।

(सदन की सहमति से निम्नलिखित सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई)

जनपद फतेहपुर के थाना ललौली के गांव दतौली निवासी राम मनोहर सोनी के हत्याभियुक्त थानाध्यक्ष ललौली के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच कराने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अयोध्या प्रसाद पाल–

[मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र–हसवा के थाना ललौली के दतौली गांव के राजू सोनी दिनांक 16-2-99 को कुआं में कूद कर आत्म हत्या कर लिया है। जिसकी सूचना मृतक के पिता श्री शंकर शरण सोनी ने थाना में दिया। थानाध्यक्ष रनवीर सिंह, दतौली गांव जाकर मृतक के बाबा श्री राम मनोहर सोनी को घर से पकड़ कर थाने में मार पीट किया था। घटना के कारण पूछने के लिये उसे रस्सी में बांध कर थाने के कुआं में लटकाया गया। रस्सा टूट गया तथा राम मनोहर सोनी कुआं में गिर गया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी।

अतः सदन के माध्यम से उक्त थानाध्यक्ष के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की मांग करता हूं।]

क्षेत्र पंचायत हरैया जिला आजमगढ़ में राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम प्यारे सिंह–

[मान्यवर, आपका ध्यान इस लोक महत्व के प्रश्न पर ले जाना चाहता हूं कि जहां देश बीसवीं सदी में प्रवेश कर रहा है वहीं क्षेत्र पंचायत हरैया जिला आजमगढ़ में आज भी कोई राजकीय बालिका उ० मा० विद्यालय नहीं हैं। जिससे बालिकायें आज भी शिक्षा से वंचित है जबकि निर्वाद रूप से यह माना जाता है कि एक बालिका का शिक्षित होना भविष्य में एक परिवार का शिक्षित होना माना जाता है। यह

नोट :– [यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ब्लाक भौगोलिक स्थिति से भी पिछड़ा है तथा यहां ज्यादातर अनुसूचित एवं पिछड़े वर्ग के लोगों की आबादी है । इसलिए यहां विद्यालय का होना आवश्यक है ।

अतः इस लोक महत्व प्रश्न के माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी आप से मांग करता हूं कि क्षेत्र पं० हरैया विधान सभा क्षेत्र-सगड़ी जिला-आजमगढ़ के नैनीजोर ग्राम में एक बालिका उ० मा० विद्यालय की स्थापना हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए विद्यालय स्थापित कराने का कष्ट करें ।।

जनपद सीतापुर में जल निगम द्वारा इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प मानक के अनुरूप न लगाकर कथित भ्रष्टाचार की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी–

। महोदय, जनपद सीतापुर जल निगम पूर्णरूप से भ्रष्टाचार में लिप्त है इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की योजना के मानक के अनुसार न लगाकर मात्र 80 या 90 फिट की बोरिंग करके ठेकेदार द्वारा हैण्डपम्प लगाये जा रहे हैं जिसमें अधिकतर वर्ष 1997-98 और 98-99 में लगाए हैं खराब हो गये हैं ।

सु० रो० योजना के अन्तर्गत जिला योजना से जो धन हैण्डपम्प लगाने हेतु जल निगम को दिया उसमें धन का काफी गबन किया गया है । मा० विधायकों द्वारा चयनित स्थानों की सूची अनुसार भी अभी तक हैण्डपम्प नहीं लगाये गये हैं बड़े पैमाने पर जल निगम द्वारा पाइपों की बिक्री की गयी है ।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और इस प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच व दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करता हूं । ।

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत कतिपय गांवों के कृषकों की सड़क निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गई भूमि का मुआवजा देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

। महोदय, जनपद हरदोई के 91 मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत छिबरामऊ–मेहदीघाट गंगापुल पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु ग्रांम पंचायत छिबरामऊ जफरपुर, परसोला, तेरवा कुल्ली तथा बावटमऊ आदि ग्रांमों के कृषकों की भूमि अधिग्रहीत की गई थी और भूमि अधिग्रहण के बाद उक्त मार्ग का निर्माण कराया गया था परन्तु तमाम लिखा पढ़ी के बाद भी कृषकों को अधिग्रहीत की गयी भूमि का कृषकों को मुआवजा नहीं दिया गया है । पत्रांक 1622/वी०आई०पी० 14-3-90/लो०नि० मंत्री तथा पत्रांक 1541 वी०आई०पी० 90 दिनांक 15-3-90 लो०नि० मंत्री तथा पत्र संख्या 54/46/29 एल 3/आ०एफ०डी० 87 दिनांक 30-4-90 इसी तरह पुल पहुंच मार्ग निर्माण हेतु 62.18 एकड़ भूमि अपने प्रस्ताव धारा 6 की अधिसूचना जारी करने के सम्बन्ध में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लो०नि०वि० भूमि अध्यापित वर्ग लखनऊ पत्रांक 956-10 सी० एफ० दिनांक 17-5-89 कार्य अधीक्षक विभागीय निर्माण इकाई सा०नि०वि० बिलग्राम हरदोई पत्रांक 620x00 सी० दिनांक 25-4-90 कार्य अधीक्षक अस्थायी विभागीय निर्माण इकाई मार्ग सार्व०नि०वि० बिलग्राम हरदोई के आदेश के बावजूद भी उक्त ग्रामों के कृषकों को उनकी अधिग्रहीत की गई भूमि का मुआवजा सरकार द्वारा प्रदान नहीं किया गया है और इसी प्रकार माधौगंज से नयागांव रोड के निर्माण में ग्राम पंचायत दौलतयारपुर, सहिजना, सुमेरगंज, खन्धेरिया, टांसा तथा नयागांव के तमाम कृषकों की भूमि अर्जित की गई परन्तु भूमि का मुवावजा नहीं दिया गया

नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्रीमती अलका श्रीवास्तव संयुक्त सचिव लोक निर्माण अनुभाग–2 दिनांक 20 सितम्बर 1990/अ०स०व०/144, 39/23 लोक निर्माण अनुभाग–5 जो जिला हरदोई को मुआवजा भुगतान हेतु प्राप्त कराया था परन्तु अभी तक तमाम कृषकों को मुआवजा नहीं मिला जबकि शासन ने घोषणा भी की थी कि अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा शीघ्र दिया जायेगा इसलिए यह लोक महत्व का विषय है जिसे सदन के संज्ञान में लाना आवश्यक है। जिससे कृषकों का बकाया मुआवजा का भुगतान हो सके।]

नेहरू जिला पुस्तकालय डेम्पियर नगर मथुरा को शासन द्वारा अनुदान राशि उपलब्ध कराकर व्यवस्था सुधार करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार पोइया–

[महोदय, आपके माध्यम से लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मथुरा जनपद के राजकीय नेहरू जिला पुस्तकालय की वर्तमान में जर्जर दयनीय स्थिति है छतों से वर्षा आने पर पानी टपकता है तथा सीलन आती है। जिससे अमूल्य पुस्तकें धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही हैं। यही नहीं अनुदान तथा अन्य रूप में प्राप्त होने वाली पुस्तकों को रखने के लिए रैक एवं अलमारियों की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है उनको बोरे में बन्द रखना पड़ रहा है तथा इस कारण दुर्दशा अमूल्य साहित्य की हो रही है जिसके कारण प्रतिमास अमूल्य साहित्य के पठन-पाठन अध्ययन से वंचित है तथा गर्मी के समय में अध्ययन हेतु वातानुकूलित कमरे भी नहीं है जबकि शहर एवं उचित स्थान पर स्थापित होने के कारण इसका अपना महत्वपूर्ण स्थान है इसकी जानबूझकर उपेक्षा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला प्रशासन द्वारा की जाती है जबकि पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा समय-समय पर वास्तविकता से अवगत कराया जाता रहा है। मूक सहमति से घृणित उजाड़ने का कुचक्र है।

अतः आपके माध्यम से उपरोक्त लोक महत्व के विषय पर तत्काल शासन द्वारा अनुदान राशि उपलब्ध कराकर पुस्तकालय जिला का सौन्दर्यीकरण करते हुये व्यवस्था सुधार कर, अध्ययन हेतु, रख-रखाव पुस्तकों के उपलब्ध करायें।]

जनपद हरिद्वार स्थित विकास खण्ड बहादराबाद के कतिपय गांवों की ओर बांध एवं ठोकरें बनवाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम सिंह सैनी–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अपने क्षेत्र के एक अत्यधिक लोक महत्व समस्या की ओर आकृष्ट कर शासन से अनुरोध करता हूं कि समस्या का निराकरण जनहित में अविलम्ब कराया जाय। मेरे क्षेत्र में स्थित ग्राम हजारा ग्रन्ठ विकास खण्ड बहादराबाद जनपद–हरिद्वार के पास वन विभाग ने बांध तथा ठोकरें लगाकर जंगल के काफी भाग का बरसात के पानी का बहाव इस गांव की ओर मोड़ दिया है। जिससे इस वर्ष भारी वर्षा होने के कारण ग्राम हजारा ग्रन्ठ टीरा, आशफ नगर, कोटा मुरादनगर, की हजारों एकड़ उपजाऊ कृषि योग्य भूमि में भारी मात्रा में कटाव हो गया है तथा रेत भर गया है जिससे यहां के किसानों को भारी क्षति हुई है साथ ही साथ इन सभी गांवों की आबादी को भी खतरा पैदा हो गया है यदि जून, 1999 तक इन गांवों की ओर बांध एवं ठोकरें न बनायी गयी तो इन सभी गांवों के निवासी बरबाद हो जायेंगे तथा इनके परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच जायेंगे।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मैं शासन से मांग करता हूं कि इस लोक महत्व की समस्या का निदान जनहित में तुरन्त कराया जाय ।]

जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड किशनी के कतिपय गांवों से बिजली के लट्ठे एवं तारों की चोरी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम औतार शाक्य–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान प्रदेश में बिजली की लट्ठों की चोरी व तार की चोरी की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । प्रशासन एवं विद्युत विभाग द्वारा गैर जिम्मेदाराना रवैया से स्थिति बहुत खराब हो गई है। मैं आपका ध्यान जनपद मैनपुरी की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । विकास खण्ड किशनी के ग्राम बसैत, फरैजी, चिलायन व बदनपुर से बिजली के लट्ठे अवैध तरीके से श्री निर्मल सिंह व उसके पक्ष के लोग जो किशनी एल०एस०एस० से संचालक/अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे लाये और बटपरू व चन्दरपुर में मतों को प्रभावित करने के लिये गाड़ दिये तथा कहीं से बिजली के तारों को भी लायें इसमें विद्युत कर्मियों/अधिकारियों की सांठ-गांठ भी रही । इस अवैध कार्य को रोकने व दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही के लिये मैंने जिलाधिकारी मैनपुरी/अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड मैनपुरी को दूरभाष पर बताया परन्तु कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई । मेरी बात 5-3-99 को हुई यह घटना 5-3-99 व उसके आसपास 6-7 दिनों में हुई जिससे क्षेत्र में रोष व क्षोभ व्याप्त है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं ।]

विभिन्न विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियों के गठन के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

नियम–300 में जो सूचनाएं प्राप्त हुई पहली सूचना कुं० रेवती रमण सिंह, श्री अम्बरीष कुमार, डा० अशोक बाजपेयी की है । मैं इसके बारे में सूचित कर दूं । राम नरेश यादव जी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और सदन के पटल पर रखने से पूर्व वह मुद्रण के लिये प्रेस में गई है । संभवतः वृहस्पतिवार या शुक्रवार तक छपकर आ जायेगी । माननीय सदस्यों को उसकी प्रतियां वितरित करनी है उसके बाद उसे सदन के पटल पर रख देंगे ।

* कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, आपने इस संबंध में जो प्रयास किया उसके लिये आपको बधाई देता हूं । लेकिन मैं एक आग्रह करना चाहता हूं कि जब तक वह मुद्रित हो रही है । वैसे जो आपकी व्यवस्था होगी वह शिरोधार्य है । मेरा आग्रह यह था कि जब तक वह मुद्रित होकर आयेगी तब इस सदन के पटल पर रखी जायेगी । 24 तारीख को सदन स्थगित हो जायेगा जैसा कि अभी कार्य मंत्रणा में कार्यक्रम तय है । मेरा आग्रह है कि उसको मुद्रित हुआ मानकर यहां पर एक प्रति सदन में रखवा दे और उसको कैबिनेट में भिजवा दें जिससे इसी सदन में सदन उठने से पहले यह मामला सदन में आ जाय और वह बजटरी कमेटी अगले वर्ष के लिये बन जायं ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है । मैं इसको देख लेता हूं ।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, यह जो सदन की भावना के अनुरूप जो आपने कमेटी बनाई थी जिसमें पार्लियामेन्टरी डिपार्टमेन्ट रिलेटेड काम करना था । उस संबंध में रिपोर्ट तो सबमिट हो गयी है और उसमें बहुत सी सिफारिशें भी की गई हैं । मेरा आपसे आग्रह होगा कि इस मामले में जब भी रिपोर्ट आती है उसको जल्दी से जल्दी लागू करें ताकि अगले साल से उसके अनुसार व्यवस्था लागू हो सके । माननीय विधायकों की भावनाओं का आपने सम्मान करते हुए उदारता के साथ कमेटी का गठन किया था ।

श्री अध्यक्ष–

श्री राम नरेश यादव जी ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जैसा कि मैंने सदन को सूचित किया और वह रिपोर्ट छपने के लिये प्रेस में गई है । उसका प्रूफ भी आ गया था । प्रूफ में जो संशोधन था वह करके पुनः उसे मुद्रण के लिये भेजा गया है । 11/12 तारीख तक आ जायेगी उसी दिन सदन के पटल पर रखवा देंगे ।

[समय 12 बजकर 30 मिनट]

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, एक अच्छी परिपाटी के लिए जो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम है उसको मजबूती प्रदान करने की मंशा से एक समिति बनी । समिति ने काम करके अपनी रिपोर्ट दे दी । मेरा आपसे अनुरोध है कि उसे सदन के पटल पर रखें और नियमों को शिथिल करके आप इस सत्र, 24 तारीख तक सत्र है, 24 तारीख के अन्दर, सदन के अन्दर नियमों को शिथिल करके पारित करने की व्यवस्था नहीं करते हैं तो नियमावली बनाने के लिए नियम समिति में उसको भेजना पड़ेगा तो बहुत लिंगर आन होगा तो मान्यवर, मैं कहना यह चाहता हूं कि जो आपके समक्ष रिपोर्ट दी गई है । उसमें समस्त बिन्दुओं पर गहन विचार के पश्चात् पार्लियामेन्ट्री सिस्टम के अनुरूप उसमें और मजबूती आ सके इसके लिए मेरा सुझाव है कि इसी सत्र के दौरान 24 तारीख के पहले..

श्री अध्यक्ष–

हां, इसी सत्र के दौरान .....

श्री बी० आर० वर्मा–

इसी सत्र के दौरान 24 तारीख के पहले एक दिन सदन में प्रस्तुत कर दें और सदन आपको अधिकृत कर दे और नियमों को शिथिल करके नियमावली बनाने का अधिकार आपको मिल जाय तो यह जल्दी हो जायेगा । नियम समिति में यह जाएगा तो उसकी नियमावली नियम समिति बनाएगी तो इसमें डिले होगा । इसलिए नियमों को शिथिल करने का मामला एक दिन सदन में आ जाए सदन आपको अधिकृत कर दे ताकि इसमें आप नियमावली बना सकें और विलम्ब न हो सके । इससे जो मंशा है वह फलीभूत होगी ।

* डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, आपकी कृपापूर्ण व्यवस्था के कारण उत्तर प्रदेश विधान सभा में बजट्री कमेटी बनाने की प्रक्रिया पार्लियामेन्ट की भांति प्रारम्भ हुई । इसमें श्री राम नरेश यादव जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया उसने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी वह सदन के पटल पर प्रस्तुत हो जायेगी । मान्यवर, इन

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सबको देखते हुए मैं इस निर्णय पर पहुंच पाया हूं कि बजट्री कमेटी बनेगी । लेकिन इसमें शासन स्तर पर कितनी अभिरुचि है । शासन स्तर पर भी तत्काल कार्यवाही हो सके ताकि जब अगला बजट प्रस्तुत हो तो बजट्री समिति में विचार हो सके । बजट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज पर माननीय सदस्य विचार करेंगे । इस दृष्टि से कमेटियों की फारमेशन की है इसमें ऐसी व्यवस्था करें कि अगली बार बजट में बजट्री कमेटियों के माध्यम से बजट प्रस्तुत किया जा सके । इसमें स्पष्ट व्यवस्था देने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

बहुत शीघ्र वह रिपोर्ट सदन के पटल पर प्रस्तुत हो जाएगी । मुझे पूरी अपेक्षा है कि शासन पूरा सहयोग करेगा और इस रिपोर्ट को प्राप्त करके इस सदन में प्रस्तुत किया जाएगा ।

* श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, नियम 310 के तहत 16 फरवरी को निवेदन किया था । मैं समझ रहा था कि आपकी अनुमति है । अनुमति शायद आपकी नहीं थी । इसलिए उसको रखने के कारण मेरे तथा मेरे कई साथियों का निलम्बन कर दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

उसे रखने के कारण निलम्बन किया गया ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मैं समझ रहा था कि अनुमति दी है । लेकिन अनुमति नहीं दी थी । मुझे भ्रम हुआ था । शायद मैंने वह प्रस्ताव आपकी अनुमति के बगैर रख दिया । मैंने निन्दा का प्रस्ताव रखा था उधर से इशारा हुआ और निलम्बन हो गया ।

श्री अध्यक्ष–

मैं अनुमति नहीं दे रहां हूं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

जिस कारण से हमारा और हमारे साथियों का निलम्बन हुआ । अब मान्यवर मैं उसी संदर्भ में आज मैं एक बधाई संदेश महामहिम राष्ट्रपति जी को इस सदन के माध्यम से भेजना चाहता हूं उन्होंने लोकतंत्र का गला घोटने वाली इस सरकार की साजिश को नाकाम करते हुए..

श्री अध्यक्ष–

मैंने अनुमति नहीं दी है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

बिहार की राबड़ी देवी की सरकार (व्यवधान) इसके लिए यह सदन महामहिम राज्यपाल को बधाई देता है । इस पर सदन की राय ले ली जाय और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को यह बधाई संदेश दे दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

9 मार्च, 1999 को सत्रकाल के दौरान सिंचाई बन्धु जनपद इटावा की बैठक किए जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अब मैं दूसरी सूचना ले रहा हूं। यह सूचना श्री राम औतार शाक्य की है और इसी से संबंधित श्री उदय राज यादव जी की है।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, हम सब आपका सम्मान करते हैं और आपका सम्मान करते हुए यह कहना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

आज बड़ा बजट है और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से बात हो चुकी है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, वह बैठक निरस्त भी हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष–

आपको तो सरकार के प्रति आभारी होना चाहिए कि आपके खड़े होते ही आपकी मांग स्वीकार कर ली गयी।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, इसमें यह जोड़ लें कि 25-2-99 को जो बैठक हुई थी तो वह क्यों हुई।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठ जायं। इसी से संबंधित जो दूसरी सूचना है वह यह है कि उद्योग बन्धु की बैठक इसी सत्रकाल में बुला ली गयी है और जिला योजना की बैठक बुला ली गयी है। उसको माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने संज्ञान में ले लिया है। श्री उदयराज जी आप बैठ जायें।

उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार विधेयक, 1999 को दिनांक 9 मार्च, 1999 को विचार एवं पारण किये जाने के फलस्वरूप प्रक्रिया नियमावली के नियम–139 के अन्तर्गत संशोधनों हेतु अपेक्षित 36 घंटे पूर्व की सूचना उपलब्ध न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अब मैं तीसरी सूचना जो कि श्री मुन्ना चौहान जी की है, को ले रहा हूं।

* श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, आज मैं आपकी अनुमति से एक ऐसा विषय उठाना चाहता हूं जो कि इस सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम–139 से संबंधित है। इस सदन के अन्दर जो कार्य विनियमित होता है। संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत उसी को दृष्टिगत रखते हुए प्रक्रिया नियमावली का निर्माण आपके संरक्षण में किया गया। नियमावली का नियम–139 मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। उसमें यह व्यवस्था है कि यदि विधेयक के किसी खण्ड या अनुसूची में किसी संशोधन की सूचना उस दिन से छत्तीस घंटे पूर्व न दी गई हो, जिस दिन कि विधेयक पर विचार किया जाना हो, तो कोई भी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदस्य संशोधन के प्रस्तुत किये जाने पर आपत्ति कर सकेंगे और यदि अध्यक्ष संशोधन के प्रस्तुत किये जाने की अनुमति न दे दें, तो ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी ।

श्रीमन्, यह विषय उठाने का मतलब यह है कि यह कार्य प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली का निर्माण जब किया गया था तो इस सदन का मकसद इस पीठ का मकसद यह रहा होगा कि कोई भी संशोधन प्रस्ताव इस विधान सभा सचिवालय में प्राप्त हो तो इसमें इतना उपयुक्त समय दिया जाय जिससे ठीक से उसका परीक्षण हो सके और वह सदन में प्रस्तुत हो सके । दूसरा मकसद यह है कि जो मेरी समझ से यह है कि पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी के अन्दर जब कोई विधेयक इस सम्मानित सदन के अन्दर पारण के लिए, विचार के लिए आये तो इस प्रदेश की जनता और इस सदन की अपेक्षा होगी कि उस विधेयक के ऊपर गंभीरता से विचार-विमर्श हो । इस सदन के सम्मानित सदस्य उसको ठीक से तैयार कर सकें और जो खामियां हैं उसको इंगित कर सकें और जो हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है उसमें भूमिका अदा कर सकें । किन्तु आज मैं एक दृष्टान्त देना चाहता हूं । इसी सम्मानित सदन के अन्दर उत्तरांचल राज्य के निर्माण संबंधी विधेयक आया था ।

मान्यवर, मैं उस दिन भी कहता था कि इस पर सवाल उठाया जाय । राज्य के निर्माण का विधेयक उसको प्रस्तुत किया जाता है और उसी दिन अपराह्न 7.00 बजे तक संशोधन प्रस्ताव दिये जाने होते हैं चिन्ता का कारण यह है कि यह धीरे-धीरे परिपाटी बनती जा रही है । आपको इस नियमावली के तहत अधिकार है कि किसी भी नियम को शिथिल करके आप अनुमति दे सकते हैं और उसमें संशोधन प्रस्ताव शामिल करने की भी । मान्यवर, आज विद्युत सुधार विधेयक 1999 का पारण होगा ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात आ गई है ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, 36 घण्टे का समय इसलिए दिया गया है ताकि गंभीरता से विचार हो सके । जो संशोधन प्रस्ताव हम लोग प्रस्तुत करते वह इस गंभीरता से प्रस्तुत किये जाते कि विचार से कुछ नतीजा निकलता । मान्यवर, यह महत्वपूर्ण सेक्टर है । मान्यवर, कोई भी ऐसा माननीय सदस्य नहीं होगा जो बिना इसके प्रारूप को पूरी तरह से पढ़े हुए संशोधन प्रस्तुत कर दें । मान्यवर, हमारा विधान निर्माण का सर्वोच्च दायित्व है हम चाहते हैं कि बहुमूल्य सुझाव देकर हम प्रदेश की जनता की सेवा के कर्तव्य का निर्वहन कर सकें ।

* संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, इस प्रश्न के दो भाग हैं । एक तकनीकी भाग है । आप नियम 128 नियमावली को देखने का कष्ट करें उसमें है कि प्रस्ताव कर सकेंगे । आपने कहा कि महत्वपूर्ण विधेयक है इसका पूरा अवसर नहीं मिला है । मान्यवर, यह कार्यवाही में अंकित है कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी, बार-बार कह रहे हैं कि विधेयक आने वाला है । मान्यवर, ऐसे भी उदाहरण हैं जब पुरःस्थापन भी उसी दिन, पारण भी उसी दिन हुआ है । कल आपने पढ़ा होगा पार्लियामेन्ट में हुई कार्यवाही के बावत ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

यह सत्य है कि यह विधेयक जो दिनांक 8 मार्च को सदन में पुरःस्थापित किया गया है, पर आज विचार किया जायेगा । इस प्रकार उसमें खण्डों में संशोधन के लिए 36 घण्टे से कम समय में संशोधन देने की अनुमति दे रहा हूं । माननीय सदस्य जो संशोधन देंगे वह स्वीकार कर लिये जायेंगे ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी की बात का पूरा सम्मान करते हुए कहना चाहता हूं कि मैं उन सदस्यों में से नहीं हूं जो परम्परायें हैं उन परम्पराओं को तोड़ने का काम करें । वह विशिष्ट परिस्थितियां हो सकती हैं । जिसमें आप नियमों को शिथिल करके किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति देते हैं । समय सीमा की जो अवधि निर्धारित है, उसमें छूट देते हैं । मेरी चिन्ता इस बात को लेकर है कि उत्तराखण्ड राज्य पुनर्गठन विधेयक इस सदन के अन्दर जिस दिन पुरःस्थापित हुआ, उसी दिन संशोधन आमंत्रित किये गये, कहीं धीरे-धीरे यह परिपाटी न बन जाय कि जो विधेयक पुरःस्थापित होगा, उसमें इस तरह नियमों को बार-बार शिथिल करके परम्परा बना ली जायेगी, यही मेरी चिन्ता का कारण है, इससे इस सदन की गरिमा घटेगी और हम लोगों का जो विचार करने का अधिकार है, उसमें कटौती होगी । मेरी आपसे प्रार्थना है कि भविष्य के लिये स्पष्ट दिशा-निर्देश देने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

यह परिपाटी नहीं बननी चाहिये और न ऐसी परम्परा विकसित होनी चाहिए, शासन इस पर ध्यान देगा, इसी के साथ मैं इस सूचना का निस्तारण करता हूं ।

प्रदेश में विकास कार्यों का शुभारम्भ/उद्घाटन जनप्रतिनिधियों/विधायकों द्वारा कराये जाने की सदन में की गई घोषणा की अवहेलना किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री विनोद मणि जी की है ।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, विकास कार्यों के शुभारम्भ के संबंध में आपकी पीठ से स्पष्ट निर्देश हुये हैं, शासनादेश भी जारी हुये हैं कि विकास कार्यों का उद्घाटन/शिलान्यास विधायकों से कराया जाय, लेकिन बराबर शासनादेशों की अवहेलना हो रही है । इस काम को बाहर के लोग कर रहे हैं और जो माननीय विधायकों के अधिकार हैं, उसको दबाया जा रहा है । इतना ही नहीं, माननीय विधायकों के जो पत्थर लगे हुये हैं,उनको भी उखाड़ा जा रहा है । जिलाधिकारी के यहां जब हम इस बात के पत्र देते हैं तो जिलाधिकारी भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं करते, इससे क्षेत्र की जनता को पता नहीं हो पाता कि हमारे प्रपोजल पर यह काम हो रहे हैं, यह सभी माननीय विधायकों का सवाल है, इस संबंध में आपकी पीठ से स्पष्ट दिशा-निर्देश होना चाहिये, बहुत सी जगहों पर जिलाधिकारी और अन्य अधिकारी जाकर शिलान्यास कर रहे हैं ।

* श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, यह विषय इस सदन में कई बार आया है और इस पर स्पष्ट निर्देश भी हुये हैं, उसके बाद भी लगातार तमाम जिलों में इस तरह की शिकायतें आ रही हैं । मान्यवर, आप इस संबंध में सुनिश्चित

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया ।

निर्देश देने की कृपा करें अथवा संसदीय कार्य मंत्री जी स्वतः ऐसा करें, जिससे इसकी पुनरावृत्ति न हो। बाहर के सांसद, प्रतिनिधि यदि करें तो ठीक है लेकिन यदि इस प्रकार होगा कि जिस अधिकारी को बुलाया जायेगा, वहीं के लिये वह धन देंगे तो यह गलत परम्परा डाली जा रही है, यह इस प्रकार लोकतंत्र में ब्यूरोक्रेसी की मनमर्जी चल रही है। मान्यवर, आप संसदीय कार्य मंत्री को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश देने की कृपा करें।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, एक चीज और कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी जब क्षेत्र में जाते हैं तो क्षेत्रीय विधायकों को खबर तक नहीं हो पाती, इससे खराब बात और क्या होगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय विनोद मणि की सूचना नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती, इसलिये मैं इसे अस्वीकार कर रहा हूं, परन्तु माननीय संसदीय कार्य मंत्री को निर्देशित कर रहा हूं कि कृपया इस बारे में अपने स्पष्ट आदेश सभी अधिकारियों को जारी कर दें और स्थिति से अवगत करा दें।

दारुलशफा ए ब्लाक में कक्ष संख्या–109 में प्रातः 6 बजे तक पानी न आने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री आर० के० सिंह पटेल तथा श्री सतीश जतारिया की है, यह नियम–300 से संबंधित नहीं है, पेयजल की समस्या है। मैं इसे संसदीय कार्य मंत्री के संज्ञान में ला रहा हूं, उसका निराकरण वह करा देंगे।

* श्री आर० के० सिंह पटेल–

जबसे मैं वहां रह रहा हूं सुबह से लेकर दोपहर तक पानी नहीं आता है इसलिये जब मैं सदन में आता हूं तो लेट हो जाता हूं। कभी-कभी ऐसा मौका आता है जब बिना नहाये यहां मैं पहुंच जाता हूं। मेरे पड़ोस के जो विधायक हैं उनके यहां भी पानी नहीं आता है। कई बार मैंने लिखकर दिया और मंत्री जी को लिखकर दिया है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने संसदीय कार्य मंत्री को निर्देशित कर दिया है कि वह स्पष्ट आदेश दे दें।

(श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

विधान सभा के पिछले सत्र में बजट भाषण में की गई घोषणा का अनुपालन न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना माननीय जगदम्बिका पाल की है। अगर किसी घोषणा का अनुपालन नहीं किया गया है तो वह नियम–300 में कहां से आयेगी ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

*श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरी सूचना अत्यन्त महत्वपूर्ण है । इसी सदन में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में पिछले वर्ष घोषणा की गयी थी कि उत्तर प्रदेश के जो असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं और पूर्व माध्यमिक विद्यालय हैं उनको अनुदान सूची पर लिया जायेगा । मान्यवर, यह सदन परम्पराओं, नियमों और अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्णयों के आधार पर चलता है । मान्यवर, शिक्षा के महत्व को देखते हुये इसको स्टेट लिस्ट और कांकरेट लिस्ट में डाला गया है । आज पूरे प्रदेश में जो इस प्रकार के विद्यालय हैं उनमें 50–100 रुपये पर अध्यापक कार्य कर रहे हैं । औचित्य का प्रश्न तब उत्पन्न होता है जब नियमावली के किसी नियमों या संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन हो रहा हो । सदन के कार्य को विनियमित करने के संबंध में यह प्रश्न उठाया जा सकता है । मान्यवर, राज्यपाल महोदय ने इसी सदन में घोषणा की थी कि 250 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया जायेगा लेकिन 225 की सूची निर्गत हुयी । अभी 281 रह गये हैं जिनको 1998-99 में लेने की बात थी । यह सरकार सदन में की गयी घोषणा का पालन नहीं करती है ।

श्री अध्यक्ष–

सदन में की गयी घोषणा का यदि सरकार अनुपालन नहीं करती है तो नियम–300 में नहीं बल्कि इसके लिये सुसंगत नियमों में सूचना दीजिये ।

श्री जगदम्बिका पाल–

सरकार ने जो घोषणा सदन में की है उसका पालन करने में क्या कठिनाई है । संसदीय कार्य मंत्री जी का स्पष्टीकरण आ जाय उसके बाद जो व्यवस्था देना चाहे आप दे दें ।

* श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो घोषणा की गयी है उसका पालन सरकार नहीं कर रही है । श्री राज्यपाल का अभिभाषण सरकार का नीतिगत दस्तावेज होता है । पिछले साल सरकार ने पूर्व माध्यमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लेने की बात कही थी लेकिन उसका परिपालन नहीं किया गया है । अध्यापकों को 50 रुपये तन्ख्वाह दी जाती है इतने कम वेतन में अध्यापक छात्रों को कैसे शिक्षा दे सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष–

आप शिक्षा के बजट में यह बात कह सकते हैं ।

श्री समरपाल सिंह–

साक्षरता का नारा देने वाली सरकार का यह नारा खोखला है । सदन में की गयी घोषणा का पालन सरकार नहीं कर रही है । इसलिये यह नियम–300 में सूचना आती है और हम आपसे इस पर व्यवस्था देने की उम्मीद करते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

श्री जगदम्बिका पाल एवं श्री समरपाल सिंह जी को सुनने के पश्चात् मैं इस विचार का हूं कि यह सूचना नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसलिये इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री लाखीराम जोशी जी, किसी मन्दिर में किसी साधु की हत्या हो गयी तो यह सूचना आप नियम–300 में दे रहे हैं । यह नियम–300 में कैसे आ जायेगी ? आप सुसंगत नियम में दीजिए, नियम–51 में दीजिए ।

माननीय सदस्य सोनकर जी की सूचना भी नियम–300 में कहीं खिंचकर भी नहीं आती है । किसी वर्ग पर अन्याय हो रहा है इसके लिए आप सुसंगत नियम में सूचना दीजिए । श्री लाखीराम जोशी एवं श्री भीम प्रसाद सोनकर जी की सूचना को निरस्त करता हूं ।

मद संख्या 3 व 4 में कुछ नहीं है । अब मद संख्या–5 ले रहा हूं ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 8 मार्च, 1999 की बैठक में सदन के दिनांक 9 मार्च से 24 मार्च, 1999 तक के उपवेशन के कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

मार्च, 1999

---

9 मंगलवार

1–वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

2–निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :–

(क) उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1999, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ—आधा घण्टा ।

(ख) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1999 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ–आधा घण्टा ।

(ग) उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार विधेयक, 1999—एक घण्टा ।

3–श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा––आधा घण्टा ।

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद अम्बेडकर नगर के चहुमुखी विकास के लिये लुम्बिनी–दुद्धी मार्ग पर घाघरा नदी में सेतु का निर्माण कराया जाय एवं उक्त मार्ग की चौड़ाई बढ़ाई जाय ।"

10 बुधवार

1–वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

2–उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1999, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण––आधा घण्टा ।

3–(1) प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि पर सरकार का प्रभावी नियंत्रण न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा––एक घण्टा ।

(2) निजी क्षेत्र के अन्तर्गत बस्ती एवं वाल्टरगंज की चीनी मिलों के ऊपर वर्ष 1991-92 में वसूली चार्ज की धनराशि को समितियों को वापस न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम ललित चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा––आधा घण्टा ।

4–श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :–

"यह सदन केन्द्र सरकार से यह सिफारिश करता है कि भारत के संविधान में इस आशय का संशोधन करे कि लोक सभा एवं विधान सभाओं का कार्यकाल निश्चित रूप से पांच वर्ष का हो और इसके पूर्व विघटित न की जाय ।"

5–उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99) का विशेष प्रतिवेदन जो दिनांक 26 फरवरी, 1999 को सदन में प्रस्तुत किया गया, पर डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्री केशो मेहरा, श्री गोरखनाथ पाण्डेय, मेजर जे०पी० सिंह, श्री अतुल कुमार, श्री राजधारी सिंह, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम–216 (4) के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर विचार––आधा घण्टा ।

11 गुरुवार

1–निधन के निर्देश (शोक प्रस्ताव) ।

2–वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

3–उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1999, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पर विचार एवं उसका पारण––आधा घण्टा ।

4–श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :–

"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में अधिवक्ताओं के समुचित प्रतिनिधित्व हेतु 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 171 के खण्ड (5) के अन्तिम पंक्ति के प्रारम्भ में प्रयुक्त शब्द 'साहित्य' से पूर्व शब्द और चिन्ह 'विधि' रख दिया जाय ।"

12 शुक्रवार

1–वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

2–उत्तर प्रदेश आमोद और प्रणकर (संशोधन) विधेयक, 1999 पर विचार एवं उसका पारण––आधा घण्टा ।

13 शनिवार

बैठक नहीं होगी ।

14 रविवार

15 सोमवार 1–वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

2–लखनऊ विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संचालित एम०एस०सी० (टैक) फार्मास्यूटिकल कैमिस्ट्री पाठ्यक्रम की मान्यता प्राप्त न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा––आधा घण्टा ।

16 मंगलवार 1–वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

2–जनपद बलिया में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के अन्तर्गत निर्मित इन्दिरा आवास के आवंटन में पात्रता संबंधी नियमों की अवहेलना के संबंध में श्री राजधारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा––आधा घण्टा ।

17 बुधवार 1–वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

2–वर्ष 1998-99 में जनपद सीतापुर में सुरक्षित रोजगार योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण हेतु स्वीकृत धनराशि रु० 1.20 करोड़ के दुरुपयोग के संबंध में श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा––एक घण्टा ।

18 गुरुवार वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

19 शुक्रवार
20 शनिवार
21 रविवार
बैठक नहीं होगी ।

22 सोमवार
23 मंगलवार
वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

24 बुधवार 1–वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

(4.00 बजे अपराह्न तक)

2–4.00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1999 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से सदन सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

मद संख्या–6 में कुछ नहीं है ।

नियम–311 की नियम–56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 9-3-99 को नियम–311 में प्राप्त सूचनाओं को नियम–56 में परिवर्तित कर दिया गया है । इस प्रकार नियम–56 के अन्तर्गत कुल 23 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गई । प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जाएगा । शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है :–

पहली सूचना श्री कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री अम्बरीष कुमार, डा० अशोक बाजपेई, श्री प्रमोद कुमार, श्री जगदम्बिका पाल, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री कौकब हमीद, श्री सौलत अली एडवोकेट की निजी तथा व्यवसायिक वाहनों द्वारा स्वीकृत क्षमता से अधिक सवारी बैठाने के फलस्वरूप होने वाली दुर्घटनाओं में मानव जीवन की क्षति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम–56 के अन्तर्गत जो सूचना आपको दी है वह अत्यन्त गंभीर, अविलम्बनीय और लोक महत्व की है । जितने युद्ध में लोग नहीं मारे जाते हैं उससे कहीं ज्यादा लोग एक्सीडेन्ट में मारे जाते हैं । उसके दो कारण है । एक तो जो निजी गाड़ियां चल रही हैं टैक्सी के रूप में, जीप के रूप में, थ्री व्हीलर के रूप में, मेटाडोर के रूप में इन तमाम गाड़ियों में दो गुना, तीन गुना ज्यादा सवारी बिठाकर चला रहे हैं । मोटर वेहिकिल ऐक्ट के अन्तर्गत इसमें प्राविधान है । स्पष्ट प्राविधान है कि अगर इस तरह का कोई वाहन सड़क पर चले तो उनके खिलाफ कार्यवाही होगी, उनके लाइसेन्स जब्त किए जायेंगे उन पर पेनाल्टी होगी, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज लगातार एक्सीडेन्ट में वृद्धि होती जा रही है । लोग हजारों की संख्या में मौत के घाट उतर रहे हैं । सड़क दुर्घटना में मारे जा रहे हैं लेकिन मोटर वेहिकिल ऐक्ट का कहीं पालन नहीं हो रहा है, न ही आर० टी० ओ० पालन करते हैं, न ही जो पुलिस कर्मी जिनके क्षेत्र में गाड़ियां चल रही है वहीं इसका कड़ाई से पालन नहीं करते । इसका एक और कारण है कि जो लाइसेन्स निर्गत किए जा रहे हैं बिना चालक का टेस्ट लिए हुए, उनकी परीक्षा लिए हुए उनको लाइसेन्स निर्गत कर दिया जाता है । मुझे एक घटना याद है कि भारत सरकार के प्रेसीडेन्ट के निजी नाम से एक निजी व्यक्ति ने लाइसेन्स मांगा और उसके घर पर लाइसेन्स बन कर चला गया । इण्डिया के प्रेसीडेन्ट के नाम से । मैं आपसे आग्रह करूंगा इस पर कड़ाई से प्रतिबन्ध लगना चाहिए और अगर आवश्यक हो तो मोटर वेहिकिल ऐक्ट में संशोधन किया जाय क्योंकि आज हजारों की संख्या में लोग एक्सीडेन्ट में मर रहे हैं और लोगों के अंग भंग हो रहे हैं इसलिए इस पर नियम–56 के अन्तर्गत चर्चा कराने की कृपा करें ।

* श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है और समाज में होने वाली घटना से इसका सीधा संबंध है। यह दुर्घटनायें केवल एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, बल्कि रोज समाचार-पत्रों की सुर्खियों में बनी रहती है। जितनी जनहानि इस वर्ष मोटर दुर्घटना में, ट्रैक्टर दुर्घटना में और जीप दुर्घटना में तथा टैक्सी दुर्घटना में हुई है उतना और किसी वर्ष में नहीं हुई है। मान्यवर, इन दुर्घटनाओं में सामूहिक रूप से लोग मारे जा रहे हैं। मेरे पास समाचार-पत्र हैं–16 लोग मारे गये, 11 लोग मारे गये, 17 लोग मारे गये और 22 लोग मारे गये तथा ट्राली उलट गयी इब्राहिमपुर घाट के पास जिसमें बारात जा रही थी। इस घटना के कारण वहां लोगों में प्रचण्ड आक्रोश भी बढ़ा और माननीय सिंचाई मंत्री जी उधर से आ रहे थे उन्हें भी रोक लिया गया और उनके साथ भी जो घटना घटी वह भी अखबार की सुर्खियों में रहीं। आखिर इन घटनाओं में क्यों वृद्धि हो रही है इसका एक सीधा सा जवाब है, इसके लिए हमारी परिवहन नीति दोषी है।

आज कहीं पर चोरी होती है या नियम विरुद्ध कार्य होता है तो पुलिस सक्रिय हो जाती है परन्तु आज ज्यादातर पुलिस स्टेशनों के पास टैक्सी स्टैण्ड बने हुये हैं और ये टैक्सी स्टैण्ड आय का जरिया बन गये हैं। जहां जीप पर केवल 7 लोग बैठ सकते हैं वहां आज 17-18 लोग बैठते हैं। ट्राली का उपयोग तो सामान को ढोने के लिए किया जाता है। परन्तु आज इनमें खुलेआम 30-40 लोग बैठकर जाते हैं। इसका कारण क्या है ? परिवहन नीति के तहत इसे परिभाषित नहीं किया गया है। पहले परिवहन विभाग की बसें होती थीं उनको लोग सस्ते दर पर अनुबन्ध कर अपने शादी-ब्याह में काम पर ले आते थे। प्राइवेट बसों को लोग अनुबन्धित कर लेते थे परन्तु आज किसान को ट्रैक्टर का सहारा क्यों लेना पड़ा। मान्यवर, डीजल के दाम आवश्यकता से अधिक बढ़ गये, परिवहन विभाग की बसें उपलब्ध नहीं है, इसलिए लोगों ने विकल्प के तौर पर ट्रैक्टर को चुना। यह सब सरकार की नीतियों का दोष है। जो नयी जीपें आयी हैं उसमें 7-8 लोग ही आ पाते हैं परन्तु आज उनमें 22-23 लोग बैठकर जाते हैं और वह इतनी तेज चलते हैं ताकि उनका नम्बर लग जाय जिसके कारण वह ओवर टेक करते हैं और दुर्घटनायें होती हैं।

इन अवैधानिक सवारियों की ओर से पुलिस विभाग ने आंखे क्यों बन्द कर रखी हैं और परिवहन विभाग ने आंखें क्यों बन्द कर रखी है, इस सबके लिए दोषी कौन है ? जहां तक ट्रैक्टर का सम्बन्ध है। वह मजबूरी में जब किसान को कोई विकल्प नहीं मिलता है तो वह उसको आधार बनाता है परन्तु जो ये जीपे हैं जिनका परमिट देने में कोताही बरती जाती है। मेरा सुझाव है कि आप एक नीति बना दें कि जो बेरोजगार युवक हैं उनको हम ऋण उपलब्ध करायेंगे और हम उनको जीप देंगे और रोजगार देंगे। हम उनको जीप देंगे, रोजगार देंगे।

अगर मान्यवर, शासन की यह नीति बन जाय कि जो बेरोजगार नवयुवक हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर टैक्सी के लिये ऋण उपलब्ध करायेंगे तो इन बहुत सी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। जन हानि को रोका जा सकता है। मैं आपसे बड़ी विनम्रता के साथ और दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं डिटरेन्ट पनिशमेन्ट देना होगा। कोई दण्ड निर्धारित करना होगा। रेवती रमण सिंह ने जो सुझाव दिया है मैं उससे सहमत हूं। पहली बार दण्ड दें उसका लाइसेन्स रोक लें। दूसरी बार के दण्ड में उसकी गाड़ी रोक लें। तमाम इस तरह के कदम उठाये जा सकते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस तरह की नीति बना सकते हैं । आपको कोई दूसरा विकल्प लेना होगा । शासन पूरी तरह से तैयार हो कि हमारे जो बेरोजगार नवजवान हाई स्कूल, इण्टर पास हैं, ग्रेजुएट हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेन्स है उनको ज्यादा पैमाने पर ऋण उपलब्ध करायें बस, जीप उपलब्ध कराई जायं तो यह विकल्प होगा कि जहां 7 सवारियों की जगह 22-22 लोग बैठते हैं, जैसे ट्रैक्टर पर न चाहते हुए भी लोग बैठते हैं, जाना-आना है और कोई रास्ता नहीं है सवारी नहीं है तो उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं रह जाता कि वे इस तरह से बैठकर जायं । मान्यवर, इसके लिये परिवहन नीति दोषी है । मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आपसे आग्रह करूंगा कि यह एक सार्वजनिक समस्या है, हमने अपनी बात कह दी और भी सदस्य कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाये हैं । इससे ज्यादा लोकमहत्व का प्रश्न और क्या होगा इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस पर चर्चा निर्धारित कर दें पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों के विचार इस पर आ जायं । एक परिवहन नीति सर्वसम्मति से बन जाय जिससे ओवर लोडिंग की समस्या से मुक्ति मिल जाय ।

* श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, पिछले 2/2 महीने में 500 से अधिक लोग इस प्रदेश में या तो इन्तकाल कर गये एक्सीडेन्ट में या पूरी तरह से घायल हैं । आज इतनी बड़ी संख्या में दुर्घटना हो रही है इससे ज्यादा इतनी बड़ी संख्या में नहीं होती थी । यह सही है मान्यवर, पहले गरीब आदमी सस्ते किराये पर रोडवेज की गाड़ियां ले लेता था शादी ब्याह में जाने के लिये आज बड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि हमारे पास यातायात के साधन कम उपलब्ध हैं । मान्यवर, आप टैम्पो को देख लीजिए उसमें 8 आदमी बैठने चाहिए लेकिन उसमें 25-25 आदमी बैठकर चलते हैं क्योंकि जरूरी है आना-जाना है । इसी तरह से जीप में भी 7-8 लोग बैठने चाहिए और सवारियों की कमी होने के कारण से उसमें भी 15-20-25 आदमी बैठ रहे हैं । क्या करें जरूरत है । इसलिये मेरा कहना है कि एक नीति जरूर बननी चाहिए । पहले लोग रोडवेज की बसें किराये पर ले लिया करते थे । आज आपका आर०टी०ओ० जाती-आती गाड़ियों से पैसा लेते रहते हैं मगर इस पर कोई आपत्ति नहीं करता कि इतनी सवारियां क्यों ले जा रहे हैं । पुलिस डिपार्टमेन्ट वाले भी नहीं देखते कि कितने लोग गाड़ी में जा रहे हैं ? मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा करा लें ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अध्यक्ष जी, यह अत्यन्त लोक महत्व का विषय है और मैं इस बात को नहीं दोहराना चाहता कि आये दिन प्रदेश में थोकभाव से मार्ग दुर्घटनाओं में लोगों की जानें जा रही हैं । यह अविलम्बनीय विषय है और इस सम्मानित सदन में इस पर चर्चा आवश्यक है उत्तर प्रदेश की सरकार इस सबसे बड़े ज्वलन्त सवाल पर संवेदनशील नहीं दिख रही है । श्रीमन्, मैं निःसंकोच इस बात को कहना चाहता हूं कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में यात्रियों की संख्या को देखते हुए सरकार ने अपनी परिवहन नीति को इस ढंग से नहीं बनाया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सड़कों पर बड़ी गाड़ियां दौड़ें । आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार की ऐसी नीति है कि राज्य सड़क परिवहन निगम भी निजी क्षेत्र के आधिपत्य में होता चला जा रहा है । अनुबन्धित बसों की संख्या में निरन्तर हो रही बढ़ोत्तरी से सार्वजनिक क्षेत्र का यह संस्थान निजी क्षेत्र के मातहत होता जा रहा है । आज सड़कों पर बड़े पैमाने पर यात्रियों की भीड़ है रोडवेज की बसें लोगों को नहीं मिलती हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई साधन नहीं मिलता है मजबूर होकर यात्रियों को ऐसे वाहनों को जिनके चालक प्रशिक्षित नहीं है यात्रा करनी पड़ती है जिसके चलते यात्रियों को अपनी जिन्दगी खतरे में डालनी पड़ती है । यह बहुत ही चिन्ताजनक बात है आजकल रोड एक्सीडेन्ट में तमाम लोगों की जाने जा रही है किन्तु प्रदेश सरकार

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

द्वारा इसके रोकथाम हेतु कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है । रोड एक्सीडेन्ट में दुर्घटनाओं में जो बड़े पैमाने पर लोगों की जानें जा रही हैं इसमें दोषी परिवहन विभाग तथा पुलिस विभाग है ।

श्री अध्यक्ष–

बात आ गई है ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

आज इतने बड़े पैमाने पर लोगों की जानें जा रही हैं । मान्यवर, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का तात्कालिक प्रश्न है इस पर सदन की कार्यवाही को स्थगित करके चर्चा करायें ।

(सेल्युलर फोन के बजने की आवाज आने पर)

श्री अध्यक्ष–

यह सेल्युलर फोन किसका बोल रहा है बन्द कर दें वरना जब्त कर लिया जाएगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, अगर इस पर चर्चा स्वीकार करेंगे तो उत्तर आएगा प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में मृत्यु की कितनी दुर्घटनायें हो रही हैं मृत्यु दर की संख्या बता दी जायेगी । मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में मृत्यु दर का सबसे बड़ा कारण रोड एक्सीडेन्ट हैं । मान्यवर, लखनऊ सीतापुर के बीच पांच दुर्घटनाओं का औसत है लखनऊ गोरखपुर के रास्ते पर प्रतिदिन आठ दुर्घटनायें होती हैं इसका प्रमुख कारण है कि प्रत्येक जनपद में जो हमारे रूट्स थे और दस वर्ष के पूर्व के रूट्स थे जहां रोडवेज की बसें बन्द हो रही हैं जो नये रूट्स बने हैं वह राष्ट्रीयकृत नहीं किए जा रहे हैं । सड़कों का विस्तार हो रहा है लेकिन प्राइवेट बसें उपलब्ध नहीं है, अवैध रूप से टैक्सियां चल रही हैं हरदोई में दस वर्ष पूर्व जो थे वह आज भी है । जो नई सड़कें 20-25 किलोमीटर बनी हैं उसमें आवागमन का साधन नहीं है कुछ लोग जर्जर गाड़ियों को लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए चलाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जैसे लोगों को कचहरी, मण्डल मुख्यालय जाना पड़ा है साधनों की समस्या है तो लोग अपनी जर्जर गाड़ियां चलाते हैं जिससे प्रदेश में आये दिन दुर्घटनायें बढ़ रही हैं । इसकी सीधी-सीधी जिम्मेदारी सरकार की है ।

प्रदेश में परिवहन की सुविधा प्रदान कराने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है ।

(इस समय 1 बजकर 18 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बालचन्द्र मिश्र पीठासीन हुए ।)

यात्रियों के अनुरूप बसों की संख्या नहीं है बसों की आवश्यकता बढ़ रही है यह सरकार बसें उपलब्ध नहीं करा सकती है । अवैध रूप से टैक्सियां चल रही हैं । अगर किसी की दुर्घटना में मृत्यु होती है तो उसके परिवार को क्लेम नहीं मिलता है इश्योरेन्स का पैसा नहीं मिलता है उनका परिवार बच्चे अनाथ हो जाते हैं इससे गंभीर बात और क्या हो सकती है यदि कोई अपराध करता है तो आई०पी०सी० और सी०आर०पी०सी० की धारायें हैं लेकिन एक्सीडेन्ट से जो लोग मर रहे हैं इसके लिए कुछ नहीं किया जाता है इंश्योरेन्स का पैसा नहीं मिलता है क्योंकि जब गाड़ी इन्श्योर्ड होगी तभी क्लेम मिलेगा । यह लोक महत्व का है और तात्कालिक भी है । मैं समझता हूं कि इसे कार्य-स्थगन में स्वीकार कराकर चर्चा करा लें । मान्यवर, आप फिल्म नीति बना रहे हैं लेकिन आप कृषि नीति नहीं बना पाये, परिवहन नीति नहीं बना पाये हैं तो यह महत्वपूर्ण नीति आप नहीं बना पाये हैं जिससे यह दुर्घटना हो रही है । मैं चाहूंगा आप इसे कार्य-स्थगन के रूप में स्वीकार करें ।

डा० अशोक बाजपेई–

मान्यवर, बड़े ही गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है । आज प्रदेश में जिस तरह से वाहन अनियंत्रित तरीके से बढ़ रहे हैं उससे आये दिन दुर्घटनायें हो रही हैं और परिवार काल कालवलि हो रहे हैं । अभी

पिहानी के पास जहानीखेड़ा में जिला पूर्ति अधिकारी का एक परिवार जा रहा था, दुर्घटना हुई और वह परिवार पूरा मर गया। तो इस तरह से आये दिन दुर्घटनायें हो रही हैं। सरकार की न तो कोई स्पष्ट वाहन नीति है और न ही कोई कन्ट्रोल है। आज पुलिस जिस तरह से अवैध वाहनों के संचालन में सहभागी की भूमिका निभा रही है, चाहे कि वह किसी प्रकार का संचालन हो टैम्पो का हो, टैक्सी का हो, जीप का हो इससे भी मार्ग दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके लिए मैं चाहूंगा कि प्रदेश व्यापी अध्ययन कराया जाय कि कितने यात्री निकलते हैं और कितने वाहनों की वहां पर आवश्यकता है और उसके अनुसार परमिट जारी किया जायं ?

जो राष्ट्रीयकृत और राज्यकृत मार्ग हैं जहां पर 15 वाहनों की आवश्यकता है मगर राज्य परिवहन निगम वाले एक दो वाहन चला रहे हैं और जिसका नतीजा यह हो रहा है कि परेशान यात्री टैक्सी, टैम्पो, जीपों पर इधर-उधर लटकते हुए एक में दस-दस बारह-बारह यात्री बैठकर यात्रा कर रहे हैं जिससे दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसी दुर्घटनाएं पिछले एक वर्ष से हो रही हैं। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा गंभीर विषय और कोई नहीं हो सकता है। इस पर विचार किया जाय और एक नीति बनायी जाय। इसका सर्वेक्षण कराया जाय कि किन मार्गों पर कितनी बसों की आवश्यकता है कितने यात्री हैं उसी के अनुरूप वाहन चलाये जायें और परमिट जारी किये जायें। एक दूसरा कारण यह है कि आर०टी०ओ० में पैसा देकर जो पुरानी गाड़ियां हैं, सन् 78 की गाड़ियां हैं उनको परमिट मिल रहे हैं। एक योजना चली थी कि 15 साल पुराने वाहनों के परमिट जारी नहीं किये जायेंगे लेकिन वह भी सिर्फ कागजों में हैं पुराने वाहन चल रहे हैं और यात्री मर रहे हैं। वह गाड़ियां जिनके इंजन पुराने पड़ गये हैं वह चल रहे हैं और यात्री मर रहे हैं। आज लखनऊ, कानपुर रोड पर और सीतापुर रोड पर देख लीजिए। सीतापुर रोड को दुर्घटना रोड बना दिया गया है। मैं चाहूंगा कि गंभीरता से लें और इसमें चिन्तन करें, जो अनियंत्रित वाहन बढ़ रहे हैं उस पर अंकुश लगाया जाय, वाहन की समय सीमा निर्धारित की जाय। जो नौजवान देश के काम में आता। आज वह नौजवान दुर्घटना में मर रहे हैं। माननीय सदस्य भी चोट खा रहे हैं। एक दो साल पहले एक आई०जी० थे वह दुर्घटना में मारे गये।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, यह जनजीवन से जुड़ी हुई गंभीर समस्या है। यातायात दुर्घटनाओं की। मान्यवर, वर्ष 1995 में राष्ट्रीय मार्ग, प्रान्तीय मार्ग और अन्य मार्गों पर कुल मिलाकर 16,644 सड़क दुर्घटनायें हुईं। वर्ष 1996 में 16,475 दुर्घटनाएं हुई। वर्ष 1997 में 16,648 दुर्घटनाएं हुई इन दुर्घटनाओं में किसी वर्ष 10 हजार, किसी वर्ष 9 हजार व्यक्तियों के प्राण चले गये। यह गंभीर स्थिति इस प्रदेश की है और मान्यवर, इससे अधिक व्यक्ति तो इनमें घायल हुए। बहुत से वाहन मान्यवर, ऐसे हैं जो पंजीकृत भी नहीं है या पंजीकृत हैं तो उनके पास वैध परमिट नहीं है और वह उन मार्गों पर चल भी रहे हैं इससे एक तो राजस्व की हानि हो रही है। मान्यवर, उनको परमिट दे दें तो वह इन मार्गों पर चलें नियमानुसार उससे आय भी होगी। मान्यवर, वैध परमिट न होने से न तो उनको बीमा का लाभ मिल सकता है सवारियों को और न दूसरी सरकारी सहायता। अभी यह भी बात आई कि बहुत से वाहन ऐसे हैं जो एक जुगाड़ जिसे कहते हैं उससे चलते हैं जिसका कोई मानक नहीं है कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है उससे जो दुर्घटनाएं होती हैं उससे जीवन की हानि होती है।

मान्यवर, जो परिवहन विभाग पुलिस विभाग के सहयोग से अवैध संचालन हो रहा है यातायात के साधनों का इसमें जो माफिया तत्व है वह भी शामिल है उनको इसमें आर्थिक रूप से काफी लाभ हो रहा है। दूसरी ओर सरकार को राजस्व हानि हो रही है। मान्यवर, इन तीन दूरियों पर यदि नियंत्रण नहीं किया गया तो कानून व्यवस्था तो प्रभावित हो रही है लोगों का जीवन भी जा रहा है। अभी यह भी बात आई कि ऐसे वाहन भी हैं जो 15 वर्ष का जीवन समाप्त होने के बाद भी चल रहे हैं वह मान्यवर,

पर्यावरण को भी प्रदूषित कर रहे हैं। यह बहुआयामी समस्या अवैध संचालन के फलस्वरूप बन रही है। इसे सरकार गंभीरता से ले। अभी यह बात आई कि परिवहन विभाग के बजट पर क्यों नहीं कहा गया, मान्यवर, अगर पूरे 24 दिन अनुदान के मांगों पर चर्चा पर मिले तो हमें अवसर मिल सकता है वह समय मिल नहीं पाता। दूसरे 5 मिनट में ही अपनी बात कहनी होती है जो संभव नहीं होता है।

[समय 1 बजकर 30 मिनट]

श्री अधिष्ठाता–

श्री रामतेज जी, कृपया स्थान ग्रहण करें, आपके हस्ताक्षर नहीं हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

कई माननीय सदस्यगणों ने कार्य-स्थगन के माध्यम से मार्ग दुर्घटनाओं की ओर तथा जो अनियमिततायें हो रही हैं, की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया। मान्यवर, इससे पूर्व कि मैं इस विषय पर कुछ कहूं। मार्ग दुर्घटनायें तो हो रही हैं लेकिन जो दुर्घटनायें प्रतिदिन इस सदन की मर्यादा के प्रति, परम्पराओं के प्रति, इसके नियमों के प्रति हो रही है, उसका भी कुछ न कुछ इलाज सोचना होगा। अगर इस विषय की इतनी ही अविलम्बनीयता माननीय सदस्यों के मन में थी तो 27 तारीख को जब अनुदान प्रस्तुत हुआ था, परिवहन विभाग का, उस समय यह अवसर था। कार्य-स्थगन इस बात का अवसर होता है, जिस बात को उठाने का अवसर नहीं मिल पाया हो यदि लोग चाहते हैं कि कार्य-स्थगन के माध्यम से एजेण्डा स्थगित हो जाये ..

कुंवर रेवती रमण सिंह–

आप अध्यक्ष पीठ को चुनौती दे रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह–

मैं किसी के ऊपर लांछन नहीं लगा रहा हूं। चूंकि ग्राह्यता के ऊपर बात हो रही है, यह इसलिये भी अग्राह्य है क्योंकि इसके ऊपर चर्चा का विशेष अवसर मिल चुका है, इस अवसर पर इन लोगों को लाभ उठाना चाहिये था। दूसरी बात आज इस बात की आवश्यकता है, गंभीरता से इस विषय पर दोनों पक्ष मिलकर विचार करें कि इस समस्या का समाधान क्या हो, कुछ ने कहा कि इसका अध्ययन कराना चाहिये। हमने अध्ययन कराया है, आज हम निर्धारित करने जा रहे हैं कि किस रूट पर कितनी बसें चलाई जायें। सरकार इसके बारे में बराबर विचार कर रही है। मुझे विश्वास है कि बहुत ही अल्प अवधि में, जिन समस्याओं का उल्लेख किया गया है। उन समस्याओं के संबंध में निर्णय होंगे।

दूसरी बात कहना चाहूंगा कि एक नया वाहन ईजाद हुआ है, उसका नाम है, जुगाड़, ऐसा वाहन है जिसमें कुछ हिस्सा पम्पिंग सेठ का लेकर आगे रख दिया है, गियर लगा दिया और पीछे ट्राली का हिस्सा जोड़ दिया, इसमें न कोई नम्बर है, न कोई रजिस्ट्रेशन है, न ड्राईवर के पास लाइसेन्स है और जो लोग बैठ रहे हैं, ईश्वर की इच्छा है कि वह अपने गंतव्य तक पहुंच जायें या न पहुंच जायें। कई दुर्घटनायें हो चुकी हैं। कुछ लोग नाजायज तरीके से शोषण कर रहे हैं। यह मैं मानता हूं कि गंभीरता से इन तमाम बुराइयों की ओर ध्यान जाना चाहिये और कार्यवाही भी होनी चाहिये। जहां तक दुर्घटनाओं की बात है, हम कोई ऐसा काम न होने दें, जिससे मानव जीवन को खतरे का सामना करना पड़े। सरकार इसके बारे में संवेदनशील है, चिन्तित भी है, और हम कार्यवाही कर भी रहे हैं।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, इस पर चर्चा अवश्य मंजूर कर ली जाय।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह, अम्बरीष कुमार, अशोक बाजपेयी, प्रमोद कुमार, जगदम्बिका पाल, सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, कौकब हमीद को मैंने इस सूचना पर सुना और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद इस सूचना को मैं नियम–56 में अग्राह्य घोषित करता हूं। अगली सूचना कौकब हमीद की है, वह नहीं हैं। अगली सूचना श्री समरपाल सिंह की है।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस लोक महत्व के विषय पर बोलने की अनुमति दी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हमारे उत्तर प्रदेश के विभिन्न प्राधिकरणों में हजारों की संख्या में अवर अभियन्ता सहायक अभियन्ता हैं जो वर्षों से वर्कचार्ज और डेलीवेजेज पर काम कर रहे हैं।

मान्यवर, यह सहायक अभियन्ता और अवर अभियन्ता विभिन्न विकास प्राधिकरणों में 15-20 साल से काम कर रहे हैं। इनकी नियुक्ति वर्कचार्ज, डेलीवेजेज पर आज से 15-20 वर्षों पूर्व की गयी थी। इन्हें यह विश्वास था कि आने वाले समय में इनको नियमित किया जायेगा और नियमित तनख्वाह मिलेगी परन्तु इतना समय बीत जाने के बाद भी इन सहायक अभियन्ताओं और अवर अभियन्ताओं की नियमित नियुक्ति नहीं की गयी। ये अवर अभियन्ता और सहायक अभियन्ता डिप्लोमा और डिग्रीधारक हैं, इनके मां-बाप ने लाखों रुपया खर्च करके अपने खून-पसीने की कमाई को खर्च करके इनको शिक्षा दिलायी लेकिन आज इनको 60-70 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से तनख्वाह दी जा रही है। अनेक बार सरकार का इस संदर्भ में ध्यान आकर्षित किया गया लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। इनके बच्चे और परिवार 60-70 रुपये में कैसे जीवन-यापन और भरण-पोषण करते होंगे। इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि विभिन्न विकास प्राधिकरणों में यह जो अवर अभियन्ता और सहायक अभियन्ता कार्यरत हैं उनके वेतन में अलग-अलग जगहों पर भिन्नता है, लखनऊ में 60 रुपया प्रतिदिन मिलता है। गाजियाबाद 80 रुपये, मेरठ में 70 रुपये और कानपुर में कुछ और मिल रहा है। हर जगह अलग-अलग दर पर तनख्वाह दी जा रही हैं। सरकार समान कार्य, समान वेतन की नीति का पालन नहीं कर रही है और इनसे सुपरविजन, निर्माण, सड़क निर्माण, भवन निर्माण आदि का पूरा काम लिया जा रहा है। रेग्युलर इंजीनियर को प्रतिमाह 10-15 हजार रुपया तनख्वाह दी जा रही है जबकि इनको 60-70 रुपये रोज की तनख्वाह दी जा रही है। अनेक बार सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया गैर राजनीतिक संगठनों ने सरकार से आग्रह किया लेकिन सरकार इनकी समस्याओं की ओर कतई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार की संवेदनहीनता का मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि इन लोगों को तीन कैटेगरी में रखा गया है। वर्कचार्ज दैनिक वेतन तथा फिक्सड वेतन एक ही समय में एक ही कार्य के लिये अलग-अलग वेतन दिया जा रहा है जो इनके साथ अन्याय है। हजारों परिवार आज सरकारी लापरवाही के कारण भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं और आत्महत्या करने पर मजबूर है। इनका भविष्य इनको अन्धकारमय दिखायी देता है कि परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। मान्यवर, यह तात्कालिक महत्व का प्रश्न है। इनसे काम लिया जा रहा है और यह 60-70 रुपये पर 15-20 वर्षों से कार्यरत हैं जबकि एक साधारण मजदूर जिनका यह सुपरविजन करते हैं उसको 150 रुपये प्रतिदिन मिल रहा है। इस प्रकार से इनका मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। सरकार का इनके प्रति रवैया गैर जिम्मेदाराना का है और सरकार इनके साथ भेदभाव का बर्ताव कर रही है। मान्यवर, यह अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। सदन की समस्त कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरे भी हस्ताक्षर हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

अगर आपने 2 कार्य-स्थगन पेश किये हैं तो दोनों ही अनियमित हो जायेंगे एक दिन में केवल एक कार्य स्थगन दिया जा सकता है ।

मान्यवर, जिस विषय की ओर माननीय समरपाल जी ने ध्यान आकर्षित किया है जहां तक सहायक अभियन्ताओं का प्रश्न है, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुरूप जितने भी विकास प्राधिकरण हैं वहां जितने पद थे उन पर उनको विनियमितीकरण किया जा चुका है । मैं सहायक अभियन्ता के बारे में बात कह रहा हूं जितने पद सृजित थे उस पद के अनुरूप उनका विनियमितीकरण पहले ही किया जा चुका है । दूसरी श्रेणी में आपने ध्यान आकर्षित किया अवर अभियन्ताओं के बारे में, अवर अभियन्ताओं के विनियमितीकरण का प्रकरण उच्च न्यायालय में लम्बित है, जैसे ही वहां से तय होगा, कार्यवाही की जायेगी । एक बात हमें ध्यान में रखना चाहिए कि यह जो दैनिक वेतन और वर्कचार्ज वाले अधिकारी कर्मचारी रखे जाते हैं, कभी तो इसके पीछे कारण यह बनता था कि उसकी आवश्यकता पड़ती थी और आवश्यकता के अनुरूप वर्कचार्ज पर किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए रखा जाता था, किसी परियोजना के लिए रखा जाता था, जैसे ही परियोजना समाप्त होती थी वह वैसे ही समाप्त हो जाता था । कुछ अधिकारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग करके अपने अधिकार से बाहर जाकर, बिना शासन के संज्ञान में लाये ही कुछ लोगों को नियुक्त कर दिया, कोई पद सृजित नहीं किया गया, शासन की स्वीकृति नहीं ली गयी नौकरी दिया गया, उसके बाद कहेंगे कि हमको कन्फर्म कीजिए । एक ओर कहा जाता है कि राजस्व व्यय बहुत बढ़ रहा है, उसको कम कीजिए, दूसरी ओर कहा जाता है कि उनको नौकरी दी जाये चाहे उनकी नियुक्ति सही ढंग से की गयी हो या नहीं ।

सहायक अभियन्ता का पद लोक सेवा आयोग की परिधि में आता है इसलिए उसकी संस्तुति आवश्यक है । सरकार इतनी संवेदनशील है कि जहां पद हैं उसके विरुद्ध सहायक अभियन्ता रखे गये हैं । अवर अभियन्ताओं का मामला न्यायालय में लम्बित है, उस पर निर्णय के बाद ही कुछ विचार किया जा सकता है ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि अधिकारियों ने नियमों के विपरीत जाकर के नियमों के खिलाफ बिना काम के, वर्कचार्ज और डेलीवेजेज पर रख लिया । उनको निकाला नहीं गया । इसका मतलब है उनको रखने की आवश्यकता थी । माननीय मंत्री जी और सरकार के संज्ञान में है कुछ अधिकारियों ने अनियमितता की है तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? दूसरे जितने पद सृजित थे, नियमित कर दिया । कुछ पद न होने के बावजूद भी काम कर रहे हैं । ऐसे अवर अभियन्ताओं के लिए पद सृजित करने की कृपा करेंगे जो वर्कचार्ज पर या डेलीवेजेज पर काम कर रहे हैं, उनको भी आप नियमित करेंगे । आपने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा लम्बित है । जब सरकार में न्याय नहीं मिला तो मजबूर लोग न्यायालय में गये, आपसे निराश होकर गये । अगर आप आश्वासन दे दें तो वह मुकदमा वापस ले लेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

समरपाल जी इस पर चर्चा नहीं हो रही है । ग्राह्यता पर सुना जा रहा है ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, तमाम अवर अभियन्ता अल्प वेतन पर काम करने पर मजबूर हैं । मंत्री जी ने सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का हवाला दिया, अगर मंत्री जी आश्वासन दे दें मुकदमा वापस ले लिया जायेगा ।

श्री हुकुम सिंह–

आज ही प्रश्न था और अधिकारियों के बारे में जानकारी भी चाही गई थी । कई अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है, निलम्बित भी किए गये हैं । जहां-जहां इस तरह की जानकारी आती रहेगी कार्यवाही की जाती रहेगी । मण्डी परिषद् के डायरेक्टर के खिलाफ कार्यवाही की गई । गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के वी०सी० के विरुद्ध कार्यवाही की गई । जिन लोगों ने यह काम किए हैं वह संज्ञान में जैसे-जैसे आते रहेंगे वैसे-वैसे कार्यवाही होती रहेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना पर श्री समर पाल सिंह और संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त में नियम–56 में इसे अग्राह्य करता हूं ।

अगली सूचना डा० धर्मज्ञ मिश्र और श्री दीपक कुमार की है ।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

माननीय अधिष्ठाता महोदय यह प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का और गरीबों से जुड़ा हुआ प्रश्न है । यह सरकार [x x x] प्रचार कर रही है कि हम गरीबों को राहत बांटेंगे । पूरे प्रदेश में इतनी बाढ़ आई इतनी अतिवृष्टि हुई इस संबंध में इन्होंने प्रचार किया कि एक एकड़ जमीन पर जिसका नुकसान हो जायेगा उसको पांच सौ रुपये से बढ़ाकर एक हजार रुपये राहत देंगे । आज तक किसी भी व्यक्ति को राहत एक एकड़ फसल नष्ट होने पर इसके अतिरिक्त नहीं दी गई । हमारे क्षेत्र में किसी भी ऐसे व्यक्ति को राहत नहीं मिली । जबकि 182 गांव हमारे क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित हुए हैं । अतिवृष्टि से पूरा क्षेत्र प्रभावित हुआ है आज तक पूरी राहत नहीं बांटी गयी है । यह मुख्य मंत्री का 23 तारीख का वक्तव्य है कि हम एक हजार नकद सहायता देंगे तथा आज तक पांच सौ रुपये की सामग्री देते हैं । सहायता नहीं मिली । मुख्य मंत्री [x x] प्रचार कर रहे हैं । सूचना जन सम्पर्क विभाग के मासिक पत्रिका में उत्तर प्रदेश में [x x] प्रचार किया जा रहा है । उसमें यह कहा गया है कि मुख्य मंत्री जी ने यह निर्णय लिया है कि बीज फ्री देंगे, वह भी पूरे ग्रामों में नहीं बांटा गया तमाम ग्राम छोड़ दिये गये हैं । किसानों का बाढ़ पीड़ितों का हक मारा जा रहा है ।

यह सरकार किसानों की विरोधी है । संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं कि हमने इतना बांटा है । लेकिन केवल कागज पर बांटा गया है । आप किसी गांव में चले जाएं मैं स्वयं प्राक्कलन समिति में गया था आपने भेजा था मैं जहां-जहां गया, वहां कहीं पर निर्धारित मात्रा अनुसार सहायता नहीं बांटी गई । यह जनता के साथ खिलवाड़ करके [x x] प्रचार किया जा रहा है । 23 तारीख को मुख्य मंत्री जी ने वक्तव्य दिया कि मकान गिरने पर पांच हजार रुपये नकद और आंशिक पर छः पांच रुपये की देने का निर्णय लिया है । हमारे यहां 186 गांव जलमग्न हो गए । लेकिन आज तक हजारों लोगों को कोई सहायता नहीं दी गई । इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करा ली जाए । मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

सबको बंदूकों के लाइसेन्स देंगे । लेकिन आज तक बंदूकों के लाइसेन्स नहीं मिल रहे हैं । हजारों लोग चक्कर काट रहे हैं । [x x x] प्रचार बन्द करें ।

श्री अधिष्ठाता–

[x x x] शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा एवं जो आरोप लगाया है वह आरोप निकाल देंगे ।

* श्री दीपक कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने इस गंभीर समस्या पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद । डा० धर्मज्ञ मिश्र जी ने जैसा बताया कि यह अपने आपको संवेदनशील कहने वाली सरकार और अपने को किसानों का शुभचिन्तक कहने वाली सरकार और माननीय नेता सदन ने इसी सदन में घोषणा की थी कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जो प्रभावित परिवार हैं उनके लिए विशेष कार्यक्रम चलाये जायेंगे । उनको राहत सामग्री दी जायेगी, ध्वस्त मकानों के निर्माण के लिए 25 हजार रुपये आर्थिक सहायता दी जायेगी और जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उन सबको एक-एक हजार रुपया प्रति परिवार आर्थिक सहायता देने का वायदा इस सरकार ने किया था । माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में वक्तव्य भी दिया था । मैं पूरे प्रदेश की बात तो नहीं जानता लेकिन लखनऊ मण्डल में किसी भी जनपद में कोई भी आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गयी । जिन लोगों ने नाव लगाने का काम किया उन नागरिकों को आज तक उनकी मेहनताना का भुगतान नहीं किया गया । 15 लाख रुपये नाविक श्रमिकों का बाकी है, होली के त्योहार से पहले उन्नाव जनपद के नाविकों द्वारा जिला अधिकारी का घेराव किया गया परन्तु उनको किसी प्रकार का पैसा नहीं मिला । अब उन बेचारों ने कैसे अपना होली का त्योहार मनाया होगा ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस संबंध में पूरे प्रकरण की जांच कराने की मैं मांग करता हूं पूरे तथ्य सामने हैं यह गूंगी और बहरी सरकार है इसलिए आपसे अनुरोध है कि लोकमहत्व के गंभीर प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, आपकी कृपा से यह कार्य-स्थगन का प्रस्ताव दूसरी बार इस सदन में आया है और पहले भी यह आया था । माननीय मिश्रा जी ने और श्री दीपक कुमार जी ने ध्यान आकर्षित किया है । मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं जहां तक राहत के रूप में धनराशि वितरित करने का सवाल है । उन्नाव में एक करोड़ 12 लाख 70 हजार रुपये तथा हरदोई में एक करोड़ 49 लाख 70 हजार रुपये राहत निधि के रूप में उपलब्ध कराया गया और इसके अलावा जितनी राजस्व वसूलियां थीं उनको स्थगित किया गया और सरकारी जो अन्य देय थे उनकी वसूली को स्थगित किया गया और गेहूं के बीज का वितरण कराया गया जहां तक ओलावृष्टि का संबंध है । 500 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ा कर एक हजार रुपये करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है । जैसे ही यह क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हुये हैं सरकार ने तुरन्त कार्यवाही की है । यही नहीं कोषागार के नियम–27 के अन्तर्गत भी छूट दी गयी ताकि आवश्यकतानुसार राहत कोष में धन उपलब्ध रहे । राहत सामग्री बांटी गयी । यह कह देना सरल है कि सरकार गूंगी और बहरी है । मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार बहुत संवेदनशील है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में इस सरकार द्वारा त्वरित कार्यवाही की गयी है । जितनी सक्रियता के साथ, तेजी के साथ इस

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दैवी आपदा से निपटने का कार्य किया गया यह अभूतपूर्व था । यह कार्य स्थगन के रूप में नहीं आती है इस पर पहले भी चर्चा हो चुकी है ।

श्री अधिष्ठाता–

डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री दीपक कुमार व माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इसे अग्राह्य करता हूं ।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, यह मुख्य मंत्री जी की घोषणा है कि प्रत्येक पीड़ित परिवार को 1500 रुपये की सहायता दी जायेगी । मान्यवर, यह कहां दी गई । मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 186 गांव बाढ़ पीड़ित हैं । मैं कह रहा हूं आप देख लें यदि वहां किसी को पूर्ण रूप से पांच व्यक्तियों को सहायता मिली हो तो मैं सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दूंगा । हजारों लोगों को आज तक सहायता नहीं मिली है ।

श्री अधिष्ठाता–

अपना स्थान ग्रहण करें मिश्र जी ।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

यह गूंगी बहरी सरकार है । सुनती नहीं है । यह कह रहे हैं कि फरवरी खत्म हो गयी है अब बीज नहीं बटेगा तो इसमें गलती किसकी है ?

(डा० धर्मज्ञ मिश्र के जोर-जोर से बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मिश्र जी, स्थान ग्रहण करें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मुझे इस सूचना पर कुछ नहीं कहना है । मेरा कहना है कि जो तथ्य कम पड़ रहे थे नियम–56 में ग्राह्यता के लिये उसको माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपनी सूचना से जोड़ दिया । अब यह चर्चा के लिये उपर्युक्त हो गया है, इस पर चर्चा करा लें । डा० धर्मज्ञ मिश्र जी का निवेदन सुन लें और चर्चा करा लें ।

श्री दीपक कुमार–

संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह पता नहीं कि तथ्यों और आधार को लेकर दिया है उन्नाव में जो । करोड़ कुछ लाख रुपये खर्च किये जाने की बात कही है वह पता नहीं कहां और किस मद में खर्च किये गये हैं । मैं विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि जिन मल्लाहों ने मजदूरी करके नाव को चलाने का काम किया है वे मजदूरी मांगने के लिये होली से 4 दिन पहले डी० एम० उन्नाव का घेराव किया वे ज्ञापन लेकर गये थे लेकिन उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ । यह जो माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि इतना रुपया खर्च किया तो मान्यवर, मंत्री जी कम से कम इसका ब्रेकअप बता दें ।

श्री अधिष्ठाता–

शासन की तरफ से सूचना आ गई । मान लीजिये उसमें कोई विशेष प्रकरण आपके संज्ञान में है जो शासन ने सूचना दी है उसके विपरीत है तो आप लिखकर अलग से दीजिये, अगर गड़बड़ी की गई है तो जांच हो जायेगी ।

श्री हुकुम सिंह–

यह वास्तव में चिन्ता की बात है इसमें कोई दो राय नहीं है । जो धनराशि गई है वह राहत के नाम से गई है और राहत के रूप में बांटी गई है । दोनों माननीय सदस्य चिन्ता कर रहे हैं कि यह जो 1 करोड़ 49 लाख 70 हजार रुपये और 1 करोड़, 22 लाख 50 हजार रुपये तो यह निश्चित रूप से इन क्षेत्रों में बाढ़ पीड़ितों के सहायता हेतु दिये गये हैं । मैं आपका आभारी होऊंगा अगर आप ऐसे परिवारों की सूची दे दें जिन को राहत उपलब्ध नहीं हुई । कम से कम एक आधार बनेगा कार्यवाही करने का । जिन क्षेत्रों में इतनी धनराशि बाढ़ पीड़ितों के लिये गई और वहां पर परिवारों को नहीं मिली तो यह चिन्ता का विषय है आप वहां के जन प्रतिनिधि हैं कृपा करके सूची मुझे दे दें मैं जांच करवा लूंगा ।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

हजारों मकान गिरे हैं तहसील से सूची मंगा ली जाए और जिसकी जांच करा ली जाए ।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठ जाएं बात आ गई है ।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

माननीय मुख्य मंत्री जी का संदेश है उन्होंने कहा है कि हम प्रत्येक परिवार को 1,500 रुपये की राहत देंगे लेकिन 100-100 रुपये की राहत देने का काम किया गया है इस तरह से बाढ़ पीड़ितों के साथ विश्वासघात किया गया है इस पर चर्चा कराई जाए ।

(डा० धर्मज्ञ मिश्र के अपने स्थान से उठकर थोड़ा आगे बढ़ने पर)

श्री अधिष्ठाता–

अपना स्थान ग्रहण करें ।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

हमारे यहां पूरी तरह से सहायता नहीं दी गई है । अगर दी गई हो तो [x x x]

(व्यवधान)

यह पूरे प्रदेश का मामला है मुख्य मंत्री जी को अधिकारियों ने फर्जी आंकड़े दिए हैं एक डेढ़ करोड़ रुपया बांट दिया उससे कोई फायदा नहीं है । आपके क्षेत्र में बाढ़ आती है । मान्यवर, करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है ।

श्री अधिष्ठाता–

अपना स्थान ग्रहण करें ।

(डा० धर्मज्ञ मिश्र जी अपने स्थान पर वापस चले गए)

श्री अधिष्ठाता–

दोनों माननीय सदस्यों की पूरी बात आ गई है माननीय मंत्री जी ने कहा । उनके पास जो सूचना है वह उन्होंने दी अब अगर धनराशि का वितरण नहीं हुआ है कोई घोटाला हुआ है या कोई परिवार वंचित रह गया है इसके लिए मंत्री जी ने कहा है कि सूची उपलब्ध करा दें तो वह जांच करायेंगे ।

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री संजय गर्ग–

किसी के क्षेत्र में पैसा नहीं पहुंचा है। जहां तक सूची की बात है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की सूची बनवाने का काम इन्होंने किया है हम सूची देंगे तो हो सकता है गलत हो।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोगों से मंत्री जी ने सूची की अपेक्षा नहीं की है। अपेक्षा की है कि आपको लगता है आपके संज्ञान में कोई परिवार है जहां वितरण नहीं हुआ है। वह दे दीजिएगा।

श्री संजय गर्ग–

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं जो सूची उपलब्ध है उसके अनुसार एक प्रतिशत लोगों को सहायता प्रदान नहीं की गई है।

श्री अधिष्ठाता–

जो सूची बनी है उसमें एक प्रतिशत सहायता नहीं दी गई है ? यह लिखकर आप मंत्री जी को दे दें वह जांच करायेंगे वह आश्वस्त कर रहे हैं। आप बाद में सूची दे दीजियेगा।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, बाढ़ से प्रभावित गांवों को एक प्रतिशत राहत देकर टाल दिया गया है। दूसरी बात यह है कि बीज नहीं सभी पात्र ग्रामों में बंटा गया है और तीसरी बात यह है कि जिनके मकान दैवी आपदा में गिर गये हैं माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि उनके उद्धार के लिए धन बांटा जायेगा वह नहीं मिला है। हजारों मकान गिरने वाले आज धन बांटा गया है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मिश्र जी आप बैठ जायें आपकी भावना आ गयी है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, पूरे लखनऊ मण्डल में और अन्य मण्डलों में इस तरह से धांधली हो रही है। माननीय धर्मज्ञ मिश्र जी और माननीय दीपक कुमार जी ने बात उठायी है उसकी गम्भीरता को देखते हुए उनसे सूची ले ली जाय और एक हफ्ते के अन्दर जांच कराकर तत्काल सत्यापित करके धन वितरित करायें। वह दो तीन दिन के अन्दर सूची दे देंगे। नाव का भी कहा गया है। नाविकों को पैसा नहीं मिला है तो उसका भी भुगतान कराया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी स्वयं सूची मांग रहे हैं। वह जांच करा लेंगे।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, तीन दिन में सूची नहीं मिल पायेगी।

श्री दीपक कुमार–

मान्यवर, नाविकों के भुगतान के सम्बन्ध में भुगतान कब तक करा देंगे यह बता दें।

श्री अधिष्ठाता–

जो सूचना है उसी तक सीमित रहिये । मैंने इस सूचना पर श्री दीपक कुमार, डा० धर्मज्ञ मिश्र और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना और सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं । अब मैं अगली सूचना जो श्री भीम प्रसाद सोनकर जी की है, को ले रहा हूं ।

श्री भीम प्रसाद सोनकर–

मान्यवर, समूह "ग" की परीक्षा में .....

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, तहसील में जो सूची बनायी गयी है वह वहां पर उपलब्ध है वहीं से मंगवा लें । 186 गांवों की सूची बनाने में समय लगेगा । फिर भी मैं सूची शीघ्र प्रस्तुत करूंगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, एक सदस्य के जीवन से जुड़ा हुआ गम्भीर प्रश्न उत्पन्न हो गया है । यह माननीय श्री शिवपाल सिंह जी से संबंधित मामला है आप कृपया माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, से बात करके इसका समाधान करा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

संज्ञान में है यह विषय ।

* श्री भीम प्रसाद सोनकर–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में समूह "ग" की परीक्षाएं हुई हैं अम्बेडकर नगर में भी 14 जगह कनिष्ठ लिपिक की थीं जिसमें 68 लोग पास हुए लेकिन उसमें बहुत जगह धान्धली की गई । 14 में केवल 4 लोग रखे गये जिसमें 14 में से 7 अनुसूचित जाति के पद हैं और 7 सामान्य के पद हैं । अनुसूचित जाति के लोगों को साक्षात्कार तक के लिये नहीं बुलाया गयो । नियम विरुद्ध काम हो रहा है । डी० एम० अपने तानाशाही पूर्ण रवैये से अपने 4 रिश्तेदार जो उनसे संबंधित थे उनको रखे । इसमें अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अन्याय हुआ है । भ्रष्टाचार से लिप्त डी० एम० मनमाने तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं । पूरी लिस्ट इसमें मंगवाई जाए ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, बहुत स्पष्ट प्राविधान किया गया है इस समूह "ग" में 21 प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जाति को 2 प्रतिशत जनजाति को और 27 प्रतिशत पिछड़े वर्ग को दिया जायेगा । यह 14 पदों का जिक्र है इसमें यह कहीं नहीं है कि किस विभाग के पद हैं । फिर भी जिलाधिकारी से जानकारी की गयी है जानकारी आ जायेगी मैं आपको बता दूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य श्री भीम प्रसाद जी, और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इसे नियम 56 में अग्राह्य करता हूं ।

(श्री विजय पाल सिंह के उपस्थित न होने पर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, यह सरकार बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की नीतियों का विरोध करने वाली सरकार है । मान्यवर, पिछली सरकारों में दलितों के विकास के लिये गांवों के विकास के लिये अम्बेडकर ग्राम योजना और गांधी ग्राम और स्वर्ण जयन्ती ग्राम में जो चयन हुए उसमें विद्युतीकरण, सम्पर्क मार्गों से जोड़ने का कार्य और दूसरी योजनायें चलाई गयीं । लेकिन इस सरकार में अम्बेडकर ग्रामों के विकास को रोक दिया गया । जो काम जहां से शुरु हुये थे वहां रुके हुये हैं । इन्दिरा आवास योजना में अपात्र व्यक्तियों को लाभ दिया जा रहा है । अम्बेडकर ग्राम, गांधी ग्राम, स्वर्ण जयन्ती ग्राम, जिनको सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जा रहा था, इस सरकार ने उनके धन का आवंटन नहीं किया है, जिससे वास्तव में दलितों को, गरीबों को जो लाभ मिलना चाहिये था, वह नहीं मिल पा रहा है । मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि जो हमारे मनकापुर के गांव हैं, उन गांव को तत्काल धन आवंटन करके तत्काल काम पूरा कराया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं राम विशुन आजाद जी की इस सूचना को नियम–56 में अग्राह्य करते हुये, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

श्री राम विशुन आजाद–

पूरे प्रदेश में जितने भी अम्बेडकर गांव हैं, जितने भी गांधी ग्राम हैं, उनको जोड़ने का काम इस सरकार के पूर्व में चल रहा था । यह सरकार महात्मा गांधी विरोधी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विरोधी हैं, उनकी नीतियों पर चलने वाली सरकार नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप स्थान ग्रहण करिये । पांच सूचनाओं पर मैंने ग्राह्यता हेतु सुना । आपकी छठी सूचना है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है, आपकी पूरी बात आ गई है । अगली सूचना मुन्ना चौहान की है । मुन्ना चौहान जी, इस पर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, यह सम्पूर्ण उत्तरांखण्ड का सवाल है, इसमें आप सुन लीजिये, आपकी कृपा होगी ।

श्री हुकुम सिंह–

मैं एक जानकारी दे दूं । आपको स्मरण होगा कि जब माननीय अध्यक्ष जी आसीन थे तो उन्होंने व्यवस्था दी थी कि एक से लेकर पांच तक ग्राह्यता पर सुना जायेगा बाकी के बारे में कहा था कि शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिये विचार किया जा सकता है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आप इस सदन के बहुत अनुभवी सदस्य हैं और इस पीठ पर भी आपका लम्बा अनुभव है । संसदीय कार्य मंत्री जिस समय सूचना दे रहे थे,उस समय भी उनको ज्ञान था कि 5 के अलावा बाकी सूचनाओं पर कृपापूर्वक अनुमति रोज आपकी हो जाया करती है । यदि आप कोई नई परम्परा डालना चाहते हैं तो उसका उल्लेख आ जाए । आपकी कृपा होगी, मुन्ना चौहान जी को सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अम्बिका जी, आज कार्याधिक्य है और इसी के मद्देनजर माननीय अध्यक्ष जी ने एक व्यवस्था दी थी, इसलिये 5 पर सुन लिया गया बाकी पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, उपर्युक्त व्यवस्था को कल से लागू कर लें। यह ऐसी समस्या है, जिस पर सरकार का चेहरा बेनकाब हो जायेगा। आप भले ही समय सीमित कर दें, उससे एक सेकेन्ड भी ज्यादा माननीय सदस्य नहीं बोलेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

एक व्यवस्था जो पहले है उसमें आप सहयोग करें।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आप श्री मुन्ना चौहान जी को सुन लें।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, नियम 56 के माध्यम से एक ज्वलन्त समस्या की तरफ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। उत्तराखण्ड में आज सारी शिक्षा व्यवस्था ठप हो गयी है।

श्री अधिष्ठाता–

यह आज की व्यवस्था नहीं है, यह पहले की व्यवस्था चली आ रही है कि केवल पांच सूचनाओं पर ही सुना जायेगा।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, इस संबंध में मैंने अध्यक्ष जी से आग्रह किया था चूंकि यह सूचना सम्पूर्ण उत्तराखण्ड से संबंधित है इसलिये उन्होंने कहा था कि ग्राह्यता पर सुन लूंगा। इससे ज्यादा गम्भीर सूचना और नहीं हो सकती है। मान्यवर, सत्ता पक्ष के सात माननीय सदस्यों के इस पर हस्ताक्षर हैं। इन लोगों ने वहां आमरण अनशन और धरने पर बैठने की सूचना जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत किया है इससे ज्यादा गम्भीर प्रश्न और कोई नहीं है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, पत्रावली मेरे पास है वहां के मण्डलीय शिक्षा निदेशक को दो बार निलम्बित किया गया क्योंकि उसने अनियमित कार्य करने से इन्कार कर दिया था। मण्डलीय शिक्षा निदेशक ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया। शिक्षा मंत्री जी एल० टी० ग्रेड के अध्यापकों के 1100 पदों पर अवैध तरीके से नियुक्ति कराना चाहते थे और वहां मैदानी क्षेत्र के आदमियों से मनमाने तरीके से अध्यापक नियुक्त करना चाहते थे लेकिन मण्डलीय शिक्षा निदेशक ने इनकार कर दिया इसलिये उनका दो बार निलम्बन किया गया।

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें आपकी बात आ गयी।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। यह सारे पर्वतीय क्षेत्र के विधायकों की है जिसको भाल आप सुन लें यह सवाल किसी विशेष व्यक्ति का नहीं है। सम्पूर्ण उत्तराखण्ड की शिक्षा व्यवस्था बन्द है। श्रीमन्, मैं कह रहा हूं कि शिक्षा मंत्री जी ने गैर कानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से उसमें दखलंदाजी करके उन नियुक्तियों को निरस्त कराने के लिये दबाव डाल रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इन पत्रों का संज्ञान ले लें। यह मेरे द्वारा नहीं पर्वतीय क्षेत्र के 7 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित हैं। पर्वतीय क्षेत्र के विधायकों, उत्तरांचल विकास मंत्री तथा राज्यमंत्री जी ने इस बात का आग्रह किया है कि जिस तरह से उत्तरांचल के अन्दर शासनादेश के, नियम के विरुद्ध जा करके नियुक्ति और स्थानान्तरण में दखलंदाजी की है उससे यह साफ जाहिर होता है कि इनकी मंशा साफ नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मुन्ना जी अब समाप्त करें। लिखा नहीं जा रहा है।

श्री मुन्ना चौहान–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

मुन्ना जी, अब आप बैठें, लिखा नहीं जा रहा है।

श्री मुन्ना चौहान–

[xxx]

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी मुन्ना चौहान जी ने कहा कि सत्ता पक्ष के विधायकों एवं पर्वतीय विकास मंत्री एवं राज्य मंत्री जी ने माननीय शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किये जाने की मांग की है।

(माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के खड़े होने पर एवं सत्ता पक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान/शोर)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह व्यवस्था के प्रश्न के नाम पर भाषण कर रहे हैं। मुन्ना चौहान जी ने अपनी बात कह दी फिर व्यवस्था का प्रश्न कहां से खड़ा हो गया। यह व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था फैला रहे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी–

[xxx]

श्री हुकुम सिंह–

यह कार्यवाही से निकाला जाये, जो कह रहे हैं वह कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनना चाहिए।

नोट –[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता–

अम्बिका चौधरी जी, आप स्थान ग्रहण करें, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। अम्बिका चौधरी जी जो बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा।

श्री अम्बिका चौधरी–

[xxx]

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, गलत तथ्यों को प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं इसका खण्डन करता हूं।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, हस्ताक्षर मिला लिए जायें।

श्री अधिष्ठाता–

चौहान जी की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री राम ललित चौधरी एवं श्री लालजी वर्मा की नियम–311 में प्राप्त सूचना जो नियम–56 में परिवर्तित की गयी है पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं। नवीं सूचना श्री राजेन्द्र यादव, श्री पीतम राम की है, दसवीं सूचना श्री चन्द्रनाथ सिंह, श्री कमला प्रसाद रावत तथा श्री सरवर अली की है, पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न था उस पर व्यवस्था आ जाए।

श्री अधिष्ठाता–

उस पर व्यवस्था दे दी गयी है।

श्री अम्बिका चौधरी–

आप लोग व्यवस्था के प्रश्न पर इस तरह का शोर करेंगे तो कार्यवाही कैसे चलेगी ?

(इसी मध्य श्री अम्बिका चौधरी अपने दल के अनेक सदस्यों के साथ वेल में आ गये)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन को 2.45 तक स्थगित करता हूं।

(इस समय 2 बजकर 30 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 2 बजकर 45 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री बालचन्द्र मिश्र के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

माननीय सदस्यों द्वारा दी गयी विभिन्न सूचनाओं को उठाने का प्रयास

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

मैं एक सूचना पहले दे दूं। श्री राम औतार शाक्य जी की एक सूचना आयी है माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के बारे में। इस पर मैं विचार कर लूंगा और माननीय मंत्री जी को दिखवाऊंगा कि इसमें क्या है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, कार्य स्थगन प्रस्ताव के रूप में मेरी एक सूचना थी माननीय अध्यक्ष जी ने स्वतः कहा था कि इस पर सुन लूंगा। अव्यवस्थित सदन के दौरान उस सूचना पर आपके कुछ निर्देश हुए हैं। मेरा निवेदन है कि आप उस पर सूचना को कल ले लें या फिर उस पर इसी समय सुन लें।

श्री अधिष्ठाता–

आप एक अनुभवी और वरिष्ठ सदस्य हैं। इस पर शासन का ध्यान आकर्षित कर दिया गया है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, अध्यक्ष जी ने स्वयं कहा था कि इस पर सुन लूंगा यह एक गम्भीर प्रश्न है तीन-तीन ताजा हत्यायें हो चुकी हैं। मैं समय की सीमा की मजबूरी को समझ रहा हूं इसलिए मेरा अनुरोध है कि मैं इसे पुनः दे दूंगा और आप इसे कल ले लें, यही मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, कल सुन लें।

श्री अधिष्ठाता–

कल सूचना दे देंगे और वह सूचना आ जायेगी तो देख लिया जायेगा।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा मद संख्या 8 पर ऊर्जा मंत्री को पुकारे जाने पर)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैंने नियम 110 के अन्तर्गत एक बधाई का प्रस्ताव रखा था उस पर क्या निर्णय हुआ है इसे आप बता दें। श्री अमर्त्यसेन को लेकर है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

अभी तक मेरे पास कुछ नहीं आया है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, अध्यक्ष जी ने कहा था कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को इसकी प्रति भेज दी है और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि कोई प्रति प्राप्त नहीं हुई है। सरकार कह दे कि हम प्रस्ताव नहीं लाना चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

मैं देख रहा हूं। मैं उसे संसदीय कार्यमंत्री जी को भेज रहा हूं अभी गया नहीं है।

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–09 ऊर्जा विभाग

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–09 ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 12,42,01,49,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन्, पिछले वित्तीय वर्ष में भी मुझको मौका मिला था इस सदन में ऊर्जा विभाग की नीति को स्पष्ट करने का । इस वर्ष भी मैं ऊर्जा का बजट प्रस्तुत कर रहा हूं । प्रदेश में ऊर्जा की क्या महत्व है, ऊर्जा की क्या खपत है, ऊर्जा की क्या स्थिति है, ग्रामीण विद्युतीकरण की क्या स्थिति है, कितने कन्ज्यूमर्स हैं, कितनी ऊर्जा चोरी हो रही है । मैं श्री रेवती रमण जी, लालजी वर्मा, मुन्ना सिंह चौहान जी, ओइमवेश जी को विशेष बधायी देना चाहता हूं कि इन्होंने उस दिन सदन में मांग की कि ऊर्जा नीति में आमूल चूल परिवर्तन करने के लिये कड़ाई से नये कदम और नया रिफार्म बिल को लाया जाय तो विपक्ष उसका स्वागत करेगा और सहयोग करेगा । अन्य माननीय सदस्यों ने भी अपने सुझाव रखे थे । उन सुझावों को भी हमने ध्यान में लिया और उन सब का सम्बल लेकर प्रदेश की सरकार ने आज रिफार्म बिल भी रखा है । अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इसके साथ उसे भी प्रस्तुत कर दूं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

उसे अलग रखियेगा । अभी आप मद पर ही बोलें ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

श्रीमन् उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का जो स्वरूप है वह अनमैनेजिबिल था । पारेषण, उत्पादन और वितरण तीनों क्षेत्रों में किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं थी । किसी की कोई लायबिलिटी नहीं थी जो चाहे जो कार्य कर के चला जाय और उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती थी । हमको बिरासत में जो ऊर्जा विभाग मिला वह एक अव्यवस्थित मिला खजाना खाली मिला और प्रदेश की जनता को कष्ट देने वाला ऊर्जा विभाग मिला हमने प्रयास किया कि हम सभी सदस्यों की ज्यादा से ज्यादा मांग को पूरा कर सकें । हमने विद्युत उत्पादन में सुधार करने का प्रयास किया ताकि सत्ता व विपक्ष के सदस्यों की मांग को मानकर अधिकांश मांगों को पूरा करने का प्रयास किया । यह सही है कि उत्तर प्रदेश में पीक आवर में 15% इनर्जी की कमी होती है और जनरल में 8 प्रतिशत की कमी है । हम किसी को दोषारोपण नहीं करना चाहते हैं न हम यह विश्वास करते हैं कि जो सरकारें चली गईं उनका दोष है हमारा यह विश्वास है कि हमको यह जिम्मेदारी मिली है उसमें हम किसी रूप में सुधार करें । जो हमको जनता ने विश्वास किया है हम उसको कायम रखें । ऊर्जा विभाग में हमने बहुत ज्यादा प्रयास किये । हमारी सरकार ने प्रयास किया कि उत्पादन बढ़े पारेषण की नई लाइन पड़े डिस्ट्रीव्यूशन में सुधार हो । जिस अव्यवस्थित रूप में हमको ऊर्जा विभाग मिला था हमने प्रयास करके उसमें गुणात्मक सुधार लाने का प्रयास किया है चाहे लोग उसको पूरी तरह से सफल न मान रहे हों लेकिन जो सदस्य अपने विचार रखेंगे वह इस बात को स्वीकार करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ऊर्जा विभाग में एक आमूल चूल परिवर्तन हुआ है सदस्यों को इस बात की भी शिकायत रहा करती है कि जो वे सुझाव देते हैं बजट के बाद वह पढ़े नहीं जाते ।

मंत्रिगण यहां पर जो घोषणा करते हैं उसका अनुपालन नहीं होता है । हमने यह प्रयास किया है कि जो माननीय सदस्य सुझाव दें उसको हम देखें जो हम सदन में वायदा करते हैं उसको कैसे पूरा करेंगे । आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो विद्युत् उत्पादन हो रहा है वह बढ़ा है । घरेलू और इण्डस्ट्री को हमने वरीयता दी है । 75–76 में घरेलू विद्युत 7.9 प्रतिशत व इण्डस्ट्री का 47.8 प्रतिशत और एग्रीकल्चर का 27 प्रतिशत था । इस वर्ष तक हमने जो एवरेज लिया है कृषि का 34.9 इण्टस्ट्री का 22.3 और घरेलू का 26.8 प्रतिशत है । उत्तर प्रदेश में यह शिकायत रही है कि निजी क्षेत्र के लोगों ने पैसा नहीं खर्च किया ऊर्जा विभाग पर । उसका कारण था कि जो लोग पैसा खर्च करना चाहते थे उनके सामने पैसा रिटर्न की गारन्टी नहीं थी ।

राज्य विद्युत् परिषद् की स्थिति ऐसी नहीं थी कि इसकी गारन्टी दे सके इसलिये उत्तर प्रदेश सरकार ने रेग्युनिटी कमीशन का गठन किया और वह अधिकार इस कमीशन को दिया गया ताकि राज्य विद्युत् परिषद् अपनी मनमानी न कर सकें । जो लोग पूंजी निवेश करें उनको सही रिटर्न मिले । मान्यवर, हमने पिछले साल घोषणा की थी कि प्रत्येक विधायक के पांच-पांच गांव का विद्युतीकरण किया जाएगा प्रत्येक विधायक के 5 गांव स्वीकृत हो गये हैं कुछ कमी रही है जिस कारण अभी सबका ऊर्जीकरण नहीं हो पाया है लेकिन इनके गांव प्राथमिकता के आधार पर ऊर्जीकृत हो रहे हैं । हम अपनी बचन बद्धता पर कायम हैं । पहले यह व्यवस्था थी कि 100 रुपये के स्टाम्प पेपर की अनिवार्यता थी तो अब 100 रुपये के स्टाम्प पेपर की अनिवार्यता को हमने समाप्त कर दिया है ।

इसके अतिरिक्त जो रुरल एरियाज में कटिया लगा ली जाती थी इसके लिये हमने कटिया रेगुलर स्कीम चलाई अब 600 रुपये देकर कनेक्शन ले सकते हैं पहले 1000 रुपया दिया जाता था यह स्कीम 1999 तक लागू की है हमारी सरकार का 15 लाख का लक्ष्य था 12 लाख से ऊपर कन्ज्यूमर बढ़ गये हैं इस वर्ष हमारा 15 लाख का टारगेट पूरा हो जायेगा । एक बात यह भी सामने आई कि उपभोक्ताओं को बहुत परेशानी होती थी उपभोक्ताओं को बिल नहीं मिलते थे या फिर गलत मिलते थे इसके लिये हमने सबसे पहले स्पाट डीलिंग सिस्टम महानगर में चालू किया है । उपभोक्ता जायं रीडिंग बतायें और पैसा दे दें । 6 महीने में एक बार जाकर वह रीडिंग कर लें आम उपभोक्ता की शिकायत थी कि बिल नहीं मिलते हैं मिलते हैं तो देर में मिलते हैं उससे कठिनाई होती थी इसको दूर करने की हमने घोषणा की थी इसको हमने लागू किया है । सरकार अब अन्य जनपदों में भी इसको लागू करने जा रही है ।

ट्रांसफार्मर रिपेयर्स की काम अब हम ज्यादा से ज्यादा राज्य विद्युत परिषद् के वर्कशाप में करायेंगे । मान्यवर, पिछले वर्ष नौ महीने में 11,690 ट्रांसफार्मर रिपेयर हुये हैं । इस बार 13 हजार ट्रांसफार्मर राज्य विद्युत परिषद् के माध्यम से रिपेयर करायेंगे । प्राइवेट लोगों द्वारा जो ट्रांसफार्मर रिपेयर होते थे उसमें धांधली होती थी हम इस धांधली को खत्म करना चाहते हैं । हमनें 6 हजार लोगों की भर्ती की घोषणा की है भर्ती का कार्य शुरू हो गया है इन्टरव्यू चल रहे हैं लोगों ने आवेदन-पत्र दिये हैं । यह इसलिये कर रहे हैं कि लाइन मैन आदि की जो कमियां थीं उसको दूर किया जा सके । लखनऊ में लेसू को लेसा का दर्जा अपग्रेड करके दिया है । ओबरा के नवीनीकरण की घोषणा की थी नवीनीकरण की औपचारिकता पूरी हो गई है प्रक्रिया चल रही है टेण्डर देने की, इसमें फिर निर्णय लिया जायगा कि ओबरा के नवीनीकरण को कितने फेस में किया जाय ।

श्रीमन् हमने यह भी घोषणा की थी कि अब विद्युत् परिषद् के इंजीनियर्स नये कनेक्शन के लिये इस्टीमेट बनाने में मनमानी नहीं कर सकेंगे । राज्य सरकार ने फिक्स कर दिया है । खम्भे के हिसाब से कितना इस्टीमेट बैठेगा, कन्ज्यूमर जानता है कि कितना कनेक्शन की लाइन में रुपया देना पड़ेगा तो यह मानक बना दिये हैं और उसी के अनुरूप कार्य हो रहा है । डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सब स्टेशन कम थे, 180 सब स्टेशन की जरूरत थी पिछले के पिछले वर्ष 35 बने थे इस वर्ष 90 के०वी० के सब स्टेशन बना

दिये हैं । 33 के०वी० के सब स्टेशन बनाने की घोषणा की थी ताकि विद्युत् में गुणात्मक सुधार लाया जा सके हम उसके लिये भी बचनबद्ध हैं । गांव के विद्युतीकरण के लिये भी प्रक्रिया चल रही है । बाढ़ के कारण हम काफी पिछड़ गये थे लेकिन अब वहां पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है ।

श्रीमन् हमने एक वर्ष में जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में वृद्धि करने का प्रयास किया है । हमने आनपारा का प्लान्ट लोड फैक्टर 100 प्रतिशत से ज्यादा रखा जो कि अपने आप में रिकार्ड है । परीक्षा जो विद्युत गृह है उसका प्लान्ट लोड फैक्टर जो कि 27 प्रतिशत से ज्यादा नहीं जाता था उसको हमने 71 प्रतिशत तक ले आये हैं जो कि कीर्तिमान है । विद्युत् की उपलब्धता जो कि पिछले वर्ष 102.8 मिलियन यूनिट थी इस वर्ष 109.8 मिलियन यूनिट उपलब्ध कराई है । टांडा में 110 मेगावाट नई यूनिट चालू करके जनरेशन शुरू कर दिया है । ओबरा में बन्द इकाइयों में से तीन ईकाईयां तथा हरदुआगंज में दो इकाईयों को चालू करके 639 मेगावाट कैपीसिटी का थर्मल जनरेशन बढ़ाया है । आज प्रश्न प्रहर में हमारे पहाड़ के साथियों ने पूछा था मनेरी भाली और लखवाड़ ब्यासी दो परियोजनाओं के बारे में । सरकार ने 100 करोड़ का बजट में प्लान रखा था वहां पर डिस्प्यूट था उसको एक कमेटी बनाकर तय कर लिया है । राज्य सरकार के पास रिपोर्ट आ गई है । हमने सदैरे भी कहा था और अब भी कह रहे हैं कि हम मनेरी भाली और लखवाड़ ब्यासी को बेचने नहीं जा रहे हैं और न ही किसी को देने जा रहे हैं । हमारा मानना था कि उत्तरांचल राज्य बनेगा और जो नई सरकार बनेगी जो नया स्वरूप बनायेगी वह निर्णय उसका होगा वह निर्णय ले । लेकिन जब तक नया राज्य नहीं बन जाता है तब तक कोई काम नहीं रुकेगा यह सरकार की जिम्मेदारी है । हम उसका काम करेंगे । मान्यवर, सेन्ट्रल एसिस्टेंस में उत्तर प्रदेश को 27 सौ मेगावाट बिजली मिलनी चाहिये । हम 16 सौ, 17 सौ मेगावाट नहीं ले पाये । केंन्द्र सरकार ने 27 सौ मेगावाट को कम कर दिया उन्होंने दो हजार मेगावाट कर दिया । हम केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री जी से मिले । उन्होंने हमारे शेयर को फिर से एलाट कर दिया है । राज्य की कैबिनेट ने गारन्टी भी दे दी है । हम पूरी बिजली देंगे जिससे ऊर्जा कम न हो । पारेषण में अप्रैल, 98 से जनवरी 99 तक 132 के०वी० की 158 किलोमीटर सर्किट लाइनें, 220 के०वी० की 400 के०वी० की 668 नई लाइनों का निर्माण किया है । 132 के०वी० के नये 2 हमने सब स्टेशन बनाये 200 के०वी० के 2 बनाये हैं और 400 के०वी० के दो बनाये हैं । मान्यवर, पारेषण में जो क्षमता उपकेन्द्रों की थी उसमें वृद्धि की बात थी वह हमने कुल 957 एम०बी०ए० क्षमता की वृद्धि की है । तो उससे काफी फर्क पड़ेगा जो यह शिकायतें आ रही थीं कि लोड बढ़ गया है तो विद्युत कटौती हो रही है । मान्यवर, वितरण में 61 हमने 33 के०वी० के सब स्टेशन बना दिये हैं ।

मान्यवर, परिषद् में इनर्जी आडिटिंग की बात बहुत दिनों से चल रही थी उसके न होने से लाईन लास कितना प्रतिशत है वह नहीं पता चल पाता था हमने इस सिस्टम को स्थापित किया है सारे 33 के०वी० के सबस्टेशनों की मीटरिंग कर दी है । ताकि इनर्जी आडिटिंग आ जाय कि कितनी बिजली गई और जो गांव में विद्युत आपूर्ति दिखाकर लाइन लास को कम किया जाता है वह अब उसमें नहीं हो पायेगा । मान्यवर, उद्योगों में विद्युत चोरी की बात बहुत कही जाती है हमने सिक्योर मीटर लगाकर उद्योगों में विद्युत् चोरी बन्द की है इससे औद्योगिक खपत तो कम हुई है क्योंकि वे जनरेटर प्रक्रिया पर आ गये हैं । और चोरी बन्द होने से उनका पिछला हिसाब आने लगा है लेकिन हम किसी भी हालत में विद्युत की चोरी नहीं होने देंगे । हम उद्योगों को सहयोग देना चाहते हैं ।

मान्यवर, इसी तरह से परिषद् ने यह निर्णय लिया है कि हर जिले में हम अधिशासी अभियन्ता राजस्व की नियुक्ति करेंगे क्योंकि जो वहां अधिशासी अभियन्ता हैं वह 15 दिन बैठकों में और दूसरे कार्यों में व्यस्त रहते हैं राजस्व की वसूली उतनी नहीं कर पाते हैं । अधिशासी अभियन्ता राजस्व का काम होगा राजस्व वसूली का और दूसरे अधिशासी अभियन्ता का काम होगा वितरण व्यवस्था को ठीक [illegible] विद्युतीकरण का कार्य । बहुत से जिलों में हमने यह नियुक्ति कर दी है इससे

राजस्व में बढ़ावा मिलेगा और चोरी होती थी वह भी रुकेगी । और दूसरे लोगों को बिल जमा करने की आदत भी बनेगी । मान्यवर, पहली अप्रैल से उत्तर प्रदेश के सारे जिला मुख्यालयों पर भूतपूर्व सैनिकों से मीटर रीडिंग बिल वितरण और खराब मीटर बदलने का कार्य कराये जाने का निर्णय लिया है । वे उपभोक्ताओं के हितों में काम करेंगे और सही रीडिंग लेंगे । तीन महीने के बाद उनका दूसरा एरिया कर दिया जायेगा । इससे हमारे सामने दूसरी स्थिति आ जायेगी कि बोर्ड के कर्मचारी कितनी चोरी कराते हैं । हमने छापे भी डलवाये हैं और यह प्रयास किया कि छापों के माध्यम से विद्युत चोरी को रोका जाय । ग्रामीण विद्युतीकरण की बात मैंने पहले ही सामने रखी । राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब उद्योग नीति घोषित की थी, उसमें कहा था कि उद्योगों के फीडर सेपरेट करेंगे ताकि उद्योगों को भारी कटौती न झेलनी पड़े । इसके लिये राज्य विद्युत् परिषद् ने उद्योगों को सेपरेट लाइन देने का निर्णय लिया है । हमको ये रिवीजन भी करना पड़ा क्योंकि फिफ्थ पे कमीशन लागू हुआ था और हमने भी इसे राज्य विद्युत परिषद् में लागू किया, इसकी वजह से करीब 28 करोड़ रुपया प्रतिमाह अपने कर्मचारियों को देना पड़ रहा है । हम कर्मचारियों को अच्छा वेतन दे रहे हैं, इसी के साथ हमने उन पर अंकुश भी लगाया ताकि हमको अच्छी बिजली मिले ।

श्रीमन् यह बात बराबर उठती रही है कि उत्तर प्रदेश में नये विद्युत गृह क्यों नहीं लग रहे हैं । इस संबंध में जो उद्यमी उत्तर प्रदेश में विद्युत गृह लगाना चाहते हैं, पिछले महीने की 25 तारीख को ऐसे सभी लोगों को बुलाया और उनको राज्य सरकार की मंशा बता दी । उनको बता दिया गया कि राज्य सरकार इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी कि आप पी०पी०ए० का एग्रीमेंट कर लें और खुद फाइनेन्शियल क्लोजर न करें जिससे राज्य में विद्युत गृह न लगें । हमारी रोजा परियोजना 567 मेगावाट की है, इसके लिये 30 नवम्बर, की अन्तिम तिथि दी है, फाईनेन्शियल क्लोजर की । हमने उनसे कहा कि आई०डी०बी०आई० ने आपको लोन देना स्वीकार कर लिया है, हम इनर्जी सेकेट्री को भेज देंगे । वह बात कर लेंगे । अपनी तरफ से हम सारी औपचारिकता पूर्ण कर चुके हैं ।

इसी प्रकार जवाहरपुर ताप परियोजना का काम कर दिया है अभी कोलिकेंज नहीं मिल पाया है, केन्द्र सरकार से । इसके लिये केन्द्र सरकार को भी हमने पत्र लिख दिया है और प्रधानमंत्री जी को भी लिख दिया है । विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना है, अप्रैल में माननीय मुख्य मंत्री जी वहां जा रहे हैं, वह इसकी आधारशिला रखेंगे । आज भी मैंने माननीय सदस्यों से कहा था कि जय प्रकाश इण्डस्ट्रीज ने अप्रैल में इसके लिये समय मांगा है । वह अप्रैल तक अपना कार्य शुरू कर देंगे । मान्यवर, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना 330 मेगावाट की है, इसके संबंध में टंकन इण्डस्ट्रीज ने अमेरिका की एक कम्पनी को अपने शेयर भी दे दिये हैं, इन्होंने भी 31 दिसम्बर तक अन्तिम तारीख दी है । राज्य सरकार ने अपनी तरफ से औपचारिकताओं को पूर्ण कर दिया है । इस वर्ष उत्तर प्रदेश में एक-दो विद्युत् गृह लगना शुरू हो जायेंगे ।

हमने यह भी निर्णय लिया है कि एन०टी०पी०सी० से 500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली खरीदेंगे । उनके प्रतिनिधि आज आ रहे थे, हमने उनसे कहा कि आज ऊर्जा का बजट पेश हो रहा है, अब वह अगली तिथि पर आ रहे हैं । इस बिजली को खरीदने से उत्तर प्रदेश में विद्युत की कमी की जो बात की जाती है, वह दूर हो सकेगी । श्रीमन् हम इस वर्ष का बजट प्रस्तावित कर रहे हैं और इस वर्ष कुछ ऐसे काम करना चाहते हैं जिससे राज्य विद्युत परिषद् तथा उत्तर प्रदेश की तरक्की हो । ओबरा की 4 ईकाइयां बन्द हैं, एक यूनिट 3, यूनिट 7, यूनिट 12 और 14 । इन तीन यूनिटों को हम इसी वर्ष चालू कर रहे हैं । पावर फाइनेन्शियल कारपोरेशन ने हमको ऋण दिया है और उससे रिपेयरिंग का काम वहां चल रहा है । हरदुआगंज में यूनिट नं० 3 जो 55 मेगावाट की है, की भी रिपेयरिंग का काम करा रहे हैं, इस प्रकार 400 मेगावाट बिजली उत्पादन को हम बढ़ायेंगे । इसी के साथ 7 लघु जल विद्युत योजनायें जो 80 मेगावाट की हैं और 22 मिनी जल विद्युत योजना जो 65 मेगावाट की हैं, के पी० पी० ए० साइन हो

चुके हैं, हमने उनसे कहा है कि जल्दी ही इस पर कार्य शुरू कर दें और वह लोग जल्दी ही इस पर कार्य शुरू कर देंगे ।

मान्यवर, जहां तक लाइनों के निर्माण की बात है 800 के० वी० की पारेषण लाइनें 405 सर्किट किलोमीटर, 400 के० वी० की पारेषण लाइनें 734 सर्किट किलोमीटर, 220 के० वी० की पारेषण लाइनें 623 सर्किट किलोमीटर एवं 132 के० वी० की पारेषण लाइनें 220 सर्किट किलोमीटर बनायी जा रही हैं । इसी तरह से पारेषण केन्द्रों पर भी अतिरिक्त क्षमता का सृजन किया गया है । 400 के० वी० के 311, 220 के० वी० के 660 एवं 132 के० वी० के 300 केन्द्रों पर अतिरिक्त क्षमता का सृजन किया जा रहा है । मान्यवर, जहां तक उपकेन्द्रों का सवाल है 33 के० वी० के 147 नये उप केन्द्र स्थापित करने जा रहे हैं । माननीय सदस्य जो मांग करते थे कि 33 के० वी० के उप केन्द्र उनके यहां बनाये जायं तो इन 147 उप केन्द्रों के बन जाने से विद्युत व्यवस्था में सुधार होगा और जो लाइनें लम्बी चौड़ी हैं वह छोटी होंगी और गांवों को आसानी से बिजली मिल सकेगी ।

मान्यवर, पारेषण व वितरण में सुधार हेतु 33 के० वी० के 147 नये उपकेन्द्रों पर 588, एम० वी० ए०, क्षमता बढ़ायी जा रही है । इसी तरह से 33 के० वी० के 286 उपकेन्द्रों की क्षमता में 821 एम० वी० ए० इसी तरह से 11 के० वी० के 1278 नये उपकेन्द्रों पर 69 एम० वी० ए० की क्षमता बढ़ायी जा रही है । इसी तरह से 33 के० वी० की लाइनों का निर्माण 445 सर्किट कि० मीटर एवं 11 के० वी० की लाइनों का निर्माण 1317 सर्किट किलोमीटर एवं एल० टी० इ० लाइनों का निर्माण 1078 सर्किट किलोमीटर किया जा रहा है । मान्यवर, पिछली बार 5-5 गांवों को बिजली देने की व्यवस्था की गयी थी जिससे माननीय सदस्यों को महसूस हुआ था कि उनके गांव का विद्युतीकरण हुआ है । श्रीमन् इस बार राज्य सरकार 3500 गांवों का विद्युतीकरण करने जा रही है । हम इस बार भी घोषणा करते हैं कि सभी माननीय सदस्यों के क्षेत्रों में 5-5 गांवों का विद्युतीकरण करने जा रहे हैं ।

एक सदस्य–

हमारे क्षेत्र में गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है ।

(शोर)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जो माननीय सदस्य नहीं चाहते हैं उनका भी आदर हैं जो नहीं चाहेंगे उनके क्षेत्र के गांवों को किसी और क्षेत्र में कर देंगे ।

श्री अम्बिका चौधरी–

अगर कोई माननीय सदस्य नहीं चाहता है तो उनके क्षेत्र के गांवों को चिन्हित करके दूसरी जगह भेज दीजिये ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

ऐसा तो कोई एम० एल० ए० होगा नहीं जो अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरी जगह ले जाना चाहेगा । श्रीमन्, हमारा इस सदन के माननीय सदस्यों से कुछ अनुरोध भी है, अपनी सहायता के लिये प्रदेश में अच्छी बिजली के लिये हम कुछ बिन्दु उनके सामने रख रहे हैं, उसमें कुछ सुझाव दे, अपने क्षेत्र की समस्याओं के साथ-साथ ज्यादा उपयोगी होंगे ।हमें भी एक मार्गदर्शन मिलेगा । श्रीमन् राजस्व वसूली में तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर हमारे अधिकारी और कर्मचारी जब वसूली करने जाते हैं तो प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, कुछ ऐसी जगह हैं, जहां बिल देते ही नहीं हैं, आदत नहीं पड़ी हुई है । मैं माननीय सदस्यों से चाहूंगा कि अपने क्षेत्र में विद्युत वसूली को भी थोड़ी प्राथमिकता दे दे । हम अच्छी

बिजली दें तो वसूली भी अच्छी हो जाये । "कटिया हटाओ, कनेक्शन लगाओ" के अन्तर्गत कटिया हटाकर लीगल कनेक्शन दे रहे हैं, इस पर आप लोग अच्छे विचार दे सके । मीटर रीडिंग, बिल वितरण में सुधार के लिये आपके सुझाव आमंत्रित हैं । मैं माननीय विधायकों से यह भी अनुरोध करूंगा कि वह अपने विधायक निधि से भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक करने के लिये कुछ पैसा अपने क्षेत्र में दे, ग्रामीण विद्युतीकरण को कम दें ।

श्री राम सिंह सैनी–

पिछले साल का 25 लाख रुपया दिलवा दीजिये, हम दे देंगे ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

विद्युत चोरी रोकने के उपाय पर भी अपने विचार दें । ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो अवैध कनेक्शनों की भरमार है, ट्रांसफार्मरों की चोरी हो रही है उस पर कैसे रोक लगे, कैसे तार की चोरी रुके जो आज बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है । जब तक जागरुकता लोगों में पैदा नहीं होगी तारों की चोरी नहीं रुकेगी । हम चाहते हैं कि इन बिन्दुओं पर डिस्कशन हो और इस अपराध को एक संज्ञेय अपराध के रूप में लें, विद्युत के तार ट्रांसफार्मर की चोरी करने वालों के खिलाफ रासुका की कार्यवाही हो । तभी इन घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी । इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से सुझाव आमंत्रित कर रहा हूं कि वह अपने बहुमूल्य सुझाव दें ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री प्रमोद कुमार जी कटौती का प्रस्ताव रखें ।

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े होने पर विपक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायी)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–09 ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं बहुत ही ध्यान के साथ माननीय मंत्री जी का बजट भाषण सुन रहा था । मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसी घोषणायें वह करेंगे जिससे प्रदेश में आने वाले दिनों में कुछ सुधार की दिशा दिखायी पड़ेगी, बिजली विभाग के सुधार के लिये कुछ संकल्प लेंगे, एवं कुछ घोषणा करेंगे । पूरे बजट भाषण में ढूंढते रह गये कि कहीं तो दिख जाता कि आने वाले वर्षों के लिये इनकी परिकल्पना क्या है ? गत वर्ष माननीय मंत्री जी को सौभाग्य मिला था, इसी विभाग का बजट रखने का उस समय मैंने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा था, मैंने शुभ कामनायें दी थी, इस उम्मीद और आशा के साथ कि अभी नये हैं, समय मिलना चाहिये और समय मिलने के बाद इस प्रदेश के लिये कुछ कर सके तो उसमें हम सहयोग करेंगे । लेकिन अब तो लगभग 14-15 महीने बीत चुके हैं । आपके कार्यों का लेखा-जोखा भी सामने आ गया है । मुझे दिख रहा है कि मौजूदा सरकार में अगर सबसे ज्यादा किसी विभाग के बारे में जनता की आलोचना हो रही है तो वह माननीय मंत्री जी आपका विभाग है । अभी मैं जब घर से चला तो एक व्यक्ति ने पूछा कि कहां जा रहे हो एक साहब अभी मैं आ रहा था रास्ते में मिल गये मैंने उनसे कहा कि आज बिजली विभाग की अनुदान है । इस पर उन्होंने कहा कि यह सत्यानाश विभाग है लेफ्ट वाले साहब ने कहा कि यह अंधेर विभाग है और दूसरी बात भी उन्होंने कही जो अगर मैं कहूंगा तो आपको अच्छी नहीं लगेगी । लोकतंत्र में चार स्तम्भ होते हैं । यह लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वह चार स्तम्भों पर टिकी हुई है । न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता । आप इन चारों की कसौटी

पर अपने 14 महीने के कार्यकाल को देखें तो इन चारों में कोई स्तम्भ ऐसा नहीं है जिसने आपके कार्यकाल को सराहा हो । यह चारों स्तम्भों ने ऊर्जा विभाग की कार्य प्रणाली पर गहरा असंतोष व्यक्त करते हुए इसको सबसे निकम्मा और निकृष्ट विभाग बताया है । न्यायपालिका जिसका हम सभी आदर करते हैं इस संबंध में हमारे पास विद्वान न्यायाधीश मार्कण्डेय काटजू का जजमेंट है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बेंच में उन्होंने जो टिप्पणी की है ।

आपके विभाग पर और आपके लिये उस पर यह तो आपकी सहन शक्ति है जो ऊर्जा मंत्री के पद पर विराजमान हैं अन्यथा और कोई होता तो एक मिनट भी कुर्सी पर नहीं रुकता वह त्यागपत्र दे देता । इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने जो टिप्पणी की है उसके बाद एक मिनट भी आपको पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है उन्होंने टास्क फोर्स का गठन करने का निर्देश दिया और आपको इस काबिल भी नहीं समझा कि टास्क फोर्स आपको रिपोर्ट दे । उन्होंने कहा कि हरदोई में जो बिजली मिल रही हैं काश इतनी बिजली लखनऊ और इलाहाबाद को मिलती । उन्होंने इनकी कार्य प्रणाली पर गहरा असंतोष व्यक्त किया । इसलिये न्यायपालिका के निर्णय के बाद तो आप सुधार लाने की कोशिश करें । हम तो विपक्ष में हैं हम तो आलोचना करेंगे ही लेकिन आपके बल पर जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं जिनके कारण आपने अपना ईमान गंवाया । इसी विधान सभा में इसी सत्र में मुख्यमंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसके पृष्ठ–28 का अवलोकन करने का कष्ट करें । मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया था उन्होंने जो कुछ कहा है उसमें उन्होंने विद्युत विभाग को इस काबिल भी नहीं माना है उन्होंने कहा है कि इसकी स्थिति इतनी जर्जर और खराब है कि इसको एक पैसा भी कोई देने के लिये तैयार नहीं है । कल्याण सिंह आपकी सरकार के मुख्यमंत्री हैं जिनकी संस्तुति पर महामहिम राज्यपाल महोदय ने आपको यहां बैठा रखा है । मैं इसको पढ़े दे रहा हूं कि जिन सदस्यों ने इसको न पढ़ा हो उनको जानकारी हो जाय । "परिषद् की वर्तमान आर्थिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में कोई भी वित्तीय संस्था परिषद् को ऋण देने के लिये तैयार नहीं है । लोगों को मालूम है कि जो दिया वह लौटकर आने वाला नहीं है, कोई भी वित्तीय संस्था इसको एक पैसा देने के लिये तैयार नहीं है ।"

दूसरी बात जो उन्होंने कही है "विद्युत परिषद् की पारेषण और वितरण व्यवस्था में अत्यधिक खामियां हैं" इस विभाग पर आपके नेता ने कितना विश्वास किया है । तीसरी कार्यपालिका है कितने जिलाधिकारी रोज, कितने मंडलायुक्त रोज सचिव ऊर्जा शासन को पत्र लिखकर भेज रहे हैं कि विद्युत व्यवस्था में सुधार करें वरना यहां कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो रही है । हर जिलाधिकारी विद्युत व्यवस्था को कानून व्यवस्था के लिये सबसे ज्यादा दिक्कत मान रहा है । और तो छोड़ दीजिये मार्च का महीना है बोर्ड की परीक्षायें सर पर आने वाले हैं इस बार रिकार्ड परीक्षार्थी परीक्षा में बैठ रहे हैं लेकिन इसके बावजूद शाम 6 बजे से 10 बजे तक बिजली गांवों में नहीं रहती है । मैं इन लोगों की मजबूरी मानता हूं लेकिन कोई भी सदस्य अपने दिल पर हाथ रख कर कह दे कि हमारे यहां शाम के 6 बजे से 10 बजे तक बिजली रहती है । खादी ग्रामोद्योग मंत्री श्री राजाराम जी बैठे हुए हैं यह प्रतापगढ़ गये थे चन्द्र नाथ सिंह के क्षेत्र में यह वहां घेर लिये गये यह तो अपनी बुद्धि से बच गये वरना इनके विद्युत मंत्री के कुकर्मों से इनकी हालत खराब हो जाती । मेरे पास 20-25 अखबारों के कटिंग हैं यह लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ है । दैनिक जागरण ने लिखा है कि विद्युत दरों से सामान्य उपभोक्ता तथा उद्योग परेशान है । हिन्दुस्तान टाइम्स ने लिखा है बिजली की बदहाली के लिये नेता जी और कर्मचारी दोषी हैं । हिन्दुस्तान ने लिखा है प्रदेश में बिजली संकट अघोषित कटौती निरन्तर जारी । व्यवस्था अंधेरे में दम तोड़ती । मैं कल्याण सिंह जी की मजबूरी समझता हूं बड़ी मुश्किल से इनको कुर्सी मिली है इसलिये भ्रष्टाचार होता रहे इनकी कुर्सी तो बची रहेगी । आप इस कुर्सी पर बने रहें इसे मत छोड़ें ।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

हम इधर संख्या बल पर कुर्सी पर हैं।

श्री प्रमोद कुमार–

अगर यह वहां नहीं गये होते तो आप मंत्री बन गये होते। मुख्यमंत्री जी जब आप नहीं थे तो मैंने न्यायपालिका, व्यवस्थापिका कार्यपालिका और पत्रकारिता के विचारों से मंत्री जी को अवगत करा दिया। डी० एम० के पत्रों को उद्धृत कर दिया है। विद्युत विभाग नरेश अग्रवाल के नेतृत्व में दिनों दिन प्रगति कर रहा है।

[समय 3 बजकर 35 मिनट]

पिछले वर्ष बड़े जोर-शोर से कहा था कि हम विद्युत व्यवस्था में सुधार लायेंगे और उत्पादन में 10 गुना वृद्धि करेंगे। एक साल में आपने क्या किया। आपने अपने बजट भाषण में 5 बिन्दु कहे थे। पहला, जनरेशन बढ़ायेंगे। जनरेशन कितना बढ़ा। टांडा का पहले से ही 110 मेगावाट है। गत वर्ष जो विद्युत उत्पादन था वही इस वर्ष भी रहा। पिछले वर्ष 5765 मेगावाट था। अबकी बार 5875 मेगावाट है इसमें टाण्डा का जनरेशन भी इमप्लाइड है तो आपका जनरेशन तो जीरो बटे जीरो रहा एक भी मेगावाट बिजली के उत्पादन की वृद्धि नहीं हुई, माननीय ऊर्जा मंत्री जी के नेतृत्व में। विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, लोग चांद पर जा रहे हैं, दूसरे ग्रहों पर जा रहे हैं, अगर वैज्ञानिक भाषण से बिजली पैदा कर सकते तब तो बिजली के उत्पादन में एक दो हजार मेगावाट की वृद्धि हो जाती परन्तु ऐसा हो नहीं सकता। पिछली बार अपने [illegible]ट भाषण में आपने कहा था कि लाइन लासेज को रोकेंगे। कितनी रोकी। भारतवर्ष में सबसे ज्यादा लाइन लास आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है, एक-दो प्रदेशों को छोड़कर। अब यह लास 48 प्रतिशत तक पहुंच गया है भले ही कागजों में आप 26-27 प्रतिशत दिखायें। आप जो यह कहते है ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली भेजी गयी और आज भी विद्युत चोरी उतनी ही हो रही है इसमें कहीं कोई कमी नहीं आयी।

अब मैं रेवेन्यू कलेक्शन की बात करता हूं और चुनौती देता हूं, आप जब बजट का रिप्लाई देंगे तो आपको मौका मिलेगा। आप सिर्फ तीन महीने–दिसम्बर, 98, जनवरी, 99 और फरवरी, 99 में कितना रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है और गत वर्ष इन तीन महीनों में कितना कलेक्शन हुआ इसे आप बता दें। यदि इन तीन महीनों में आपका रेवेन्यू कलेक्शन ज्यादा हुआ है तो मैं अपने को सुधार लूंगा। जहां तक मेरी जानकारी है गत वर्ष के तीन महीनों के मुकाबले इस वर्ष के इन तीन महीनों में 40 प्रतिशत रेवेन्यू कलेक्शन कम हुआ है। अब यह कम क्यों हुआ है ? छोटे किसान को तो आप बन्द कर देते हैं परन्तु जो बड़े-बड़े पूंजीपति लोग हैं वह कैसे कम करवाते हैं इसे नरेश अग्रवाल जी से बेहतर और कौन जानेगा। चौथी घोषणा में आपने कहा था कि हम कटौती मुक्त करायेंगे उत्तर प्रदेश को। मजबूरी है कुछ लोगों की। प्रदेश में कटौती पहले से ज्यादा बढ़ी है कम नहीं हुई है और आपात कटौती बिना बताये हो रही है। इसमें भी आप असफल साबित हुये। पांचवी बात आपने कही थी कि हम 33/11 के० वी० ए० के 100 सब स्टेशन लगायेंगे और आपने कुल 47 सब-स्टेशनों को इनलाइज जबकि घोषणा 100 की थी। अब इस बार आपने 140 का वायदा किया है। कहीं तो ईमानदारी बरतें और पहले जो 100 की घोषणा की थी उसे पूरा करायें और हम विधायकों से पांच गांवों को बिजली दिलवाने की बात कहीं गयी थी उनमें तो बिजली दिलवा दें। अगर 5 गांव में बिजली जल जाय तो फिर उसके बाद 5 का वायदा करें। यह आप कौन सी नई बात कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट प्लान से लेकर। जब से विद्युत विभाग बना है हर गांव जाते रहे हैं। 6-6 हजार एक एक वर्ष में होते थे। आप तीन हजार कर रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं। इस मुद्दे पर भी आप फेल। आपने टारगेट रखा था इण्डस्ट्री का उसको पूरा नहीं कर पाये. व्यापार का जो रखा था, जो डोमेस्टिक का रखा था उसको पूरा नहीं कर पाये। उद्योग का 11.33

था उसको 5.07 पर आकर रुक गये हैं उसको आधा भी नहीं कर पाये । मैं नहीं जानता कि आप इसको कैसे करेंगे बिजली कैसे पैदा होगी, वायदों से, भाषण से तो बिजली पैदा नहीं होगी । माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी कृपा करके आपको बजट दिया है । आपने नहीं पढ़ा होगा । मैं बता देता हूं, घर जाकर पढ़ लीजियेगा । 98-99 में 1206.22 करोड़ दिया था इस बार 1242.00 करोड़ दिया है तो कहां से वह दाण्डी मारेंगे । कम पैसा और ज्यादा काम । आप कैसे करेंगे । यह विद्युत विभाग के प्रति आपकी कृपा है जो 24 करोड़ कम दिया है । यह किस कृपा के कारण दिया है । क्या ज्यादा सुधार हो गया था जो इस कारण कम कर दिया । यह जो बजट में कमी की गई है वह मांग घटने के कारण की है या बढ़ने के कारण । आवश्यकता बढ़ी है कि घटी है ।

दूसरी चीज भाजपा सरकार की प्रिय चीज महंगाई है वह बढ़ी है कि घटी है । पिछली बार आपने जो ट्रांसफार्मर खरीदा था तार खरीदा था जो मजदूरी दी थी वह इस बार बढ़ी है, महंगी हुई है । तो फिर बजट एलोकेशन कम क्यों हो गया । बजट कम हो गया है तो आप यह काम कैसे कर पायेंगे । मुझे तो नहीं लगता कि आप इस तरह से जो वायदा कर रहे हैं जो घोषणा कर रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे उसे पूरा कर पायेंगे । मैं यद्यपि कटौती का प्रस्ताव रख रहा हूं फिर भी मैं इस विभाग के महत्व को देखते हुये माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि एक सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट लायें और विद्युत विभाग को और पैसा दें । यह मेरा सार्थक सुझाव है इसको माननीय मुख्यमंत्री जी स्वीकार कर लें । मान्यवर कहा जा रहा था कि विद्युत विभाग सही दिशा में जा रहा है हम बड़े सफल हुये हैं हम रोज समाचार पत्र में पढ़ रहे हैं कि जगह जगह चक्का जाम हो रहा है, रोड जाम हो रही है । रमजान निकल गया लोगों को बिजली नहीं मिली, होली निकल गई, लोगों को बिजली नहीं मिली । छात्रों की परीक्षा होने वाली है और बिजली नहीं मिल रही है । यह चक्का क्यों जाम हो रहा है, आप जनता की अदालत में क्यों धिक्कारे जा रहे हैं । आप सीने पर हाथ रखकर कहिये कि यह कमी है ।

हमने माननीय मुख्य मंत्री जी से कहा है हम कोशिश करेंगे और फिर कहेंगे कि आपको और बजट दिया जाय । रेवेन्यू कलेक्शन के लिये आप चुनौती दे रहे हैं कि हमारा यह बढ़ा है । आप कागज भेजकर मंगवा लीजिये । आपसे एक दिक्कत है, जहां रहते हैं ज्यादा बोलते हैं । मेरे साथ रहे, ज्यादा बोलते थे गड़बड़ करते थे । वहां पहुंच गये हैं ज्यादा बोलते हैं गड़बड़ करते हैं ।यह अलग बात है जहां रहते हैं वह पार्टी साफ हो जाती है । हमारे साथ थे हमारी पार्टी साफ हो गयी । बी० जे० पी० में गये हैं भगवान भला करे । आगे आने वाले चुनाव में आपकी बोहनी होने वाली नहीं है । यह तो मैं आपकी भावना बोल रहा हूं जो आप अकेले में मुझसे बोलते हो ।

श्री अधिष्ठाता–

संक्षेप करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैंने पहले ही कह दिया था कि मुझे इसके लिये समय चाहिये । इसमें समय लगेगा । 20 मिनट और लूंगा अभी । कुछ लोगों को अप्रिय लग रहा होगा इरैलिवैंट बोलूं तो रोक दीजियेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

कार्यसूची सामने है और कोई मतलब नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, 10 वर्षों में जब नरेश जी हमारे साथ बैठते थे तो कहीं एक बिजली घर नहीं लग पाया अब क्या सुधार हो गया आखिर में आनपारा भी हम लगाकर गये थे,। कुछ लोगों को आदत सी हो

जाती है बेचने की, हमारे कल्याण सिंह जी के सामने कोई समस्या आती है तो यह बेच बाच कर छुट्टी कर देते हैं । नरेश जी तो हमारे उप नेता रहे हैं मैं नेता रहा हूं यह हमारे उपनेता रहे हैं तभी तो हमारी यह हालत हुई है । 1992 में मुख्य मंत्री जी आप थे आपने एक पावर प्लान्ट नहीं लगाया, हां ऊंचाहार बेचकर चलते बने, वहीं ऊंचाहार जिसको इन्दिरा गांधी जी ने लगाया था रायबरेली क्षेत्र में लगाया गया था एक-एक पैसा जोड़कर उसको लगाया गया था उसको आपने एन० टी० पी० सी० के हवाले कर दिया जो उत्पादन होता था एक रुपये में जो बिजली मिलती थी उसको अब दो ढाई रुपये में खरीद रहे हैं ।

अब मुख्यमंत्री जी आप टांडा पर ताक लगाये हैं आप तो बेच-बाच कर चले जाते हैं फिर दस साल बाद आते हैं, अरे मत बेचिये, मत बेचिए अगर आप बेचेंगे तो इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे, आप तो बेच देते हैं परेशान जनता होती है आप विद्युत विभाग में सुधार करें तो सहयोग करें,सुधार के नाम पर आप बेचेंगे तो विरोध पक्ष विरोध करेगा अगर कोई पूंजी निवेश करने आए तो आप उससे कहें नया पावर हाउस लगेगा लेकिन आपको तो बेचने की आदत है यह सही है कि आमदनी कम है और खर्चा अधिक है । एन० टी०पी० सी० का 17 सौ करोड़ रुपया है एन० टी०पी० सी० का 700 करोड़ है बात सही है बहुत ज्यादा है । आप बजट भाषण में जवाब दीजियेगा तो यह पैसा कहां से देने जा रहे हैं बता दीजियेगा । देने का इरादा है या नहीं अगर नहीं है मुख्य मंत्री जी सो रहे हैं जब जाग जाएंगे तो मैं पूछूंगा जो पैसा है वह कहां से आएगा कहां से देंगे । सरकार पर बकाया है 3,411 करोड़ कहां से यह लाएंगे, अरे जो आपके अगल बगल विभाग लिये बैठे हैं उनसे क्यों नहीं वसूलते हैं विभिन्न विभागों का जो बकाया है उसको लें तो सुधार हो जाएगा । प्लांट लोड फैक्टर 49.1 है राष्ट्रीय औसत है 68.5 प्रतिशत मान्यवर, 49 प्रतिशत आपका है । आप 200 करोड़ की बिजली प्रति माह खरीदारी कर रहे हैं । जो विद्युत की उपलब्धता है वह है 5233 मेगावाट की और जो मांग है वह इससे अधिक है । यानि की 1200 मैगावाट की कमी है । तो जब तक आप 1200 मेगावाट या 1500 मेगावाट को पूरा नहीं कर पायेंगे तब-तब यह विद्युत कटौती होती रहेगी । जो घोषित कटौती हो रही है उसके बाद भी आप अघोषित कटौती करते रहेंगे । दो तीन बातें माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा । आप पत्रावली मंगाकर देख लें । ट्रांसफारमर रिपेयर होने के लिए घोषणा की गयी थी यह अच्छी बात है ।, आपको मालूम न हो तो मंगाकर देख लीजिये यह सूचना मैं आपको दे रहा हूं । 35 फर्मों ने टेण्डर दिया था । 7 फर्मों के टेण्डर जो सबसे कम थे उनके साथ राज्य विद्युत परिषद् ने अनुबन्ध कर लिया और जब अनुबन्ध कर लिया गया तो फिर क्या हुआ जो बाकी की फर्में थी जिनके कि हायर रेट थे, उनको बढ़ी हुई दरों पर ट्रांसफारमर रिपेयर कराये जा रहे हैं कम रेट वालों से कम करा रहे हैं और हायर रेट वालों से ज्यादा कराये जा रहे हैं । मेरी चुनौती को आप स्वीकार कर लें और दिखवा लें यह हो रहा है । मैंने सत्यता बयान कर दी है इसकी जांच करा लें और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्यवाही करें । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आपके जो राज्य विद्युत परिषद् के चेयरमैन हैं वह बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं ।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नीति बनायी थी कि दस प्रतिशत से ज्यादा स्थानान्तरण नहीं करें जायेंगे । मैं फिर चुनौती देना चाहता हूं आप पत्रावली मंगा कर देख लीजिये । मैं सिर्फ अभियन्ता वर्ग की बात कर रहा हूं । 80 प्रतिशत से ज्यादा अभियन्ताओं का स्थानान्तरण किया गया है । 2700 अभियन्ताओं का स्थानान्तरण किया गया है । और यह एक बार नहीं दो-दो बार तीन-तीन बार किया गया है । 15 दिन पहले उनको हटाया गया और फिर उनको अच्छी जगह बैठा दिया गया पता नहीं इनके पास कौन सा थर्मामीटर है जो यह नाप लेते हैं । मान्यवर, मैं पुनः यह कहना चाहता हूं कि 80 प्रतिशत स्थानान्तरित किये गये उसमें से एक तिहाई रोक दिये गये क्यों आप लखनऊ में देखिये । बरेली में चीफ इंजीनियर को सस्पेंड किया और फिर 15 दिन बाद लखनऊ में उसे सी० जे० डी० बना

दिया गया । राजस्व प्राप्ति का आधार बना लेते और उसके आधार पर उनकी पोस्टिंग कर देते तो हमें कोई आपत्ति न होती । इन अधिकारी के नाम मेरे पास हैं जिनका विद्युत कनेक्शन का काम खराब है और जिनके खिलाफ जांच चल रही उनको उचित स्थान मिला हुआ है कुल 22 लोगों के नाम मेरे पास हैं जिन्हें उचित सेवा के बाद उचित स्थान मिला हुआ है अब उचित सेवा जनता की या किनकी मान्यवर, यह मैं आप पर छोड़ता हूं । मान्यवर, बाहर से पूंजीनिवेश के लिये आप प्रयासरत हैं । पिछले 6 सालों में एक कान्ट्रेक्ट के बारे में बता दें जो हुआ हो । मान्यवर, मैं 6 जगहों के नाम बता रहा हूं जिसमें मुख्य रूप से रोजा तापीय परियोजना पर कितना काम हुआ है यह आप बतायें इसी तरह से जवाहरपुर योजना पर कितना काम हुआ है विष्णु प्रयाग परियोजना पर कितना काम हुआ है श्रीनगर परियोजना पर कितना काम हुआ है यह आप बता दें । यह पूंजीनिवेश के लिये किया गया था आपने इतनी दयाशीलता दिखाई कि 16 प्रतिशत रिटर्न की गारन्टी दी जा रही है लेकिन आपकी विश्वसनीयता इतनी खराब है कि आपके यहां पूंजी लगाने के लिये तैयार कोई भी नहीं है । अब इसमें 16 प्रतिशत ऊपर है और अन्दर कितना है यह आप जानिये ।

मान्यवर, ग्लोबल टेन्डर का बड़ा जिक्र है माननीय मुख्य मंत्री जी यह आपके स्वदेशी नारे का क्या होगा । जब एनरान लग रहा था तो महाराष्ट्र में आपने उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा । 20 हजार करोड़ रुपये हमारे प्रदेश को देना पड़ेगा माँन्यवर, आनपारा सी के लिये साढ़े सात सौ करोड़ की बात योजना आयोग में हमारे साथ की गई थी । आप आनपारा सी को यहां के स्रोत दीजिये योजना आयोग से पैसा लीजिये विदेशी पूंजी को यहां मत लगाइये । आनपारा या ओबरा निजी पूंजीपतियों के हाथ में जाने से क्या स्थिति होगी । मान्यवर, यह दो लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं हैं और बुकवैल्यू कितना निकाला है 10 हजार 500 करोड़ रुपये । । लाख 90 हजार करोड़ रुपये का दोनों में अन्तर है । इसीलिये तो सब विभाग का झगड़ा है । प्रदेश की जनता बुकवैल्यू पर इन सम्पत्तियों का नहीं देगी । अगर निवेश करना है तो नया निवेश करें । मान्यवर, पता नहीं मुख्यमंत्री कब चले जायें, इसलिये उनके सामने बोल दूं । अपने यहां नोएडा है और नोएडा की तर्ज पर मुरादाबाद को भी देंगे, ऐसा कहा गया, लेकिन पहले आप नोएडा का हश्र तो देख लीजिये । नोएडा में आज से 5 साल पहले राष्ट्रपति शासन में कुछ शर्तों के साथ दिया गया, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कितना-कितना गम्भीर अपराध वहां हुआ है, इसकी जानकारी आप ले लें । इसे गोयनका ने लिया है, उन पर पहले का 72 करोड़ बकाया है और उसके बाद भी एक साल के लिये उनका लाइसेंस रिन्यू कर दिया गया यही नहीं उनसे कहा गया था कि जब तक आप पावर हाउस नहीं लगायेंगे, दुबारा कानट्रेक्ट रिन्यू नहीं होगा लेकिन पावर हाउस लगा नहीं, ग्रामीण एरिया के लिये बिजली दी नहीं, जनरेशन हुआ नहीं और लाइसेंस रिन्यू कर दिया गया । पत्रावली पर हस्ताक्षर क्या है, इसको भी देख लें । डी० एम० का पत्र हैं, वहां के, मैं उसको माननीय मुख्यमंत्री जी आपके पास भिजवाने दे रहा हूं, उन्होंने कहा है कि इनकी कार्य-प्रणाली संतोषजनक नहीं है । डी० एम० तो आपका ही आदमी होता है, सुपरिटेन्डिंग इंजीनियर ने विरोध किया, विभाग ने विरोध किया लेकिन 72 करोड़ रुपये के बकाया रहते हुये, अनुबन्ध की हर शर्त को न मानते हुये कौन सी ऐसी अदृश्य शक्ति थी, जिसके चलते आपने उनका लाइसेन्स पुनः बहाल कर दिया । मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं । मैं केवल इतना बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में यदि ऐसे-ऐसे स्कैन्डल बनेंगे तो इस प्रदेश का क्या होगा, हम जवाब चाहते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि जब नोएडा में आपका फेल्योर होगा तो रामपुर, मुरादाबाद, कानपुर में क्या होगा ? आपने कहा विद्युत नियामक आयोग बनायेंगे, अध्यक्ष बनायेंगे, सचिव बनायेंगे । लेकिन आयोग अस्तित्व में आया नहीं, सचिव को आपने पोस्ट कर दिया ।

मैं अपनी बात खत्म करते हुये । माननीय मुख्यमंत्री जी आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूं, मैं कार्यवाही पढ़ रहा था, पूरे सदन में आपने कहा, आपने अभियन्ताओं को राष्ट्रद्रोही कहा । आप उन्हें बेईमान कह दीजिये, भ्रष्टाचारी कह दीजिये लेकिन राष्ट्रद्रोही मत कहिये । संविधान के

मुताबिक जो राष्ट्रद्रोह करता है, उसको जेल जाना चाहिये और सरकार की सेवा में नहीं होना चाहिये । यदि ऐसा नहीं है तो जिन्हे आपने राष्ट्रद्रोही कहा था, आप उनके नेता के रूप में काम कर रहे थे, विभाग के मंत्री होने के नाते आप राष्ट्र द्रोहियों के विभाग में काम कर रहे हैं, इसीलिये कहते हैं ज्यादा बोलने से गड़बड़ी हो जाती है, इसलिये कम बोलना चाहिये । मैं सुधारों का स्वागत करूंगा लेकिन आपको विद्युत बोर्ड का सुधार करना है या बेचनामा करना है, सुधार करना है या विदेशी लोगों को देना है, इस चीज को आप तय कर लीजिये । इस पक्ष के सदस्य हों या उस पक्ष के सदस्य हों, मैं किसी का व्यक्तिगत विरोध नहीं करता हूं, लेकिन मैं यह जरूर जानना चाहता हूं कि अगर विद्युत नहीं रहेगी तो कृषि का क्या होगा, उद्योगों का क्या होगा, इस प्रदेश का क्या होगा । अगर कहीं किसी स्तर पर प्रदेश में ऐसी स्थिति आयेगी तो वह सुखद नहीं होगी । मैं चाहता हूं कि आप लोग इसके सुधार के संबंध में अपने सुझाव दें, सलाह दें कि कैसे इस विभाग को ठीक किया जाय । मैंने जो कमियां प्रदर्शित की हैं, उन पर आपके सुझाव आमंत्रित करता हूं, धन्यवाद ।

श्री जय प्रकाश निषाद–

मान्यवर, आपने विद्युत मंत्री द्वारा रखे गये बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये आभार व्यक्त करता हूं । यह सरकार जब से बनी है, तब से विद्युत व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है । इसके पहले गांवों में विद्युत सप्लाई दो से चार घन्टे होती थी, लेकिन इस सरकार के बनने के बाद से 10 से 12 घन्टे विद्युत उपलब्ध हो रही है । यह भी सही है कि बराबर इसमें सुधार आ रहा है और गांवों में लोगों को आसानी से बिजली उपलब्ध हो रही है । मान्यवर, यह सबसे बड़ी कठिन समस्या यह थी कि लोगों को आसानी से घरेलू विद्युत कनेक्शन नहीं मिलता था जिससे गांव वाले कटिया लगाकर बिजली का कनेक्शन कर लेते थे लेकिन इस सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है–कटिया हटाओ कनेक्शन लगाओ और 12 लाख लोगों ने सस्ती दर पर विद्युत के कनेक्शन प्राप्त किये जिसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं । मेरे क्षेत्र रुद्रपुर देवरिया जनपद में रुद्रपुर विकास खण्ड में 1996-97 में पचलड़ी विद्युत उप केन्द्र एवं मलुअनी विकास खण्ड में, पकड़ी में विद्युत उपकेन्द्र स्वीकृत हैं लेकिन अभी निर्माण कार्य नहीं शुरू हुआ है मैंने सवाल पूछा था तो जवाब मिला कि जब बजट में दूसरी किस्त का पैसा मिलेगा तो निर्माण कार्य होगा । मेरा निवेदन है कि इन दोनों सब-स्टेशनों का निर्माण कार्य शीघ्र कराया जाय । रुद्रपुर नगर पंचायत का टाउन फीडर अलग स्वीकृत है यह प्रदेश की पुरानी नगर पंचायत है वहां पर तार तथा पोल सब जर्जर हो चुके हैं उसका स्टीमेट भी स्वीकृत है लेकिन विद्युत सामग्री नहीं मिल पा रही है जिससे कार्य नहीं हो पा रहा है । मेरा निवेदन है कि सामग्री को उपलब्ध कराकर कार्य शुरू कराया जाय ।

यह व्यवस्था पहली बार हुई है कि प्रत्येक विधान सभा सदस्य के क्षेत्र के पांच-पांच गांव का विद्युतीकरण कराने के लिये पांच लाख रुपये का प्राविधान एक गांव के लिये किया गया है । इस प्रकार से पांच-पांच गांवों का विद्युतीकरण किया जा रहा है जिससे काफी राहत जनप्रतिनिधियों को मिली है । यह कार्य सभी गांव में अभी नहीं हो पाया है, मार्च समाप्त होने वाला है इस काम को तेजी से कराया जाय । यह भी सुनने में आया है कि सामग्री का अभाव है, मेरा निवेदन है कि इसमें सुधार किया जाय । रुद्रपुर देवरिया में ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र अलग-अलग हैं लेकिन बिजली की सप्लाई एक समान नहीं होती है इसमें अन्तर को दूर किया जाय इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी द्वारा जो बजट रखा गया है मैं उसका समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री राम विशुन आजाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा है वह उत्तर प्रदेश की 16 करोड़ जनता के साथ एक धोखा है । मैं माननीय प्रमोद तिवारी जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । पूरे प्रदेश में ग्रामीण विद्युत व्यवस्था लुंज-पुंज हो गयी है, किसानों को सिंचाई करने के लिये सही ढंग से विद्युत नहीं मिल पा रही है इस समय छात्रों की बोर्ड की परीक्षायें आरम्भ होने को हैं लेकिन सरकार न तो छात्रों के प्रति जागरूक है न किसानों के प्रति संवेदनशील है, सरकार ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है । मंत्री जी ने यह नहीं कहा कि वो छात्रों को बिजली देने के लिये विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ करेंगे । एक तो समय पर बिजली सप्लाई नहीं होती है दूसरी तरफ ट्रान्सफारमर जब खराब हो जाते हैं तो आपका कहना है कि हम 72 घण्टे में ट्रान्सफारमर बदल देंगे । लेकिन मेरी निश्चित जानकारी है, मैं सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि 6-7 महीने ट्रांसफारमर पड़े रहते हैं लेकिन बदले नहीं जाते । जब उनके पास कोई विद्युत उपभोक्ता अपनी समस्या को लेकर के जाता है तो इनके जो विद्युत अभियन्ता हैं, वह कहते है कि हमारे पास पैसा नहीं है, आप जाईये और मंत्री जी से बात कीजिए, तभी पैसा आयेगा तब ट्रांसफारमर बदल देंगे । विद्युत व्यवस्था कैसे सुदृढ़ होगी । यही नहीं मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो कटिया हटाओ और कनेक्शन लगाओ का कार्यक्रम रखा, वह ठीक है लेकिन कटिया हटाओ और कनेक्शन लगवाओ के अन्तग्रस्त जो कनेक्शन किये जा रहे हैं, जो ट्रांसफारमर लगे हुये हैं उनमें पहले से ही इतनी क्षमता नहीं है कि वह ज्यादा लोड उठा सकें, उसी में आप और कनेक्शन दिये जा रहे हैं आप ट्रांसफारमर की क्षमता नहीं बढ़ा रहे हैं । पहले आप ट्रांसफारमर की क्षमता बढ़ाने की व्यवस्था करे । अम्बेडकर गांव में जितना विद्युतीकरण होना चाहिए था उतने गांवों का विद्युतीकरण नहीं किया गया ।

वर्ष 1998-99 में लक्ष्य 1969 का था और जनवरी, 1998 तक मात्र 361 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है, अनुसूचित जाति की 2321 बस्तियों के विद्युतीकरण का लक्ष्य था वह पूरा नहीं हो पाया । गांधी ग्रामों का 1998 तक 164 गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य था और जनवरी, 98 तक 9 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया । स्वर्ण जयन्ती ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य था 12, जनवरी, 98 तक केवल एक ग्राम का विद्युतीकरण किया गया । आप विद्युत की बात करते हैं, लक्ष्य निर्धारित कर दिया कि 1998-99 में पूरा कर दिया जायेगा, आप उन्हीं गांवों में का विद्युतीकरण नहीं कर पाये । सन् 2000 तक 3500 गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है, उन्हें कैसे पूरा कर पायेंगे ? आपने कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं की जिससे किसानों को उसका लाभ मिले । इस समय गेहूं की कटाई का समय आ रहा है, उसकी मड़ाई के लिए विद्युत की आवश्यकता होगी, विद्युत सप्लाई नहीं मिलेगा तो गन्ने की सिंचाई, गेहूं की मड़ाई कैसे होगी ? सरकार कहती है कि वह किसानों के प्रति, छात्रों के प्रति संवेदनशील है, इनकी स्थिति स्पष्ट है, यह किसान और छात्र विरोधी है ।

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की तरफ आपका ध्यान लाना चाहता हूं । हमारे विधान सभा क्षेत्र मनकापुर, जिसका हेड–आफिस बलरामपुर में पड़ता है । विद्युत सम्बन्धी कोई समस्या होती है तो हमें मनकापुर से बलरामपुर लगभग 150 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है जबकि मनकापुर से गोण्डा मात्र 30 किलोमीटर है । अगर हेड आफिस जनपद–गोण्डा में कर दिया जाये तो विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण हो सके । मान्यवर, मोदीगंज फीडर है जो 40 किलोमीटर क्षेत्र के गांवों में विद्युत की व्यवस्था करता है, उन गांवों को सही ढंग से विद्युत नहीं मिल पाता है । झेलाही, सहबरपुर में 132 के०वी० का एक सब स्टेशन खुलवा दें । जो पुराने तार व लकड़ी के खम्भे लगे हुये हैं उनको बदलवाने की व्यवस्था करा दें । इन शब्दों के साथ मैं माननीय प्रमोद तिवारी के कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री नरेन्द्र सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने विद्युत के बजट के सम्बन्ध में बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद । गत वर्ष जब इस सदन में माननीय नरेश अग्रवाल जी ने विद्युत बजट प्रस्तुत किया था तो उस समय उन्होंने वायदा किया था उस वायदे को पूरा करके दिखाया है । वायदा था कि हम इस प्रदेश के अन्दर विद्युत की चोरी को रोकेंगे और इस वायदे को पूरा करके दिखा दिया है । आज उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि 12 लाख कटिया कनेक्शन रेगुलराइज किये हैं, लक्ष्य 15 लाख का था । लेकिन 12 लाख की उपलब्धि इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि निश्चित रूप से विद्युत चोरी रोकने की दिशा में एक सार्थक प्रयास किया है ।

अपने बजट भाषण में कहा कि जितने बड़े-बड़े पूंजीपति/उद्योगपति विद्युत चोरी कर रहे थे उनके खिलाफ भी कठोर कार्यवाही की गयी है । हमारी सरकार कृतसंकल्पित है कि विद्युत चोरी को रोक कर दिखायेंगे और एक नया इतिहास इस प्रदेश के अन्दर सृजित करेंगे । माननीय तिवारी जी ने 33 के०वी०ए० के 100 सब-स्टेशनों की बात कही । माननीय मंत्री जी ने अबकी बार 143 सब-स्टेशनों को लगाये जाने की चर्चा की है । यह 33 के०वी०ए० के ट्रांसफारमर ग्रामीण क्षेत्रों में लगते हैं इसलिए विद्युत वितरण में कैसे सुधार हो इस दिशा में माननीय मंत्री जी ने जितने उपकेन्द्रों को लगाये जाने की बात कही है वह निश्चित रूप से लगेंगे । एक बात पिछली बजट में और कही गयी थी उसकी तरफ माननीय तिवारी जी ने जो शंका व्यक्त की उसे उन्होंने दूसरी दिशा में खींच दिया । गत वर्षों का अनुभव रहा है कि जो ट्रांसफारमर खराब हो जाते थे तो महीनों-महीनों तक उनको नहीं बदला जाता था ।

गांव का किसान अधिशासी अभियन्ता से लेकर अधीक्षण अभियन्ता तक के चक्कर लगाता था और बिजली न होने के कारण उसकी फसल प्रभावित होती थी और सिंचाई भी प्रभावित होती थी परन्तु हमारी सरकार ने इस बात की घोषणा की हम 3 दिन के अन्दर ग्रामीण अंचलों में ट्रांसफारमर बदल देंगे । मैं यह तो नहीं कह सकता कि तीन दिन में बदले जा रहे हैं परन्तु इतना अवश्य कहना चाहता हूं अब उसमें कोई ज्यादा विलम्ब नहीं हो रहा है । तीन दिन नहीं चार दिन नहीं सात दिन के अन्दर तो निश्चित रूप से बदले जा रहे हैं । इसकी माननीय तिवारी जी ने प्रशंसा नहीं की । बल्कि यह कहा कि यह ट्रांसफारमर किस कम्पनी में बन रहे हैं इसकी जानकारी तो उन्हें भी होगी । मान्यवर, यह बात सच है कि विद्युत की कमी है और उस विद्युत की कमी की पूर्ति के लिए केवल सत्ता पक्ष को ही जिम्मेदार ठहरा देना उचित नहीं है । आज जो विपक्ष में बैठे हैं वह सत्ता में ही रहे हैं, आज जो विद्युत की जर्जर स्थिति बनी हुई है उसमें दोनों तरफ के लोग जिम्मेदार हैं । पिछले 40–50 वर्षों में जिस प्रकार से विद्युत विभाग का नियोजन किया गया उसी का यह परिणाम है परन्तु वर्तमान सरकार विद्युत व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास कर रही है । इसके साथ ही मैं एक बात और विद्युत मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस समय छात्रों की बोर्ड परीक्षायें नजदीक हैं, रबी की फसल की सिंचाई भी होनी है, बाद में उसकी कटाई भी होनी है इसलिए छात्रों के हित में मेरा विद्युत मंत्री तथा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु कड़े निर्देश दिये जाये, गांवों में देर रात्रि में बिजली आती है, किसान को भी इसकी आवश्यकता है, इसलिए इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाय । अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया मैं आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से आज एक ऐसे विभाग के बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं जिस विभाग का प्रदेश के विकास से सीधा सम्बन्ध है, जिस विभाग से प्रदेश का रोजगार जुड़ा है । अगर विद्युत विभाग का उत्पादन बढ़ता है तो हम इस विभाग को सुदृढ़

करते हैं उससे प्रदेश की तमाम समस्याओं का समाधान पाने में हमको एकमुश्त उपलब्धि हासिल होगी। मान्यवर, यह सुधार हो क्यों नहीं पा रहा है। मान्यवर, अभी जो बजट पुस्तिका हम लोगों को उपलब्ध कराई गई है मान्यवर, उसे मैंने पढ़ने की, समझने की कोशिश की है। मान्यवर, इनके ऊपर ऋणों का दबाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और जिसके कारण कभी न कभी मजबूर होकर इनको किसी न किसी थर्मल पावर हाउस को बेचने की आवश्यकता पड़ जायेगी। जो शासकीय ऋणों पर देय ब्याज है, ग्रामीण विद्युतीकरण पर हुई हानि की क्षतिपूर्ति करने की दिशा में जो पिछले वर्ष 98-99 में 686.17 करोड़ रुपये था वह बढ़कर इस साल जो अनुमानित है वह 780.11 करोड़ रुपये हो जायेगा। मान्यवर, जब किसी भी बजट का पूंजीगत व्यय बढ़ता है तो उससे निर्माण कार्य ज्यादा होते हैं और राजस्व व्यय में जब कटौती होती है। कुल योजनागत व्यय 98-99 में 246.12 करोड़ रुपये था वह इस साल इनका अनुमानित 2202.57 करोड़ रुपये है। पूंजीगत व्यय में, योजनागत व्यय में पिछले वर्ष हम जितना खर्च कर चुके हैं उसमें इस साल अपना बजट बढ़ाने का नहीं बल्कि पीछे हटाने का काम किया है। कहां से हम सुधार कर पायेंगे ? पूंजीगत व्यय काटकर प्रदेशवासियों को विद्युत दे पायें यह किसी चमत्कार के द्वारा ही हो सकता है।

हालात यह है कि जो ऋणों की देनदारियां हैं जो ऋण 97-98 में 1163.23 करोड़ रुपये था इस वर्ष जो इन्होंने ऋणों का बोझा लादने का काम किया है अनुमान है इनका कि वह 2202.57 करोड़ रुपये इस साल बढ़ेगा। इसके उपरान्त क्या होगा। इनको कोई न कोई पावर हाउस चाहे वह पूंजीपतियों के हाथ हो या एन०टी०पी०सी० के हाथ में हो, प्रदेश की जो पूंजी है हम किसी दूसरे के हाथ में सौंप कर उससे मुक्ति लेनी पड़ेगी। यह दुःखदायी होगा क्योंकि उस पर प्रदेश की जनता का पैसा लगा है जैसा प्रमोद तिवारी जी कह रहे थे कि वास्तविक बाजार मूल्य क्या है, बुक वेल्यू क्या है। इस तरह का घपला करके उसे बेचने का काम किया जायेगा। संसाधनों के बारे में माननीय मंत्री जी बड़ा बखान कर रहे थे कि आन्तरिक संसाधन का विकास करेंगे। 97-98 में यह इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है 220.40 करोड़ रुपये आन्तरिक संसाधन जुटा चुका है विगत साल से जब से नरेश जी आये हैं 33.92 करोड़ रुपया जुटा पाये हैं और इस साल के लिये 100 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है। पता नहीं कितना जुटा पायेंगे। मान्यवर, आपकी मजबूरी को मैं समझ रहा हूं इसलिये संक्षेप में 2/1 बातें कह कर समाप्त करूंगा। वर्ष 1998-99 में जहां अम्बेडकर गांव का विद्युतीकरण का लक्ष्य था वह 79 था उसके सापेक्ष 361 गांव का विद्युतीकरण किया गया है इस बार एक भी गांव के विद्युतीकरण का लक्ष्य इस सरकार ने नहीं रखा है। गांधी ग्रामों में विद्युतीकरण का लक्ष्य था 164 उसमें मात्र 9 गांव का विद्युतीकरण कर पाए हैं इस बार एक भी गांव को नहीं लिया गया है स्वर्ण जयन्ती में 12 गांव का लक्ष्य था एक गांव का भी विद्युतीकरण नहीं कर पाए। विधायक निधि से विधायकगण अपने क्षेत्र को पैसा देकर विद्युतीकरण करायेंगे यह 2,005 का लक्ष्य था, लेकिन विधायकों को पैसा उपलब्ध नहीं हो पाया है वह प्रस्ताव भी नहीं दे पाए हैं जनवरी, 1998 की यह उपलब्धि थी विधायक निधि के माध्यम से....

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री बी० आर० वर्मा–

मैं एक सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं मान्यवर, इस सदन में एक माननीय सदस्य ने अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या के माध्यम से एक प्रश्न उठाया और अनुपूरक प्रश्न के माध्यम से एक प्रश्न जानना चाहा प्रदेश में 10 बड़े बकाएदार कौन हैं उन पर कितना बकाया है इस सदन में जवाब आया था और जो दस बकायेदार थे उनमें तीन चार सौ करोड़ से कम किसी पर बकाया नहीं था तो वह बकाएदार तो मौज से घूम रहे हैं उनका कनेक्शन नहीं काटा गया उनका कनेक्शन

विच्छेदित नहीं किया गया लेकिन किसान जो अन्नदाता है उस पर दो हजार, तीन हजार बकाया हो गया तो उसके विद्युत कनेक्शन का विच्छेदन कर देते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

लेकिन जो दस बड़े बकाएदार हैं उनका विद्युत कनेक्शन नहीं काटा गया है । इस दोहरी पालिसी को आप देखें । मैं आपकी मजबूरी को देखते हुए समयाभाव को देखते हुए तिवारी जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

मान्यवर, विद्युत विभाग के बजट पर बोलने दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मैं विद्युत मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, हम लोग सब भली-भांति परिचित हैं प्रदेश का विकास बिना विद्युत के नहीं हो सकता है विद्युत विभाग आज तीन भागों में बंट गया है । इन तीनों विभागों को अलग-अलग करके उनमें जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी जाए कौन अधिकारी विद्युत उत्पादन करता है कहां लाइन लास होता है इसकी जिम्मेदारी एवं एकाउन्टिबिलिटी बड़े अधिकारियों को सौंपनी चाहिए । हम सब जानते हैं विद्युत चोरी होती है तो जहां 1000 किलोवाट अधिक लोड का है उनकी मीटर रीडिंग बड़े-बड़े अधिकारी लेते हैं अधिकांशतः चोरी इनके मिली भगत से होती है ।

[समय 4 बजकर 35 मिनट]

आज हम खानापूरी करने के लिए बैठे हुए हैं । जो छोटा किसान है जब कटाई का सीजन आता है तो वह पांच हार्स पावर की मोटर चला लेता है तो उसको पकड़ लेते हैं और जेल में बंद कर देते हैं लेकिन जो बड़े-बड़े लोग हैं जो विद्युत चोरी करते हैं, विद्युत विभाग के बड़े-बड़े अधिकारियों की मिलीभगत से उनको कोई नुकसान नहीं होता है । अभी अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के माध्यम से यह पूछा गया था कि कितने बड़े-बड़े बकायेदार हैं उनकी सूची दें । तो जो छोटे-छोटे किसान हैं उनको जबरदस्ती जेल भेज दिया जाता है जिससे उनका शोषण होता है । मान्यवर, इस समय विद्युत परिषद् के पास कितनी पूंजी है । उस पूंजी का आंकलन वर्तमान मूल्य में न करके बुकवैल्यू पर किया गया है । वर्तमान में जितने बुकवैल्यू हैं उसके अनुसार किया जाता तो विद्युत परिषद् को अरबों रुपये का फायदा होता । तो इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है । हम किस-किस बिजलीघर को बेचेंगे उसकी लागत क्या थी, कितना मूल्य बढ़ा है और कितनी महंगाई बढ़ी है उस लागत के अनुसार यदि वर्तमान मूल्य पर बेंचे तो परिषद् को लाभ होगा ।

मान्यवर, विद्युत परिषद् को तोड़कर निगम के रूप में किया जा रहा है । मेरा एक सुझाव है । सरकार ने 68 निगम बंद किये हैं वह घाटे के थे । यदि इन घाटे के निगमों को बंद कर रहे हैं और विद्युत परिषद् को एक नया निगम बना रहे हैं तो उसके अनुसार हानि होनी चाहिए लाभ नहीं होगा । मान्यवर, कुछ मामलों में मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा । उन्होंने जो पांच गांव के विद्युतीकरण की घोषणा की है उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं । गत वर्ष जो पांच गांव थे उन पांच गांवों में जो विधायकों ने दिया था तो उसमें हरिजन बस्तियों में तो विद्युतीकरण हो गया लेकिन पूरे गांव में नहीं हो पाया है और वह गांव विद्युतीकरण हुआ मान लिया गया । मेरा निवेदन है कि पूरे में विद्युतीकरण कराया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

मान्यवर, कटिया हटाओ कार्यक्रम में सुधार हुआ है। लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारी इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी गांव में यदि चोरी से बिजली चल रही है और विधायक यह कहता है कि छः सौ रुपये ले लीजिये और इसे नियमित कर दीजिये तो विद्युत विभाग के अधिकारी नियमित करने को तैयार नहीं हैं। मैं मोदी नगर की घटना बता रहा हूं। सहदराबाद गांव में विद्युतीकरण हो गया है। वहां पर कटिया कनेक्शन लगे हुए थे। 20 व्यक्तियों की सूची अभियंता को बनाकर दी गयी। उन्होंने कहा कि इस्टीमेट बनेगा तो कटिया कनेक्शन रेग्यूलर होंगे। तो जो सरकार की नीति है उसके अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है। जो अपना कनेक्शन रेग्यूलर करने को तैयार है, बिल देने को तैयार है, लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारी तैयार नहीं हैं ...

मान्यवर, विद्युत विभाग का दीवाला क्यों निकला है ? बिठुर पोल तकनीक के आधार पर गंगा नदी पर पाईल फाउण्डेशन घटिया स्तर का बना दिये गये हैं। कुछ लोगों ने शिकायत की पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी ?

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

मान्यवर, 800 के०वी०ए०वी०सी०बी० आनपारा उन्नाव लाइन मे 500 करोड़ का घोटाला हुआ बात प्रकाश में आयी शिकायतें हुई लेकिन अधिकारियों पर कोई असर नहीं हुआ। मान्यवर, टांवर पेन्टिग का मामला अत्यन्त रोचक है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें। मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है।

श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

एक करोड़ का उसमें टेंडर किया गया जबकि वह पेन्टिंग हो ही नहीं सकती है। वह टेंडर कैन्सिल किया गया वह टेंडर किया ही क्यों गया था ? ईस्ट इण्डिया कं० हमारे देश में आयी थी हमारा देश गुलाम हो गया। वर्तमान समय में विदेशी कम्पनियों को आमंत्रित किया जा रहा है। हुंडई कं० बन गयी है। मान्यवर, ट्रांसफारमर की मरम्मत के लिए वर्कशाप बने हैं लेकिन परिषद् के अधिकारी अपने लोगों से कराते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

शिशौदिया जी आप कृपया बैठें।

श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

लखनऊ में सी०सी०जी० 35, सी०जी०सी० सी०सी०–42 कम्प्यूटर फीडिंग के घोटाले की बात थी यहां सदन में भी उसे उठाया गया था। इसी तरह से विद्युत परियोजनाओं से 45931 वेगन कोयला गायब हो गया, सेमेन्ट किया गया।

श्री अधिष्ठाता–

अब नहीं लिखा जायेगा ।

श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

मान्यवर, [x x x]

श्री कौकब हमीद –

मान्यवर; जो कटौती का प्रस्ताव ऊर्जा विभाग के बजट पर माननीय प्रमोद तिवारी जी ने रखा है उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । जब इस प्रदेश की तरक्की की बात होती है तो वह तरक्की कैसे आये इसकी बात होती है । बिजली एक ऐसी चीज है जिसके बगैर कोई भी प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता है । मान्यवर, बड़े जोर से मंत्री जी ने कहा है हेवी इन्डस्ट्री की बात जो लगी हैं उसमें बिजली 22 या 23 प्रतिशत का कंजम्पशन हो गया है यह 89-90 में 31.9 था, 91-92 में 28 था, 92-93 में 27.8 प्रतिशत था, 94-95 में 25 प्रतिशत था, 96-97 में 22 प्रतिशत था आज 18 प्रतिशत आप हेवी इन्डस्ट्री को बिजली दे रहे हैं । उसकी वजह यह है कि कोई आपके यहां नया उद्योग लगाना नहीं चाहता । नोएडा और बड़ी-बड़ी जगह जो इन्डस्ट्रीज लगी थीं उन्होंने अपने कनेक्शन कटवा लिये और बहुत से लोगों ने अपने टरबाइन लगा दिये और वह अब टी०डी० करवाकर अपने टरबाइन से अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं । आप 5/- रु० पर सबसे महंगी बिजली देते हैं, जो कमाई की बात थी, वह तो आपने खो दी । मान्यवर, नोएडा में क्या हुआ, एक कम्पनी बनी, नोएडा पावर कारपोरेशन लिमिटेड के नाम से । इस दावे के साथ बनाई गई कि हम प्राइवेटाइजेशन की शुरूआत कर रहे हैं और यह देखेंगे कि प्राइवेट करने से क्या फायदा होता है ?

मान्यवर, बहुत ही उचित सी बात है कि जब आप विद्युत नीति घोषित करने जा रहे हैं, नई योजना बनाने जा रहे हैं, नये तरीके अपना रहे हैं तो क्या आपके दिमाग में यह नहीं आया और नोएडा पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने आपकी सरकार को बेवकूफ बना दिया, मंत्री जी भी शायद यह भूल गये कि इस कम्पनी पर 72 करोड़ की देनदारी आज के दिन भी है । यही नहीं आपने उसका एग्रीमेंट दुबारा कर दिया । मैं पूछना चाहता हूं कि आज तक कितने एम०ओ०यू० साइन हुये हैं, क्या कोई उद्योगपति आया, किसी ने पावर हाउस लगाया । बहुत से लोग रोज आते हैं, चले जाते हैं, आखिर क्या वजह है, कोई प्रदेश में रुकना नहीं चाहता, सिर्फ बिजली का संकट नहीं है, ला एण्ड आर्डर की समस्या है । यह बड़ी संवेदनशील सरकार है, किसानों का बड़ा हित करती है । सरकार ने 7-12-98 को एक एग्रीमेंट साइन किया है, एस०जी०ई०सी० से, 2.25 पैसे प्रति यूनिट पर । उस एग्रीमेंट में एक क्लाज यह है कि 5 प्रतिशत की हर साल बढ़ोत्तरी करेंगे और वह भी 95-96 से । इस प्रकार आज की तारीख में वह 2.98 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली देंगे । आज सरकार द्वारा किसानों को 45-50 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जा रही है, मैं जानना चाहता हूं कि यह जो आप दो रुपये, ढाई-तीन रुपये पर बिजली लेंगे तो कैसे किसान को 40-50 पैसे में देंगे । आप किसान का सर्वनाश तो कर ही रहे हैं, इससे वह पूरी तरह बैठ जायेगा ।

ट्रांसफारमर्स के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी ने भी घोषणायें की हैं हम 17 घन्टे, 72 घन्टे हफ्ते भर में ट्रांसफारमर बदल देंगे, लेकिन ट्रांसफारमर महीनों में बदले नहीं जाते हैं, इस प्रदेश में 2 लाख 85 हजार ट्रांसफारमर हैं और 25 के०वी०ए० के 18 हजार ट्रांसफारमर खराब हैं, 100 के०वी०ए० के तीन हजार खराब है, 250 केवी०ए० के 800 खराब हैं, 600 के०वी०के०

नोट :– [x x x] उक्त अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया ।

150 खराब हैं । ट्रांसफारमर खराब होने का परसेन्टेज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है । अगर 600 के०वी०ए० के ट्रांसफारमर कहीं लगाया जाता है तो वह दो हफ्तों में फुंक जाता है जिससे लाखों रुपयों का नुकसान होता है ।

मान्यवर, आनपारा–सी बड़े विवाद का मुद्दा रहा है । यहां एक दर्जन वक्तव्य आ चुके होंगे । आप पूरी बात बता दें कि इसे हुन्डई चलायेगी या कोरियन कम्पनी चलायेगी या इसके लिए ग्लोबल टेन्डर मांगा जायेगा या देश का ही टेण्डर होगा आप बता दें कि यह कब चलेगा । कभी भारत सरकार मंत्री जी आकर 240 करोड़ रुपये की घोषणा कर देते हैं लेकिन प्रदेश के लिए शर्म की बात है कि 240 करोड़ रुपये का कोई गारन्टर नहीं मिला । विद्युत परिषद् के घाटे का बहुत जिक्र किया जाता है । मान्यवर, 1600 करोड़ रुपये और 600 करोड़ रुपये नगरपालिकाओं पर बाकी है यदि किसान के ऊपर थोड़ा सा भी बकाया होता है तो अमीन उसको पकड़कर जेल में बन्द करते हैं जबकि उन पर दो मिलाकर 80-90 करोड़ से ज्यादा का बकाया नहीं है पर किसान को हर तरह से परेशान किया जाता है ।

मान्यवर, अगर सरकार की नीयत साफ है तो यह जो 2000 मिलियन यूनिट का सार्टफाल है उसे और हाइड्रो में इस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या योजना बनायी है । आपने पहाड़ के विधायकों को मीठी गोली देकर कह दिया कि हम व्यवस्था करने जा रहे हैं जब आपका प्रदेश बन जायेगा तो 100 करोड़ रुपया देंगे लेकिन जब तक कोई योजना नहीं होगी तब तक कैसे आप देंगे । आप कहते हैं कि किसान, व्यापारी, इंजीनियर बेईमान हैं और सिर्फ आप ही ईमानदार है यह कहने से काम नहीं चलेगा और आपको कोई न कोई योजना बनानी पड़ती इसी के साथ मैं माननीय तिवारी जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

श्री अधिष्ठाता–

अभी बहुत सारी मदें बाकी हैं आप सहमत हों तो दो-दो माननीय सदस्य दोनों तरफ के पांच-पांच मिनट बोल लें, इस तरह 20 मिनट हो जायेंगे और उसके बाद उत्तर भाषण हो ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण बजट है इस पर बोलने के लिये समय दें ।

श्री कौकब हमीद–

दो घन्टे में आप बिजली का बजट पास कराना चाहते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अच्छा तीन-तीन माननीय सदस्य दोनों तरफ के बोल लें ।

(शोर)

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता जी, मेरा यह निवेदन है कि आखिर क्या जल्दी है, इस बजट को पास कराने की ? जब तक माननीय सदन में कोरम है, सदन में उपस्थित सदस्य बोलना चाहते हैं । इतना महत्वपूर्ण बजट को गांव की गली से लेकर शहर के वार्ड से लेकर इस विधान सभा तक से जिसका सम्बन्ध है, उस पर आप जल्दी क्यों कर रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता–

बाजपेयी जी, बैठिये । यह अभी आठवां मद है, ऐसा तो नहीं कि आज का पूरा दिन इसी के लिए आवंटित है, बाकी भी मद हैं ।

*श्री राजधारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे विद्युत के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। यह बात सही है कि विद्युत आज हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने, हमारे साथियों ने विद्युत के बारे में जो अपनी चिन्ता जाहिर की, जो महत्वपूर्ण सुझाव दिये, वह निश्चित रूप से ध्यान देने योग्य है। हमें प्रसन्नता है कि विद्युत जैसे महत्वपूर्ण विभाग के प्रति एक तरफ हमारे माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में विद्युत के उत्पादन को बढ़ाने की बात कही है वहीं विद्युत वितरण की व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने की बात कही, वहीं विद्युत की चोरी को रोकने का भी संकल्प लिया। इनके संकल्पशक्ति को देखते हुये विद्युत के सम्बन्ध में चन्द सुझाव देने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने अपने बजट भाषण में विद्युत के उत्पादन के बारे में अपनी संकल्प, इच्छा को जाहिर की।

मान्यवर, यह बात सही है कि आज देखा जाये उत्तर प्रदेश की जो पिछली सरकारें थी, पिछला नियोजन था, कारण जो भी हो, आज जो विद्युत का उत्पादन होना चाहिए, वह नहीं हुआ। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय औसत जो है उसकी तुलना में देखा जाये तो निश्चित रूप से वह चिन्ता का विषय है। पिछली जो भी व्यवस्था रही विद्युत उत्पादन के काम को हमने महत्व नहीं दिया। विद्युत उत्पादन के नये गृह नहीं लगे, परिणाम स्वरूप क्षमता कम होती गयी। सस्ती लोकप्रियता के लिए गांवों के विद्युतीकरण को प्राथमिकता दी गयी। लगभग 20 साल से उत्तर प्रदेश में कोई नयी इकाई नहीं लगी और जो पहले से कार्यरत थी ओबरा या दूसरी इकाईयां, गलत नियोजन या दूरदृष्टि के अभाव में जो इकाईयां बंद पड़ी थीं, उन इकाईयों को चलाने का संकल्प रखा है अपने भाषण में और विश्वास दिलाया है कि अगले वित्तीय वर्ष में नये विद्युत गृह भी लगायें। यह महत्वपूर्ण कदम है।

माननीय मंत्री जी, आपकी प्रथम प्राथमिकता विद्युत उत्पादन की होनी चाहिए और उसके लिए जितना अधिक से अधिक धन लगा सके, लगायें और विद्युत वितरण भी काफी महत्वपूर्ण है। हमें प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री जी ने अगले वित्तीय वर्ष में 190 विद्युत सब स्टेशन 33 के०वी० के लगाने का निर्णय दोहराया है। निश्चित रूप से यह सराहनीय कदम है। विद्युत वितरण में सुधार होगा। इस क्रम में बिजली की समस्याओं को गम्भीरता से लिया है। इसी दिशा में कुछ रचनात्मक सुझाव अपनाए हैं। विद्युत कनेक्शन के समय जो 100 रुपए का स्टाम्प शुल्क था उसको माफ कर दिया गया। अवैध कनेक्शन को कटिया हटाओ कनेक्शन लगाओ के द्वारा अवैध कनेक्शन को नियमित किया गया है। विद्युत की चोरी होती है यह सही है कि लेकिन गांव के तमाम लोग बिल जमा करना चाहते हैं लेकिन जब वह बिजली के दफ्तरों में जाते हैं तो दो हजार चार हजार की जगह उनसे बाबू कहते हैं कि हमें कुछ पैसा दो हम तुम्हारा बिल कम कर देंगे।

इस व्यवस्था को सुधारने के लिए मंत्री जी ने एक्स मिलीटरी मैंन को लगाने का काम किया है। इसके अलावा स्पाट बिलिंग की नीति निर्धारित की गई है। यह निश्चित रूप से चोरी रोकने में महत्वपूर्ण कदम होगा। अब तक कहीं जवाब देही नहीं थी उत्पादन, वितरण में मंत्री जी ने इस दिशा में जवाब देही बनाने का निर्णय लिया है यह सराहनीय कदम है। इसी क्रम में प्रत्येक जनपद में एक अधिशासी अभियन्ता स्तर का अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है निश्चित रूप से वसूली की दिशा में यह एक सकारात्मक और मजबूत कदम होगा।

(इस समय 4 बजकर 57 मिनट पर अधिष्ठाता श्री लाल जी वर्मा पीठासीन हुए।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इससे हमारी वसूली बढ़ेगी । मैं जनपद बलिया से आता हूं यहां के बारे में कुछ ... एं हैं विगत वर्षों से बलिया में मुख्यालय पर 6 बजे से लेकर 10 बजे तक बिजली नहीं रहती है उसका कारण यह है कि विद्युत का तार कसारा से बलिया तक लाइन आती है वह जर्जर हो गई है उसमें क्षमता नहीं रह गई है । इसके लिए मैं मंत्री जी से और अपने राज्य विद्युत परिषद् के अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि बलिया जो विद्युत के मामले में काफी पंगु है बहुत दुखी है इन लाइन को बदला जाए । यदि पैसा कम पड़ेगा तो जिला योजना से जो पैसा मिलता है तो विद्युत व्यवस्था ठीक करने के लिए उस पैसे को दिया जाएगा । इस क्रम में मैं मंत्री जी का आभारी हूं जिन्होंने हमारे विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर माल्टा में 33 के०वी० का विद्युत सब स्टेशन दिया है । लेकिन यह काम जो दिसम्बर 1998 में पूरा होना चाहिए था आज तक पूरा नहीं हो पाया है ।

मैं अनुरोध करूंगा कि इस सब स्टेशन को पूरा किया जाए । इन शब्दों के साथ मैं माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे श्री प्रमोद तिवारी द्वारा विद्युत विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । विद्युत विभाग ऐसा विभाग है जिसमें यदि अनियमितता होती है तो यह खुद तो प्रभावित होता ही है दूसरे विभागों को भी प्रभावित करता है । इसका सबसे बड़ा फर्क कानून व्यवस्था पर पड़ता है । यहां पर कई केसेज मेरी निजी जानकारी में हैं कि जहां रात में मर्डर हुआ और जिसने अपराध किया, विद्युत विभाग के कर्मचारियों से मिलकर विद्युत कटौती उस दिन दिखा दी गयी जिस कारण अपराधी को मर्डर के केस में बेल मिल गयी और वह छूट गया । इससे कानून-व्यवस्था भी बाधित होती है और न्यायायिक व्यवस्था भी बाधित होती है जिसे फांसी मिलनी चाहिए थी और एफ०आई०आर० में लिख दिया जाता है कि विद्युत कटौती थी और वह छूट जाता है । इस प्रकार का भ्रष्टाचार विद्युत विभाग में बढ़ रहा है । कल ही यहां एक विद्युत विभाग के बारे में ... एक पेस किया गया है मैंने उस पर सरसरी तौर पर नजर डाली है परन्तु भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उसमें कोई प्राविधान नहीं है । खेती की पैदावार तो कम करता ही है, आज प्राइवेट ट्यूबवेल्स किसान लाखों रुपयों में लगा रहे हैं और वह किसान बिजली की इन्तजारी में बैठा रहता है कि जब बिजली आयेगी तो पानी आयेगा । पिछले वर्ष भी इसी सरकार में 18 लाख मीट्रिक टन गेहूं की कम पैदावार हुई थी और अब की बार भी एक महीने बाद भी आंकड़े आ जायेंगे कि कितनी कम पैदावार हुई वह सब बिजली न होने कारण और ट्यूबवेलों के न चल पाने के कारण हो रहा है । जितना पानी मिलना चाहिए था उतना पानी नहीं मिल पाया जिससे किसान बहुत प्रभावित हुये हैं ।

मान्यवर, 26 मार्च, से बोर्ड की परीक्षायें हैं लगभग 35 लाख छात्र-छात्राएं उसमें भाग ले रही हैं परन्तु पढ़ने के समय बिजली नहीं आ रही है । ट्रांसफारमर जो फूंक गये हैं उनको 24 घन्टे में बदलने की बात कही गयी, मैं बताना चाहता हूं कि बुलन्दशहर जनपद में 60–60 और 70–70 दिन से ट्रांसफारमर खराब पड़े हुये हैं और उन्हें अभी तक बदला नहीं गया है । सिकन्दराबाद जिला बुलन्दशहर में 133 के०वी०ए० का सब-स्टेशन स्वीकृत हुआ, इस वर्ष तो उसमें थोड़ा बहुत काम हुआ है परन्तु जिस मन्द गति से उस पर काम हो रहा है उस हिसाब से वह पांच वर्ष में भी पूरा नहीं हो पायेगा । मंत्री जी

ने 147 नये सब-स्टेशनों की भी बात कही है परन्तु मेरा यह कहना है कि इसके लिए समय सीमा भी निर्धारित होनी चाहिए । माननीय विद्युत मंत्री जी कस्बा खुर्जा जनपद गौतमबुद्धनगर गये थे और उन्होंने घोषणा की थी कि गौतमबुद्धनगर को विद्युत कटौती से मुक्त रखा जायेगा परन्तु आज उसे कटौती से मुक्त नहीं रखा गया है आज भी कटौती बार-बार हो रही है ।

नोएडा पावर कम्पनी के बारे में माननीय तिवारी जी और माननीय कौकब जी ने सारी बातें रख दी हैं उनके ऊपर 72 करोड़ रुपये का बकाया है मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि ग्रामीण विद्युतीकरण के सम्बन्ध में जो कम्पलेन होती है उसे नोएडा पावर कम्पनी के लोग अटैण्ड नहीं करते हैं और न ही उनकी इसमें कोई रुचि होती है । अगर किसी का कनेक्शन कट गया तो दुबारा उसे जोड़ने के लिए छः–छः महीने तक किसान परेशान रहता है । नोएडा पावर कम्पनी केवल फैक्टरी स्तर तक ही सीमित रहती है और वहीं पर वह अपना बिजनेस करते हैं । हम लोग गांव का विद्युतीकरण नहीं कर सकते हैं । जब हमने इस बारे में प्रश्न किया तो हमें जवाब मिला कि नोएडा पावर कम्पनी ही करेगी । आज यहां पर गांव की बड़ी दुर्दशा है । मंत्री जी ने अपने भाषण में तार चोरी का भी जिक्र किया है । मेरा कहना है कि अगर बिजली होती तो तार चोरी में कमी आती परन्तु बिजली न होने के कारण दो-दो कि०मी० तक बिजली की तार चोरी हो जाती है । अब इस बिजली तार चोरी को रोकने के लिए आपने बजट में क्या प्राविधान रखा है और कितना रुपया इसके लिए दिया है मुझे नहीं मालूम । मैं अपने क्षेत्र सिकन्दराबाद की एक घटना बताकर समाप्त करूंगा । मेरे पास यह सूचना है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् की अधिसूचना है 15 जुलाई, 94 को सचिव महोदय ने यह अधिसूचना जारी की है और 16 जुलाई से लागू कर दी गई है । शहरों और गांवों का विभाजन कर दिया गया जो ट्यूबवेल शहर की सीमा में आ रहे हैं उनके बिल बढ़ा दिये गये हैं । यह इस अधिसूचना में स्पष्ट लिखा है कि यह 16 जुलाई से लागू माने जायेंगे । लेकिन मान्यवर, किसान इससे अनभिज्ञ रहा, किसान ट्यूबवेल चलाते रहे और बिल देते रहे । अगस्त, 97 में बिल देना बन्द कर दिया गया । अधिकारी कहते हैं कि जुलाई 94 से जो बिल बढ़ा दिया गया था वह सारा देना पड़ेगा । अगर नहीं देंगे तो उनके कनेक्शन काट दिये जायेंगे ।

मान्यवर, एक तो वैसे ही बिजली नहीं मिल रही है, किसान परेशान है । वह ट्यूबवेल से फैक्ट्री नहीं चला रहा है गेहूं, धान, आलू पैदा कर रहा है जो गांव में पैदा होता है वही शहर में हो रहा है । सिकन्दराबाद शहर और सिकन्दराबाद देहात दो भाग हैं । जिसमें 10–12 विलेज हैं उन सब में जो 400 के लगभग ट्यूबवेल लगा रखे हैं उनको यह कह दिया गया कि शहर के अन्दर आते हैं इसलिये दाम बढ़ा दिया गया । अभी 13 फरवरी का किसान का एक बिल मेरे पास है यह 1631 रुपये का है । किसान से कह रहे हैं कि दिसम्बर, 98 में कनेक्शन ट्यूबवेल के काटने शुरू कर दिये गये । मान्यवर, फसलें खड़ी थीं ऐसी अन्धेर गर्दी हो रही है । 15 जुलाई, 94 की सूचना है और किसानों को अगस्त, 97 में जानकारी दे रहे हैं । जबकि इस बीच की अवधि में किसान को बिल भेजे जाते रहे हैं और उन्होंने भुगतान किया है । कह रहे हैं कि बढ़ा हुआ 94 से लेंगे । किसान कहां से दे सकते हैं । मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि ऐसे मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए और किसान को इससे मुक्ति दिलानी चाहिए । ऊर्जा मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इसको गम्भीरता से लेंगे । 400 किसान परिवार प्रभावित हो रहे हैं ट्यूबवेल पर थोड़ी-थोड़ी जमीन हैं गेंहू, धान, आलू पैदा करते हैं यह लोग कोई फैक्ट्री नहीं चला रहे हैं । शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में बांटकर भारी बोझ डाला जा रहा है । ऐसे कृत्यों से विद्युत विभाग को बचाने का कष्ट करें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, आपने बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिये आपका आभारी हूं । मैं इस बजट पर बल देते हुए इसका समर्थन करता हूं । विद्युतीकरण के कनेक्शन को नियमित करने के लिये जो योजना

बनाई गई हैं वह अभूतपूर्व हैं । इसी प्रकार से उपभोक्ताओं को जो सुविधा दे रहे हैं उनके लिये आपूर्ति का जो प्रावधान किया है वह भी प्रशंसनीय है । श्रीमन्, 72 घंटे के अन्दर जो ट्रांसफारमर फुंक जाने पर बदले जाने की जो व्यवस्था है वह सुचारु रूप से हो सके यह अपने में बहुत महत्वपूर्ण है । आपके माध्यम से कुछ सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं श्रीमन्, मथुरा में गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र आगरा के पास स्थित है और आगरा में ताज का अपना महत्व है । ताज ट्रिपोजियम के बारे में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो आदेश दिये गये हैं कि आगरा के आस-पास के क्षेत्र को विद्युतीकरण कर दिया जाय । इसके लिये केन्द्र द्वारा व्यवस्था की गई, धन का आवंटन भी हुआ लेकिन राज्य सरकार द्वारा धन का आवंटन न होना बड़े खेद का विषय है । वहां पर मथुरा रिफाइनरी स्थापित है । वहां पर ताज ट्रिपोजियम की सुरक्षा हो । राज्य सरकार वहां कोई प्राविधान नहीं कर पाई है जो पैसा ताज ट्रिपोजियम के लिए निर्गत हुआ था वह कहां चला गया । पैसा ताज के आस-पास खर्चा होना चाहिए था । गोवर्धन क्षेत्र ताज से प्रभावित है उद्योग धन्धे खत्म हो गए हैं गांव में मिट्टी का तेल जलाकर कार्य होता है वह ताज को प्रभावित कर रहा है ताज काला हो रहा है इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं ताज की सुरक्षा के लिए गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र में विद्युतीकरण कराया जाए मजराओं का विद्युतीकरण हो । राज्य सरकार द्वारा इसमें कोई प्राविधान नहीं किया गया है ।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में तारों की चोरी होती है नाम लिखकर हम लोग देते हैं विद्युत विभाग के कर्मचारी चोरी करते हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होती है, कोई प्रभावी कदम उनके खिलाफ उठाई जानी चाहिए यही नहीं ग्रामीण अंचलों में विद्युत की आपूर्ति नहीं हो रही है यह बार-बार वायदा करते हैं विद्युतीकरण के लिए ट्रांसफारमर की व्यवस्था कर रहे हैं वहां 32 के०वी० के ट्रांसफारमर की व्यवस्था कर रहे हैं । गौरधाम एक संस्था है...

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, हमारे यहां विद्युत विभाग में जो कर्मचारी नियुक्त हुए थे वह अब रिटायर हो रहे हैं उनका स्थानान्तरण नहीं हुआ है वह अभी तक एक जगह पर बने हुए हैं वह चोरी में संलग्न हैं...

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

(श्री राम ललित चौधरी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, मैं विद्युत विभाग पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, हर चीज के विकास की नीव ऊर्जा है चाहे जिस प्रकार का विकास हो, चाहे कृषि का विकास हो, चाहे उद्योग का विकास हो चाहे गांव का हो, चाहे शहर का हो, बिना ऊर्जा के विकास सम्भव नहीं है । लेकिन मान्यवर, ऊर्जा के अभाव में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज प्रभावित हुई है तो वह कृषि है । कृषि और औद्योगिक विकास ऊर्जा के अभाव में प्रभावित हुआ है । उद्योग और कृषि के विकास का भट्ठा बैठ गया है कृषि की बात ले लें 1977 की तरफ चले जाएं 1977 में इस सदन में इस सदन के

तत्कालीन मुख्य मंत्री जी और बिजली मंत्री ने हिण्डालको की बिजली काटकर किसानों को बिजली देने का काम किया । सूखे में भी कृषि पर असर नहीं पड़ा था ।

इस सरकार में दम है कि पूंजीपतियों की बिजली काटकर किसानों को बिजली दे सके । आज मड़ाई की समस्या आ रही है । गांव में सात-आठ घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आ रही है । किसान खेत में पहुंचा कि बिजली बन्द । मुख्य मंत्री जी ने एनाउन्स किया कि 72 घंटे में ट्रांसफारमर लग जाऐंगे, कम्पलेंट करो तो कोई नहीं पहुंचता है । 72 घंटे तो क्या 72 दिन तक कोई नहीं पहुंचता है जब तक सुविधा शुल्क कर्मचारियों को नहीं मिलता है कुछ नहीं होता है । बिजली की बात को लेकर आए दिन चक्का जाम होता है लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है जहां तक उद्योग धन्धों की बात है बिजली के अभाव में उद्योग धन्धे नहीं लग रहे हैं --

मान्यवर, आज कोई भी उद्योग लगाने के लिए तैयार नहीं है । आम आदमी की जहां तक बात है गांव से लेकर शहर की गली तक हर आदमी विद्युत से त्रस्त है, परेशान है । आज परीक्षा हो रही हैं । लेकिन सुबह शाम बिजली नहीं मिल पा रही है । यदि बिजली नहीं होगी तो छात्रों की पढ़ाई कैसे होगी ? आज जो कोल्ड स्टोरेज हैं जो शहर से थोड़े दूर हैं, वहां पर आलू सड़ रहा है । कारण यह है कि बिजली नहीं मिल पा रही है । बिजली के अभाव में विकास दर चाहे वह कृषि की हो या उद्योग की हो दोनों की विकास दर कम हो रही हैं ।

नवीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश की विकास दर का लक्ष्य 7 प्रतिशत रखा था लेकिन पिछले वर्ष मिला कितना मात्र 2.5 प्रतिशत । पिछले वर्ष उद्योग की विकास दर का लक्ष्य 12 प्रतिशत थी, लेकिन पिछले वर्ष मिला कितना मात्र 3 प्रतिशत । उत्तर प्रदेश में बिजली की जो खपत है, उसमें हम पिछड़े हैं । मैं कुछ राज्यों के उदाहरण देना चाहूंगा । आन्ध्र प्रदेश में 374 यूनिट प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष मध्य प्रदेश में 335 यूनिट प्रति व्यक्ति प्रति यूनिट, गुजरात में 608 यूनिट प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, महाराष्ट्र में 500 यूनिट प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष और उत्तर प्रदेश में 204 यूनिट प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष । जो राष्ट्र की औसत खपत है वह 319 यूनिट प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष तो उससे भी हम कम हैं । मान्यवर, विद्युत की उपलब्धता के बारे मे कहना चाहूंगा । आज 13094 मेगावाट कनेक्टेड लोड क्षमता के विरुद्ध केवल 5886 मेगावट लोड क्षमता उपलब्ध है जबकि मांग 113.5 प्रतिशत मिलियन यूनिट प्रतिदिन है और कुल उत्पादन मात्र 68.6 मिलियन यूनिट प्रतिदिन है । इस प्रकार विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता 21059 मिलियन यूनिट है और मांग 41 हजार मिलियन यूनिट है और जो हमारा लक्ष्य है वह 26520 मिलियन यूनिट का है । यानि हम आधे से भी कम पर हैं । जो ओबरा विद्युत गृह है उसकी उत्पादन क्षमता 1300 मेगावाट है लेकिन उसका औसत उत्पादन मात्र 600 मेगावाट है और वहीं इसी के निकट रेणुसावर विद्युत गृह हिन्डालको में कुल उत्पादन क्षमता का 90 प्रतिशत उत्पादन होता है ।

आज माननीय मंत्री जी ने भाषण शुरू करते हुए एक बात कही मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं । संभवत: यह माननीय मंत्री जी का दूसरा बजट है । जब पिछली बार उन्होंने बजट पेश किया था तब भी उन्होंने कहा था कि खजाना खाली है और यह हमें विरासत में मिला है । इस साल भी वह बजट जब प्रस्तुत कर रहे थे तो उन्होंने वही बात दोहरायी है । जब प्रदेश का मुख्य मंत्री और ऊर्जा मंत्री यह बात कहेगा तो प्रदेश की क्या हालत होगी । जब मंत्री दरिद्र सरकार की बात करेंगे तो कर्जा कौन देगा । आज कोई वित्तीय संस्था ऋण देने को तैयार नहीं है । वह कहते हैं कि यह दरिद्र हैं अगर हम कर्जा देंगे तो हमारा पैसा डूब जायेगा । परिषद् में हो रहे आज सवाल इस बात का है कि जो निरन्तर घाटा है और बिजली की किल्लत के लिए कौन जिम्मेदार हैं अगर दूसरी गहराई में जाएं तो पायेंगे कि इसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री जी हैं और माननीय मंत्री जी हैं । और इस गैलरी में बैठे हुए अधिकारी हैं । इसी के साथ इस कटौती प्रस्ताव पर पुरजोर तरीके से बल देता हूं ।

श्री वसीम अहमद–

मान्यवर, मैं माननीय प्रमोद तिवारी जी द्वारा ऊर्जा विभाग के बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, आजमगढ़ क्षेत्र में बिजली की बहुत समस्या है यह सरकार न छात्रों की भलाई के लिए है न किसानों की भलाई के लिए कार्य कर रही है और न ही व्यापारियों की भलाई के लिए कार्य कर रही है क्योंकि शाम को बिजली कटौती हो जाती है। गुंडे और बदमाश व्यापारियों को लूटने का काम करते हैं। पिछले दिनों कई लूट की घटनायें वहां हुई, बिजली 5 बजे चली जाती है। जब किसान को बिजली चाहिये तो उसे जाड़े में आधी रात को मिलती है छात्रों के इम्तहान के समय उनको बिजली नहीं मिलती है अक्सर गायब हो जाती है।

हाईस्कूल, इण्टर, डिग्री के इम्तिहान की इस समय तैयारी हो रही है। 5 बजे शाम को बिजली गुल होती है। यह छात्र विरोधी, किसान विरोधी सरकार है। जो 5 गांवों के विद्युतीकरण की बात है गोपालपुर निर्वाचन क्षेत्र में एक भी ग्राम सभाओं के विद्युतीकरण का कार्य नहीं हुआ है। मान्यवर, एक यह भी बात है कि अगर ग्राम के पुरवे में विद्युत का कनेक्शन हो गया तो पूरे ग्राम सभा का विद्युतीकरण माना जा रहा है। इस परिभाषा को बदलें पूरे ग्राम का विद्युतीकरण न माना जाय। हमारे विधान सभा क्षेत्र में सरदहा और जैगहा पिछड़े क्षेत्र हैं वहां नये उप केन्द्र लगाने की व्यवस्था करें। बनकठ फीडर शहरी क्षेत्र में लगा हुआ है लेकिन वहां जो पी० ए० सी० कम्पाउण्ड है उसके अन्दर वह फीडर है, कोई दिक्कत होने पर 4-5 दिन बिजली चली जाती है उसको उस बाउन्ड्री वाल से हटाकर बनकठ में लगाया जाये तो आसानी होगी। बेलरियागंज और महाराजगंज टाउन एरिया है वहां के तारों की हालत जर्जर हो गयी है दुर्घटनाएं हो रही हैं, तार गिर रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, कई-कई दिनों तक बिजली नहीं आती है उन क्षेत्रों में नये तार लगाने की व्यवस्था की जाय। शंकरपुर बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है 20 साल से वहां एक ट्रांसफारमर लगा हुआ है पूरे के पूरे पोल लगे हुए हैं लेकिन आज तक तार नहीं लगाया गया और न कनेक्शन की व्यवस्था की गयी है, मेरे क्षेत्र गोपालपुर में इन सब चीजों की व्यवस्था की जाय।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा रखे गये बजट के समर्थन में बोलने के लिए अनुमति दी है। मुझे प्रसन्नता है कि पिछली बार भी माननीय ऊर्जा मंत्री ने ऊर्जा का बजट रखा था, आपने कहा कि पिछली बार जो बजट भाषण पर जो-जो उन्होंने आश्वासन दिये थे माननीय सदस्यों ने जो-जो सुझाव दिये थे उन सबको उन्होंने गम्भीरता से लिया है और सबको कार्यान्वित करने का उन्होंने प्रयास किया है। श्रीमन्, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान केवल इस तरफ आकृष्ट करना चाह रहा हूं कि नगरीय क्षेत्र के जो ग्राम हैं, उनकी त्रिशंकु जैसी स्थिति है। वह न तो रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन से कवर्ड हैं और न नगर निगम में उनके लिये कोई प्राविधान है। मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था ऊर्जा मंत्री जी आपको स्मरण होगा, कार्यवाही में भी होगा। आपने स्पष्ट कहा था कि इन ग्रामों के लिये हम व्यवस्था करेंगे। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 80 ग्राम हैं और जब राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेशीय स्तर पर ऊर्जा के उपयोग के आंकड़े देखते हैं तो मैं उसी आंकड़ों के परिप्रेक्ष्य में कहना चाह रहा हूं कि हमारे यहां इन ग्रामों की शून्य प्रतिशत उपयोग की स्थिति है। विद्युत के मामले में बिल्कुल ड्राई एरिया है। पिछली बार माननीय मंत्री जी आपने आश्वासन दिया था और करीब 45 ग्रामों का आगणन बनाकर विद्युत विभाग से जमा हुआ था, मैं चाहूंगा कि आप उसके संबंध में आगे की कार्यवाही हेतु आदेशित करेंगे। मैं इतना ही निवेदन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

* श्री गोपाल कृष्ण–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं । मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मान्यवर, विद्युत जीवन का एक आवश्यक अंग है । मान्यवर, हमारा विधान सभा क्षेत्र पूरनपुर कृषि में प्रथम स्थान पर है । विद्युत बजट में मंत्री जी ने पूरनपुर में कहीं भी 132 के०वी० विद्युत सब स्टेशन बनाने की घोषणा नहीं की है । जबकि पूर्व सरकार में, जब मुलायम सिंह यादव मुख्य मंत्री थे, 132 के०वी० सब स्टेशन स्वीकृत किया गया था । पूरनपुर क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे पीलीभीत में विद्युत व्यवस्था रुग्ण है । घन्टों विद्युत गोल रहती है । आज जब बोर्ड की परीक्षायें चल रही हैं, लाखों परीक्षार्थी इसमें बैठ रहे हैं, रूहेलखण्ड विश्वविद्यलाय की परीक्षायें हो रही हैं, विद्युत घन्टों गोल हो जाती है । यह सरकार छात्र कल्याण की बात करती है, परन्तु इस संवेदनाशून्य सरकार के पास केवल खोखली घोषणायें हैं । वास्तव में विद्युत विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार ही विद्युत आपूर्ति में बाधक है । माननीय मंत्री जी ने पांच ग्राम अतिरिक्त जिला योजना में देने की घोषणा की थी, यह ग्राम स्वीकार भी किये गये परन्तु आज तक यह घोषणा केवल कागजों पर रह गई । कटिया कनेक्शनों के नाम पर गरीबों से 1000/- तक वसूले जा रहे हैं और रसीद भी नहीं दी जा रही है । कटिया कनेक्शन जहां पर हैं, वहां आज तक खम्भें भी नहीं लगे हैं ।

(इस समय 5 बजकर 28 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बाल चन्द्र मिश्र पुनः पीठासीन हुए ।)

इसी प्रकार एल०टी० लाइन व विद्युतीकरण वाले ग्राम, जो जिला योजना से स्वीकृत हैं, उनके मजरों के विद्युतीकरण नहीं हुये हैं । पुराने अम्बेडकर ग्राम जैसे चकौड़ा, ग्राम सभा सिगरा में खम्भे खड़े हैं । बंजरिया व मोइनपुर में भी खम्भे खड़े हैं । तार लाइन सब गोल है । नये ग्रामों में जहां विद्युतीकरण हो रहा है, वहां केवल औपचारिकता मात्र दो तार ही खींचे जा रहे हैं । केवल 25 के०वी० का ट्रांसफारमर रखा जा रहा है, जो दो दिन में ही फुंक जाता है, इससे शासन का पैसा बरबाद होता है और जनता लुट रही है । विद्युत विभाग में ट्रांसफारमर बदलवाने का पैसा मांगा जाता है । कहा जाता है कि 72 घन्टे में बदलवा देंगे, लेकिन वास्तव में 6 महीने तक ट्रांसफारमर नहीं बदलता है ।

मान्यवर, यदि भ्रष्टाचार में पुरस्कार दिया जाय तो विद्युत विभाग को भ्रष्टाचार शिरोमणि का पुरस्कार निश्चित रूप से दिया जायेगा । भ्रष्टाचार का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा ? मान्यवर, मेरा क्षेत्र बहुत बड़ा है, जहां सम्पूर्णानगर से भी बिजली आती है । इसी प्रकार जिला खीरी में कुटियाकर, गाभिया, बंगाली विस्थापितों का विद्युतीकरण खटीमा से होता है, इसी प्रकार आधा विद्युत आपूर्ति खुटार व आधा बंडा सब स्टेशन से होता है । पूरनपुर में तार बहुत जर्जर हैं, आये दिन दुर्घटना होती रहती है, इसलिये वहां के तार बदले जायें ।

(समय 5 बजकर 30 मिनट)

मान्यवर, हमारे क्षेत्र के एक किसान पं० राधेश्याम हैं उन्होंने अपने लिए बिजली के कनेक्शन के लिए आवेदन किया था कनेक्शन आज तक नहीं लगाया गया लेकिन पं० राधेश्याम जो पूरनपुर के रहने वाले हैं उनसे 50 हजार की रिकवरी वसूल की जा रही है जिसकी जांच कराकर कार्यवाही की जाय । मान्यवर, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है । यहां पर जब कोई ट्रान्सफार्मर जल जाता है तो उसको बदलने के लिए पैसों की मांग की जाती है । एक मोटर कनेक्शन पर 15 हजार रुपये की रिश्वत ली जाती है जो रिश्वत नहीं देता है उसका कनेक्शन नहीं किया जाता ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि पांच ग्रामों में विद्युतीकरण करने की बात कही गयी है मेरे यहां नहरौठा, बांसखेड़ा, दयालपुर, मोहनपुर, गढ़ी, मढाकलां (बिलपुझिया) शाहजहांपुर में विद्युतीकरण अभी तक नहीं हो पाया है । इन ग्रामों का विद्युतीकरण कराया जाय । मान्यवर, मेरा क्षेत्र दो जनपदों में आता है पीलीभीत और शाहजहांपुर परन्तु सबसे बड़ा विधान सभा क्षेत्र होने के बावजूद भी मात्र पांच ग्राम दिये गये हैं मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र जो दो विधान सभा क्षेत्रों में आता है वहां पर दोनों जनपदों में अलग-अलग ज्यादा से ज्यादा गांवों का विद्युतीकरण किया जाय ।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में 24 घण्टे बिजली दी जाय वहां पर 132 के०वी०ए० सब स्टेशन स्थापित किया जाना बहुत आवश्यक है इसे जल्दी से जल्दी बनाया जाय ताकि उस क्षेत्र के किसानों को बिजली मिल सके । मान्यवर, मड़ाई का सीजन आ गया है पूरनपुर में किसानों को 24 घण्टे बिजली दी जाय । मड़ाई के बाद भी वहां बिजली सप्लाई की जाय ताकि वहां के किसान जो दोहरी-तेहरी फसल काटते हैं वह अपनी फसल बो सकें । हमारे क्षेत्र में चावल उद्योग का सबसे बड़ा क्षेत्र है जैसा कि मैंने पहले कहा वहां पर 132 के०वी०ए० का विद्युत उपकेन्द्र जल्द से जल्द बनाया जाय । मान्यवर, हमारे यहां ट्रान्सफारमर फुंक जाने पर किसानों का पैसा लिया जाता है इस पर रोक लगायी जाय । हमारे यहां 24 घण्टे बिजली सप्लाई की व्यवस्था की जाय इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

* श्री पूर्णमासी पंकज–

मान्यवर, आपने ऊर्जा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया है इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं हमारे माननीय मंत्री जी ने हर विधायक के पांच गांव में बिजली देने की घोषणा की है और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है फिर भी हमारे विरोधी भाई जिनकी आदत विरोध करने की बन गयी है वह लाभ भी उठाते हैं फिर भी विरोध करते हैं । मैं उनसे कहना चाहता हूं कि :–

"कभी कहते हो मिजाज ठीक नहीं, कभी-कभी रियाज ठीक नहीं,
गुड़ खाओ और गुलगुलों से परहेज करो, मेरी समझ से यह रिवाज ठीक नहीं ।
आज गर कुछ हो रहा है तो शोर करते हो,
किये खुद ही है चोरी दूसरे को चोर कहते हो,
अरे जीने दो जैसे जीते हैं सब लोग यहां,
विकास की बात के स्थान पर तोर-मोर करते हो ।
बिजली में काफी हद अब सुधार करेंगे,
बिजली का बिल न अब कोई उधार करेंगे,
बिजली की चोरी, काम चोरी, सीनाजोरी को,
हम रोकने का सही ठोस आधार करेंगे ।
सफाया कर दिया यहां भ्रष्टाचार का,
नामोनिशान मिट गया है अत्याचार का,
कायम है पारदर्शिता पूरे प्रदेश में,
बोरिया बिस्तर बंध रहा हर दागदार का ।"

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, कुछ हमारे क्षेत्र की बातें हैं जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सन् 91 में हमारे यहां सुरियावां में एक व्यक्ति वेद प्रकाश पंडित हैं उनके पम्प सेट का बिजली का तार टूट गया और सारी फसल व उनका पम्प सेट जल गया। मंत्री जी ने क्षतिपूर्ति का आदेश दिया लेकिन आज तक क्षतिपूर्ति नहीं की गयी। मेरा निवेदन है कि क्षतिपूर्ति जल्दी दी जाय। हमारे यहां 33/11 के०वी०ए० का सब स्टेशन स्वीकृत हुआ था उसका शिलान्यास हुआ है उसका कार्य शीघ्र करा दें। हमारे यहां भदोही में कालीन का सबसे बड़ा उद्योग है जो देश को प्रतिवर्ष 22 सौ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा देता है और माननीय मंत्री जी ने घोषणा भी की है कि औद्योगिक जनपदों को 24 घण्टे बिजली दी जायेगी। हमारे भदोही जनपद में 24 घण्टे बिजली दी जानी चहिए। छात्रों और किसानों की समस्याओं को देखते हुए बिजली कटौती न हो, इन शब्दों के साथ माननीय बिजली मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री लालजी वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे ऊर्जा विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आभारी हूं। ऊर्जा आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ विभाग है। निश्चित तौर पर इस प्रदेश और देश का विकास बगैर विद्युत उत्पादन को बढ़ाये सम्भव नहीं हो सकता। विगत कई वर्षों से इस प्रदेश में कोई उत्पादन इकाईयों को इन्ट्रोड्यूस नहीं किया गया जिसके कारण हम आज चाहे जितनी घोषणायें करें, उसको पूरा करने में सफल नहीं हो सकते हैं। हमें जरूरत इस बात की थी कि हम उत्पादन बढ़ाते। हमारी जो मांग है उसकी पूर्ति ज्यादा से ज्यादा सम्भव कर पाते। परन्तु इस दिशा में हमने कोई सार्थक कदम नहीं उठाये। पिछली बार का बजट भाषण भी मैंने सुना था।

माननीय ऊर्जा मंत्री के लच्छेदार भाषण में उन्होंने बहुत से वायदे किये थे, मुझे उस समय ऐसा लगा था कि जैसे वास्तव में उत्तर प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत आगे निकल जायेगा। माननीय तिवारी जी ने अभी विस्तार से बहुत सी बातों का जिक्र किया। समय को ध्यान में रखते हुए उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। निश्चित रूप से इनकी कथनी-करनी में बहुत ज्यादा अन्तर है। वैसे सामान्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति हैं उसमें कथनी और करनी में अन्तर है, उसकी छाप माननीय नरेश अग्रवाल जी के ऊपर भी पड़ गयी जिसके कारण जो घोषणायें हुईं वह घोषणायें होकर रह गयी। इन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि जो माननीय विधायकों के सुझाव आये थे उसको पूरा करने का काम किया। 133/11 के०वी०ए० के सब स्टेशन के बारे में विस्तार से बताने का काम किया। मान्यवर, मेरे क्षेत्र जनपद अम्बेडकर नगर के टाण्डा जहां पर इनका प्रोजेक्ट भी है, उस प्रोजेक्ट के अवगुणों से उस क्षेत्र के लोग प्रभावित होते हैं। उसके ऐश डैम से प्रभावित होते हैं, उसके पानी से किसानों के खेत भर जाते हैं। मान्यवर, 532 लोगों का खेत इस प्रोजेक्ट के लिए लिया गया और यह कहा गया कि प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने का काम किया जायेगा। लेकिन आज तक नौकरी नहीं दी गयी। बार-बार सदन में आवाज उठाने के बाद भी नहीं किया गया। जो ऐश डैम बना हुआ है उसके पूरे इलाके की सैकड़ों एकड़ रबी की फसल डूब जाती है। रबी में ऐश डैम टूट गया जिससे पानी किसानों के खेतों में भर गया जिससे काफी नुकसान हुआ। जब क्षतिपूर्ति मांगते हैं तो हीला-हवाली किया जाता है। हमारे ऊर्जा राज्य मंत्री रोज थर्मल प्रोजेक्ट टाण्डा पहुंचते हैं। वह जब भी फैजाबाद जाते हैं तो वहां जरूर जाते हैं। हमारे ऊर्जा मंत्री ने भी अपना एक पदाधिकारी को मण्डल अध्यक्ष बनाकर वहां नियुक्त कर दिया है। ऊर्जा मंत्री एवं राज्य मंत्री दोनों की लड़ाई चल रही है। इन दोनों की लगातार देख-रेख के बाद भी वहां पर किसानों की फसल डूब रही है। उनको मुआवजा की प्रक्रिया नहीं शुरू की गई है वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। हमारे घरों में राख गिरती है लेकिन उसका कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। उत्पादन की इकाइयां बार-बार ठप्प रहती हैं। वहां के जो जी० एम० हैं उनका स्थानान्तरण होगा कि नहीं होगा। होगा तो कब होगा मालूम नहीं। इस तरह की चर्चा रोज हो रही है। मुझे मालूम नहीं हुआ

कि नहीं ऊर्जा मंत्री और ऊर्जा राज्य मंत्री के बीच रस्सा कसी चल रही है । हमें इस बात का गर्व होता कि टांडा का जो थर्मल प्रोजेक्ट है उसका उत्पादन बढ़ाने की दिशा में वहां के जो कास्तकार विस्थापित किए गए हैं उनको नौकरी देने की दिशा में प्रयास करते । साथ ही साथ जो प्रदूषण हो रहा है उसको दूर करने की दिशा में हम प्रयास करते । हमारे यहां जो खेतों में पानी भरा रहता है ऐश डेम में उसको दूसरी जगह पहुंचाया जाता । इसके लिए धन मुहैया नहीं हो रहा है । जिसके कारण खेतों में पानी भरा है ।

नालियों की सफाई की बात आती है तो उसका कार्य नहीं हो रहा है इस तरफ कदम न उठाकर एक तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है । टाडा बुनकर बाहुल्य इलाका है बुनकरों को लगातार बिजली मिलनी चाहिए जब हम ऊर्जा मंत्री से बात करते हैं तो वह करते हैं कि बुनकर तो बिजली की चोरी करता है अभी बिजीलेंस इन्क्वायरी हुई तो 25 संस्थाओं में से दो तीन पकड़ में आए जो लोग पकड़ में भी आए हैं उनसे भी मालूम हुआ कि विद्युत के अधिकारी मिलकर विद्युत की चोरी कराते थे । हमारा बुनकर बाहुल्य इलाका है वहां लगातार विद्युत सप्लाई सुनिश्चित की जानी चाहिए । इस दिशा में 33/11 के तीन सब स्टेशन बहुत दिनों से स्वीकृत हुए थे । एक टाण्डा में एक अम्बेडकर नगर में एक इल्फागगंज में एक भोलगा में चारों सब स्टेशन स्वीकृत हैं लेकिन अभी तक इनकी व्यवस्था नहीं हुई है । पिछली बार बजट में घोषणा की गयी थी कि प्रत्येक विधायक को पांच-पांच गांवों का विद्युतीकरण करवाने का अधिकार होगा लेकिन किसी क्षेत्र में भी विधायकों के द्वारा चयनित गांव का विद्युतीकरण नहीं हुआ है । पूर्वांचल विकास निधि और जिला योजना से जो पैसा मिलता है उसी पैसे को ऊर्जा सलाहकार समिति में इन्होंने कह दिया कि इन गांवों का विद्युतीकरण हो वहीं इन विधायकों द्वारा चयनित गांव मान लिए गये । जो विधायक निधि से पैसा दे रहे हैं वहां का भी ऊर्जीकरण नहीं हो रहा है । विद्युत को जो घाटा होता है जब हम किसी अधिकारी से बात करते हैं तो वह यह कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों को जो सब्सिडी दी जा रही है उसी के कारण विद्युत का घाटा हो रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में 10 प्रतिशत से भी ज्यादा किसान बिजली का उपयोग नहीं कर पा रहा है । किसानों के नाम पर जो चोरी से बचने का काम किया जा रहा है आप किसानों के लिए अलग से मीटर लगा दीजिये जहां से किसानों का फीडर चलता है । उस पर मीटर लगा दें और सर्वेक्षण करा लें 10 प्रतिशत से ज्यादा किसान बिजली खर्च नहीं कर रहा है । किसानों के नाम पर बिजली की चोरी इनके अधिकारियों की देख-रेख में हो रही है । जैसा कि तिवारी जी ने कहा है कि ट्रान्सफर पोस्टिंग का व्यापार चल रहा है । टाण्डा प्रोजेक्ट में ए०के० गुप्ता अधिशासी अभियन्ता है । वह पहले दस साल ए०ई० के रूप में रहे, एक्शियन के रूप में रहे, इसके बाद वह तीसरी बार ऊर्जा राज्य मंत्री की कृपा से फिर वहां तैनात हुए । इस तरह से एक मंत्री जी हटायेंगे और राज्य मंत्री जी उसकी पैरवी करेंगे । इस तरह से भ्रष्टाचार को वहां पर बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है । जब तक भ्रष्टाचार और चोरी बन्द नहीं होगी निश्चित रूप से ऊर्जा में सुधार नहीं होगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए ऊर्जा मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं इस बजट के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संकल्प को प्रस्तुत किया है कि प्रदेश के विद्युत संकट का सामना हम कैसे करेंगे और विद्युत आपूर्ति को कैसे बनायेंगे । इस सरकार ने एक साहसिक कदम उठाया है । पिछली सरकार ने बावजूद इसके हमारे मित्र विपक्ष में बैठे हैं उनकी सरकार की जो मुख्य मंत्री थीं उस समय निर्णय लिया गया था कि हम बिजली बोर्ड का विभाजन करेंगे परन्तु बिजली बोर्ड के हठीले अधिकारियों/कर्मचारियों के सामने में उन्होंने घुटने टेक दिये थे तत्कालीन मंत्री जी जो इस आदरणीय सदन के सदस्य हैं श्री कुंवर रेवती रमण सिंह जी मौजूद हैं उन्होंने उस समय यह बात कही थी कि बिजली बोर्ड को बांट कर रहेंगे, उन्होंने यह भी कहा था कि विद्युत परिषद् को दो भागों में बांटेंगे और विद्युत व्यवस्था में सुधार करेंगे और यह भी कहा था

कि छः महीने में तय करेंगे कि कौन कहां रहना चाहता है और उस समय हड़ताल के बारे में भी निपटने के लिए उन्होंने कहा था कि हम सख्ती करेंगे और इसके लिए ब्लू प्रिन्ट भी उस समय की सरकार ने बना लिया था, विद्युत दरों में वृद्धि की बात भी तय कर ली थी और परिषद् के विभाजन की घोषणा भी समाचार-पत्रों में आ गयी थी । इन सब चीजों के होने बाद भी मुझे नहीं मालूम कि किन कारणों से तत्कालीन सरकार ने अपने कदम पीछे हटा लिये ।

परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि बी०जे०पी० की सरकार ने एक साहसिक कदम इस सन्दर्भ में उठाया और कहा कि हम राज्य विद्युत परिषद् को तीन हिस्सों में बाटेंगे और यह निर्णय जनता के हित में लिया है वह भी इस आश्वासन के साथ कि राज्य विद्युत परिषद् में जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनकी सेवा शर्तें वही रहेंगी उन्हें नहीं हटाया जायेगा और साथ ही इस संकल्प के साथ कि विद्युत परिषद् के विभाजन के बाद भी विद्युत दरों में कोई परिवर्तन ग्रामीण क्षेत्र में नहीं किया जायेगा । बार-बार जो यह कहा जाता है कि विद्युत परिषद् के विभाजन के बाद बिजली की कीमत बढ़ेगी और यह किसान विरोधी निर्णय होगा परन्तु इन दोनों शंकाओं को हमारी सरकार ने निराधार साबित कर दिया और विद्युत परिषद् को विभाजित करने का निर्णय जनता के हित में लिया ।

मैं माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी आपको अपने सामने एक टारगेट रखना चाहिए और यह देखना चाहिए कि प्रदेश के औद्योगिक और घरेलू विद्युत हेतु कितनी बिजली की आवश्यकता है और साथ ही आज हमारे पास कितना उत्पादन है और बचत के बीच कितना अन्तर है कब तक हम एन०टी०पी०सी० से बिजली लेते रहेंगे । अपने प्रदेश में विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं । बिजली उत्पादन को बढ़ाने के लिए पिछली सरकार ने कुछ प्राइवेट उद्योगपतियों के साथ पी०पी०ए० साइन किये थे इसलिए मैं चाहूंगा कि जब माननीय मंत्री जी अपना उत्तर दें तो वह सदन को आश्वस्त करें कि बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए जिन कम्पनियों के साथ पी०पी०ए० साइन किये गये थे, जवाहरपुर, रोजा, जयप्रकाश और डंकम इनके साथ जो समझौते किये गये इनके सम्बन्ध में सदन को यह अवश्य आश्वस्त करें कि जिस सत्र का यह बजट प्रस्तुत कर रहे हैं । उस सत्र में इन योजनाओं पर कार्य शुरू हो जायेगा । इतना आश्वासन माननीय मंत्री जी देने का कष्ट करें । जनता को भ्रम में रखने का प्रयास नहीं करना चाहिए पी०पी०ए० साइन किये हुए 6-6 साल हो गये हैं परन्तु उस एग्रीमेन्ट के तहत अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है । आखिर जनता को कब तक हम इस प्रकार की दिलासा देते रहेंगे । यह बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा । मान्यवर, 297 मेगावाट की, 80 मेगावाट की, 64.5 मेगावाट की और 22 मेगावाट की जो योजनायें हैं जिन पर सरकार की तरफ से हस्ताक्षर हुए हैं यदि इनके अनुबन्धों के आधार पर कार्यवाही हो जाय तो प्रदेश में विद्युत का संकट नहीं रह जायेगा और जनता को विश्वास होगा कि सरकार ने जो आश्वासन दिये हैं वह वास्तव में उनको पूरा कर रही है ।

मैं कुछ बातें सुझाव के रूप में माननीय मंत्री जी की जानकारी में नहीं होंगी लाना चाहता हूं । प्रदेश के गली, मोहल्ले और गांवों में जो बिजलीघर हैं वहां पर 16 साल से कर्मचारी नियुक्त नहीं हैं एस०एस०ए० नहीं है, लाइनमैन नहीं है, कोई कम्प्लेंट अटैण्ड करने वाला नहीं है । 16 साल पहले जो रिटायर हो गये थे उनकी जगह पर नियुक्ति नहीं की गयी है । मृतक आश्रित में से किसी के लड़के-बच्चे को उसकी शिक्षा के अनुसार, उसकी पत्नी को पानी लाने की नौकरी दे दी गयी है । अवर अभियन्ता और असिसमेंट इंजीनियर प्राइवेट लाइनमैनों को रखकर काम चला रहे हैं अगर कल कोई दुर्घटना हो जाय, किसी की मृत्यु हो जाय काम करते समय तो सरकार उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी उसकी जिम्मेदारी सहायक अभियन्ता की होगी । जब बिजली जाती है लोग घेराव करते हैं जिन्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

इस सरकार ने राज्य विद्युत परिषद् का बंटवारा करके अधिकारी और कर्मचारियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने का काम किया है, उसके लिए यह बधाई की पात्र है । सरकार की जो जवाबदेही है जनता के प्रति, उनको बिजली की आपूर्ति कराने की, उसे पूरा करना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें, समय की कमी है । अभी और भी कार्य हैं ।

डा०लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

अभी और भी माननीय सदस्यों को बोलना है यह महत्वपूर्ण विषय है । मैं अभी खत्म करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य यदि रात भर बोलेंगे तो क्या एक ही बजट चलेगा । आगे काफी और कार्य हैं ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

जिस तरह से पांच-पांच गांवों का विद्युतीकरण की बात है । मैं कहना चाहता हूं कि हमारे 19 विधायक ऐसे हैं जो 100 प्रतिशत शहरी क्षेत्र जिनका है । तो मेरा निवेदन है कि विद्युतीकरण में शहरी क्षेत्र में उनको तार व खम्भे दिये जायं । मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की एक समस्या कहकर समाप्त करूंगा । मेरे यहां 5 घण्टे की रोस्टिंग चल रही है 8 बजे से । बजे के बीच में । मान्यवर, निवेदन है कि परीक्षाओं के दिन हैं मेरठ को रोस्टिंग से मुक्त कर दिया जाय । रिफार्म बिल के प्राविधानों के बारे में कहना चाहता हूं कि अभी जो सदन पास करेगा इसके प्राविधानों को तत्काल लागू करें । मेरे क्षेत्र के एक अवर अभियन्ता चेतन स्वरूप गोयल के पुत्र का मृतक आश्रित में 6 माह से मामला लम्बित है उस पर कार्यवाही नहीं की गयी है । मैं आग्रह करूंगा कि उनको नौकरी पर लगवाने की व्यवस्था करें ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

इसी तरह से कचरे से विद्युत बनाने का कार्य है यह वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के पास है । जिस प्रकार से आप अन्य फर्मों से साइन कर रहे हैं इस बारे में भी निर्णय लें । इसी के साथ मैं ऊर्जा विभाग के बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

उपचार के लिए श्री रामतेज एडवोकेट को जल्दी जाना है इसलिए इनको समय दे देते हैं ।

* श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं एवं नेतागण जो विरोधी दल के हैं उन्होंने जो कहा है उससे भी मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, अभी डाक्टर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

साहब कह रहे थे पहले तो मंत्री जी को खुश करने की डाक्टर साहब ने कोशिश की फिर सरकार को तेल पानी लगाया फिर असली बात पर आ गये । सत्ता पक्ष में बैठा हर व्यक्ति यही करता है । मान्यवर, जब माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी उस समय गांव का आदमी 18 घण्टे विद्युत का इस्तेमाल करता था आज अभी इतना टाइम हुआ है रात नहीं है ओ०सी०आर० में चले जाएं तो पता लगेगा कि तीसरे नम्बर पर लटक गये हैं कहीं कोई व्यवस्था ठीक नहीं है, बंटवारा कर दिया यह ठीक है पांच संगठनों से सरकार भी चल रही है यह कहा गया पांच जगह बांटा है तो और बांट दीजिये । माननीय मंत्री जी ने एक कागज दिया है उसको पढ़कर सुना दूं–उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत स्थापित विद्युत गृहों में कुल क्षमता 5886 मेगावाट है जिसमें 4381 मेगावाट तापीय इकाइयों की एवं 1005 मेगावाट क्षमता जलीय इकाइयों की है । प्रदेश में 6 तापीय विद्युत गृहों में कुल 33 इकाइयां कार्यरत हैं । इनमें से 10 इकाइयां 200 से 500 मेगावाट की हैं परन्तु शेष 23 इकाइयां अपेक्षाकृत कम क्षमता की एवं 15-30 वर्ष पुरानी हैं जिनमें पूर्ण क्षमता से उत्पादन किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है ।

तो मान्यवर, इनकी कथनी और करनी में कितना अन्तर है इसको देखें । अधिकारियों ने कागज तैयार कर दिये यह चिन्तन नहीं हुआ कि विद्युत की व्यवस्था कैसे होगी । मैं अपने जनपद बहराइच के बारे में बताना चाहता हूं । मंत्री जी जानते हैं जरवल टाउन के बारे में लिखकर दिया उसमें हीला-हवाली होने लगी जब अपने अधिकारियों को बुलाकर इन्होंने डांटा तो कार्यवाही शुरू हुई सुदूर । गांव में बिजली नहीं मिलती है गांव के किसान के लिए बिजली की व्यवस्था नहीं है । प्रदेश के 36 लाख छात्र पढ़ाई कर रहे हैं परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनके लिए विद्युत नहीं है । 6 बजे व्यापरियों का काम बन्द हुआ बिजली गयी विद्यार्थी पढ़ नहीं सकते हैं ।

मान्यवर, अलीगढ़ जहां माननीय नेता सदन का क्षेत्र है वहां विद्युत 24 घण्टे आती है । हरदोई मंत्री जी का क्षेत्र है वहां बिजली पूरी-पूरी आती है फिर बहराइच और आपके जनपद में कटौती क्यों ? क्या जवाब है इनके पास । बिजली इनकी चोरी हो जाए फिर भी इनके यहां बिजली आती है, माननीय नेता सदन के यहां बिजली आती है यह गड़बड़झाला है । हमने क्या नुकसान किया है अधिष्ठाता जी, आप भी जानते हैं आपके यहां भी बिजली नहीं आती है । हम लोग इनकी तरह नहीं हैं कुर्सी देखी और चटनी चाटने लगे पकौड़ा खाने लगे, अरे हम तो मुलायम सिंह फौज के सिपाही हैं हम भारतीय जनता पार्टी के पैर थोड़े ही लगेंगे । मान्यवर, मेरे जनपद में पहली बार चार एक्जीक्यूटिव इंजीनियर बदल गये जिला योजना और पूर्वांचल विकास निधि से कैसरगंज में 20 लाख रुपया दिया है हमने जो पैसा दिया उससे बिजली लगा दें इन्होंने कहा पांच गांव दे देंगे पांच गांव तो कौरव के झगड़े में चले गये ।

श्री अधिष्ठाता–

आपको अस्पताल जाना है ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

जरवल रोड जाने पर 1, 2, 3 बार में 30 लाख रुपया दे दिया है मैंने आपसे विशेष आग्रह किया था और आपने उस अधिकारी को बुलाकर डांटा भी था लेकिन पता नहीं क्या हुआ । लगता है वह घाघरा में जाकर डूब गया । तो जो 20 लाख रुपया दिया था उससे हमको बिजली उपलब्ध करा दें । मान्यवर, पांच गांव के चयन की बात कही गयी तो मान्यवर, आप भी जानते ही होंगे कि जनता कैसे घेरती है । वह कहती है कि पहले हमारे गांव का विद्युतीकरण करा दें । हम लोग कब तक [xxx] बोलते रहेंगे ।

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मैं यह चाहता हूं कि कैसरगंज में जो पैसा जमा है उससे विद्युतीकरण करा दीजिये । मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी और माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री जी के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता हूं । झगड़े तो सभी पार्टियों में होते हैं । लेकिन कैसरगंज क्षेत्र के विकास के लिए विद्युत की आवश्यकता है वहां पर विद्युतीकरण करा दीजिये ।

श्री राम जग–

मान्यवर, माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश का ऊर्जा का बजट प्रस्तुत किया है । यह बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है । मान्यवर, पूरे प्रदेश में ऊर्जा पर खेती निर्भर है, उद्योग निर्भर हैं । मैं सोच रहा था कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी हमारे किसानों के पक्ष में, उद्योगों के विकास की हित में कोई अच्छी बात रखेंगे, बेहतर बात की घोषणा करेंगे लेकिन उन्होंने वही घिसी-पिटी बातें कही हैं । मान्यवर, मेरा तो यह कहना है कि तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी के समय के बाद उत्तर प्रदेश में बिजली की व्यवस्था डगमगाती गयी । वर्तमान समय में माननीय कल्याण सिंह जी के जमाने में बिजली बोर्ड के अध्यक्ष, रिटायर अध्यक्ष को बुलाकर के जिम्मेदारी दी हैं और ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जिसके आने के बाद मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में ऊर्जा व्यवस्था में माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने मिल करके इसको तबाह करने का काम किया है । आज प्रदेश के किसानों को बिजली नहीं मिल पाती है । तीन-चार घण्टे ही बिजली मिल पा रही है, उद्योगों को बिजली नहीं मिल पा रही है । किसानों पर वसूली के नाम उनके साथ जुल्म होता है, ज्यादती होती है लेकिन उत्तर प्रदेश में बिजली बोर्ड का घाटा कहां से है करोड़ों रुपये का बकाया बड़े-बड़े लोगों पर और विभागों पर है उसकी वसूली नहीं की जाती है । आप कहते हैं कि किसानों के हित में बिजली बोर्ड को बांटने का काम कर रहे हैं । 1947 से पहले जो स्थिति थी उस समय तक विद्युत विभाग पूंजीपतियों के हाथ में था । सरकार ने उसे अपने हाथों में लिया । बड़ी-बड़ी योजनायें लगीं जिससे गांव में बिजली पहुंच सकी । आप निजीकरण की बात कह रहे हैं जैसे गांव में कहा जाता है कि नालायक लड़का होता है अपने बाप की सम्पत्ति बेंचकर खा जाता है । उत्तर प्रदेश की सरकार दिवालिया हो गयी है । विश्व बैंक के दबाव में आकर निजीकरण करने का काम किया जा रहा है जो किसानों और मजदूरों के हितों के विपरीत है । इससे किसानों को मंहगी बिजली मिलेगी उद्योगों का विकास नहीं होगा, विश्व बैंक का कहना है कि निजीकरण नहीं होगा तो कर्जा नहीं देंगे ।

आपको उत्तर प्रदेश की जनता इसके लिए कभी माफ नहीं करेगी । आपने ग्रेटर नोएडा में निजीकरण का काम किया वह मुकम्मल विफल रहा । आपने जवाहरपुर तापीय परियोजना, एटा रोजा तापीय परियोजना, शाहजहांपुर, विष्णु प्रयाग परियोजना, चमोली और श्रीनगर जल विद्युत परियोजना श्रीनगर में है उसमें आप बतायें कि कितना काम हुआ । एक भी ईंट रखने का काम उद्योगपतियों ने नहीं किया । आपकी यह सरकार आज किसानों और मजदूरों के हितों के विरुद्ध काम कर रही है जो माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने बजट पेश किया यह निजीकरण के नाम पर प्रदेश की जनता को तबाह करने की नीयत है । प्रमोद तिवारी जी ने जो प्रस्ताव कटौती का रखा है उस पर मैं बल देता हूं ।

* डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, आपने मुझे ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, वैज्ञानिकों को, खोजकर्ताओं को जिन्होंने विद्युत की और विद्युत सम्बन्धित उपकरणों की खोज की है इस पुनीत अवसर पर उनको याद करता हूं । मैं इस बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, आज जो नगर क्षेत्र के विधायक हैं उनके क्षेत्रों में नये-नये ग्राम आ गये हैं मलिन बस्तियां आ गयी हैं लेकिन उन ग्रामों को विद्युत की सुविधा नहीं मिल पा रही है । आपने जो ग्रामीण क्षेत्र के विधायकों को पांच ग्रामों के ऊर्जीकरण की सुविधा दी है वह आप हम लोगों को भी पांच मोहल्लों या पांच बस्तियों के विद्युतीकरण के चयन की सुविधा प्रदान करेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं । मान्यवर, विद्युत एक ऐसी चीज हो गयी है कि उस पर सब कुछ पूर्णतः निर्भर है । अगर विद्युत नहीं मिलेगी तो मनुष्य इस तरीके से बिखरेगा जैसे पानी बिन मछली । मान्यवर, जो भी रचनात्मक सुझाव आये उनके आधार पर भविष्य में योजना बननी चाहिए और विद्युत के कार्यों में सबका सहयोग होना चाहिए । मान्यवर, ताज ट्रिपोजियम जोन के अन्तर्गत 90 करोड़ रुपये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर उपलब्ध कराये गये थे, इसमें से काफी पैसा खर्च भी हो चुका है । सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आगरा को 24 घन्टे बिजली मिलनी चाहिये और कटौती नहीं होनी चाहिये, इस संबंध में मैंने कुछ दिन पूर्व एक संकल्प भी प्रस्तुत किया था लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि आगरा में अब भी विद्युत कटौती होती है । बिजली न आने की वजह से जब लोग अपने जनरेटर चलाते हैं तो वातावरण बिगड़ता है और ताजमहल को भी खतरा उत्पन्न होता है । मेरा सुझाव है कि विद्युत की समुचित व्यवस्था बनाये रखने के लिये छोटे-छोटे क्षमता के ट्रान्सफारमर स्थापित किये जायें, इससे जब कोई ट्रांन्सफारमर फुंक जायेगा तो उससे थोड़ी जनता ही पीड़ित होगी । अभी तक होता यह है कि यदि कोई ट्रान्सफारमर जल जाता है तो इससे काफी बड़े क्षेत्र की जनता प्रभावित होती है । साथ ही मेरा यह भी सुझाव है कि ट्रान्सफारमर के रख-रखाव के लिये क्षेत्रीय सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता को उत्तरादाई ठहराया जाय ।

मान्यवर, इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आगरा में तार व पोल बहुत जर्जर अवस्था में हैं, उनको बदला जाना चाहिये, इसके अलावा विद्युत कर्मचारियों के लिए शिविर लगाये जाने चाहिए, ताकि वह निष्ठावान रहकर अपने कार्यों को कर सकें, इसी के साथ मैं प्रस्तुत कटौती बजट के समर्थन में अपना मत देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

मान्यवर, मुझे प्रमोद तिवारी जी के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का आपने मौका दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं । माननीय तिवारी जी ने बिजली विभाग का जो बजट पेश हुआ है, उसकी पोल खोल दी है, हम लोगों को क्या कहना है, यह सभी सदस्यों को मालूम हो गया है । इस विभाग में जितना घपला आज है, उतना कभी नहीं हुआ । मैं आपका ध्यान आजमगढ़ जनपद की ओर दिलाना चाहता हूं । मान्यवर, इस समय गेहूं की फसल बिजली की कटौती की वजह से सूख रही है और चाहे त्योहार का समय रहा हो अथवा परीक्षाओं का समय हो, शाम 6 बजे से बिजली कटौती हो जाती है ।

मान्यवर, हमारे यहां बनकट फीडर है, उस पर लोड बहुत ज्यादा है, ज्यादा लोड की वजह से भी फाल्ट हो ज..ा ह । इसी तरह से हाफिजपुर बिजली का भण्डार है, वहां 420 के०वी० का पावर हाउस है, लेकिन उसके आसपास के 50 ग्राम बिल्कुल अन्धेरे में हैं । इस पावर हाउस से सुल्तानपुर को बिजली जाती है, लखनऊ जाती है, मऊ जाती है तथा अन्य जिलों में जाती है । शहर तथा ग्रामों में बिजली की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया

कटौती होने से कई डकैतियां पड़ चुकी हैं, चोरियां हो चुकी हैं । मैं कहना चाहता हूं कि इन 50 ग्रामों को अलग से व्यवस्था करके पावर हाउस से जोड़ने की व्यवस्था की जाय । इसी प्रकार मान्यवर, हमारे यहां सफीपुर सब स्टेशन है हमारे यहां बिजली की कटौती की जाती है जिससे किसानों का बड़ा नुकसान होता है । बिजली की कटौती हो रही है और आप कहते हैं कि हम 10 घण्टे बिजली गांवों में दे रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि अपने सभी सदस्यों से वह चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों ईमानदारी से बता दें कि क्या बिजली आती है । एक घण्टे के लिए कभी आती है और फिर 10-10 दिन गायब रहती है । सरकार ने जो बजट पेश किया है वह [xxx] का पुलिन्दा है । आजमगढ़ जनपद में बिजली की हालत बहुत खराब है वहां पर भवरनाथ और जाफरपुर में विद्युत सब स्टेशन स्वीकृत हुए हैं लेकिन उनको बनाया नहीं गया है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें यह लिखा नहीं जा रहा है ।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

इस मद पर अनेक माननीय सदस्य उत्सुक हैं, 2-2 मिनट बोल लें, सहयोग करें ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, आप जितनी देर वहां खड़े होकर बोले हैं उतना ही समय मुझे दे दें। मैं भी उसी तरह से चुनकर आया हूं जिस तरह से आप आये हैं ।

मान्यवर, माननीय तिवारी जी के कटौती के प्रस्ताव पर समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, आपने जैसे मेरा नाम पुकारा वैसे ही विद्युत मंत्री सदन त्याग कर चले गये और मैं बैठ गया था अब मंत्री जी फिर आ गये हैं इसलिए मैं अपनी बात शुरू करता हूं । मान्यवर, मैंने बहुत संजीदगी और बड़े ही गौर से विद्युत मंत्री जी का भाषण सुना, पिछली बार यही बातें मैंने वहां बैठकर सुनी थीं, बिल्कुल इसी तरह से पिछली बार उन्होंने यही बातें कही थीं कि खजाना खाली है, बड़ी जर्जर दशा है । मान्यवर, हमने इसी सदन में और आप भी उसमें शामिल थे मेजें थपथपाकर अरबों रुपये दिये थे लेकिन एक साल में ही खजाना खाली कर दिया और फिर कहते हैं कि खजाना दे दो । हम आपको 12 अरब 42 करोड़ रुपया देने जा रहे हैं थोड़ी देर में यह खजाना आपको देने वाले हैं लेकिन हर बार यह कटोरा लेकर भीख मांगने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारा खजाना खाली है । अब इनको 12 अरब रुपया अभी दे देंगे मैं उम्मीद करता हूं कि यह दोबारा नहीं कहेंगे कि हमारा खजाना खाली है । जो बात हमें मुख्य-मुख्य कहना था वह मैंने माननीय प्रमोद कुमार जी को बता दिया था, वह सब उन्होंने कह दिया, जो भ्रष्टाचार था उसका उल्लेख तिवारी जी ने कर दिया । अगर मैं उसका उल्लेख करूंगा तो वह बातें दोहरायी जायेंगी । इसलिए जो बातें उन्होंने छोड़ दी हैं और छोटी-छोटी हैं, उन्हें आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री तक पहुंचाना चाहता हूं । भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने अम्बेडकर योजना में ग्यारह सूत्रीय कार्यक्रम निर्धारित किया है और ग्यारह सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ऊर्जा का एक सूत्र भी है । मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब अम्बेडकर गांव का चयन किया गया तो

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

जितने मजरे हैं, वह भी अम्बेडकर योजना के अन्तर्गत आते हैं, आपने खाली गांव में ही खम्भे पहुंचा दिये और आप बैठ गये कि हमने विद्युतीकरण कर दिया । एक गांव का पूरी तरह से विद्युतीकरण नहीं हुआ, मजरे सारे बाकी हैं और कागज पर लिख लिया गया कि अम्बेडकर योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण कर दिया गया । कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि गांव का नाम जो है उसकी आबादी, जो मजरा है उससे कम है और मजरे की आबादी ज्यादा है चूंकि नामकरण उसका नहीं है । इसलिए वहां आज भी अंधेरा छाया हुआ है, विद्युत की व्यवस्था नहीं है । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि 1996-97 में जो विद्युतीकरण हुआ वह आज भी अधूरे हैं, वह अम्बेडकर गांव हैं लेकिन विद्युतीकरण नहीं किये गये ।

(लालबत्ती जलने पर)

मैंने तो अभी शुरू किया है, आपने लालबत्ती जला दी ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी–

विद्युतीकरण के नाम पर धन की वसूली की जा रही है । उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । शासन ने जो निर्देश दिये हैं कि 5 गांव दिये जायेंगे, उनमें 100 प्रतिशत गारण्टी है कि वहां विद्युतीकरण किया जायेगा । लेकिन इनके अधिकारी गांव से लोगों को बुलवाते हैं चन्दा लगवाते हैं, ट्रैक्टर ट्राली पर खम्भे लादकर गांव के लोग ले जाते हैं, खम्भे लगाने के लिए खुदाई करते हैं और 47 प्रतिशत पैसा जो मजदूरी का है वह अधिकारी खा जाते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी–

मान्यवर, अगर यह बातें आपने कह दी होती तो मैं खड़ा ही नहीं होता । हमारा समय आप न लें, मुझे बोलने दीजिए ।

श्री अधिष्ठाता–

आपको पूरा समय दे दिया, अपना भी समय दे दिया । अब आप समाप्त करें । समरपाल सिंह जी को बुला लिया है ।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी–

मान्यवर, आपने ही कहा था कि यह बातें उठा दीजिएगा । अब मैं शुरू करने जा रहा हूं मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि कटिया कनेक्शन के नाम पर करोड़ों रुपया पूरे प्रदेश में इकट्ठा किया गया और इस योजना के अन्तर्गत गांव के लोगों ने 600-600 रुपया दिया, अधिकारियों ने कहा कि विद्युत का कनेक्शन हो जायेगा लेकिन आज तक नहीं हुआ । हमारे ऊर्जा मंत्री जी हमारे पड़ोसी हैं और हर किताब में लिखा है कि पड़ोसी का हक ज्यादा होता है । सीतापुर, हरदोई के पड़ोस में है । हरदोई में 24 घंटे बिजली रहती है लेकिन सीतापुर में बिजली 24 घण्टे गायब रहती है । नैमिषारण्य जहां प्रदेश और देश के कोने-कोने से तीर्थ यात्री आते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब जो श्री बुनियाद बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जाएगा ।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी–

[x x x]

श्री समर पाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे श्री प्रमोद तिवारी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया । ऊर्जा विभाग महत्वपूर्ण विभाग है । यह प्रदेश के विकास से जुड़ा हुआ है । हम सभी लोग कामना करते हैं कि हमारे प्रदेश का विकास हो हम चाहते हैं कि औद्योगीकरण का विकास हो कृषि का विकास हो । लेकिन प्रदेश का विकास तब तक सम्भव नहीं जब तक विद्युत की आपूर्ति नहीं होगी । ऊर्जा मंत्री और मुख्य मंत्री के भाषण से विद्युत की आपूर्ति नहीं होगी । विद्युत आपूर्ति अगर बढ़ाना है तो विद्युत जनरेशन बढ़ाना होगा । और भ्रष्टाचार को समाप्त करना होगा । इस सरकार ने न तो विद्युत उत्पादन बढ़ाने का कोई प्रयास किया है और न ही जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसे समाप्त करने का कोई काम किया है ?

पिछले वर्ष माननीय मंत्री जी ने इस सदन के अन्दर घोषणा की थी कि हम गांवों में 18 घंटे बिजली देंगे । आप दिल पर हाथ रखकर कह दें कि क्या हम इतनी बिजली दे रहे हैं ? किसी गांव में दो-चार घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आ रही है । मंत्री जी के क्षेत्र में आ रही है । इससे क्या प्रदेश का विकास होगा मंत्री जी ने कहा कि जो ट्रांसफारमर फुंक जायेंगे उनको 72 घंटे के अन्दर बदल दिया जाएगा । सदन के अन्दर और सदन के बाहर मुख्य मंत्री जी ने भी इसी बात को दोहराया 72 घंटे तो क्या 72 दिन में भी ट्रांसफारमर बदल नहीं रहे हैं । अगर किसान न प्रयास करे तो ट्रांसफारमर बदल ही नहीं सकता है । विद्युत विभाग में इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है उसका सबसे ज्यादा असर गांवों के गरीब किसानों पर पड़ता है । आपके पास लाइन मैन नहीं हैं मीटर रीडर नहीं हैं अगर बिल ज्यादा होने पर कोई ठीक कराने जाता है तो वहां पर आपके कर्मचारी कहते हैं कि आप हमें पैसा दें हम आपका कम कर देंगे और ब्लैकमेल करते हैं । आपके पास लाइन मैन नहीं हैं अगर ट्रांसफारमर फुंक गया तो उसको उतारने वाला कोई नहीं है ट्रांसफारमर रखने के लिए आदमी नहीं हैं । किसान ट्रांसफारमर उतार कर ले जाता है और फिर ले आकर रखता है । आपके पास तार जोड़ने के लिए लाइन मैन नहीं है । जो लोग प्राइवेट व्यवस्था करते हैं और अन स्किल्ड आदमी को खम्भे पर चढ़ाता है उससे उसकी मौत तक हो जाती है । इसके लिए कौन जिम्मेदार है । पांच गांवों के विद्युतीकरण की जो बात थी उसमें हम लोगों ने प्रस्ताव दिए उनको रिजेक्ट कर दिया गया कहीं एक खम्भा लगा था कहीं दो खम्भे लगे थे और कह दिया गया कि यह गांव विद्युतीकृत है । हमारे प्रस्ताव को वापस कर मनमाने ढंग से विद्युतीकरण कर रहे हैं । तो विधायकों की कहां इज्जत रही । जो सदन में कहा गया था उसका कहां पालन किया गया ।

[समय 6 बजकर 30 मिनट]

जब माननीय मंत्री जी जबाब दें तो उस समय इस बात की घोषणा करें कि माननीय विधायकों ने जिन 5 गांवों के नाम दिये हैं, अगर किसी में थोड़ा भी विद्युतीकरण हुआ है तो वहां पर बोर्ड के नियमों को शिथिल कर उन्हीं गांवों में विद्युतीकरण किया जाय । इसमें पैसा भी जिला योजना का होता है दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने अम्बेडकर गांव के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा था, स्वर्ण जयन्ती के गांव का लक्ष्य रखा था और गांधी ग्रामों का लक्ष्य रखा था पर आप कितना लक्ष्य प्राप्त कर पाये हैं

नोट : [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

यह बता दें। केवल 10 प्रतिशत ही लक्ष्य आप प्राप्त कर पाये हैं। आप विद्युत में प्रगति की बात करते हैं परन्तु पिछले साल के मुकाबले आपने बजट कम रखा है तो ऐसे में जहां एक ओर महंगाई बढ़ गयी है विद्युत उत्पादन में वृद्धि कैसे होगी और गांव का विद्युतीकरण कैसे होगा यह सम्भव नहीं है। तार चोरी की बात कही गयी वह चोरी कौन करता है आपने यह भी कहा कि हम तार चोरों पर रासुका लगायेंगे। यह तार चोरी जो आपके स्टाफ के लोग कर रहे हैं और उनके माध्यम से तार चोरी हो रही है यदि आपको तार की चोरी रोकनी ही है तो सबसे पहले अपने विभाग से भ्रष्टाचार को रोकिये और विभाग के लोगों पर अनुशासन कायम करिये तथा उनके खिलाफ कार्यवाही करें।

मान्यवर, यह संवेदनशील सरकार है। बच्चों के बोर्ड की परीक्षायें होने वाली हैं। 35 लाख के लगभग बच्चे उसमें बैठेंगे परन्तु प्रदेश के किसी भी गांव में छः बजे से 10 बजे तक बिजली नहीं आती है ऐसी स्थिति में बच्चे अपनी परीक्षा की तैयारी कैसे कर पायेंगे। गांवों में मात्र 2 घन्टा बिजली आ रही है जहां इससे बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है वहीं किसान को फसल की सिंचाई के लिए भी पानी नहीं मिल पा रहा है। यह जो कहा जाता है कि हम गांवों को बिजली सस्ते दर पर दे रहे हैं जिसके कारण बोर्ड को घाटा हो रहा है। मान्यवर, गांव में मात्र दो घन्टे बिजली आ रही है। एक प्रकार से देखा जाये तो गांव में मात्र 10 प्रतिशत की बिजली आपूर्ति हो रही है और बिल पूरा लिया जा रहा है इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

* श्री नवाब सिंह नागर–

मान्यवर, आपने ऊर्जा विभाग के प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। पिछले कई वर्षों से एक भी गांव में विद्युतीकरण नहीं हो रहा था किन्तु ऊर्जा मंत्री जी ने पिछले वर्ष जो घोषणा की थी कि पांच-पांच गांवों का विद्युतीकरण हम करेंगे वह किया जा रहा है। हमारे क्षेत्र में तो काम चल रहा है। साथ ही उन्होंने अगले वर्ष के लिए भी पांच-पांच गांवों के विद्युतीकरण का संकल्प किया है इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। बिजली की चोरी रोकने के लिए भी उपाय किये गये हैं कटिया डाल कर जो बिजली चोरी हो रही थी उसको रेगुलर कनेक्शन देने का अभियान चलाया गया है इसके लिए यह बधाई के पात्र हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण निर्णय और लिया गया है पिछली सरकारों के कुप्रबन्धन और अदूरदर्शिता के कारण बिजली की जर्जर स्थिति हो गयी थी उसको रोकने के लिए यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है कि बिजली का निगमीकरण किया जायेगा इसके लिए भी मैं बधाई देता हूं कुछ माननीय सदस्यों ने नोएडा पावर कम्पनी का जिक्र किया। मैं नोएडा क्षेत्र से हूं। नोएडा पावर कम्पनी की जहां कुछ अच्छाइयां हैं वहीं कुछ बुराइयां भी हैं यह सही है कि उनके ऊपर 72 करोड़ रुपया का बकाया है और दो साल में कम्पनी को जो विद्युत उत्पादन करना था उतना विद्युत उत्पादन करने में वह सफल नहीं हुये हैं परन्तु यह भी सही है कि ग्रेटर नोएडा एक औद्योगिक क्षेत्र है और बिजली की आपूर्ति पहले से बेहतर है इसको वहां के तमाम उद्यमी मानते हैं। यह बात भी सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की स्थिति खराब है। बिजली नाप-नाप कर दी जाती है।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री नवाब सिंह नागर–

मान्यवर, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तिहाई कर्मचारियों के द्वारा विद्युत बोर्ड के मुकाबले कई गुना अच्छी सर्विस दी जा रही है। कहीं पर बिजली खराब हो जाती है तो 15 मिनट के अन्दर कर्मचारी वहां पहुंच जाता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पनुर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

(श्री अधिष्ठाता द्वारा श्री अम्बरीष कुमार का नाम पुकारने पर)

श्री नवाब सिंह नागर–

विद्युतीकरण करने का जो संकल्प लिया है उसको कड़ाई के साथ पूरा करना चाहिए। बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं, चल रही हैं उसके लिये व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि गांवों में भी पढ़ने वाले बच्चों को बिजली की सुविधा मिल सके।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने अम्बरीष जी को बुला लिया है। अब आप समाप्त करें।

श्री नवाब सिंह नागर–

मैं इन्हीं शब्दों के साथ ऊर्जा विभाग के बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अम्बरीष कुमार–

जिस व्यक्ति में शक्ति नहीं होती वह समाज की दौड़ में पिछड़ जाया करते हैं और जिस राज्य के पास आधुनिक शक्ति ऊर्जा न हो वह विकास की दौड़ में पिछड़ जाया करते हैं। यह उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि ऊर्जा की कमी के कारण हमारा प्रदेश विकास की दौड़ में पीछे छूट गया है। पंजाब की तरफ देखिये। भाखरा नांगल के बनने से लेकर आज तक इतनी ऊर्जा पंजाब ने पैदा की है कि जिसका परिणाम है कि खेती और उद्योग में आज वह देश के अग्रणी राज्यों में है इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो विद्युत उत्पादन की योजनाएं रखी हैं प्राइवेट सेक्टर में निजी सेक्टर के सहयोग से 6023 मेगावाट बनाने जा रहे हैं। 700 कुछ राज्य सेक्टर के सहयोग से राज्य बिजलीघर में उत्पादन करके बनायेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक बात की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। केन्द्र सरकार ने भी लक्ष्य रखा था आठवीं पंचवर्षीय योजना में कि हम निजी सहायता से 5 हजार मेगावाट बिजली बनायेंगे लेकिन आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सेन्ट्रल सेक्टर में 1430 मेगावाट ही बना पाये। जब हमारी केन्द्र सरकार की यह हालत है तो प्रदेश की सरकार की क्या होगी ? माननीय मुख्य मंत्री जी के शब्दों में कहूं कि जर्जर वित्तीय स्थिति है, दिवालिया है, उस हालत में कैसे कल्पना कर सकते हैं कि आपका विश्वास भी कोई करेंगे यह तो सिर्फ एक कल्पना हो सकती है आप एक स्वप्न देख सकते हैं कि निजी क्षेत्र के लोग 6 हजार से अधिक बिजली बनाकर हमको देंगे। यह एक कोरी कल्पना के अलावा कुछ नहीं है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आनपारा की बात आई। ए, बी जो इसकी यूनिट्स हैं वह जापान के सहयोग से बनी हैं। मुझे कहने में संकोच नहीं है कि हमारे प्रदेश के जितने विद्युत गृह हैं उन सब में अभी माननीय मंत्री जी ने भी बताया कि आनपारा इतने अच्छे बिजलीघर हैं जिनका प्लान्ट लोड फैक्टर 100 पर हम ले गये तो फिर क्या कारण है कि जो जापानी कम्पनी इन्टरेस्टेड थीं जिन्होंने कहा था कि हम टर्न की बेसिस पर बनाना चाहते हैं उनको क्यों नहीं दिया गया। माननीय मंत्री जी जिस समय उत्तर भाषण दें, इसे भी स्पष्ट करने का कष्ट करें। अभी प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि बुक वैल्यू के आधार पर ट्रांसफर करने का विद्युत गृहों को विचार चल रहा है। सेन्ट्रल गर्वनमेंट भी डिस्इन्वेसमेंट के नाम सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं कर रही है अगर उसी आधार पर उत्तर प्रदेश में भी हुआ तो इस गरीब जनता के साथ विश्वासघात और धोखा होगा। अपने उत्तर भाषण में माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट

करें कि उत्तर प्रदेश की 16 करोड़ जनता को यह आश्वस्त करें कि उनके साथ विश्वासघात या धोखा नहीं करेंगे । जो निजी उद्योग वाले बिजलीघर लगाने आ रहे हैं वह पैसा प्रदेश सरकार पुराने बिजलीघर में न लगाये, नये बिजलीघर में लगाये तब आप देखें वह कितने काम्पीटेंट हैं हमारे अभियन्ता संघ ने एक बुकलेट छापी कि हिमालय से आने वाले जल श्रोत जो हैं उनसे 13-14 हजार मेगावाट बिजली बनाकर दे सकते हैं । मैंने उस पुस्तक को पढ़ा है वह अभियन्ता संघ के पास होगी । अगर इस सदन में इंजीनियर्स को राष्ट्रद्रोही कह दिया जाता है तो इस प्रदेश के इंजीनियर्स जब अच्छे कार्य करें तो उनकी प्रशंसा भी होनी चाहिए आज इसी प्रदेश के इंजीनियर्स ने 1959 में 264 मेगावाट से 5 हजार 86 मेगावाट उत्पादन बढ़ाया है तो हमें अभियन्ताओं का मनोबल बढ़ाने का भी कार्य करना चाहिए उन्हें हम मौका दें, निजी क्षेत्र को देना चाहते हैं यह अलग बात है । लेकिन जो टेक्नीशियन्स हैं विश्व स्तर के जो टेक्नीकल हैण्ड हैं वह कोई विकल्प निकालें कोई विकल्प न निकले ऐसा नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें । ए

श्री अम्बरीष कुमार–

मंत्री जी ने कहा कि 12 लाख कटिया कनेक्शन हुए कटिया कनेक्शन के फलस्वरूप जो लोड आया उसमें 7 हजार 21 ट्रान्सफारमर की इस प्रदेश में आवश्यकता है मैं जानना चाहता हूं कि 7021 ट्रान्सफारमर कब तक खरीद लिए जायेंगे जिससे जो रोज-रोज की ट्रान्सफारमर की दिक्कत है वह समाप्त हो जाए । चोरी की बात होती है तो लाइन लास की बात कही जाती है । इन्डस्ट्रीज की रीडिंग लेने इनके अधिकारी जाते हैं वह मीटर चैक कर रहे हैं इस पर मंत्री जी ध्यान देंगे तो मैं आभारी रहूंगा । जो वेल फेयर स्कीम विद्युत विभाग के माध्यम से चलायी और भी योजनायें चलायी उसमें जो पैसा राज्य सरकार को उ० प्र० रा० वि० प० को देना है वह दें ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री अम्बरीष कुमार–

जो इल्लीगल कनेक्शन हैं इसमें अगर उस क्षेत्र के लाइन मैन और इंजीनियर की जिम्मेदारी ठहराई जाए तो अवैध कनेक्शन पर रोक लग सकती है ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सायंकाल से बिजली नहीं दे पाते हैं इसलिए दो-सुझाव हमारे यहां शाप एक्ट के अन्तर्गत बाजारों की बन्दी का समय निर्धारित है वह इनफोर्स नहीं हो रहे हैं वह इनफोर्स करा दें और इन्डस्ट्री को सायंकाल चार घण्टे बन्द रख कर दिन में चार घण्टे अतिरिक्त चलाने की आज्ञा दे दें तो समस्या हल हो सकती है ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री अम्बरीष कुमार–

दस घण्टे के स्थान पर 15-16-17 घण्टे गांव को बिजली देने का प्राविधान करें। किसानों ने हमको भूखे मरने से बचाया है लाल गेहूं खाने से बचाया है उन्होंने आत्म सम्मान दिया उस किसान की मदद करें। अन्त में मैं एक शेर के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा।

कहारों ने ही लूट ली दुल्हन की पालकी,
आज है हालत यही बिजली विभाग की।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री तथा विधान मण्डल दल के नेतागण पौने चार घण्टे से इस मद पर चर्चा हो रही है और अभी इसमें कटौती पर तिवारी जी को बोलना है और जवाब भी आना है तो मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग किसी अन्य मद पर बोल लें। क्योंकि दो-दो मिनट में कुछ होने वाला नहीं है। सबकी भावनायें इसमें आ गयी हैं।

(व्यवधान)

माननीय मंत्री जी आप बैठ जायें या तो आप यह करिये कि एक-एक मिनट में अपने सुझाव रख लें और स्वयं पर नियन्त्रण रखें।

श्री मतेश चन्द्र सोनकर–

माननीय अधिष्ठाता जी आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। पूरे प्रदेश में 600 रुपया लेकर कटिया हटाओ और कनेक्शन लगाओ का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसमें पैसा तो जमा कर लिया गया है लेकिन कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है और अब तो बिल भी आने लगा है। इसमें करोड़ों रुपये तो वसूल लिए गये हैं लेकिन कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। यह बहुत ही दुखदायी स्थिति है और जनता के साथ धोखा किया जा रहा है तो उनको कनेक्शन दिया जाय। मान्यवर, मैं अपने जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं। वहां पर 33 के०वी० का पावर हाउस के लिए टेण्डर हो चुका है लेकिन उसके बावजूद पावर हाउस नहीं बन पा रहा है तो मैं चाहूंगा कि अधिकारियों को निर्देश दें कि वहां पर पावर हाउस बनाया जाय। इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री भीम प्रसाद सोनकर–

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में बिजली की समस्या है। माननीय मंत्री जी ढपोरशंख पीटते हैं। मैं विशेष रूप से अपने विधान सभा जहांगीरागंज की समस्या के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। वहां पर टिन्डुवाइकला में आजादी के बाद से किसी तरह से उपकेन्द्र बना। जहागीरगंज में एक फीडर चल रहा है जिससे क्षेत्र में तमाम समस्यायें हैं। वहां पर जो तार लगे हुए हैं वह टूट चुके हैं जिससे आये दिन दुर्घटना होती रहती है। आज छात्रों की समस्या है। हम लोग देहात के रहने वाले हैं। माननीय मंत्री जी कहा करते हैं कि हम गांवों में 10-12 घण्टे बिजली देंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आप बता दें कि चार घण्टे तीन घण्टे कभी तो आये कि उसका निश्चित समय कब है। किदवई कलां के 3 फीडरों को आप चालू करवा दें। रामनगर में जो उपकेन्द्र बना हुआ है उसकी जर्जर हालत है जो ट्रान्सफारमर है वह लोड नहीं उठा पा रहा है। सायं 6 बजे से बिजली कटती है तो वह रात में 11.00 बजे आती है। छात्र, किसानों और व्यापारियों के हित में आप वहां बिजली की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करायें।

श्री कैलाश सिंह राजपूत–

मान्यवर, माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने बड़े विस्तार से बजट रखा है उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूं कन्नौज, फर्रुखाबाद जिला प्रदेश का 1/5 भाग आलू उत्पादन करता है मेरी विधान सभा क्षेत्र में कई कोल्ड स्टोरेज बने हुए हैं लेकिन वह ग्रामीण फीडर से जोड़ दिये गये हैं । जिससे उनको पूरी बिजली नहीं मिल पाती है आप कृपा करके कोल्ड स्टोरेज को पूरी बिजली देने के आदेश दें । परीक्षा का समय आने वाला है, ग्रामीण क्षेत्र में भी अगर विद्युत आपूर्ति की सही व्यवस्था हो सके तो छात्रों के लिए एवं ग्रामीण जनता के हित में बड़ी मेहरबानी होगी । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

* श्री महेन्द्र कुमार (सीतापुर)–

मान्यवर, मैं तिवारी जी के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं सीतापुर के बेहटा विधान सभा क्षेत्र में तम्बौर कस्बे में एक विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना पूर्व मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा की गयी थी कम्बोर कस्बे में स्थित विद्युत उपकेन्द्र को चालू करने हेतु पूर्व में मैंने नियम–301 में भी सूचना दी थी । ऊर्जा मंत्री जी का उत्तर भी मुझे प्राप्त हुआ है, उसमें यह उत्तर दिया गया था कि इसको तत्काल चालू करवा दिया जायेगा परन्तु दुर्भाग्यवश अभी तक तम्बौर का विद्युत उपकेन्द्र चालू नहीं हो पाया है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि तम्बौर कस्बे के विद्युत उपकेन्द्र को तत्काल चालू करवाया जाय, धन्यवाद ।

श्री मुन्ना चौहान–

माननीय अधिष्ठाता जी, श्रीमन्, अभी माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, उसके सन्दर्भ में माननीय तिवारी जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं 2-4 बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा । मान्यवर, विद्युत विभाग प्रदेश का एक ऐसा विभाग है जो प्रदेश की 16 करोड़ जनता से हर तरीके से जुड़ा है । बार-बार एक सवाल उठता है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् को री-स्ट्रक्चर किया जायेगा । बार-बार यह सवाल उठता है कि किस तरह से इसको 3 निगमों में विघटन करके काम होगा लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में पावर सिनारियो जो है, उसमें हम कैसे जेनरेशन को बढ़ा सकते हैं । बहुत बड़ी-बड़ी बातें मंत्री जी ने कही, मैं आपकी इस मजबूरी से सहमत हूं कि पावर जेनरेशन के लिए जितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, उतना धन उपलब्ध नहीं है और किसी भी सरकार के सामने यह मजबूरी हो सकती है । लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आज यदि आपने अपनी इच्छाशक्ति का परिचय दिया होता और बजाय रेवड़ियां बांटने के कान्सालीडेटेड एफर्ट्स होते तो जो परियोजनायें आधी-अधूरे में लम्बित हैं, उनसे लाभ ले पाते । जैसे मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना का एक स्टेज बन चुका है और स्टेज-दो में 70 प्रतिशत काम उस पर हो चुका है, केवल 30 प्रतिशत काम बाकी है, यह 30 प्रतिशत काम न होने की वजह से 70 प्रतिशत काम पर हुआ पैसा बरबाद हो रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि यदि सरकार इस 30 प्रतिशत काम को पूरा करा दे तो वहां से 400 मिलियन यूनिट जेनरेशन का लाभ प्राप्त हो सकता है ।

इसी प्रकार लखवाड़ व्यासी बांध की परियोजना 900 करोड़ के लगभग की है, इसमें से 300 करोड़ रुपया पहले खर्च हो चुका है लेकिन विगत 4 वर्षों से यह परियोजना बन्द है, स्थिति यह होगी कि जब हम इस विद्युत परियोजना को पूरा करने की बात करेंगे, उस समय प्राइस इस्कलेशन की वजह से यह परियोजना 2000 करोड़ रुपये की जरुरत होगी ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी एथारिटी की तरफ से यह बात प्रकाश में आयी है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के बीच में निश्चित अनुपात बनाये रखने पर जोर दिया जाता है। आज पर्यावरण के प्रति इतना संवेदनशील समाज हो गया है, उसी के सन्दर्भ में अपनी गम्भीर चिन्ता व्यक्त करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

मुन्ना जी, अब समाप्त करें।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, उत्तरांखण्ड क्षेत्र से वैसे किसी माननीय सदन्य ने अपने विचार व्यक्त नहीं किये हैं, मैं आपकी कृपा चाहता हूं तो मैं कह रहा था कि एक निश्चित अनुपात मेन्टेन करने की बात है लेकिन उत्तर प्रदेश के अन्दर जो स्थिति बनती जा रही है, उससे यह अनुपात बिगड़ता जा रहा है। क्योंकि हाइड्रोपरियोजना लगाने में खर्च ज्यादा आता है और इसलिये प्रोजेक्ट कास्ट ज्यादा होने की वजह से हम थर्मल का अनुसरण करते चले जा रहे हैं, इसकी वजह से हम अपने रिर्सोसेस को भी बरबाद करते जा रहे हैं। कोयो को बरबाद कर रहे हैं, पर्यावरण को बरबाद कर रहे हैं और फ्लाई ऐश से प्रदूषण हो रहा है। जहां तक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की बात है मैं कहना चाहता हूं कि 15 दिन पहले ही सदन में जवाब आया था कि टिहरी जल विद्युत परियोजना के अन्दर जो स्टेट गवर्नमेंट का अंशदान है 667 करोड़ रुपये उसमें से प्रदेश सरकार ने केवल 350 करोड़ रुपये दिये हैं। लगभग आधा अंशदान अभी प्रदेश सरकार को देना है। यदि फंडिंग की यही स्थिति रही और हम जगह-जगह पर हाथ डालकर बैठ गये तो यह प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हो सकेंगे और जो बिजली में शार्टफाल होगा उसको पूरा नहीं कर पायेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लखवाड़ व्यासी, मनेरीभालीस्टेज–II और टिहरी जल विद्युत परियोजना में सरकार अपना अंशदान देकर पूरा करे तब दूसरी परियोजनाओं में हाथ डाले। मैं विपक्ष का सदस्य हूं और उसके नाते मुझसे इस बात की अपेक्षा रहती है कि जिस प्रदेश को बनाने की, उत्तरांखण्ड बनाने की बात करते हैं उसके विकास में उसका मेरुदण्ड वहां के हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं इसलिये इन प्रोजेक्ट्स को फाइनल स्टेज देकर इनके कार्य को पूर्ण करायें। मैं चाहता हूं कि जब आप अपना उत्तर भाषण देंगे तो जो चिन्तायें मैंने व्यक्त की हैं उनका निवारण करेंगे।

श्री उदयराज यादव–

मान्यवर, माननीय तिवारी जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर अपनी बात रखने का आपने मौका दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज उत्तर प्रदेश में 85 फीसदी किसान हैं जो किसानी से जुड़े हैं और निश्चित रूप से जब तक प्रदेश का, देश का किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक देश और प्रदेश खुशहाल नहीं होगा। आज किसान की स्थिति के बारे में सोचना होगा। आज किसानों को बिजली देने की बराबर घोषणा होती है कि 10 घंटे बिजली दी जायगी। लेकिन गांवों में हफ्तों तक बिजली नहीं आती है। आज कटाई का सीजन आ गया है। मेरे क्षेत्र में 4 दिन से बिजली नहीं आ रही है। यहां पर तमाम घोषणायें की गयीं कि ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली दी जायगी, अम्बेदकर गांवों का विद्युतीकरण ग्रामों को विद्युतीकरण स्वर्ण जयन्ती ग्रामों का विद्युतीकरण का कार्य आज तक पूरा नहीं किया गया है। आपने मंत्री जी पिछले वर्ष भी घोषणायें की थीं लेकिन वह झूठी साबित हुयी हैं। आपने 5-5 गांवों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव विधायकों से लिया था लेकिन एक भी गांव का विद्युतीकरण नहीं किया गया है। मान्यवर, तार चोरी की घटना होने पर आपने कहा है कि एक हफ्ते के अन्दर ठीक कर दिया जायगा इसके बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में तमाम ऐसी लाइनें हैं जो 6 महीनों से कटी हैं उसके बारे में केवल कहना चाहता हूं। आज भी विद्युत लाइनों की चोरी हो रही है, विद्युत विभाग के कर्मचारी ही उस चोरी को कराने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात लाइनों को ठीक करने का काम, ट्रांसफार्मर को चढ़ाने का काम, सरकारी कर्मचारी नहीं है जिसकी वजह से गांव वालों

को कराना होता है । ज्यादा न कहते हुये माननीय प्रमोद तिवारी जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

(श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना का नाम श्री अधिष्ठाता द्वारा पुकारने पर)

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, सपा के बाद बसपा का नम्बर आता है । यह आप क्या कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप स्थान ग्रहण करें, मुझसे प्रश्न न करें ।

* श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

माननीय अधिष्ठाता जी, यह जो विद्युत बजट पेश किया गया है उसमें कहीं पर भी यह जिक्र नहीं किया है 40-50 वर्षों से जो पुरानी लाईनें चल रही हैं, आये दिन एक्सीडेंट और जानें जा रही हैं, किसानों की फसलें जल जाती हैं, उसका उचित मुआवजा भी नहीं मिलता । ऐसे तारों को बदलने की कोई व्यवस्था इस बजट भाषण में नहीं की गयी । मान्यवर, बिजली विभाग जिसमें अधिकारियों की बहुत कमी है, न ही अपने बजट भाषण में कहा है कि बिजली विभाग के कर्मचारियों को बढ़ाया जायेगा जिसकी वजह से किसानों या उपभोक्ताओं को किसी किस्म की दिक्कत न हो । ट्रांसफार्मर जब किसान को मिलता है, तार खींचने के लिये मिलता है तो वहां पर बिजली विभाग के कर्मचारी मौजूद नहीं होते, किसान को स्वयं सारा खर्च वहन करना पड़ता है । प्राइवेट लोगों से लाईने खिंचवानी पड़ती हैं । हमारे विधान सभा क्षेत्र, छपरौली में 6 मार्च, 1996, 133 के० वी० ए० के बिजली घर का शिलान्यास किया गया था उस समय मोती लाल बोरा जी थे उन्होंने उसका शिलान्यास किया था । मगर उसको शुरु किये हुये 3 वर्ष हो गया वहां के किसानों को बड़ी भारी दिक्कत हो रही है, जितने भी सब स्टेशन हैं ओवर लोड चल रहे हैं, किसानों को विद्युत की आपूर्ति नहीं हो पाती है, किसानों की फसलों का नुकसान हो रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

मुन्ना जी, अब समाप्त करिये ।

श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

मान्यवर, नये सदस्य हैं, इसलिये थोड़ा मौका दीजिये । एक सुझाव देकर अपनी बात खत्म करूंगा । माननीय मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं । मंत्री जी ने कहा कि खजाना खाली है, मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्री जी जो विद्युत विभाग में भ्रष्टाचार है उसको आप जमा करा लें, अपने यहां, बाकी किसानों, उद्योगपतियों पर जो बिल बैठता है उस बिल को तनख्वाह में देकर भी आपको फायदा होगा । आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है वह मंत्री जी आपके विभाग में है । इसी के साथ प्रमोद तिवारी जी के कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

*श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, विद्युत विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है । हम चाहे सरकार में बैठे हों या विपक्ष में बैठे हों, कोरे भाषण देते हैं । जो बजट में माननीय मंत्री जी ने पेश किया है वह झूठ का पुलिन्दा है । यह अच्छी बात है कि नेता सदन भी आ गये । माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार नैतिकता, पारदर्शिता, भ्रष्टाचारमुक्त शासन की बात करती है, हम सरकार में बैठे हों या विपक्ष में बैठे हों, कोरे भाषण से काम नहीं चलेगा । ऊर्जा ऐसा विभाग है इस पर छात्रों, किसानों,उद्यमियों सबका भविष्य निर्भर है । ऊर्जा के ऊपर तीन सुझाव देना चाहता हूं । पूरे सदन को, माननीय मंत्री जी को, नेता सदन को गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा कि हमारे ऊर्जा का उत्पादन कैसे बढ़े ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्पादन तभी बढ़ सकता है जितनी हम ऊर्जा उत्पादित करते हैं उसका पूरा मूल्य हमको मिले। यह पूरा मूल्य जब मिलेगा तभी भ्रष्टाचार समाप्त होगा। आज पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जब से देश आजाद हुआ है तब से भ्रष्टाचार तो हो रहा है लेकिन आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ट्रासफार्मर बदलने की बात आती है। आज व्यापारी जब दो-तीन हजार रुपए देता है तभी ट्रांसफार्मर बदला जाता है। मैं ऊर्जा मंत्री जी से कहना चाहता हूं। नेता सदन से कहना चाहता हूं कि या तो भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात बन्द कर दें या फिर अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करें। तभी प्रदेश का विकास हो सकता है। विधायकों के द्वारा प्रस्तावित पांच गांवों के विद्युतीकरण की बात मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में पूर्व में की थी लेकिन आज तक एक भी गांव का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। यह सरकार दलित विरोधी है। इन्होंने 1988-99 में अम्बेदकर गांवों का विद्युतीकरण 1969 के सापेक्ष केवल 300 गांवों का विद्युतीकरण किया। 2321 दलित बस्तियों के विद्युतीकरण के सापेक्ष 1015 बस्तियों का विद्युतीकरण हुआ। यह सरकार दलित विरोधी है। [x x x] बहन मायावती जी ने अपने शासनकाल में जिन अम्बेदकर गांवों के विद्युतीकरण की योजना बनाई थी उनका कहीं विद्युतीकरण नहीं हुआ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री रामवीर उपाध्याय–

इन शब्दों के साथ मैं श्री प्रमोद कुमार जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उस पर बल देता हूं।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से उन सभी साथियों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने विद्युत विभाग के इस बजट के कटौती के प्रस्ताव पर मेरा समर्थन किया है। दरअसल वह मेरा समर्थन नहीं था। मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन नहीं था बल्कि उनकी चिन्ता थी कि प्रदेश में किस तरह से जो अंधेरा है उसको उजाले में परिवर्तित किया जा सके। जो विद्युत विभाग में अनियमितताएं हैं वह दूर हों, जो खामियां हैं उनको सुधारा जा सके। उनकी चिन्ता थी कि विद्युत विभाग किसानों, मजदूरों और ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ जवाबदेह हो सके। मैं हृदय से उन सभी साथियों का जिन्होंने कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने दलीय अनुशासन के कारण मजबूरी में जिन्होंने बजट का समर्थन किया लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भी माननीय सदस्य ने यह नहीं कहा कि विद्युत विभाग ठीक से चल रहा है। चाहे वह सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का। पूर्णमासी पंकज कविता कह रहे थे लेकिन जैसे ही उन्होंने कविता खत्म की यह कहने लगे कि हमारे यहां बिजली नहीं आ रही है। सभी ने औपचारिकता निभाते हुए समर्थन तो किया लेकिन किसी ने भी संतोष व्यक्त नहीं किया। मंत्री जी आज आप पहली बार अकेले पड़ गए हैं। [x x x] विद्युत विभाग को मत सुधारिए इसी में काम चल जाएगा। दूसरी बात सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं कि आज सबसे बड़ी चुनौती यह है कि 33 लाख छात्र बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं और सिंचाई के अन्तिम छोर पर फसल को जरूरत है और

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उसके बाद मड़ाई होगी, अगले दो महीने महत्वपूर्ण हैं, जरूरत पड़े तो मुख्य मंत्री जी की सेवा लीजिये और अगर जरूरत पड़े तो विरोधी दलों के नेताओं की सहायता लीजिये परन्तु अगले दो महीने तक किसी भी सूरत में एक हजार मेगावाट या पांच सौ मेगावाट की अतिरिक्त बिजली केन्द्र से प्रदेश सरकार को दिलवायें चाहे वह एन०टी०पी०सी० से मिलें या कहीं और से । परन्तु जब तक परीक्षायें हैं और मड़ाई का काम है छः बजे से 10.00 बजे तक बिजली देना आप सुनिश्चित करें चाहे इसके लिए आपको बाजार जल्दी बन्द करने पड़े और उद्योगों में कटौती करनी पड़े यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आप बहुत बड़ा अन्याय करेंगे ।

आप घाटे की बात करते हैं आपके निर्णयों से विभाग को चोट पहुंच रही है । आप कहते हैं कि खजाना खाली है अगर आपकी नीयत ठीक है तो बुन्देलखण्ड में आज ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं और जो छोटे-मोटे उद्योग लगाना चाहते हैं उनको कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं । मैं एक बात कहना चाहता हूं । आप नोट कर लीजिए । गरिमा स्टील, गुड अर्थ स्टील, रामश्री स्टील, शताब्दी स्टील और बुन्देलखण्ड एलौय इन पांच फर्मों के बारे में विभाग से जो संस्तुति आई थी उस संस्तुति को आपने नजरन्दाज कर दिया और इन पांच फर्मों को 17 करोड़ रुपये का लाभ पहुंचाया आपकी यह कैसी व्यवस्था है । किसान को आप देते नहीं और छोटे कस्बों में आप बिजली देते नहीं परन्तु पूंजीपतियों को आपने सीधे 17 करोड़ रुपये का लाभ पहुंचाने का काम किया जबकि विभागीय टिप्पणी इसके विपरीत थी । हमारे कई माननीय सदस्य मंत्री रहे हैं । रेवती रमण सिंह जी भी रहे हैं । मंत्रीगण जो शासन से पत्रावली आती थी उसमें हस्ताक्षर करते थे परन्तु आपने एक नया स्वरूप अख्तियार कर लिया है कि राज्य विद्युत परिषद् की पत्रावलियों में आप मंत्रि-परिषद् के रूप में अनुमोदन करने लग गये हैं । राज्य विद्युत परिषद् एक स्वायत्तशासी संस्था है । ऐसा लगता है कि या तो आपका विभाग पर नियंत्रण नहीं है और या फिर विभाग पर विश्वास नहीं है । इस प्रकार अनुमोदन करना एक गलत परम्परा है । आपको लिखित सुझाव भी दिये गये हैं इसको आप स्वीकार कर लीजिए परन्तु गलत परम्परा मत डालिये हो सकता है पत्रावली पर जब आप अनुमोदन करते हैं [x x x] आप एकाउन्टीबिल्टी तय कर लीजिए हम आपका सहयोग करेंगे । जब तक एकाउन्टीबिल्टी तय नहीं होगी कि कितनी बिजली आयी और कितनी बिकी और कितना रेवन्यू आया तब तक आप लाइन लास को कम नहीं कर पायेंगे ।

आपने महत्वाकांक्षी योजना के बारे में बताया कि कटिया हटाओ और कनेक्शन लो आप स्वयं जाकर जांच कर लीजिए और अपने साथ उच्च अधिकारियों को भी ले जाइये कि जहां पर कटिया हटाकर कनेक्शन लिये गये हैं वह 600 रुपये में लिये गये हैं या 6000 रुपये देकर लिये गये हैं । आप एक सेम्पुल सर्वे करा लीजिए । अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यह घोषणा आपकी केवल कागज पर रहेगी, जमीन पर नहीं उतरेगी । आप विदेश गये थे आपने कहा था कि विदेश में बाजार 7.00 बजे बन्द हो जाते थे जब तक आप मंत्री नहीं हुये थे [x x x] जबसे आप मंत्री हुए हैं एक साल में तीन बार विदेश हो आये हैं । यह अच्छी बात है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं आपसे सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि वहां से आकर आपने जो यहां पर अपना भाषण दिया था उसमें बताया था कि वहां पर बाजार 7 बजे बन्द हो जाते हैं । ठीक है, आप भी अपने यहां यह लागू कीजिए आप 4 बजे, 5 बजे बन्द कर दीजिये । लेकिन गांवों में 6 से 10 बजे तक बिजली जरूर दीजिये जिससे किसानों का, विद्यार्थियों का भला हो सके । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यह बात मान लीजिये । किसी भी प्रदेश सरकार के बस में नहीं है कि वह अपनी शर्तों से विद्युतीकरण कर सके और

नोट :- [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

विद्युत विभाग में जो आप चाहते हैं वह हो । आपको व्यवस्था सुधारने के लिये विश्व बैंक की सहायता लेनी होगी, एशियन बैंक की सहायता लेनी चाहिए जो और संस्थाएं हैं उनसे कर्ज लेना पड़ेगा । जब तक इन संस्थाओं से कर्ज नहीं लेंगे, इनका सहयोग नहीं लेंगे सीमित संसाधनों में कुछ नहीं कर पायेंगे । आप वर्ल्ड बैंक की टीम के साथ चलिये, एशियन बैंक की टीम के साथ चलिये हम आपके साथ हैं, पूरा विपक्ष आपके साथ होगा । प्रदेश के हित में जहां से मिल सके आप मदद लीजिये । कहीं से पैसा नहीं लेंगे तो इन सीमित संसाधनों में आप कुछ नहीं कर पायेंगे । मेरी प्रार्थना है, निवेदन है और शुभकामनाएं हैं कि आप कृपा करके विद्युत विभाग को इस तरह से न चलायें जिस तरह से अभी तक चलाते आ रहे हैं । आप प्रण संकल्प कर लीजिए कि थोड़ा सा सुधार करके विभाग को ठीक से चलायेंगे ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, पहले उन सभी सदस्यों को धन्यवाद और बधाई दूंगा जिन्होंने ऊर्जा विभाग के इस बजट पर अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिये । पक्ष और विपक्ष दोनों के उन सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इसमें भाग लिया । मैं सोचता था माननीय प्रमोद कुमार जी [x x x] मैं व्यक्तिगत आरोप लगाने में विश्वास नहीं रखता । [x x x] श्रीमन्, प्रमोद जी ने कहा कि प्रजातंत्र के 4 स्तम्भ होते हैं । जुडीशियरी ने हम पर विश्वास खो दिया, पत्रकारों ने हम पर विश्वास खो दिया, ब्यूरोक्रेसी ने हम पर विश्वास खो दिया लेकिन प्रमोद जी, जनता ने हम पर विश्वास नहीं खोया है । जनता के विश्वास पर हम राजनीति करते हैं ।

(मेजें थपथपाई गईं)

आपने विश्वास खो दिया, आपके दल के साथियों ने खो दिया । जबरदस्ती किसी चीज पर नहीं बैठना चाहिए । [x x x]

(मेजें थपथपाई गईं)

[x x x]

श्रीमन् मैं कुछ तुल्नात्मक आंकड़े दे रहा हूं वैसे लल्लू सिंह चौहान जी को जवाब देना चाहिए था लेकिन हम ही दे देते हैं हम दोनों साथ रहे हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

[x x x]

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

श्री प्रमोद कुमार जबर्दस्ती नेता बने हुए हैं इनको कोई नेता बनाना ही नहीं चाहता है ।

श्री प्रमोद कुमार–

कांग्रेस को छोड़कर इनको दूसरे दल में [x x x]

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

श्रीमन् जिस समय प्रमोद जी ऊर्जा मंत्री थे । 1986-87 में तो औसत उत्पादन 1086 मेगावाट था, 1987-88 में 1348 मेगावाट औसत उत्पादन था । 1997-98 में 2098 मेगावाट औसत उत्पादन था। 1998-99 में 2128 मेगावाट उत्पादन था । पी०एल०एफ० में जो प्रतिशत था वह 41.7 प्रतिशत था ।

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

1987-88 में 47.1 प्रतिशत था । 1997-98 में पी०एल०एफ० का प्रतिशत 49.1 प्रतिशत था । 1998-99 में जनवरी तक 49.8 प्रतिशत था । पारेषण कार्यों की उपलब्धियों के बारे में बता दूं । 1986-87 में एक भी नहीं बना एक भी लाइन सर्किट किलोमीटर में नहीं बनी । 1987-88 में 10 बनी लाइन सर्किट किलोमीटर में, 1997-98 में कुछ नहीं हुआ और इस वर्ष हमारे समय में 679.6 लाइन सर्किट किलोमीटर बनी है ।

श्री लालजी वर्मा–

इसमें डिमाण्ड क्या थी ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

यह बता दिया है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण एवं द्वितीय वितरण प्रणाली कार्यों की तुलनात्मक उपलब्धियां बताना चाहूंगा ।

1986-87 में 33 के०बी० लाइन में 240 किलोमीटर, 1987-88 में 240 किलोमीटर, 1997-98 में 334 किलोमीटर और अब 1998-99 में 713 किलोमीटर है ।

[समय 7 बजकर 30 मिनट]

ग्रामीण विद्युतीकरण में 86-87 में 81.92 करोड़ रुपया खर्च हुआ, 87-88 में 80.24 करोड़ रुपया खर्च हुआ, 97-98 में 436.32 करोड़ रुपया खर्च हुआ तथा 98-99 में 293.26 करोड़ खर्च हुआ है । माननीय प्रमोद जी ने बुन्देलखण्ड के बारे में कहा कि मैं इन्टरेस्टेड था और उन यूनिटों को छूट दे दी गयी, 5 में से 13 को नहीं दी गयी । हमने बोर्ड की पत्रावली में लिखा देखा । 91 से 95 तक पिछली सरकारों ने छूट दी थी जो नयी इकाई होगी उनको केवल 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी । 95 में बोरा जी गर्वनर थे और आप दलाल थे । उनके जमाने में दो साल क्यों बढ़ाया गया । 95 से 97 क्यों बढ़ाया गया और राज्य विद्युत परिषद् का चेयरमैन कौन था जिससे करोड़ों रुपया लेकर एप्वाइन्मेन्ट कराया था वशिष्ठ जिसने बोर्ड का आर्डर जारी किया था ।

हमारे सामने बात आयी थी । 18 यूनिटों को देना चाहिए हमने बोर्ड के नियमों का पालन किया जिसने 31 मार्च तक रुपया जमा किया उसको कनेक्शन रिलीज कर दिया । बोर्ड का नियम है 30 दिन का समय बढ़ायेंगे । इसलिए एक मार्च, 97 तक कनेक्शन रिलीज कर दिया । हमने उन पांच यूनिटों को छूट दी और बाकी 13 यूनिटों को छूट नहीं दी । मैं कागज पेश कर रहा हूं । आप उस समय मिनिस्टर थे । एक चिट्ठी मैं पढ़ना चाहता हूं । एक कोई मिस्टर तरुण सोमानी जी थे उनको उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का कसोलडियम नियुक्त किया गया यह कहा था कि यह विद्युत परिषद् को धन का इन्तजाम करायेंगे और जो सप्लाई होगी उसको देखकर व्यवस्था करेंगे । इसके लिए पांच करोड़ रुपया की एल०सी० खोली गई । श्रीमन् न तो उन्होंने पैसा जमा किया और न मैटीरियल दिलाया और पांच करोड़ रुपया खा गये । यह बात जब बोर्ड के सामने आयी तो इन्क्वायरी बैठी । उसके बाद तरुण सोमानी जी को चिट्ठी लिखी आपने उसमें यह लिखा कि हमें आपकी कंडीशन मंजूर है जबकि पत्र सचिव को या चेयरमैन राज्य विद्युत परिषद् को लिखना चाहिए था क्योंकि फाईनल अथारिटी वही हैं । उन्होंने कहा कि हमें कंडीशन आपकी मन्जूर है और इतने करोड़ रुपये की स्टील बोर्ड को सप्लाई करेंगे । बोर्ड को 3.63 करोड़ रुपये की स्टील सप्लाई कर दी जो रिकार्ड में है । बाकी नहीं हुई । एफ०आई०आर० कायम हुई । तत्कालीन मेम्बर फाइनेन्स के घर पर रेड हुई, छापा पड़ा, प्रमोद जी के घर पर पड़ा या नहीं पड़ा मुझे नहीं मालूम ।

श्री प्रमोद कुमार–

मेरे कोई आदेश हैं ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मैंने कोई आरोप आप पर नहीं लगाया है ।

इन्द्राणी फिलिंग स्टेशन इलाहाबाद में है गांव में है विकलांग कोटे में आउट आफ टर्न सतीश शर्मा जी से लिया गया । मान्यवर, हमारा नियम है कोई भी कामर्शियल लाइन लेगा तो कन्ज्यूमर के पैसे से लाइन बनेगी और ट्रांसफार्मर लगेगा । 21 लाख 39 हजार 751 रुपये की लाइन खिंची, ट्रांसफार्मर लगा शहरी फीडर से उस पेट्रोल पम्प को देहात के पेट्रोल पम्प को, लेकिन इसका पैसा दिया बोर्ड ने । प्रमोद जी आप बता दीजियेगा इन्द्राणी जी कौन हैं । इन्होंने जनरेशन में टाण्डा की बात की, (व्यवधान) 110 मेगावाट यूनिट इनके जमाने में बन गयी थी । मान्यवर, हमारे जमाने में उत्पादन हमारे जमाने में शुरू हुआ इससे पहले क्यों नहीं हुआ । आपने कहा कि विद्युत उत्पादन नहीं बढ़ा । पी०एल०एफ० बढ़ा । 1996 में पी०एल०एफ० 47.3 था इस बार जनवरी से अब तक 47.49 हुआ । जो रेवेन्यू कनेक्शन की बात की गयी सितम्बर, 1996-97 में 260 करोड़ रुपये वसूल हुये । 1997-98 में 351 करोड़ रुपये और 1998-99 में 375 करोड़ रुपये वसूल हुये । इस तरह से अक्टूबर, 1996-97 में 279 करोड़, 1997-98 में 331 करोड़ और 1998-99 में 400 करोड़ रुपये वसूल हुये । नवम्बर, 1996-97 में 346 करोड़ रुपये, 1997-98 में 385 करोड़ और 1998-99 में 401 करोड़ रुपये वसूल हुये । दिसम्बर, 1996-97 में 295 करोड़, 1997-98 में 410 करोड़ रुपया और 1998-99 में 443 करोड़ रुपये प्राप्त हुये । 96-97 जनवरी, में 307 करोड़, 97-98 जनवरी में 404 करोड़ और 98-99 जनवरी में 363 करोड़ । मान्यवर, फरवरी में स्ट्राइक भी चली और फरवरी 28 दिन की थी । 1996-97 फरवरी में 348 करोड़, 97-98 फरवरी में 426 करोड़ और 98-99 फरवरी में 403 करोड़ । यदि हम इन तीनों का टोटल लें तो 96-97 में 1835 करोड़ हुआ और 97-98 में 2307 करोड़ और 98-99 में 2385 करोड़ हुआ है । मैं आंकड़े इसलिये दे रहा हूं कि यदि आपसे कहीं त्रुटि हो गई हो तो देख लीजियेगा । रेवन्यू बढ़ा है । प्रमोद जी ने यह भी कहा कि हम जहां रहते हैं, पार्टी साफ हो जाती है । कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में क्यों साफ हुई, आपकी [x x x] कारण जो आप मुख्यमंत्रियों की [x x x] किया करते थे । लोकपति जी भी बैठे हैं, अम्मार साहब भी बैठे हैं । आप हर चीफ मिनिस्टर के समय में सौदेबाजी करते रहे, इसी कारण से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का खात्मा हुआ । इसी मतभेद के चलते मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी । 1991 में आपने कल्याण सिंह जी को भी पटा लिया होता, लेकिन वह तो उस समय हम थे । लोकपति जी चुप बैठे हैं, अब इसको हम क्या समझें । उन्होंने कहा कि सुधार के नाम पर उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद् को हम पूंजीपतियों को बेचने की तैयारी कर रहे हैं और अगर हम ऐसा करेंगे तो यह विरोध करेंगे । प्रमोद जी आपके विरोध की कोई वैल्यू नहीं है । कर्मचारियों के मामले में भी आपने विरोध किया था बाद में कहा कि कोई दूसरे प्रमोद जी रहे होंगे ।

मान्यवर, मैं आपके सामने कांग्रेस पार्टी वाले 3 राज्यों की स्थिति रखना चाहता हूं । अभी कान्फ्रेन्स हुई थी, वहां अशोक गहलोत जी भी आये थे, उन्होंने खुद मुझसे कहा कि नरेश जी ऊर्जा विभाग आप चला रहे हो, हम तो ऊर्जा का विरोध करके सरकार में आ गये लेकिन अब किसानों ने हमारा खुला विरोध करना शुरू कर दिया है । राजस्थान के ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि स्वयं राज्य को 4500 मेगावाट बिजली की जरूरत है और उत्पादन मात्र 3200 मेगावाट का है । उन्होंने स्वीकार किया कि इस वितरण के चलते 32 से 35 प्रतिशत की क्षति उठानी पड़ रही है और इससे एक हजार करोड़ का घाटा होने का

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

अन्देशा है तथा 600 करोड़ रुपये की देनदारी बढ़ जायेगी और राज्य विद्युत बोर्ड के पुनर्गठन का फैसला है । क्या अब राजस्थान के मुख्य मंत्री भी इसे बेचना चाहते हैं, मैं चाहूंगा कि आपसे राय ले लेंगे तो ठीक रहेगा ।

मान्यवर, इण्डिया टुडे अभी कल ही बाजार में आई है, इसमें एक लेख है, शीर्षक है "हेडिंग फार बैंकरप्सी" । इस समय मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह चीफ मिनिस्टर हैं । इस लेख में लिखा है "लास्ट ईयर, आन दि ईव आफ इलेक्शन्स, दि गर्वन्मेन्ट वेव्ड आफ एग्रीकल्चरल लोंस इन टावा एण्ड चंबल रीजन्स, डिस्ट्रीब्यूटेड सीड्स एण्ड लोंस टू डिफाल्टिंग फारमर्स, रेगुलराइज्ड इन्क्रोचमेन्टस् बाई 20 लाख" यानि चुनाव के समय टावा और चंबल रीजन में किसानों का पैसा माफ कर दिया और 20 करोड़ का सीड बांटा ।

फ्री पावर टू फारमर्स एनाउन्सड बाई दिग्विजय एट दि स्टार्ट आफ हिज अर्लियर टेन्योर हैज कास्ट दि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रुपीज 1850 करोड़ पर एनम ।

मान्यवर, एक चुनाव जीतने के लिये जो घोषणा की उससे 1850 करोड़ रुपये का भार केवल 2 एरियाज की बिजली कीमत माफ करने पर उठाना पड़ा । आपने अभी बढ़े मंत्रिमण्डल की बात कही । दि मिनिस्टर स्पेन्ट रुपीज 1.49 करोड़ प्लाइंग इन दि स्टेट एयरक्राफ्ट लास्ट ईयर चीफ मिनिस्टर स्पेन्ट आन एन एवरेज रुपीज 26,000 पर डे आन एयर ट्रेवेल ।

मान्यवर, 320 सदस्यों में से मध्य प्रदेश में 100 लोगों को मंत्रियों का दर्जा दिया गया है यह मेरा कहना नहीं है इण्डिया टुडे में छपा है आप इसको मंगा लीजियेगा । यहां पर प्रति महीने प्रति मिनिस्टर पर 1 लाख रुपये का खर्च आता है । वहां पर मिनिस्टर्स के पिछले साल की हवाई जहाज यात्रा का खर्च 1 करोड़ 49 लाख है और मुख्य मंत्री पर-पर डे 26 हजार रुपये का खर्च हवाई जहाज यात्रा की मद पर आता है । आप इसको देख लीजियेगा । हो सकता है कि यह आंकड़े गलत हों, यह इण्डिया टुडे के आंकड़े हैं ।

मान्यवर, दिल्ली के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि वह विद्युत रिफार्म करने जा रहे हैं । आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सबसे ज्यादा विद्युत चोरी दिल्ली में होती है । सबसे ज्यादा लाइनलास दिल्ली में राज्य विद्युत परिषद् में होता है । आपने कहा कि प्लांट लोड फैक्टर कम है, यहां पर 49 है, हमने इसको स्वीकार किया है और इसी के लिये रिफार्म लागू कर रहे हैं । हम चाहते हैं हमारे पावर स्टेशन प्राफिटेबिल हों । जितना ओएनएम एन०टी०पी०सी० खर्च करता है उतना ही हम खर्च करें तो हमारा प्लान्ट लोड फैक्टर ठीक हो । आपने ट्रांसफार्मर की बात कही और कहा कि मुख्य मंत्री जी फाइल मंगाकर देख लें । हम स्वागत करते हैं । मुख्यमंत्री जी फाइल मंगाकर देखें । श्रीमन् 1993 में टेण्डर 201/91 के अन्तर्गत एक टेण्डर हुआ था जो 5 साल के लिये वैलिड था । उसमें कुछ दरें तय की गयी थीं, ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग की दरें तय की गयी थी । यह श्रीमन् 96 में जब खत्म हुयीं तो दूसरे टेण्डर पर डिसीजन नहीं लिया गया और एक वर्ष वह चलाया गया । 1997 में जब हम ऊर्जा मंत्री थे तो उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर की बहुत बड़ी किल्लत थी । ट्रांसफार्मर में जो दूसरा टेण्टर हुआ था 264/96 उसमें 59 फर्मों ने पार्टीसिपेट किया और 9 फर्मों ने लो रेट पर एक्सेप्ट किया और 50 फर्में स्ट्राइक पर चली गयीं ।

मान्यवर, ट्रांसफारमर्स के लिये एक कमेटी का गठन किया गया जिसमें बीएचईएल और ईमा तथा ट्रांसफारमर्स रिपेयरिंग एशोशियेशन का प्रतिनिधि और एक सदस्य राज्य विद्युत परिषद का, कुल 4 मेम्बर्स थे । निर्णय यह किया गया कि जो कमेटी रिपोर्ट देगी उसके आधार पर दरें तय की जायेंगी लेकिन यह दरें पिछली बार से ज्यादा नहीं हो सकतीं । मान्यवर, बीएचईएल और ईमा ऐसी फर्में हैं जिनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता । उन्होंने रिपोर्ट दी कि टेण्डर फाइनल करते वक्त

पैकेजवाइज टेण्डर नहीं किये गये । पूरा पैकेज लेना चाहिए था और उन्होंने इसको रीजेक्ट करके नयी दरें तय करने को कहा । यह मामला बोर्ड के सामने गया और बोर्ड ने पाया कि यह गलत हुआ है । बोर्ड ने इस आधार पर जो पिछला टेण्डर हुआ था, उसको रिजेक्ट कर दिया और "ईमा" का हाईएस्ट रेट था वह भी रिजेक्ट कर दिया और पिछले टेण्डर से 2 प्रतिशत कम रेट पर ट्रांसफार्मर रिपेयर का रेट तय कर दिया । ऐसा नहीं है कि रेट ज्यादा दे दिया गया है, जो रेट्स थे उससे कम दिया गया है । हमें तो बड़ी खुशी होगी कि कम से कम इसमें जांच हो जाये । स्थानान्तरण की बात मैं नहीं करूंगा । यह बहुत छोटे स्तर की बात है । इसको प्रमोद तिवारी जी अहमियत देते होंगे ! हम इसको अहमियत नहीं दे रहे हैं । श्रीमन्, इन्होंने कहा कि क्या हुआ जवाहरपुर का, क्या हुआ रोजा का, विष्णु प्रयाग का और क्या हुआ श्रीनगर का और कितने सालों से पी०पी०ए० साईन किये हुये हो गया, क्यों नहीं काम शुरू हुआ । मैं इस सदन के सामने चारों प्रोजेक्ट की स्थिति रखना चाहता हूं ।

श्रीमन्, विष्णु प्रयाग जोशीमठ जिला चमोली में है और 400 मेगावाट का प्रोजेक्ट है । एम०ओ०यू० 14-10-92 को हुआ, 20-9-94 को एग्रीमेन्ट हुआ और पी०पी०ए० 7-9-96 को साईन हुआ । पी०पी०ए० साईन होने के बाद 60 मन्थ में लगना था पूरे 5 वर्ष में । आप 1996 से 5 वर्ष जोड़ लें । मैंने सबेरे भी घोषणा की कि अप्रैल में माननीय मुख्यमंत्री जी आधार शिला रखने जा रहे हैं । इस पर काम शुरू होने जा रहा है । श्रीनगर का 27-8-98 को एम०ओ०यू० हुआ, 28-8-98 को एग्रीमेन्ट हुआ और 28-8-98 को पी०पी०ए० भी साईन हुआ और पहली यूनिट 62 महीने में लगनी थी ।

मान्यवर, 5 साल से ज्यादा समय लगना है । अभी तो उसका एक साल भी पूरा नहीं हुआ है । यह इस साल के अन्त तक फाईनेन्शियल क्लोजिंग करेंगे । स्टेट गर्वन्मेन्ट और राज्य विद्युत परिषद् ने सारी औपचारिकतायें पूरी कर दी हैं । जवाहर पुर के बारे में बता दूं । एम०ओ०यू० 17-11-93 को हुआ । 27-12-95 को एग्रीमेन्ट हुआ । स्टेट गर्वन्मेन्ट ने अप्रूवल दिया । 16-1-96 को और यह कहा गया कि 48 महीने में काम शुरू हो जायेगा । अर्थात् सन् 2000 तक । इनका कोल-लिकेज नहीं हुआ, भारत सरकार को पत्र लिखा गया है कि इनका लिकेज कर दें । जबसे यह सरकार आयी है, प्रगति हुई है । मैंने पहले ही कह दिया कि माननीय मुख्य मंत्री जी अप्रैल में इसकी आधारशिला रखने जा रहे हैं । आपने आनपारा सी की बात उठायी कि आनपारा सी क्यों रिजेक्ट हुआ ? हुण्डई से सौदा किसने किया था, हमारी सरकार ने नहीं किया था । हमने तो उसे रद्द कर दिया । जिस सौदे में बदबू आने लगी थी । हमने ग्लोबल टेण्डर मांगे हैं । डी०एस०सी०एस० और डेबू के टेण्डर आए हैं । इसके बाद भी सरकार विचार कर रही है अगर पब्लिक सेक्टर पर इसका लोन मिलने वाली बात हो तो सरकार ने विचार बन्द नहीं किया है । हम किसी के हाथ बिकने नहीं जा रहे हैं । हम जनता के हित में काम करने जा रहे हैं । आपने एम्पीसयल का मामला उठाया जी०पी० सिंह उस समय चेयरमैन थे बोरा जी राज्यपाल थे । बोरा जी के दामन पर मैं दाग नहीं लगा सकता न ही मैं विश्वास कर सकता हूं लेकिन बोरा जी के इर्द-गिर्द दलालों ने दबाव डाला हो तो अलग बात है । रात को 12 बजे जी०पी० सिंह आनपारा पावर स्टेशन पर थे उनको बुलाया गया और 30-8-93 को रात के 12 बजे उनसे हस्ताक्षर कराए गये । 26-10-93 को एग्रीमेन्ट पर आदेश हुआ और 15-12-93 को ग्रेटर नोएडा क्षेत्र 4–1/2 साल के लिए दे दिया गया । उसमें जानबूझकर कर ऐसे क्लाज रखे गये कि एग्रीमेन्ट कभी पूरा ही न हो । अगर पूल में बिजली नहीं जाएगी तो ग्रेटर नोएडा के लिए 6-7 रुपये से कम बिजली की कास्ट न होती । अगर दोनों पूल को मिलाकर साथ रखा गया तो 1.60 रुपये से कम दर न होती । 6 महीने बाद नायर कमेटी बनाई गई उसने 1.39 रुपये दर तय की । उसके बाद बेग कमेटी बैठी उसने 1.59 रेट तय किया । उन्होंने कुछ आब्जेक्शन किया उसके बाद हमने बेग को केस फिर रिफर किया । 3 मार्च, 1999 को अतुल चतुर्वेदी सचिव ऊर्जा ने बेग को लिखा है कि आप अपनी तुरन्त रिपोर्ट दें और रिपोर्ट के आधार पर जो दर तय होगी वह दर हम उनसे वसूलेंगे । जो आप कहते हैं 72 करोड़ की चोट लगाई है चोट तो उन लोगों ने

लगाई है जिन्होंने एग्रीमेन्ट किया है । चोट तो उन लोगों ने लगाई जिन लोगों ने 4-1/2 साल के लिए दिया । हम इसमें जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को अलग कर रहे हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

जब 72 करोड़ की बैलेन्स शीट बकाया थी तो एक साल के लिए क्यों रिव्यू किया ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

आपके [x x x] धोने के लिए ।

(व्यवधान)

(श्री लालजी वर्मा के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

श्री वर्मा जी आप कृपा करके बैठ जायं ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

सीता मैनन, आई०ए०एस०, कार्यपालक अधिकारी ने अपना एक पत्र लिखा है सेक्रेटरी ऊर्जा को, जिसमें उन्होंने कहा है कि ग्रेटर नोएडा का काम बहुत अच्छा चल रहा है । इसलिये इनको आगे रहने दीजिये । उन्होंने तो अच्छा लिखा है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं प्रदीप शुक्ला, डी०एम० का पत्र आपको भेज रहा हूं । उन्होंने कहा है कि ग्रामीण अंचलों में बिजली नहीं मिल रही है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, मैं भी पत्र भेज रहा हूं । 28-1-99 का पत्र है ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री तिवारी जी आपने जो पत्र भेजा है वह आधा अधूरा है । पूरा पत्र भेज दीजिये । नहीं तो मैं इसे वापस कर रहा हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इसमें पत्रांक है, डेट है और जिलाधिकारी के हस्ताक्षर हैं । यदि आप चाहें तो मैं डी०पी० सिंह, अधीक्षण अभियन्ता का पत्र भी भेज देता हूं ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

यह कहा गया कि विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष ने चार्ज नहीं लिया और सेक्रेट्री की पोस्टिंग जल्दी कर दी गई । मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि सेक्रेट्री बोर्ड का डेसिगनेटेड है वह तो खाली सिस्टम को प्रापर करने के लिये व्यवस्था की गई है अध्यक्ष के कार्यभार ग्रहण करने के बाद विधिवत् कार्य करेंगे । यह भी कहा गया कि हमने इन्जीनियर को राष्ट्रद्रोही कह दिया । आज ऐसे लोगों का साथ कौन दे रहा है । हमने आज भी कहा है कि जो बिजली की मशीनों को डैमेज करेगा, प्रदेश की

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

जनता के साथ खिलवाड़ करेगा उसको राष्ट्रद्रोही माना जायेगा । हम ऐसे लोगों की पैरवी नहीं करते हैं । जो कहते हैं उससे पीछे नहीं हटते हैं । हमने इन्जीनियर से कह दिया था कि तोड़-फोड़ की कार्यवाही की गई तो राष्ट्रद्रोही कहलाये जाओगे और जो सजा एक राष्ट्रद्रोही के लिये होती है वह ही मिलेगी । हमारे सी०पी०एम० के नेता बैठे हैं इन्होंने कहा कि नालायक लड़का प्रापर्टी बेच देता है । ज्योति बसु ने आर० पी० गोइन्का को प्रापर्टी दे दी । पूरा कलकत्ता निजी क्षेत्र में बेच दिया । ज्योति बसु नालायक हैं तो आप कहें मैं नहीं कह रहा हूं । कौकब हमीद, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी, राजधारी जी ने भी कुछ बातें कहीं ।

(माननीय मंत्री जी द्वारा कागज ढूंढने पर न मिलने पर)

कौकब जी मैं आपको कल व्यक्तिगत रूप से इसकी जानकारी दे दूंगा जो आपका प्रश्न था । मान्यवर, मैं इस सदन में कुछ घोषणा भी करना चाहता हूं बहुत देर से सदस्यों ने विचार विमर्श किया । लक्ष्मीकान्त बाजपेई जी, राम बाबू हरित जी ने..

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मुन्ना जी पहले बात पूरी हो जाय उसके बाद पूछियेगा ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

स्वैलसुगर मिल से 2.25 प्रति यूनिट का ऊर्जा क्रम अनुबन्ध किया गया है । यह फिक्सड कास्ट है । 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष का ऐस्कलेशन प्रदान किया गया है । यह डेवलपमेन्टल एक्टीविटी है और गैर परम्परागत श्रोत से बिजली बनायी जा रही है । रा-मटीरियल के दामों में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए तथा इनफलेमेशन को देखते हुए 5 प्रतिशत ऐस्कलेशन उचित है ।

श्री कौकब हमीद–

किसानों को किस रूप में मिलेगी ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

यह तय हुआ है कि पूल में बिजली जायेगी । पूल में जाने के लिये जो लाइन बनेगी उसके लिये 50 प्रतिशत सरकार और 50 प्रतिशत जो जैनरेट करेगा वो देगा । नगरीय क्षेत्र के विधायकों के लिये सरकार ने निर्णय लिया कि जिन विधायकों का नगरीय क्षेत्र है उनके क्षेत्र में 15-15 लाख रुपये के जो कार्य बिजली से संबंधित आवश्यक होंगे के लिये दिये जायेंगे । माननीय सदस्यों को इस बात की शिकायत थी कि सी०ई० की परिभाषा में जो गांव जोड़ लिये जाते थे उनको ऊर्जीकृत में लिया जाता है लेकिन हम उस परिभाषा को चेंज कर रहे हैं । खाली गांवों में बिजली पहुंचाने से गांव उर्जीकृत नहीं होते हैं सरकार ने निर्णय लिया है कि गांव में अन्दर बिजली न जले तब तक हम गांव को ऊर्जीकृत नहीं मानेंगे ।

(सत्तापक्ष सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

एक माननीय सदस्य–

इसका चिन्हीकरण भी कर लें जब आप घोषणा कर रहे हैं ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

हमारी सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि चरणबद्ध योजना के अन्तर्गत हम यह कहना चाहेंगे कि जो गांव की 11 के०वी० की लाइन है इसमें जो गांव आते हैं वह मीटर लगवा लेंगे तो उनको 24 घंटे विद्युत देने के लिए हम तैयार हैं।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

उत्तर प्रदेश में बुन्देलखण्ड और पर्वतीय क्षेत्र में मीटर लगे हैं लखनऊ में देहात में लगे हैं, लेकिन शेष देहाती क्षेत्र में मीटर नहीं लगे हैं इससे बिजली में अन्तर आता है राज्य सरकार ने इसमें निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश की आबादी 16 करोड़ है और 67 लाख कनेक्शन हैं 15 लाख कनेक्शन की घोषणा कर चुके हैं। 12 लाख कनेक्शन हो चुके हैं। अगली बार हम कन्ज्यूमर की संख्या एक करोड़ करेंगे। मान्यवर, एक और निर्णय लिया गया है। गांव में 25 के०वी० के ट्रांसफार्मर रिप्लेस करेंगे इसकी जगह 63 के०वी० ट्रांसफार्मर लगायेंगे इससे ट्रांसफार्मर का डेमेज परसेन्ट कम हो जाएगा।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेंजे थपथपाई)

लोगों को अच्छी गुणवत्ता में बिजली मिलेगी। सरकार ने निजी नलकूप पर जो बकाया है उस पर 31 मार्च तक जो अपने निजी नलकूप का बकाया जमा कर देंगे उन पर आधा ब्याज माफ कर दिया जाएगा।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी संक्षिप्त करें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

इतनी बातों के बाद माननीय सदस्य काफी संतुष्ट हो चुके होंगे। मैं तिवारी जी से अनुरोध नहीं करूंगा मैं अधिष्ठाता जी से अनुरोध करूंगा कि वोटिंग करायें ताकि किसी की कृपा से बजट पास हो रहा है यह न लगे। ऐसा लगे कि नियमों के अनुरूप और संविधान के अनुरूप बजट पास हो रहा है। बिजली देने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है।

श्री अधिष्ठाता–

तिवारी जी प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार–

कटौती का प्रस्ताव मैं दो शर्तों पर वापस लेने को तैयार हूं। न्यायपालिका के बारे में जो टिप्पणी की गई है वह उचित नहीं है दूसरी बात पत्रकारों के बारे में कहा ऊल-जुलूल लिख दिया तो यह उचित नहीं है। प्रदेश की आजादी के बाद से [x x x] द्वारा बजट प्रस्तुत है इसलिए मैं इसको वापस नहीं लेता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–09 ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–09 ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 12,42,01,49,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 9 मार्च, 1999 की बैठक में सदन के दिनांक 10 मार्च, 1999 से 24 मार्च, 1999 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

(1) दिनांक 10 मार्च, 1999 को नियम–56 के अन्तर्गत सूचनाएं न ली जायं ।

(2) सदन के दिनांक 10 मार्च, 1999 से 24 मार्च, 1999 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में रखा जाय :–

कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में रखा जाय :–

मार्च, 1999	
10 बुधवार	1–वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
	2–उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1999, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण––आधा घण्टा ।
	3–(1) प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि पर सरकार का प्रभावी नियंत्रण न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा––एक घण्टा ।
	(2) निजी क्षेत्र के अन्तर्गत बस्ती एवं वाल्टरगंज की चीनी मिलों के ऊपर वर्ष 1991-92 में वसूली चार्ज की धनराशि को समितियों को वापस न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम ललित चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा––आधा घण्टा ।
	4–श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :–
	"यह सदन केन्द्र सरकार से यह सिफारिश करता है कि भारत के संविधान में इस आशय का संशोधन करे कि लोक सभा एवं विधान सभाओं का कार्यकाल निश्चित रूप से पांच वर्ष का हो और इसके पूर्व विघटित न की जाय ।"
	5–उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99) का विशेष प्रतिवेदन जो दिनांक 26 फरवरी, 1999 को सदन में प्रस्तुत किया गया, पर डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्री केशो मेहरा, श्री गोरखनाथ पाण्डेय, मेजर जे०पी० सिंह, श्री अतुल कुमार, श्री राजधारी, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम–216 (4) के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर विचार––आधा घण्टा ।

11 गुरुवार	1–निधन के निर्देश (शोक प्रस्ताव) 2–वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। 3–उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1999, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पर विचार एवं उसका पारण––आधा घण्टा । 4–श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :– "यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में अधिवक्ताओं के समुचित प्रतिनिधित्व हेतु "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 171 के खण्ड (5) के अन्तिम पंक्ति के प्रारम्भ में प्रयुक्त शब्द "साहित्य" से पूर्व शब्द और चिन्ह "विधि" रख दिया जाय ।"
12 शुक्रवार	1–वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान । 2–उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1999 पर विचार एवं उसका पारण––आधा घण्टा ।
13 शनिवार 14 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
15 सोमवार	1–वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान । 2–श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत अभिसूचित प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर एक घंटे की चर्चा :– "इस सदन का यह निश्चित मत है कि सहकारिता विभाग में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं की जांच करायी जाय तथा उस पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जाय ।" 3–(1) लखनऊ विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संचालित एम०एस०सी० (टैक) फार्मास्यूटिकल कैमिस्ट्री पाठ्यक्रम की मान्यता प्राप्त न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा––आधा घण्टा । (2) गोरखपुर तथा बस्ती कमिश्नरी में ईसाई मिशनरी द्वारा पैसे एवं आवास का प्रलोभन देकर व्यापक पैमाने पर हिन्दू धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० जय प्रकाश निषाद, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा––एक घण्टा ।
16 मंगलवार	1–वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान । 2–जनपद बलिया में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के अन्तर्गत निर्मित इन्दिरा आवास के आवंटन में पात्रता संबंधी नियमों की अवहेलना के संबंध में श्री राजधारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा––आधा घण्टा । 3–प्रदेश के विकास हेतु ग्राम पंचायतों को इकाई मानते हुए शासन की विकेन्द्रीकरण की वर्तमान नीति के अन्तर्गत 10 प्रमुख विभागों को स्थानीय निकायों को स्थानान्तरित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा० सरजीत सिंह डंग, श्री बाल चन्द्र मिश्र, श्री गोरखनाथ पाण्डेय,

डा० रामबाबू हरित तथा श्री रामदेव राय चौधरी, सदस्यगण विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा–दो घण्टा ।

17 बुधवार

1–वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

2–वर्ष 1998-99 में जनपद सीतापुर में सुरक्षित रोजगार योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण हेतु स्वीकृत धनराशि रु० 1.20 करोड़ के दुरुपयोग के संबंध में श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा––एक घण्टा ।

18 गुरुवार
19 शुक्रवार

1–वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

20 शनिवार
21 रविवार

बैठक नहीं होगी ।

22 सोमवार
23 मंगलवार

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

24 बुधवार

1–वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

(4.00 बजे अपराह्न तक)

2–4.00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1999 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना माननीय अधिष्ठाता द्वारा दी गई है, सहमत है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से सदन सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1999 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1999

*श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्यागिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1999 का अननुमोदन करता है ।

मान्यवर, यह अध्यादेश 12 जनवरी, 1999 को उ० प्र० अध्यादेश संख्या–299 के अनुसार प्रख्यापित किया गया और इसमें एक हमको शंका यह है कि इसमें यह व्यवस्था की गयी है कि विधान सभा के दो सदस्य और विधान परिषद् के एक सदस्य होंगे लेकिन वे निर्वाचित सदस्य होंगे । 9 जनवरी को यह सदन आहूत होता है जनवरी में यह अध्यादेश लाया गया तो यह सीधे विधेयक ही लाया जाता अध्यादेश लाने की क्या जरूरत थी ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसलिए मैं इसका अननुमोदन करता हूं।

कृषि राज्य मंत्री (श्री भगवान सिंह शाक्य)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1999, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

मान्यवर, विश्वविद्यालय की जो समिति होती है, उसके सभापति जो होते हैं, उसमें मंत्री नहीं बैठ सकता, इस नाते इस नियम को बनाया गया है। इसमें विधान सभा के दो सदस्य और एक विधान परिषद् के सदस्य रहेंगे। मंत्री बनने के बाद सदस्यता आटोमेटिक खत्म हो जायेगी।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय राम औतार शाक्य जी, अपना संशोधन रखें।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1999, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मान्यवर, यह बहुत जल्दबाजी में लाया हुआ विधेयक है, इसलिए मैं अपनी बात पर अडिग हूं। प्रवर समिति हर कानूनी पहलू से इस पर विचार करके अपनी रिपोर्ट देगी, जब रिपोर्ट आये, तब इसको सदन में लेकर आयें।

श्री लाल जी वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी जो विधेयक लाये हैं, यह बहुत ही स्वागत योग्य है, सुसंगत है। निश्चित रूप से इसकी उपयोगिता थी। किसी मंत्रि-परिषद् का सदस्य अगर बोर्ड में वाइस चांसलर की अध्यक्षता में बैठक होती है, तो उसके बैठने से प्रोटोकाल प्रभावित होगा। निश्चित रूप से इस पर पूरी तरह से सभी सदस्यों को पास करना चाहिये। मैं आपके माध्यम से माननीय शाक्य जी से अनुरोध करूंगा कि उनका जो संशोधन है, वह उसे वापस ले लें और इसे पास होने दें।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी, जो विधेयक लाये हैं, वह जल्दबाजी में है। इसमें विवेक का कहीं कोई इस्तेमाल नहीं है। शाक्य जी ने जो अपना विचार रखा है, प्रवर समिति में भेजने का, वह सही है, वहां से विचार होकर, इसे हर पहलू पर आना चाहिये। जल्दी में रखा गया प्रस्ताव जनहित में नहीं होगा, इसलिये उसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता–

शाक्य जी, उत्तर भाषण में कुछ कहना है।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, किसी विशेषज्ञ को अधिकृत करते तो ज्यादा अच्छा होता। सदस्य कोई विशेषज्ञ नहीं होता?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, कुछ कहना चाहेंगे ।

श्री भगवान सिंह शाक्य–

मान्यवर, चूंकि विधान सभा के दो सदस्य और एक विधान परिषद् का सदस्य इसके सदस्य होते हैं, अगर वह मंत्री होने के बाद बैठक में जाना चाहेंगे तो कुलपति उसका अध्यक्ष होता है, तो इसमें मंत्री बैठ नहीं सकते, प्रोटोकाल के खिलाफ जाता है ।

श्री अधिष्ठाता–

शाक्य जी, संशोधन वापस ले रहे हैं ।

श्री राम औतार शाक्य–

नहीं ले रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं प्रस्ताव रखता हूं ।

यह सदन उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1999 का अननुमोदन करता है ।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और अस्वीकृत हुआ)

[समय 8 बजकर 30 मिनट]

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधयेक, 1999, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधयेक, 1999, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–3, खण्ड–1 प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1999

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1999 कहा जायगा ।

(2) यह 12 जनवरी, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 1958 की धारा 10 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 10 में,–

(क) उपधारा (1) में खण्ड (छ) और (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्:–

"(छ) मंत्री से भिन्न राज्य विधान सभा के दो सदस्य जो उक्त सभा द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे;

(ज) मंत्री से भिन्न राज्य विधान परिषद् का एक सदस्य जो उक्त परिषद् द्वारा निर्वाचित किया जायेगा;"

(ख) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:–

"(4-क) जहां यथास्थिति, उपधारा (1) के खण्ड (छ) या खण्ड (ज) में निर्दिष्ट कोई सदस्य मंत्री के रूप में नियुक्त हो जाय, वहां, इस बात के होते हुये भी कि उपधारा (4) के अधीन उसकी पदावधि समाप्त नहीं हुई है, वह बोर्ड का सदस्य नहीं रह जायगा और इस प्रकार से हुई रिक्ति की उसके शेष पदावधि तक के लिये भरा जायगा।"

(ग) उपधारा (7) में, अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:–

"स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजन के लिये शब्द 'मंत्री' के अन्तर्गत मुख्य मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री भी सम्मिलित हैं।"

अध्यादेश संख्या 2 सन् 1999 निरसन और अपवाद

3–(1) उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1999 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3, खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री भगवान सिंह शाक्य–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1999 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधयेक, 1999, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1998 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1999

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1998 का अननुमोदन करता हूं ।

मान्यवर, यह अध्यादेश बहुत चालाकी से लाया गया है इसमें सरकार की न तो नीयत साफ है और न नीति साफ है, इसमें शक्ति का ज्यादा केन्द्रीयकरण होगा और ज्यादा मनोनयन होने से प्रजातांत्रिक मूल्यों का ह्रास होगा यह सही है कि 31 दिसम्बर, 1998 को जो व्यवस्था पहले थी वह समाप्त हो रही थी लेकिन उसके बाद 11 सदस्यों का उसमें मनोनयन करने का कौन सा औचित्य है इसलिये यह अध्यादेश जो आप लाये हैं उससे हम सहमत नहीं हैं यह जनहित के विरुद्ध है इसलिये मैं इसका अननुमोदन करता हूं ।

कृषि राज्य मंत्री (श्री भगवान सिंह शाक्य)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1999 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जैसा कहा कि इसमें नामित किया जायेगा तो यह चुनाव की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है इसमें स्थानीय निकाय से एक सदस्य, सहकारी विक्रय समिति से एक सदस्य और व्यापारियों से 2 सदस्य तथा आढ़तियों से एक सदस्य, एक सदस्य किसानों से और 8 सदस्य मंडी क्षेत्र के उत्पादक सदस्यों में से होंगे । मान्यवर, मंडी समितियों का कार्यकाल 31 दिसम्बर, 1998 को समाप्त हो रहा था इसलिये अध्यादेश लाया गया था और अब यह विधेयक लाया गया है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1999, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे । समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे ।

मान्यवर, मेरा कहना यह है कि आपने कहा कि 31 दिसम्बर, 1998 तक चुनाव नहीं हुये, तो चुनाव न कराने का दोष किसका है । सरकार जब चुनाव नहीं कराना चाहती, सरकार प्रजातांत्रिक मूल्यों

में विश्वास ही नहीं रखती तो यह व्यवस्था सरकार को करनी होगी । इसमें इस सरकार की नीति और नीयत साफ नहीं है इसलिए मैंने यह संशोधन रखा है ।

श्री लालजी वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मण्डी समितियों का गठन किसानों को, बिचौलियों से बचाने के लिए किया गया था । दुर्भाग्य की बात है कि जब से मण्डी समितियों का गठन हुआ, इसकी निर्वाचित समितियां होनी चाहिए थी लेकिन आज तक निर्वाचित समितियों का चुनाव नहीं कराया गया, जिस कारण जो उद्देश्य था गठन के समय, वह पूरा नहीं हो पाया । आज जो भी सरकारें हैं वह लगातार इसका कार्यकाल बढ़ाने का विधयेक सदन में लाती हैं और हम लगातार पास करते जा रहे हैं । यह एक गम्भीर प्रश्न है । क्या वास्तव में किसानों के हित के लिए इसका गठन किया गया तथा उसको पूरा किया गया । अगर इस विषय पर विचार करना है और हमारा उद्देश्य सार्थक है तो निश्चित रूप से इस पर हमें गम्भीरता पूर्वक विचार करना होगा और गम्भीरता पूर्वक विचार करते हुये निर्वाचित समितियों का निर्वाचन कराना होगा । अगर निर्वाचन नहीं कराते, जिसके कारण किसानों का प्रतिनिधित्व, व्यापारियों का प्रतिनिधित्व व्यवहारिक रूप में होना चाहिए जिससे किसान और व्यापारी किसी को कठिनाई न उठाना पड़े, उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं । इसलिए यह विधेयक निश्चित तौर पर जब बिल लाते हैं, बार-बार लाते रहे हैं, एक राजनीतिक संकल्प लेना होगा । चुनाव नहीं करा सके इसलिए विधेयक की आवश्यकता है, इनकी मजबूरी है तो दिसम्बर, 1999 तक ले आते लेकिन इसमें 31 दिसम्बर, 2000 तक लाये । अगर चुनाव कराने का उद्देश्य होता तो इसकी आवश्यकता नहीं थी कि एक साथ 31 दिसम्बर, 2000 तक के लिए लाते यह 31 दिसम्बर, 99 तक लाते और जो निर्वाचित समितियां थी उनका चुनाव कराकर, कार्यभार उनको सौंप देते । इससे किसानों का हित, उपभोक्ताओं का हित संरक्षित रहता और मण्डी समितियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ऐसे कार्य भी होते जिसका लाभ आम किसानों को मिलता । लोकतंत्र का गला घोंटने वाला यह विधेयक है, पूरी तरह से इसका विरोध करते हुये यह अपेक्षा करूंगा कि माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी इस बात का संकल्प लें कि हम एक बार इसका चुनाव 31 दिसम्बर, 1999 के बीच में कराकर निर्वाचित लोगों के हाथों में व्यवस्था को सौंपने का काम करेंगे तभी मण्डी समितियों का उद्देश्य सार्थक होगा अन्यथा हमारी गाढ़ी कमाई का पैसा मण्डी समितियों के नाम पर अगर वसूलने का काम करें तो उसका लाभ न उपभोक्ता को दे, किसान को दें व्यापारी को दें तो निश्चित रूप से इसकी कोई सार्थकता नहीं है तो मण्डी समितियों को समाप्त करने का प्रस्ताव लाया जाये । माननीय शाक्य जी ने जो प्रवर समिति को सौंपने का संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, जो शाक्य साहब ने प्रवर समिति में भेजने की बात की है वह ठीक है । सरकार चुनाव से भागना क्यों चाहती है । इससे काम नहीं चलेगा । बार-बार संशोधन लायेंगे बार-बार रास्ते से हटेंगे इससे भला नहीं होगा । मंडी परिषद् किसानों के हित से जुड़ा हुआ विभाग है वहां पर यह अपने अधिकारियों को बिठाना चाहते हैं इससे भ्रष्टाचार मजबूत करने का काम कर रहे हैं । आप क्यों नहीं कोई चुनाव की तिथि निश्चित कर देते हैं । चुनाव के बाद निर्वाचित लोग किसानों का हित चिन्तन करेंगे । किसानों का जो उत्पादन होगा उसका हित चिन्तन करेंगे । श्री शाक्य साहब ने जो प्रदर समिति में भेजने की बात की है इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ।

श्री राम औतार शाक्य–

मैं अपने संशोधन पर बल देता हूं।

श्री भगवान सिंह शाक्य–

सन् 1972 के बाद जितनी भी सरकारें आईं कोई भी सरकार चुनाव नहीं करा पाई। आज हमारी सरकार ने चुनाव की प्रक्रिया को चालू करने हेतु सभी जिला मजिस्ट्रेटों को आदेश दिए हैं कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो।

श्री अधिष्ठाता–

आप वापस ले रहे हैं।

श्री राम औतार शाक्य–

मैं अपने संशोधन पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1998 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1999 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1999 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–3 तक खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1999

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिये–

विधेयक

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1999 कहा जायेगा।

(2) यह 31 दिसम्बर, 1998 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, उपधारा (1) में अंक तथा शब्द "31 दिसम्बर, 1998 तक" के स्थान पर अंक तथा शब्द "31 दिसम्बर, 2000 तक" रख दिये जायेंगे ।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 22 सन् 1998

3–(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1998 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री भगवान सिंह शाक्य–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1999 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1999 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाए ।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार विधेयक, 1999

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार विधेयक, 1999 पर, विचार किया जाय ।

श्रीमन् वैसे तो आज दिन भर ऊर्जा विभाग के सम्बन्ध में चर्चा हुई है और उसमें काफी कुछ बातें आ गयी हैं । हमारे पक्ष और विपक्ष दोनों ओर के माननीय सदस्यों की यह राय थी कि उत्तर प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक सुधार किया जाय इसलिए इस सरकार ने व्यापक सुधार हेतु इस विधेयक को सदन में रखा है । मैं समझता हूं कि श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव और श्री राम औतार शाक्य जी ने जिन बिन्दुओं पर संशोधन रखा है उनको पहले ही मैं स्पष्ट कर दूं तो उन्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी । उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् को लगभग 7 हजार करोड़ रुपये का लॉस है और करीब 42 सौ

करोड़ रुपया इसके ऊपर देनदारी है । आज इसकी फाइनेन्शियल स्थिति इतनी खराब है कि जब हम इनकी बैलेन्सशीट लेकर जब किसी भी फाइनेन्शियल आर्गनाइजेशन के पास जाते हैं । तो राज्य विद्युत परिषद को कोई (इस समय 8 बजकर 43 मिनट पर अधिष्ठाता श्री लालजी वर्मा पीठासीन हुए ।) भी ऋण देने को तैयार नहीं होता है । राज्य सरकार को गारन्टी देनी पड़ती है और उस गारन्टी के कारण राज्य सरकार के ऊपर भी एक बहुत बड़ा बोझ बढ़ जाता है ।

आज हमारा प्लान्ट लोड फैक्टर 49 प्रतिशत है जबकि नेशनल प्लान्ट लोड फैक्टर 69 प्रतिशत है । हमारे लाइन लॉसेज भी ज्यादा हैं । ऐसा नहीं है कि यह केवल इस प्रदेश के लिए हो रहा है, उन सभी राज्यों में इसको स्वीकार किया है जो जनता के हित को देख रहे हैं । मैंने राजस्थान, दिल्ली, और मध्य प्रदेश की बात भी अपने बजट भाषण में रखी थी । सन् 2011 तक उत्तर प्रदेश को 14 हजार 500 मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी और इसके लिये 69 हजार करोड़ रुपये चाहिए । आज राज्य विद्युत परिषद् में जिम्मेदारी किसी की नहीं है उत्पादन करे कौन जिम्मेदार है, उत्पादन बढ़े और पारेषण भी बढ़े फिर वह डिस्ट्रीब्यूशन में गया परन्तु रिकवरी नहीं हुई तो कौन इसके लिए जिम्मेदार है, पारेषण में लाइन नहीं है और हम अपने उत्पादन को दूसरे लाइन के माध्यम से ले जायं तो कौन जिम्मेदार है । किसी की जिम्मेदारी नहीं है इस नाते हमने इसको क्लीयर बनाने के लिए इस विधेयक में हमने एक नियामक आयोग गठन की बात की है और राज्य सरकार ने उसे गठित भी कर दिया है । वह एक स्वतंत्र बाडी होगी जो सरकार तथा दोनों पक्षों की बात सुनकर एक स्वतंत्र निर्णय लेगी और उत्तर प्रदेश को एक अच्छी गुणवत्ता वाली बिजली मिलेगी । मान्यवर, आज पीक आवर में हम 15 घन्टे बिजली कम दे पाते हैं और रोटीन आवर में हम 8 घन्टे बिजली कम दे पाते हैं इसलिए इस नाते सरकार ने यह निर्णय लिया कि ऊर्जा क्षेत्र में सुधार हो, वाणिज्यिक क्षेत्र में सुधार हो, उपभोक्ता को बिजली सही मिले और गुणवत्ता वाली बिजली की आपूर्ति हो सके इसलिए हमने इस सुधार कार्यक्रम को फेसेज में रखने का काम किया था ।

प्रथम चक्र में तीन निगमों की स्थापना–तापीय उत्पादन निगम, जलीय उत्पादन निगम, और पारेषण एवं वितरण निगम इसके बाद हम उत्पादन निगम में और जलीय निगम में जो हमारी यूनिट्स हैं उनको अलग-अलग वाइविल बनायेंगे और जो ओ०एन०एम० की बात आती है यह कहा जाता है कि पावर स्टेशनों में जितना ओ०एन०एम० लगना चाहिए वह नहीं लग रहा है वह समस्या भी समाप्त हो जायेगी हम एक-एक यूनिट को वाइविल बनायेंगे ऐसा नहीं है कि हम प्राइवेट लोगों को सस्ते दामों पर बुक वैलू पर इन्हें दे रहे हैं बल्कि हम तो इन्हें इकोनामिकली वाइविल बनाने जा रहे हैं, हमने निजी क्षेत्रों को भी आमंत्रित किया है हम चाहते हैं कि हमारा प्लान्ट लोड फैक्टर बढ़े और हमारी यूनिट्स वाइविल हो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं । तृतीय चरण में पारेषण और वितरण के लिये अलग-अलग निगम स्थापित किये जायेंगे । पारेषण में ग्रिड टू ग्रिड कारपोरेशन बनायेंगे जो उसका प्रबन्ध देखेंगे । विद्युत की बिक्री हेतु कार्य करेगा और अंतिम चरण में हम डिस्ट्रीब्यूशन को छोटी-छोटी कम्पनियों में बनाकर प्रोफिटेबिल बनायेंगे । हमारे जो कर्मचारी हैं वह सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं जितना करना चाहिए था उतना नहीं कर रहे हैं । इसमें हम सुधार लायेंगे ताकि विद्युत व्यवस्था में सुधार हो सके । राज्य विद्युत परिषद् के कर्मचारियों ने इस बिल के विरोध में हड़ताल की नोटिस दी । हमने तब भी कहा कि राज्य सरकार इस बात की गारन्टी देती है कि उसमें जो भी कर्मचारी हैं उनके हितों की रक्षा हम करेंगे । आज हमारे कर्मचारियों के पी०एफ० का सारा पैसा यूटिलाइज हो गया है । कमचारियों का जो पैसा जमा था वह नहीं रह गया है । यह अलग बात है कि जो लोग रिटायर होते जा रहे हैं उनको हम धीरे-धीरे देते जा रहे हैं । हमने कहा है कि जो उनकी सेवा की शर्तें हैं वह वैसी ही रहेंगी । आपका पी०एफ०, ग्रेच्युटी, पेंशन इन सबकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी । यह जो स्वतंत्र इकाई बना रहे हैं ऐसा नहीं है कि

उन पर सरकार का कन्ट्रोल नहीं रहेगा । हमारा विधिक एग्रीमेंट होगा और हम अपने कर्मचारियों के हितों की रक्षा करेंगे ।

मैं इस सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि यह सुधार के कार्यक्रम लागू होने में 6-8 वर्ष लग जायेंगे तब तक कर्मचारियों की जो मौजूदा संख्या है उसमें से 85 प्रतिशत कर्मचारी रिटायर हो जायेंगे । ऐसा नहीं है कि आगे चलकर उनकी सर्विस कन्डीशन का क्या होगा ? निकाल तो नहीं दिये जायेंगें । ऐसी बात नहीं है । मैं एक बात की और घोषणा करना चाहता हूं कि एक शंका हुई कि विद्युत की दर बहुत अधिक बढ़ जायेगी किसानों को बिजली महंगी पड़ेगी । नियामक आयोग बनने के बाद राज्य सरकार का यह अधिकार कहीं नहीं गया है कि किसको कितनी सब्सीडी दे ? मैं सदन में घोषणा कर रहा हूं कि विद्युत सुधार विधेयक लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश के किसानों को उसी दर से बिजली मिलेगी जिस दर पर आज मिल रही है । जो भी सब्सीडी देनी पड़ेगी राज्य सरकार देगी ।

(मेजें थमथपाई गई)

मैं माननीय सदस्यों के सामने इस रिफार्म बिल में क्या प्राविधान हैं, यह रखना चाहता हूं । एक तो यह है कि विद्युत आयोग में उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारों को व्यापक नियोजन, समन्वय एवं विद्युत क्षेत्र के संबंध में दिशा निर्देश तक ही सीमित करना । जैसा धारा 12 में दिया है यदि प्रदेश सरकार कुछ उपभोक्ताओं वर्ग विशेष को विद्युत दरों में रियायत देना चाहें तो उसे नियामक आयोग के द्वारा निर्धारित समय सीमा में विद्युत विक्रय करने के लिये इकाई को समुचित आर्थिक भरपाई करनी होगी । उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का पुनर्गठन कर विद्युत उत्पादन पारेषण एवं वितरण की अलग-अलग कम्पनियों की स्थापना । उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के समस्त कर्मचारियों, परिसम्पत्तियों, कार्य करने के कानूनी अधिकार एवं जमीन जायदाद का विधायी रूप से निर्विघ्न स्थानान्तरण विद्युत परिषद् के कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा करना नियामक आयोग के बारे में कुछ बिन्दु रखना चाहता हूं लोगों ने कह दिया रेगुलेट्री कमीशन बन जाएगा तो 8 रुपये में बिजली बनेगी ऐसा नहीं है हमको भी यह सब देखना है रिफार्म बिल के बाद 8 रुपये बिजली नहीं होगी । नियामक आयोग भी इतनी जल्दी नहीं आ जाएगा नियामक आयोग के कर्तव्य के बारे में बता दूं विद्युत की ऐसी दरों का निर्धारण करना जिससे उपभोक्ता एवं विद्युत उद्योग से जुड़ी संस्थाओं दोनों का हित साधन सम्भव हो सके । विद्युत पारेषण वितरण और प्रदाय हेतु लाइसेंस प्रदान करना । राज्य में विद्युत की सेवा की गुणवत्ता निरन्तरता, सुरक्षा और विश्वसनीयता सम्बन्धी मानकों का निर्धारण । राज्य में विद्युत उद्योग में प्रतिस्पर्धा की अभिवृद्धि हेतु निजी क्षेत्र की सहभागिता का अवसर प्रदान करना ।

मान्यवर, राज्य विद्युत परिषद को एकछत्र अधिकार है जहां चाहे बिजली दे आपके पास विकल्प नहीं है हम प्रतिस्पर्धा की बात करना चाहते हैं जब प्रतिस्पर्धा पैदा होती है तो उद्योग की गुणवत्ता अच्छी मिलती है इससे काफी कार्य होगा उपभोक्ताओं की विद्युत दरें नियंत्रित रहेंगी । कमीशन विद्युत उद्योग में प्रतिस्पर्धा दक्षता एवं गतिविधियों में मितव्ययिता प्रोत्साहित करेगा । कमीशन के गठित हो जाने पर पावर फाइनेंस कारपोरेशन राज्य विद्युत परिषद् को दिये जाने वाले ऋण पर एक प्रतिशत कम ब्याज लेगा । कमीशन गठित हो जाने के पश्चात राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता राज्य विद्युत परिषद् को मिल सकेगी जिससे विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण प्रणाली में आवश्यक सुधार एवं विस्तार कर विद्युत आपूर्ति में सुधार किया जा सकेगा । कमीशन के गठित हो जाने पर राज्य के ऊर्जा क्षेत्रों में निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा एवं निवेशकों में उचित प्रतिलाभ मिलने का विश्वास पैदा होगा ।

मान्यवर, जब कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हुई तो हमने कहा था कि राज्य सरकार को अधिकार है इसको किस तरह हम लगाएं । कब लगाएं । इसको लागू करने से प्रदेश का हित किस तरह होता है इसको देखा जाएगा इसके बाद हम सत्र समाप्ति के बाद उन प्रदेशों में जाएंगे जहां यह लागू हुआ है

आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि ऐसे प्रदेश हैं । जो श्रेणी उत्तर प्रदेश के हित में होगी उसी को लागू किया जाएगा । जो हित में नहीं होगी उसको लागू नहीं करेंगे । कर्मचारियों का एक मुद्दा है उनकी नौकरी की सुरक्षा कैसे हो तो हमने पूरी गारन्टी दी है आपकी नौकरी की सुरक्षा होगी और उनको पेंशन भी देंगे, फण्ड, ग्रेच्युटी भी देंगे । पी०एफ० की भी व्यवस्था होगी । वर्तमान में रिक्त पदों को भरा जाएगा जो 93 हजार कर्मचारी की समस्या है इसमें हम प्रभावी कदम उठायेंगे नकदीकरण, ग्रेच्युटी और फंड आदि की सुविधा देते रहेंगे भविष्य निधि की योजना के बारे में कह दिया है इसको लीगली रखने की आवश्यकता है । कर्मचारियों के आवंटन की प्रक्रिया आप पूछ सकते हैं । आप जो-जो बातें पूछ सकते हैं वह मैं पहले ही बता दे रहा हूं । हम उनसे आपशन मांगेगे लेकिन ट्रांसफर उद्योग बन्द हो जायेगा । माननीय प्रमोद जी जिसकी शंका कर रहे थे कि 80 प्रतिशत ट्रांसफर हो गये । श्रीमन् मैं इस सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि रिफार्म बिल लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश की जनता को जो आप कहते हैं कि विद्युत की कटौती हो रही है, विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है, गांवों में बिजली नहीं पहुंच पा रही है, तो इन समस्याओं का समाधान अपने आप हो जायेगा और उत्तर प्रदेश की विकास दर जो इस समय तीन या साढ़े तीन प्रतिशत रह गयी है वह भी बढ़ जायेगी । माननीय सुबाष जी और शाक्य जी ने संशोधन रखा है, मैं समझता हूं कि सारी बातें आ गयी हैं, वह संशोधन को वापस ले लें ।

श्री अधिष्ठाता–

अभी नहीं रखा गया है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मैं समझता हूं कि वह इस संशोधन को वापस लेकर प्रदेश के जनता के हित में बात करेंगे ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार विधेयक, 1999 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे । समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने इस विधेयक को सदन में विचार के लिए प्रस्तुत करने के औचित्य को बताया है । माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने कहा कि वर्ष दो हजार ग्यारह तक उत्पादन, पारेषण और वितरण के लिए लगभग 69 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी । इन संसाधनों को जुटाने के लिए वर्तमान राज्य विद्युत परिषद् की स्थिति ऐसी नहीं है कि, माननीय मंत्री जी के कथन के मुताबिक वह उस पर भरोसा करके सन् 2011 के लक्ष्य को प्राप्त कर सके । इसलिए माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस विद्युत सुधार विधेयक के जरिये वह रिफार्म लाना चाहते हैं विद्युत के क्षेत्र में जिससे अपेक्षित परिणाम वह प्राप्त कर सकें ।

प्राइवेटाइजेशन से आम आदमी तथा जो डाउन ट्रोडन आदमी है गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले आदमी का भला नहीं हो सकता है । देश के कुछ सूबों में रिफार्म के नाम पर विद्युत परिषदों को विघटित करने का काम किया गया है । आप धीरज के साथ वहां की स्थिति का अध्ययन कर लेते कि क्रियान्वयन के वर्तमान चरण में वहां अनुकूल पर कौन से परिणाम आ रहे हैं या नहीं प्रदेश की जनता में इस पर बहस चलाकर पहले जनमत जान लेते तब आप इस निष्कर्ष पर पहुंचते कि इसकी आवश्यकता प्रदेश में है । यह सरकार विश्व बैंक के आगे शरणागत हुई है । विश्व बैंक के परामर्शदाता पटनम हेज एण्ड वार्टलेट कं० की संस्तुतियों की यह विधेयक कार्बन कापी है । विश्व बैंक की जो शर्तें हैं उनके आगे शरणागत होकर सुधार के नाम पर यह काला विधेयक लाने का काम किया गया है । परिषद

की पुनर्गठित करने की व्यवस्था इस विधेयक में की गयी है जिसे मा० मंत्री जी तीन चरणों में करेंगे । तापीय उत्पादन निगम, जल विद्युत उत्पादन निगम, पारेषण और वितरण निगम बनाया जाएगा उसके बाद आपका अल्टीमेट गोल है निजी क्षेत्रों की कम्पनियों को आमंत्रित करना इस प्रकार विद्युत क्षेत्र में प्राइवेट कम्पनियों को लाकर सरकार समझती है कि विद्युत क्षेत्र की सारी इकाइयां लाभकारी हो जायेंगी सन् 1948 में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐक्ट बना था उसमें इस बात की व्यवस्था की गई थी कि विद्युत परिषद् के लिए 3 प्रतिशत मुनाफा सुरक्षित रखते हुए दरें तय की जायेंगी । आपने विश्व बैंक के दबाव में आकर निजी क्षेत्र की कम्पनियों को 16 प्रतिशत मुनाफा कमाने की तो गारन्टी दे दी है लेकिन जो 3 प्रतिशत की बात थी विद्युत परिषद् के लिए वह आप नहीं कर पाये । आप कह रहे हैं कि कृषि क्षेत्र में बिजली की दर नहीं बढ़ने देंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सरकार यह कर पायेगी । निजी क्षेत्र जब आयेगा तो मुनाफा कमाने के लिए आयेगा, आप उसे मना नहीं कर पायेंगे ''बहुजन हिताय, सर्वजन हिताय'' पर तो वह काम नहीं करेगा । आप उससे यह भी नहीं कह सकते कि आप लागत खर्च से कम दर पर विद्युत आपूर्ति करें । चाहे स्वदेशी थैलीशाह हो अथवा कोई विदेशी थैलीशाह हो, वह इस बात को कबूल नहीं करेगा कि लागत खर्च ज्यादा होने के बाद भी वह ग्रामीण क्षेत्र में उनकी आवश्यकता के मुताबिक सस्ते दर पर विद्युत उपलब्ध कराये ।

निश्चित तौर पर हमारी यह बात किसी शंका पर आधारित नहीं है । यह 6–8 वर्षों के बाद आपका क्या कंसेप्ट है, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है । मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि राज्य विद्युत परिषद् के कर्मचारी निश्चिन्त रहें, उनका भविष्य निधि का पैसा सुरक्षित रहेगा और आज की सेवा शर्तों पर ही उनको निगम के हवाले किया जायेगा । उनसे पूछकर उनको पदास्थापित किया जायेगा । मान्यवर, मैं कहना चहाता हूं कि आज से 6–8 वर्षों बाद वर्तमान मुलाजिम सेवानिवृत्त हो जायेंगे । रिफार्म्स के नाम पर आपने जो नियामक आयोग बनाया है, उसके संबंध में आपने कहा कि यह स्वतंत्र संस्था होगी, इससे विद्युत की समस्यायें सुलझाई जायेंगी, विद्युत की दर यह आयोग तय करेगा, निजी कम्पनियां इस क्षेत्र में आयें, इसके लिये नया अनुकूल वातावरण बनायेगा ।

मैं कहना चाहता हूं कि आपने उस नियामक आयोग को बिना धार का शस्त्र बना दिया है । क्योंकि दुबारा टैरिफ तय करने का अधिकार आयोग को नहीं बल्कि प्रदेश सरकार को होगा । आज जब राज्य विद्युत परिषद् पुनर्गठित करके पारेषण को छोड़कर उत्पादन और वितरण को अलग कर रहे हैं लेकिन राज्य विद्युत परिषद् की जो देनदारियां हैं, वह सम्पूर्ण देनदारियां यू०पी० पावर कम्पनी के नाम दे रहे हैं । मुनासिब यह होता कि परिषद् को जब पुनर्गठित कर रहे हैं तो इसमें चाहे पारेषण हो, उत्पादन हो, वितरण हो, इन तीनों क्षेत्रों की देनदारियों को अलग-अलग निश्चित करते, लेकिन ऐसा आपने नहीं किया । आप विद्युत को निजी क्षेत्र में देकर भले ही विद्युत की आपूर्ति और गुणवत्ता सुधार लें लेकिन उत्तर प्रदेश की 16 करोड़ आबादी में 7 करोड़ से अधिक की आबादी जो गरीबी की रेखा के नीचे रहती है, जिसे दो जून की रोटी भी मयस्सर नहीं है, जिसकी क्रय शक्ति बराबर घटती जा रही है, वह इन 6-8 वर्षों बाद जो आप उत्तर प्रदेश में विद्युत सुधार करके, उत्तम प्रदेश बनाने का सपना देख रहे हैं, आम उपभोक्ता की क्रय शक्ति के बाहर विद्युत का दर हो जायेगा । इसके पीछे चाल केवल प्रदेश की सरकार की यही है कि राज्य विद्युत परिषद को एक मानकर सम्पूर्ण देनदारियों यू० पी० पावर कम्पनी के नाम करके केवल वितरण और उत्पादन का नया बही खाता खोलकर विश्व बैंक के सामने साफ बही खाता दिखाकर उसे सम्मोहित कर वह उधार लेना चाहती है । इसलिये आपने यह षड़यंत्र इस विधेयक के जरिये किया है ।

माननीय मंत्री जी ने यह बात कही कि विद्युत की दरों में बढ़ोत्तरी नहीं होने देंगे । आपको इस बात पर विचार करना चाहिये था कि राज्य विद्युत परिषद की जो जर्जर वित्तीय स्थिति है, इसकी वित्तीय स्थिति को बिगाड़ने में एक लम्बा दौर लगा है और यह जो आज की परिस्थिति बनी है वह उसी प्रक्रिया

की परिणित है। क्या आप इस बात से इन्कार करेंगे कि विद्युत परिषद का सरकार पर आज सब्सिडी की बकाया धनराशि केवल 11.168 करोड़ है क्या यह सही नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार के शासकीय विभागों पर जो विद्युत राजस्व बकाया है, वह 1700 करोड़ के लगभग है। इस बात का जिक्र माननीय सदन में पहले भी हो चुका है। ग्रेटर नोएडा में विद्युत वितरण निजी क्षेत्र को आपने दिया है नतीजा यह है कि आज की तारीख तक विद्युत परिषद का 72 करोड़ रुपया बकाया आप नहीं दिलवा पाये।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय श्रीवास्तव जी जरा समय को देखें अब समाप्त करें।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं कुछ बातें कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा क्योकि मंत्री जी बहुत घबराये हुये हैं। मान्यवर आज जो वित्तीय खस्ताहाल की स्थिति राज्य विद्युत परिषद् की हो गई है यह परिस्थिति जानबूझकर बनाई गई है। माननीय ऊर्जा मंत्री इस काले विधेयक को लाने की जगह पर यदि मजबूत संकल्प प्रस्तुत करते कि हम राज्य विद्युत् परिषद् के स्ट्रक्चर को बगैर छेड़छाड़ किये उसके लिये अपने पुरुस्वार्थ से संसाधन जुटायेंगे मेहनत मसक्कत करके इसकी स्थिति सुधारेंगे और उसको निजी हाथों में सुपुर्द करने या बेचने का काम नहीं करेंगे तो यह सार्वजनिक क्षेत्र का संस्थान सुरक्षित रहता और जनकल्याण भी सुरक्षित रहता।

मान्यवर, आज राज्य विद्युत परिषद एक गांव का विद्युतीकरण जब करती है तो उस पर पांच लाख रुपये का खर्च आता है और उससे 90 हजार रुपये का वार्षिक ब्याज परिषद् को देना पड़ता है जबकि उस गांव से विद्युतीकृत से केवल पांच हजार रुपया प्रति वर्ष राजस्व प्राप्त होती है, उस गांव में जो राज्य विद्युत परिषद् ने बिजली लगाई है वह 85 हजार रुपया घाटा उठाकर विद्युत आपूर्ति करता है।

ऊर्जा मंत्री जी आप चाहे गोयनका को दें या मल्टी नेशनल कम्पनी को दें या किसी निजी क्षेत्र की कम्पनी को दें क्या वे कम्पनियां गारन्टी देंगी कि कृषि और ग्रामीण विद्युतीकरण में और जनकल्याण तथा विकास के कार्यक्रमों को घाटा उठाकर विद्युत परिषद् की तरह भी चलाती रहेंगी यह जो विधेयक जो ...

(इस समय 9 बजकर 17 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बालचन्द्र मिश्र पीठासीन हुये।)

प्रस्तुत किया गया है उसके जरिये प्रदेश सरकार ने लोकतंत्र की जो मूल आधार पर है प्रहार करने का काम किया है। थैलीशाहों को लाभ पहुंचाने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। मा० ऊर्जा मंत्री इस विधेयक को वापस लें और आने वाले दिनों में मजबूत संकल्प के साथ राज्य विद्युत् परिषद् के लिये संसाधन जुटायें और सार्वजनिक क्षेत्र के इस उपक्रम को बनाये रखें, यही लोकहित में होगा।

श्री राम औतार शाक्य–

अधिष्ठाता जी माननीय श्रीवास्तव साहब बहुत कुछ कह चुके हैं इससे मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। जैसा कि इतिहास के पन्नों में है एक राजा ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बनायी थी और जब उसको वहां परेशानी होने लगी, उसकी फौज मरने लगी, जानवर मरने लगे तो वह अपनी राजधानी को फिर दिल्ली ले आया। मैं कहना चाहता हूं कि यह जो सुधार विधेयक है उसी तरह का तुगलकी विधेयक है। इससे उसमें अव्यवस्था होगी सदस्य नियुक्त होंगे, अध्यक्ष नियुक्त होंगे और आई०ए०एस० लाबी हावी रहेगी जिससे इंजीनियर्स परेशान होंगे। इन तमाम बातों को दृष्टिगत रखते हुये जो यह तुगलकी विधेयक है, जो उस पर संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है मैं उस पर बल देता हूं।

श्री अम्बरीष कुमार–

अधिष्ठाता जी, मैं माननीय सुबाष जी और राम औतार शाक्य जी का जो संशोधन प्रस्ताव है उसके साथ अपने को सम्बद्ध करते हुये दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। जैसा सुबाष जी ने कहा कि भारत वर्ष में जहां-जहां ऊर्जा के क्षेत्र में यह सुधार लागू हुआ है, वहां की भी स्टडी करवा लें। इसके साथ-साथ इंग्लैण्ड और फ्रांस में यह सुधार लागू हुये थे, उनके क्या परिणाम रहे, उनका भी अध्ययन करवा लें तो बेहतर होगा। निश्चित रूप से यह उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार विधेयक प्रस्तुत किया गया है यह विश्वबैंक के दबाव में किया गया है। विश्वबैंक की एक साजिश है कि उत्तर प्रदेश का जो ऊर्जा का क्षेत्र है उस पर वह एक साजिश के तहत कब्जा कराना चाहती है। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम एक स्वतंत्र स्टेट नियामक आयोग का गठन करेंगे जो सरकार और जनता के बीच में जो विद्युत की समस्यायें हैं, उनका निराकरण करेगा। मैं कहना चाहता हूं कि इतनी स्वतंत्रता उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् को देने का काम करें तो जो रिजल्ट नियामक आयोग से चाहते हैं तो वह परिणाम राज्य विद्युत परिषद् भी दे सकती है। मंत्री जी ने यह भी कहा कि नियामक आयोग ऐसे दर तय करेगा कि किसानों के लिये अधिक दर होगा या किसी समूह के लिये अधिक होगा तो प्रदेश सरकार को यह अधिकार है कि वह इस पर सब्सिडी दे, जिसके कारण किसानों पर इसका अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। अभी सुबाष जी ने बताया कि 11 हजार करोड़ से अधिक की देनदारी सरकार की है। जब सरकार ने विधायकों के लिये जो 50 लाख रुपया दिया है उसमें से 25 लाख रुपया ही दिया है। हजारों करोड़ रुपये की सब्सिडी रेट देने के फलस्वरूप देना होगा, वह कहां से देगी।

सदन में कोरम के अभाव के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में कोरम पूरा नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

कोरम की घण्टी बजायी जाये।

(कोरम की घण्टी बजाई गई)

(गणपूर्ति होने पर)

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, इन्होंने कहा था कि कोरम का सवाल नहीं उठायेंगे और रात के 10.00 बजे तक सदन चलायेंगे अब वादा खिलाफी कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार विधेयक, 1999 (क्रमागत)

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, उड़ीसा में यह सुधार लागू हुआ तब से 4 बार विद्युत की दरें बढ़ाई जा चुकी हैं। एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि प्लानिंग कमीशन की जो रिपोर्ट है, यदि 25 प्रतिशत विद्युत की दरें बढ़ा दी जायें तो जितने विद्युत बोर्ड हैं सारे लाभ में हो सकते हैं और जो हानि हैं जिसके आधार पर सुधार विधेयक को लाये हैं वह समाप्त हो सकती है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से यह भी कहना चाहता हूं कि अभी दूर संचार के क्षेत्र में भी निजी क्षेत्र की कम्पनियों को अधिकार दिया गया है। आज 3600 करोड़ रुपये इन कम्पनियों पर बकाया है। वह उपभोक्ताओं से पैसा ले रही है लेकिन सरकार को पैसा नहीं दे रही है। नियामक आयोग को यह

अधिकार दिया जायेगा कि उत्पादन वितरण और पारेषण की व्यवस्था में वह कम्पनियों को लाइसेन्स दें तो कम्पनियां मुनाफा कमायेंगी वह इस आयोग को नहीं देंगी उसके बाद लेटीगेशन होंगे । मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह उत्तर प्रदेश के भविष्य से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण सवाल है । इसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाए । इस पर जो संशोधन रखा गया है मैं उस पर बल देता हूं ।

श्री मुन्ना चौहान–

अधिष्ठाता महोदय, आज जो मंत्री जी ने यह विद्युत सुधार आयोग, 1999 सदन के अन्दर प्रस्तुत किया है उसके सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद एक निष्कर्ष निकलता है कि इस विद्युत सुधार विधेयक पर दूसरा मकसद नजर नहीं आता है एक मकसद जरूर नजर आता है कि चूंकि यू०पी०एस०ई०वी० की वित्तीय स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है कि कोई उनको फूटी कौड़ी देने को तैयार नहीं है । इलाज के लिए भीख का कटोरा लेकर बार-बार यह दौड़ रहे हैं । दूसरा कोई कारण प्रतीत नहीं होता है हमारी जो व्यवस्था है जो हमारा कल्याणकारी राज्य का चिन्तन है उसमें कहीं भी यह क्वालीफाई नहीं करता है । अभी श्रीवास्तव जी ने, शाक्य जी ने, अम्बरीष कुमार जी ने बहुत कुछ कहा है मैं एक बात कहना चाहता हूं यदि इस तरह से प्रोफेशनल कम्पटीशन लाना चाहते हैं तो सार्वजनिक उपक्रम का क्या अर्थ ? यदि आप आज ही इस बात को सुनिश्चित कर लें कि जो तमाम सब्सिडी की शक्ल में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण के नाम पर बिजली के कनेक्शन के नाम पर सब्सिडी दी जाती है यदि उसकी भरपाई उत्तर प्रदेश सरकार राज्य विद्युत परिषद् को कर दें तो परिषद् की वित्तीय स्थिति ठीक हो जाएगी । उसके किसी रि-कंस्ट्रेक्टिंग की जरूरत नहीं होगी । हमने सार्वजनिक उपक्रम की बात जरूर की लेकिन इस नाते जो स्वायत्तता इसको मिलनी चाहिए थी वह नहीं दी गई । आप ट्रांसफर करते हैं, पोस्टिंग करते हैं छोटी-छोटी बात करते हैं । जो प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं उनको निर्णय लेने का अधिकार नहीं है । यदि आप लाल फीता शाही से इसको मुक्ति दे दें तो इसकी स्थिति सुधर जायेगी । हमारी जो अर्थ व्यवस्था है वह मिश्रित अर्थ व्यवस्था है ।

[समय 9 बजकर 30 मिनट]

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जनरेशन सेक्टर में कोई चोरी नहीं है और न ही कोई बेइमानी है, जब यह डिस्ट्रीब्यूशन एण्ड पर जाता है तो वहां पर जाकर अव्यवस्था फैलती है यदि आपको करना ही था तो डिस्ट्रीब्यूशन को प्राइवेट में देते, जनरेशन सेक्टर तो हमारा पैरेनियल सोर्स पर आधारित है । आज जिस तरह से हिन्दुस्तान के अन्दर प्राइवेटाइजेशन के नाम पर और ग्लोबलाइजेशन के नाम पर अन्धा अनुकरण किया जा रहा है उसी तरह से यह विद्युत सुधार बिल भी यहां पर इन्ट्रोड्यूज किया गया है । आखिर आप किस प्राइवेटाइजेशन में विश्वास करते हैं । श्री अम्बरीष कुमार जी ने यह कहा । प्राइवेट कम्पनी के साथ जो एम०ओ०यू० साइन कर दिया है और कोई एग्रीमेन्ट साइन कर देंगे । लखवाड़ ब्यासी योजना की बात कही गयी एक प्राइवेट कम्पनी जय प्रकाश के साथ आरविट्रेशन के केस को आप तय नहीं कर पाये और एक पैसे का काम उस पर नहीं हुआ और जय प्रकाश इण्डस्ट्रीज के घर पर बैठकर उसे 67 करोड़ रुपया एवार्ड हो गया । यदि इस तरह से प्राइवेटाइजेशन का अन्धा अनुकरण किया जायेगा तो इससे प्रदेश को कोई लाभ होने वाला नहीं है ।.....

श्री अधिष्ठाता–

श्री चौहान जी कृपया बैठें, आप जो बोल रहे हैं वह नही लिखा जायेगा ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, मैं अपने संशोधन पर बल देता हूं ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, मैंने तो पहले ही अपनी बात कह दी कि माननीय सदस्य भ्रम में न पड़ें।

श्री अधिष्ठाता–

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव जी, आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मैं अपने प्रस्ताव पर बल दे रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार विधेयक, 1999 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार विधेयक, 1999 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–55 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार विधेयक, 1999

उत्तर प्रदेश राज्य में विद्युत उद्योग की पुनः संरचना करने, राज्य में विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण और प्रदाय को सुव्यवस्थित करने, राज्य में विद्युत उद्योग, जिसमें विद्युत का क्रय, वितरण, प्रदाय और उपयोग, उपभोक्ताओं के हित और उपयोगिताओं को दृष्टिगत रखते हुये सेवा की गुणवत्ता, टैरिफ तथा अन्य प्रभार भी सम्मिलित है, का एक स्वतन्त्र विद्युत नियामक आयोग द्वारा विनियमन करने, राज्य में विद्युत उद्योग में निजी क्षेत्र के उद्यमियों की सहभागिता आकृष्ट करने के लिये वातावरण बनाने और सामान्यतया ऐसे अध्युपाय करने जो दक्ष, लाभकारी और प्रतिस्पर्धी रीति से राज्य में विद्युत उद्योग के विकास और प्रबन्ध में सहायक हों, और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये –

विधेयक

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे।

परिभाषाएं

2—इस अधिनियम में,—

(क) "प्रदाय का क्षेत्र" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जिसके भीतर किसी लाइसेंसी को विद्युत-प्रदाय करने के लिये प्राधिकृत किया गया हो;

(ख) "पारेषण का क्षेत्र" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जिसके भीतर किसी लाइसेंसी को विद्युत-पारेषण करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो;

(ग) "परिषद" का तात्पर्य विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 5 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद से है;

(घ) "केन्द्रीय अधिनियम" का तात्पर्य विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 (अधिनियम संख्या 14 सन् 1998) से है;

(ङ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य आयोग के अध्यक्ष से है;

(च) "आयोग" का तात्पर्य धारा 3 में निर्दिष्ट उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग से है;

(छ) "लाइसेंस" का तात्पर्य अध्याय पांच के अधीन दिये गये किसी लाइसेंस से है;

(ज) "लाइसेंसधारी" का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है जो कोई लाइसेंस धारित करता हो और इसमें धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट अनन्तिम लाइसेंसधारी भी सम्मिलित है;

(झ) "सदस्य" का तात्पर्य आयोग के किसी सदस्य से है और इसमें अध्यक्ष भी सम्मिलित है;

(ञ) "विनियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियम से है;

(ट) "सम्बन्धी" का तात्पर्य कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में यथा- परिभाषित सम्बन्धी से है;

(ठ) "प्रदाय लाइसेंस" का तात्पर्य विद्युत का प्रदाय करने के लिए धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन दिये गये लाइसेंस से है;

(ड) विद्युत के संबंध में "पारेषण" का तात्पर्य विद्युत के परिवहन या पारेषण की ऐसी किसी पद्धति से है जिसमें पूर्णतया या मुख्यतया अतिरिक्त उच्च वोल्टेज और अतिरिक्त उच्च टेन्शन लाइन और विद्युत संयंत्र हो और जो किसी उत्पादन अवस्थान से किसी उप-अवस्थान को, या किसी विद्युत उत्पादन अवस्थान से किसी अन्य विद्युत उत्पादन अवस्थान को, या किसी उप-अवस्थान से किसी अन्य उप-अवस्थान को, या अन्यथा एक स्थान से किसी अन्य स्थान को, विद्युत परिणमित करने और सम्प्रेषित करने या अन्तरित करने के लिए प्रयोग किया जाता हो;

(ढ) "पारेषण लाइसेंस" का तात्पर्य धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन पारेषण के लिए दिये गये लाइसेंस से है;

(त) "पावर कारपोरेशन" का तात्पर्य धारा 13 में निर्दिष्ट उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड से है;

(थ) "उपयोगिता" का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है जो विद्युत के उत्पादन, पारेषण, विक्रय, वितरण या प्रदाय के कार्य में लगा हो;

(द) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 में उनके लिये दिये गये हैं;

(ध) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु इस अधिनियम में या विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 में अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 में उनके लिए दिये गये हैं।

अध्याय–दो

आयोग की स्थापना, उसके कृत्य और शक्तियाँ

आयोग का गठन

3—(1) (क) राज्य में एक आयोग होगा जो उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के नाम से जाना जायेगा और वह इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गये कृत्यों का संपादन करेगा।

(ख) केन्द्रीय अधिनियम की धारा 17 के अधीन स्थापित और गठित उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रीसिटी रेगुलेटरी कमीशन इस अधिनियम के अधीन गठित आयोग होगा और उसके अध्यक्ष और सदस्य इस रूप में इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किये गये समझे जायंगे।

(2) आयोग एक निगमित निकाय होगा और इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा।

(3) आयोग में एक अध्यक्ष और दो सदस्य होंगे जो राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित अर्हता रखने वाले व्यक्तियों में से नियुक्त किये जायेंगे :–

(क) एक व्यक्ति जो अभियन्त्रण में स्नातक उपाधि के साथ विद्युत के उत्पादन, पारेषण या प्रदाय के क्षेत्र में कम से कम पच्चीस वर्ष का अनुभव रखता हो और किसी राज्य विद्युत परिषद् या किसी अन्य उपयोगिता में मुख्य अभियन्ता या उसके समकक्ष किसी अन्य पद पर कम से कम दो वर्ष तक कार्य किया हो;

(ख) एक व्यक्ति जो स्नातक उपाधि के साथ प्रशासन के क्षेत्र में कम से कम पच्चीस वर्ष का अनुभव रखता हो और जिसने भारत सरकार के अपर सचिव का पद या उसके समकक्ष केन्द्र या राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण किया हो और जो सरकार के वित्त, ऊर्जा, उद्योग और वाणिज्य में से किसी एक या अधिक विभागों में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव रखता हो;

(ग) एक व्यक्ति जो अर्थशास्त्र, वाणिज्य, लेखा, विधि या प्रबन्ध में से किसी विद्या में स्नातक उपाधि के साथ कम से कम पच्चीस वर्ष का अनुभव रखता हो और जिसने किसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट में प्राचार्य के रूप में या कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 4-क के अधीन विनिर्दिष्ट किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्था में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अर्थान्तर्गत किसी अनुसूचित बैंक में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में या भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रूप में जिला जज के रूप में कार्य किया हो या उसके समकक्ष कोई अन्य पद धारण किया हो।

(4) उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक नियुक्ति धारा-4 के अधीन गठित चयन समिति की संस्तुतियों पर की जायेगी।

(5) उपधारा (3) या उपधारा (4) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार ऐसे व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति को जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकती है :

प्रतिबंध यह है कि संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बिना इस उपधारा के अधीन कोई नियुक्ति नहीं की जायेगी।

(6) अध्यक्ष, आयोग का मुख्य कार्यपालक होगा।

(7) आयोग के कृत्यों का अनन्य रूप से निर्वहन करने के लिए आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पूर्णकालिक नियुक्ति की जायगी और वे कोई अन्य पद धारण नहीं करेंगे या कोई अन्य कार्य नहीं करेंगे।

(8) जहां अध्यक्ष अनुपस्थिति, अस्वस्थता या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो या अध्यक्ष का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र के कारण या अन्यथा रिक्त हो जाय वहाँ ज्येष्ठतम सदस्य तब तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा जब तक कि, यथास्थिति, अध्यक्ष अपना कार्यभार पुनः ग्रहण न कर ले या इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नियुक्त अध्यक्ष अपने पद का पदभार ग्रहण न कर ले।

स्पष्टीकरण :–किसी सदस्य की ज्येष्ठता उसके सदस्य के रूप में नियुक्ति के दिनांक से अवधारित की जायेगी। यदि दो सदस्य एक ही दिनांक को नियुक्त किये गये हों तो अधिक आयु का सदस्य ज्येष्ठ होगा।

(9) आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही मात्र किसी रिक्ति के विद्यमान होने या आयोग के गठन में किसी त्रुटि के आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी।

चयन समिति का गठन

4—(1) अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एक चयन समिति का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

(क) कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो	अध्यक्ष
(ख) राज्य सरकार का मुख्य सचिव	सदस्य
(ग) अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण या उसका नाम निर्देशिती जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के सदस्य से निम्न स्तर का न हो	सदस्य

(2) राज्य सरकार, मृत्यु, पदत्याग या हटाये जाने के कारण किसी रिक्ति के होने से एक मास के भीतर, और अध्यक्ष या अन्य सदस्य की अधिवर्षिता या पदावधि की समाप्ति से छः मास पूर्व, रिक्ति को भरे जाने के लिए चयन समिति को सन्दर्भित करेगी।

(3) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का चयन करते समय, चयन समिति, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित व्यक्ति के सेवा अभिलेख, योग्यता, सत्यनिष्ठा, चरित्र, अर्हता और अनुभव का सम्यक् ध्यान रखेगी।

(4) चयन समिति, उसे संदर्भित किये जाने के दिनांक से दो मास के भीतर सदस्यों का चयन पूरा करेगी।

(5) चयन समिति, उसे निर्दिष्ट प्रत्येक रिक्ति के लिए दो नामों के पैनेल की संस्तुति करेगी।

(6) कोई व्यक्ति जिसका चयन आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में विचाराधीन हो, चयन समिति को निम्नलिखित के बारे में अधिसूचित करेगा :–

(क) किसी ऐसे पद, सेवायोजन या परामर्शदात्री करार या समझौता के बारे में जो सम्बन्धित व्यक्ति या उसके संबंधी को स्वयं के नाम से हो या जो उनमें से किसी के स्वामित्वाधीन या अन्यथा नियंत्रणाधीन किसी फर्म, व्यक्तियों के संघ या निगमित निकाय में हो, जो निम्नलिखित में से कोई कारबार कर रहा हो :

(एक) विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण या प्रदाय ;

(दो) विद्युत उत्पादन के लिए ईंधन का निर्माण, विक्रय या उसकी आपूर्ति ;

(तीन) विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण, प्रदाय या प्रयोग के लिए मशीनरी, संयन्त्र, उपस्कर, उपकरण या फिटिंग का निर्माण, विक्रय, पट्टा, किराया या अन्यथा आपूर्ति या लेन-देन करना ; और

(चार) उपर्युक्त खण्ड (एक), (दो) और (तीन) में निर्दिष्ट कारबार में से किसी को व्यावसायिक सेवा प्रदान कर रही कोई इकाई ;

(ख) ऐसे अन्य ब्यौरे और सूचनाएं जो नियमों में या चयन समिति द्वारा विहित किये जायं।

(7) सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति का चयन और संस्तुति करते समय उपधारा (6) में निर्दिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त ब्योरों को चयन समिति के विचारार्थ रखा जायेगा।

(8) आयोग का प्रत्येक सदस्य, अपनी नियुक्ति की शर्त के रूप में पदभार ग्रहण करने के पूर्व, उपधारा (6) में उल्लिखित कारबार में हितों से स्वयं को अलग कर लेगा।

(9) यदि, आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति किया जाने वाला कोई व्यक्ति, राज्य या केन्द्र सरकार या किसी पब्लिक सेक्टर कार्पोरेशन या किसी सरकारी निकाय के अधीन कोई पद धारण करता हो, या किसी अन्य व्यक्ति, सरकारी प्राधिकरण, पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर द्वारा लाभकारी रूप में सेवायोजित हो, अन्यथा सेवा में लगाया गया हो तो वह आयोग में पदभार ग्रहण करने के पूर्व उस सेवा से अपना त्याग-पत्र दे देगा या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेगा।

(10) कोई व्यक्ति जितने समय तक सदस्य का पद धारण करता हो और किसी भी कारण से सदस्य न रह जाने के पश्चात् दो वर्ष की अवधि पर्यन्त, उपधारा (6) में उल्लिखित किसी कारबार में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई पद, सेवायोजन या परामर्श व्यवस्था या कोई वित्तीय हित अर्जित या धारण नहीं करेगा या उसे बनाये नहीं रखेगा, और यदि वह अस्वैच्छिक रूप से या उत्तराधिकार या वसीयत के द्वारा ऐसा कोई हित प्राप्त करता हो तो वह ऐसा हित प्राप्त करने के तीन मास की अवधि के भीतर स्वयं को ऐसे हित से अलग कर लेगा।

स्पष्टीकरण :– इस धारा के प्रयोजनार्थ किसी सदस्य को किसी कारबार में वित्तीय हित धारणकर्ता के रूप में नहीं माना जायेगा यदि वह सदस्य किसी सार्वजनिक कम्पनी में निर्गत अंश पूंजी के दो प्रतिशत से कम अंश का अंशधारक है।

(11) चयन समिति किसी व्यक्ति की संस्तुति करने के पूर्व अपना समाधान कर लेगी कि ऐसे व्यक्ति का उपधारा (6) में निर्दिष्ट ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है जिससे कि सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

(12) चयन समिति के सभी विनिश्चय बहुमत द्वारा होंगे।

(13) अध्यक्ष और सदस्यों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें

5—(1) अध्यक्ष या अन्य सदस्य अपना पद धारण करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा और वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि अध्यक्ष से भिन्न कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए सदस्य के रूप में अपनी पदावधि के अवशिष्ट अवधि के लिये पात्र होगा।

(2) कोई सदस्य, किसी भी समय राज्यपाल को कम से कम तीन मास की लिखित नोटिस देकर अपना पद त्याग सकता है या उसे धारा 7 के उपबंधों के अनुसार उसके पद से हटाया जा सकता है।

(3) अध्यक्ष, राज्यपाल के समक्ष, एवं प्रत्येक अन्य सदस्य अध्यक्ष के समक्ष, अपना पद ग्रहण करने से पहले ऐसे प्रपत्र में जैसा विहित किया जाय, पद और गोपनीयता की शपथ लेगा और प्रतिज्ञान करेगा।

(4) सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जाय।

(5) सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों में उनके लिये अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(6) कोई सदस्य इस रूप में पद पर न रह जाने पर :–

(क) ऐसे पद पर न रह जाने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के लिये राज्य सरकार के अधीन अग्रतर सेवायोजन के लिए अनर्ह होगा ;

(ख) ऐसे पद पर न रह जाने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के लिए कोई वाणिज्यिक सेवायोजन स्वीकार नहीं करेगा ; और

(ग) आयोग के समक्ष किसी भी रीति में किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा !

स्पष्टीकरण :–इस उपधारा के प्रयोजनार्थ–

(एक) "राज्य सरकार के अधीन सेवायोजन" में भारत की सीमाओं के भीतर राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या समिति के अधीन सेवायोजन सम्मिलित है।

(दो) "वाणिज्यिक सेवायोजन" का तात्पर्य विद्युत उद्योग में वाणिज्यिक, औद्योगिक या वित्तीय कारबार में लगे हुए व्यक्ति के या उसके अभिकरण के अधीन किसी भी हैसियत में सेवायोजन से है और इसमें किसी कम्पनी का निदेशक या फर्म का भागीदार भी सम्मिलित है और इसमें स्वतन्त्र रूप से किसी फर्म के भागीदार के रूप में या परामर्शी के रूप में या परामर्शदाता के रूप में व्यवसाय करना भी सम्मिलित है।

सदस्य होने के लिए अनर्हता

6—कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए अनर्ह होगा, यदि वह,–

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया गया हो; या

(ख) शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करने में अक्षम हो गया हो; या

(ग) किसी अपराध के लिए जिसमें, नैतिक अक्षमता अन्तर्ग्रस्त हो, सिद्धदोष और कारावास से दंडित किया गया हो; या

(घ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया हो जिससे कि सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो; या

(ङ) अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया हो जिससे उसका पद पर बने रहना लोकहित के प्रतिकूल हो; या

(च) संसद, राज्य विधान मण्डल या किसी स्थानीय प्राधिकारी का कोई सदस्य हो या निर्वाचन के लिए प्रत्याशी हो; या

(छ) किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो या उसमें कोई पद धारण करता हो।

सदस्य का हटाया जाना

7—(1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, किसी सदस्य को सिद्ध कदाचार के आधार पर तभी हटाया जायेगा जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश द्वारा इस निमित्त नामनिर्दिष्ट उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश ने, राज्य सरकार द्वारा संदर्भित किये जाने पर, इस निमित्त मुख्य न्यायाधीश या ऐसे न्यायाधीश द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार जांच करने के पश्चात् यह रिपोर्ट दे दी हो कि ऐसे किसी आधार पर सदस्य को हटा दिया जाना चाहिए।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, आदेश द्वारा, किसी सदस्य को उसके पद से हटा सकेगी यदि उसने धारा 6 में उल्लिखित कोई अनर्हता उपगत किया हो।

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, किसी सदस्य को उसके पद से धारा 6 के खण्ड (ख), खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) में विनिर्दिष्ट आधार पर तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश द्वारा इस निमित्त नामनिर्दिष्ट उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश ने, राज्य सरकार द्वारा सन्दर्भित किये जाने पर, इस निमित्त मुख्य न्यायाधीश या ऐसे न्यायाधीश द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार जांच करने के पश्चात् यह रिपोर्ट न दे दी हो कि ऐसे आधार या आधारों पर सदस्य को हटा दिया जाना चाहिए।

(4) राज्य सरकार यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट रिपोर्ट के अनुसार कार्य करेगी और राज्य सरकार का अन्तिम विनिश्चय ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति के साठ दिन के भीतर सम्बन्धित सदस्य को संसूचित किया जायेगा।

आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृन्द

8—(1) आयोग, अध्यक्ष के नियंत्रण में ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और पालन करने के लिए जैसी विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जायं, एक सचिव को नियुक्त कर सकेगा।

(2) आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से आयोग की, उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए अपेक्षित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या, प्रकृति और श्रेणी अवधारित कर सकेगा और उनकी नियुक्ति करेगा।

(3) सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार के परामर्श से विनियम द्वारा अवधारित की जायं।

(4) आयोग, विनियम द्वारा, अवधारित निबंधन और शर्तों पर ऐसे परामर्शदाताओं की नियुक्ति कर सकेगा जो आयोग को उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए अपेक्षित हो।

आयोग की कार्यवाहियां

9—(1) आयोग सामान्यतया प्रत्येक पक्ष में एक बार राज्य के भीतर ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा जैसा अध्यक्ष उचित समझे :

प्रतिबंध यह है कि कोई बैठक पहले भी बुलाई जायेगी यदि किसी सदस्य द्वारा इसके लिए अनुरोध किया जाय।

(2) आयोग के समक्ष आने वाले सभी मामले उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किये जायेंगे और आयोग के सभी विनिश्चय, निदेश और आदेश, कारण से समर्थित लिखित रूप में होंगे और किसी भी व्यक्ति के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे और उनकी प्रतियां भी ऐसी रीति से जैसी आयोग अवधारित करे, उपलब्ध कराई जायंगी।

(3) आयोग की किसी बैठक की गणपूर्ति दो सदस्यों से होगी, किन्तु किसी विषय पर यदि उनमें कोई मतभेद हो तो मामले को अगली बैठक में रखा जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ आयोग में कोई रिक्ति हो या बैठक में केवल दो सदस्य उपस्थित हों तो बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(4) आयोग अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करेगा।

(5) आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय सचिव द्वारा या इस निमित्त सचिव द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

आयोग के कृत्य

10—आयोग के निम्नलिखित कृत्य होंगे, अर्थात्,–

(क) यथास्थिति, थोक, वृहद, ग्रिड या फुटकर विद्युत के लिए टैरिफ अवधारित करना;

(ख) पारेषण सुविधाओं के प्रयोग के लिए देय टैरिफ अवधारित करना;

(ग) पारेषण उपयोगिताओं और वितरण उपयोगिताओं की विद्युत क्रय और उपापन प्रक्रिया को, जिसमें वह मूल्य सम्मिलित है जिस पर उत्पादक कम्पनियों, उत्पादन केन्द्रों या अन्य स्रोतों से राज्य में पारेषण, विक्रय, वितरण या प्रदाय के लिए विद्युत उपाप्त किया जायेगा, विनियमित करना;

(घ) इस अधिनियम के उद्देश्यों ओर प्रयोजनों की प्राप्ति के लिए विद्युत उद्योग के क्रियाकलापों में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और मितव्ययिता की अभिवृद्धि करना;

(ङ) राज्य के भीतर कार्य कर रही इकाइयों को विद्युत के पारेषण, वितरण या प्रदाय के लिए निवेश-अनुमोदन का विनियमन करना;

(च) राज्य में विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण और प्रदाय से सम्बन्धित मामलों में राज्य सरकार को सहायता और सलाह देना;

(छ) विद्युत के पारेषण, वितरण या प्रदाय के लिए लाइसेंस देना और लाइसेंस की शर्तें अवधारित कराना ;

(ज) लाइसेंसधारियों और ऐसे अन्य व्यक्तियों के जिन्हें राज्य में विद्युत उद्योग में लगे रहने के लिए प्राधिकृत किया गया है या अनुमति दी गई है, कार्य को विनियमित करना और उनके कार्य को दक्ष, मितव्ययी और सामंजस्यपूर्ण बनाना;

(झ) विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण, प्रदाय या उपयोग और सेवा की गुणवत्ता की अभिवृद्धि के लिये लाइसेंसधारियों से योजना और स्कीम बनाने की अपेक्षा करना और विद्युत के उचित क्रय और उपापन प्रक्रिया का उपाय करना;

(ञ) राज्य में विद्युत उद्योग के लिए मानक जिसमें सेवा की गुणवत्ता, निरन्तरता और विश्वसनीयता संबंधी मानक भी सम्मिलित है, निश्चित करना;

(ट) राज्य में विद्युत उद्योग में प्रतिस्पर्धा की अभिवृद्धि करना और निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए अवसर प्रदान करना और उपभोक्ताओं के लिए उचित व्यवहार भी सुनिश्चित करना;

(ठ) सुरक्षा मानक निर्धारित करना और उन्हें प्रवृत्त करना;

(ड) राज्य के लिए विद्युत नीति के निर्माण में राज्य सरकार को सहायता और सलाह देना;

(ढ) विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण या उपयोग के संबंध में सूचना एकत्रित करना और अभिलिखित करना;

(ण) राज्य में विद्युत की मांग और उसके उपयोग पर आंकड़ा और पूर्वानुमान एकत्रित करना और उन्हें प्रकाशित करना और ऐसे आंकड़े को एकत्रित और प्रकाशित करने के लिए लाइसेंसधारियों से अपेक्षा करना;

(त) राज्य में विद्युत उद्योग से संबंधित आस्तियों, सम्पत्तियों और सम्पत्तियों में हित को इस प्रकार विनियमित करना जिससे लोक हित की रक्षा हो सके;

(थ) किसी लाइसेंसधारी और उपयोगिता के मध्य विवादों और मतभेदों का न्यायनिर्णयन करना या उसे माध्यस्थम् के लिए निर्दिष्ट करना;

(द) राज्य में विद्युत क्षेत्र के पर्यावरण संबंधी समुचित विनियमन के लिए नीति और प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु पर्यावरण संबंधी नियामक अभिकरणों के साथ समन्वय करना; और

(ध) सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य मामले में राज्य सरकार को सहायता और सलाह देना।

आयोग की शक्तियाँ

11—(1) इस अधिनियम के अधीन अपने न्यायनिर्णयन संबंधी कृत्यों का संपादन करते समय, आयोग को, किसी वाद के विचारण करने में सिविल न्यायालय को प्राप्त सभी शक्तियाँ निम्नलिखित मामलों के संबंध में प्राप्त होंगी, अर्थात्,–

(क) किसी व्यक्ति को बुलाने और उपस्थिति के लिए बाध्य करने और शपथ पर उसकी परीक्षा करने;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किये जाने की अपेक्षा करने;

(ग) शपथ-पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति की अधियाचन करने;

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों के परीक्षण करने के लिये कमीशन जारी करने; और

(च) किसी अन्य विषय में जो विहित किया जाय।

(2) आयोग को किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा करने की शक्ति होगी कि वह,–

(क) ऐसी बहियों, लेखों या अन्य दस्तावेजों को जो उसकी अभिरक्षा में या उसके नियंत्रणाधीन हों और जो अधियाचन में विनिर्दिष्ट या वर्णित किये गये हों और जो ऐसे दस्तावेज हों जो विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण या प्रदाय या उपयोग से सम्बन्धित किसी मामले, उपर्युक्त क्षेत्रों में अन्तर्ग्रस्त किसी उपक्रम के कृत्यों और अन्य मामलों के संबंध में हो, और जिनका परीक्षण इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा अपेक्षित हो, को उसके समक्ष पेश करे और इस निमित्त विनिर्दिष्ट आयोग के किसी अधिकारी द्वारा उनका परीक्षण किये जाने या उन्हें लिए जाने की अनुमति दे; और

(ख) इस प्रकार विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी को, ऐसी सूचना जो, उसके पास, उसकी पहुंच या नियंत्रण में हो और जिसे इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा अपेक्षित किया जाय, प्रस्तुत करे।

(3) जहां आयोग को, इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाही के दौरान यह विश्वास करने का आधार हो कि किसी इकाई या व्यक्ति की, जिससे ऐसी जांच या कार्यवाही सम्बन्धित हो, या उससे सम्बन्धित, किन्हीं बहियों या दस्तावेजों को, या जिन्हें ऐसी जांच या कार्यवाही में पेश करने के लिए ऐसी इकाई के स्वामी से अपेक्षा की गई हो, नष्ट, विकृत, परिवर्तित, मिथ्याकृत किया जा रहा है या किया जा सकता है या गुप्त रखा जा रहा है या रखा जा सकता है, तो आयोग लिखित आदेश द्वारा आयोग के किसी अधिकारी को प्रवेश करने, तलाशी लेने और अभिग्रहण करने की वही शक्ति, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 240 और धारा 240–क के अधीन किसी निरीक्षक द्वारा प्रयोग की जा सकती हो, प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(4) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, आयोग, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, किसी उत्पादन कम्पनी या किसी लाइसेंसधारी सहित किसी व्यक्ति से विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण या प्रदाय या उपयोग के सम्बन्ध में ऐसे व्यक्ति द्वारा किये जा रहे क्रियाकलापों से सम्बन्धित, या संगठन, कारबार या विद्युत उत्पादन लागत से सम्बन्धित सूचना सहित ऐसे व्यक्ति और किसी अन्य व्यक्ति या उपक्रम के बीच सम्बन्ध के बारे में, कोई सूचना नियतकालिक रूप से देने की अपेक्षा कर सकेगा ताकि आयोग इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का संपादन कर सके।

(5) आयोग, अपने कृत्यों के निर्वहन में, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से, जो आयोग के विनिश्चय द्वारा प्रभावित होते हों या जिनके प्रभावित होने की संभावना हो, परामर्श कर सकेगा।

(6) आयोग किसी भी समय, किसी विद्युत कम्पनी या लाइसेंसधारी सहित किसी व्यक्ति से कोई सूचना, ब्यौरा, बही, लेखा और अन्य दस्तावेज मंगा सकेगा और उसका परीक्षण कर सकेगा और उसे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार को यदि उनके द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसी अपेक्षा की जाय, उपलब्ध करायेगा।

(7) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन कोई नोटिस जारी की जा सकती हो, ऐसी सूचना, ब्यौरा, बही, लेखा और अन्य दस्तावेज, जैसी आयोग द्वारा ऐसी नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाय, प्रस्तुत करेगा।

(8) भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 12 से 16 और धारा 18 और 19 में किसी बात के होते हुए भी, आयोग, लिखित आदेश द्वारा, विद्युत के पारेषण, वितरण या प्रदाय के लिए विद्युत प्रदाय लाइनों, साधित्रों और संयंत्रों को लगाने के लिए या कार्य के उचित समन्वय के लिए आवश्यक दूरभाषीय या तार सम्बन्धी संसूचना के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के अधीन किसी लाइसेंसधारी या विद्युत के पारेषण, वितरण या प्रदाय के कारबार में लगे किसी

अन्य व्यक्ति को, ऐसी शर्तों एवं प्रतिबंधों के, जैसा आयोग उचित समझे, अध्यधीन रहते हुए, ऐसी कोई शक्ति जो केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित या इस प्रकार स्थापित या अनुरक्षित किये जाने वाले तारयन्त्र के प्रयोजनों के लिए तार लाइनों और पोस्ट को लगाने के सम्बन्ध में, भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अधीन तार प्राधिकारी रखता हो, प्रदान कर सकेगा।

अध्याय तीन

राज्य सरकार की शक्तियाँ

राज्य सरकार की शक्तियाँ

12—(1) राज्य सरकार, समय-समय पर विद्युत के सम्बन्ध में किसी नीतिगत मामले पर ऐसे निर्देश जो इस अधिनियम से असंगत न हों, जारी कर सकेगी और यदि आयोग और राज्य सरकार के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है कि कोई प्रश्न नीतिगत है या नहीं तो उसे केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका विनिश्चय उस पर अन्तिम और बाध्यकारी होगा।

(2) (क) टैरिफ को विनियमित और अनुमोदित करते समय आयोग द्वारा समायोजित सहायिकी के अतिरिक्त, राज्य सरकार व्यक्तियों के किसी वर्ग या वर्गों को, या किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में, विद्युत के प्रदाय के लिए सहायिकी देने के सम्बन्ध में नीति विषयक निदेश जारी करने की हकदार होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार सहायिकी दिये जाने से प्रभावित लाइसेंसधारी या व्यक्ति की क्षतिपूर्ति के लिए ऐसी धनराशि अभिदाय करेगी जो दी गयी सहायिकी के बराबर होगी।

(ख) खण्ड (क) के अधीन भुगतान की जाने वाली सहायिकी की धनराशि और भुगतान की विधि और रीति, और समय, जिसके भीतर ऐसी धनराशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाना है, आयोग द्वारा अवधारित किया जायेगा और आयोग ऐसी धनराशि की संगणना विनियम में उपबन्धित प्रक्रिया के अनुसार करेगा।

अध्याय चार

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड का बनाया जाना और उसके कृत्य

13—(1) राज्य सरकार द्वारा, विद्युत के उपापन, पारेषण और प्रदाय के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् यथाशीघ्र कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड नाम से एक कम्पनी बनायी जायगी और रजिस्ट्रीकृत करायी जायगी।

(2) पावर कारपोरेशन पारेषण के सम्बन्ध में योजना और समन्वय का जिम्मा लेगा और उत्पादन कम्पनियों, राज्य सरकार, समीपस्थ राज्यों, आयोग, क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के परामर्श से राज्य में विद्युत की आवश्यकताओं का अवधारण करेगा।

(3) पावर कारपोरेशन,—

(क) आयोग द्वारा लाइसेंस दिये जाने तक, राज्य के भीतर विद्युत के पारेषण और प्रदाय के लिये अनन्तिम लाइसेंसधारी होगा;

(ख) पारेषण प्रणाली प्रचालन के लिये उत्तरदायी होगा;

(ग) ऐसे समस्त विद्युत क्रय और पारेषण करारों के सम्बन्ध में जिसे परिषद् द्वारा केन्द्र सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन कम्पनियों सहित उत्पादन और पारेषण कम्पनियों के साथ किया गया है, का विधिक उत्तराधिकारी होगा; और

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का, जैसा लाइसेंस के अधीन अपेक्षित हो, जिम्मा लेगा।

(4) धारा 15 के अधीन पावर कारपोरेशन को लाइसेंस दिये जाने पर भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 या तदधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन पावर कारपोरेशन को परिषद् की ऐसी शक्तियाँ प्राप्त होंगी और वह परिषद् के ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जैसा लाइसेंस में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय।

(5) आयोग, पावर कारपोरेशन के परामर्श से पावर कारपोरेशन की किसी सहायक कम्पनी को भी लाइसेंस दे सकेगा।

अध्याय पांच

पारेषण और प्रदाय का लाइसेंस दिया जाना

लाइसेंस दिया जाना

14—(1) कोई व्यक्ति विद्युत के पारेषण या प्रदाय का कारबार नहीं करेगा जब तक कि वह,—

(क) कोई लाइसेंस न धारण करता हो; या

(ख) धारा 16 के अधीन लाइसेंस की अपेक्षा से मुक्त न कर दिया गया हो; या

(ग) भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 या विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अधीन इस प्रकार प्राधिकृत न कर दिया गया हो।

(2) जहां यह विवाद उत्पन्न होता है कि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन विद्युत के पारेषण या प्रदाय के कारबार में लगा है या नहीं वहाँ ऐसे मामले को आयोग को निर्दिष्ट किया जायेगा और उस पर आयोग का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) आयोग को यह आदेश देने की शक्ति होगी कि ऐसा व्यक्ति जो लाइसेंसधारी नहीं है, प्रचालन बन्द कर दे और अपने साधित्र को विच्छेदित कर दे।

आयोग द्वारा लाइसेंस दिया जाना

15—(1) आयोग, ऐसे प्रपत्र में आवेदन दिये जाने पर और ऐसी फीस के भुगतान पर जैसा विनियमों में उपबन्धित हो, लाइसेंस दे कर किसी व्यक्ति को यथास्थिति पारेषण या प्रदाय के किसी क्षेत्र में या दोनों के क्षेत्र में विद्युत के पारेषण या प्रदाय के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन लाइसेंस दिये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे :—

(क) किसी लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाला कोई व्यक्ति अपने आवेदन-पत्र की नोटिस, आवेदन-पत्र देने के पश्चात् चौदह दिन के भीतर ऐसी रीति से और ऐसी विशिष्टियों के साथ जैसी विनियमों में उपबन्धित हो, प्रकाशित करायेगा।

(ख) आयोग तब तक कोई लाइसेंस नहीं देगा जब तक कि,—

(एक) खण्ड (क) में निर्दिष्ट नोटिस अन्ततः प्रकाशन के दिनांक से तीन मास के भीतर प्राप्त हुयी आपत्तियों पर, यदि कोई हों, आयोग द्वारा विचार न कर लिया गया हो;

(दो) किसी क्षेत्र में जिसमें किसी छावनी, हवाई अड्डे, दुर्ग, आयुधशाला या कैम्प या रक्षा प्रयोजनों के लिए केन्द्र सरकार के अध्यासन में किसी भवन या स्थान का सम्पूर्ण या कोई भाग भी सम्मिलित है, में विद्युत के प्रदाय या पारेषण के लाइसेंस के लिए किसी आवेदन-पत्र के मामले में यह सुनिश्चित न कर लिया गया हो कि वहां केन्द्र सरकार की ओर से लाइसेंस दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है;

(ग) जहां किसी स्थानीय प्राधिकारी से कोई आपत्ति प्राप्त होती है वहां आयोग, यदि उसकी राय में आपत्ति अपर्याप्त है, ऐसी राय के लिए कारण अभिलिखित करेगा और उसे ऐसे स्थानीय प्राधिकारी को संसूचित करेगा; और

(घ) किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस के लिए कोई आवेदन ऐसे प्राधिकारी की किसी ऐसी बैठक में, जो ऐसी किसी नोटिस, जिसमें बैठक के प्रयोजनों को विनिर्दिष्ट करते हुए ऐसी रीति से दी गई हो जिससे सामान्यतया ऐसे स्थानीय प्राधिकारी की बैठकों के लिए नोटिसें दी जाती हों, दिये जाने के पश्चात् आयोजित हुई हो, पारित प्रस्ताव के अनुसरण में दिये जाने के सिवाय, नहीं दिया जायगा।

(3) उपधारा (2) के खण्ड (क), खण्ड(ख) का उपखण्ड (एक) और खण्ड (ग) के उपबन्ध पावर कारपोरेशन पर लागू नहीं होंगे।

(4) किसी लाइसेंस में ऐसी सीमा जहां तक और ऐसे निबंधन और शर्तें जिनके अधीन, विद्युत का पारेषण या प्रदाय किया जाना हो, विहित की जायंगी और उसमें ऐसी अन्य शर्तें भी होंगी जिन्हें आयोग इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए उचित समझे।

(5) उपधारा (4) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लाइसेंस की शर्तों में लाइसेंसधारी से अपेक्षा की जा सकेगी कि वह,—

(क) किसी विद्युत लाइन, विद्युत संयंत्र और सहयुक्त उपस्कर के जो लाइसेंसधारी द्वारा प्रचालित हो, उपयोग के लिए किसी अन्य व्यक्ति से विनिर्दिष्ट शर्तों पर करार करे;

(ख) आयोग द्वारा दिये गये किसी निर्देश का अनुपालन करे;

(ग) लाइसेंस के अधीन उत्पन्न होने वाले समस्त विवादों को आयोग या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी मध्यस्थ द्वारा अवधारित किये जाने के लिए निर्दिष्ट करे;

(घ) ऐसी सूचना, दस्तावेज और ब्योरे जिनकी आयोग अपेक्षा करे, उपलब्ध कराये;

(ङ) भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 और तद्धीन बनाये गये नियमों की अपेक्षाओं का जहाँ तक वे लागू हों, अनुपालन करें;

(च) भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अधीन बोर्ड के ऐसे कृत्यों और बाध्यताओं का, जैसा आयोग विनिर्दिष्ट करे, जिम्मा ले;

(छ) किसी ऐसी स्कीम को जिसे प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित हो और जिसमें विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अधीन की स्कीमें भी सम्मिलित हैं, आयोग को अधिसूचित करे;

(ज) आयोग द्वारा जारी मार्गदर्शन सिद्धान्त, यदि कोई हों, के अनुसार मितव्ययी ढंग से बिजली क्रय करेगा;

(झ) किसी उपभोक्ता या किसी अन्य लाइसेंसधारी को विद्युत का प्रदाय करेगा;

(ञ) आयोग के निदेशों के अनुसार समय-समय पर टैरिफ नियत करेगा या उसके प्रभारों की गणना करेगा; और

(ट) आयोग द्वारा यथा अपेक्षित फीस और प्रभारों का भुगतान करेगा।

(6) भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की अनुसूची में अन्तर्विष्ट उपबन्ध इस अध्याय के अधीन दिये गये प्रत्येक लाइसेंस के साथ सम्मिलित समझे जायेंगे और वे उसके भाग बन जायेंगे सिवाय जहां तक कि लाइसेंस द्वारा उन्हें अभिव्यक्त रूप से परिवर्तित या अपवादित किया गया हो और इस अधिनियम के प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुए ऐसे परिवर्धनों, परिवर्तनों या अपवादों के अध्यधीन रहते हुए जिन्हें करने के लिए आयोग सशक्त हो, उत्तर प्रदेश में अपने क्रियाकलापों के सम्बन्ध में लाइसेंस द्वारा प्राधिकृत उपक्रम पर लागू होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां किसी लाइसेंसधारी द्वारा अन्य लाइसेंसधारियों को उनके द्वारा वितरण के लिए विद्युत के प्रदाय का लाइसेंस दिया गया हो, वहां उक्त अनुसूची के खण्ड चार, पांच, छह, सात, आठ और बारह के उपबन्ध, जहां तक ऐसे लाइसेंस का ऐसे प्रदाय से सम्बन्ध है, लाइसेंस में सम्मिलित नहीं समझे जायेंगे।

(7) किसी लाइसेंस में सम्मिलित शर्तों में किसी शर्त के ऐसे समय पर, ऐसी रीति से और ऐसी परिस्थितियों में जैसी कि उसमें विनिर्दिष्ट की जाय, प्रवर्तन में न रह जाने या उसे उपान्तरित किये जाने का उपबन्ध समाविष्ट किया जा सकेगा।

(8) किसी लाइसेंस में उपधारा (7) के अधीन सम्मिलित कोई उपबन्ध धारा 18 की उपधारा (5) और धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन बनाये गये उपबन्धों के साथ-साथ प्रभावी होगा।

(9) इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को कोई लाइसेंस दिया जाना उसी क्षेत्र के भीतर किसी अन्य व्यक्ति को लाइसेंस दिये जाने को वर्जित नहीं करेगा।

(10) लाइसेंस में यह व्यवस्था की जा सकेगी कि राजस्व वसूली, विद्युत चोरी के लिए अभियोजन, मीटर से छेड़छाड़, विद्युत का अपयोजन और विद्युत के वितरण और प्रदाय को प्रभावित करने वाले किसी अन्य मामले के लिए लाइसेंसी को समुचित कार्यवाही करने की शक्ति और प्राधिकार होगा।

(11) आयोग लाइसेंसधारी और अन्य व्यक्तियों को ऐसी शक्ति और प्राधिकार का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जैसा भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 या विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के उपबन्धों के अधीन लाइसेंसधारियों और अन्य व्यक्तियों को दिये जा सकते हैं।

लाइसेंस से छूट

16—(1) आयोग, लाइसेंस की अपेक्षाओं से ऐसे निबन्धन और शर्तों के अधीन जैसी विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाय, छूट प्रदान कर सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि आयोग सिवाय निम्नलिखित की सहमति के इस उपधारा के अधीन कोई छूट नहीं देगा :—

(एक) ऐसे मामले में, जहां विद्युत प्रदाय ऐसे किसी क्षेत्र में किया जाना हो जो किसी छावनी, हवाई अड्डा, दुर्ग, आयुधशाला या कैम्प का भाग हो या ऐसे किसी भवन या स्थान में जो रक्षा प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के अध्यासन में हो, वहां केन्द्र सरकार की ;

(दो) ऐसे मामले में, जहां विद्युत प्रदाय ऐसे किसी क्षेत्र में किया जाना हो जो किसी लाइसेंसधारी के प्रदाय के क्षेत्र में आता हो वहां उस लाइसेंसधारी की :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि प्रथम परन्तुक के खण्ड (एक) के अधीन किसी मामले के सिवाय ऐसी सहमति आवश्यक नहीं होगी यदि आयोग का समाधान हो जाय कि ऐसी सहमति अयुक्तियुक्त रूप से रोकी गई है।

(2) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को एक निश्चित अवधि के लिए छूट प्रदान की जा सकेगी और ऐसी प्रत्येक छूट सर्वसाधारण की सूचना के लिए सम्बन्धित क्षेत्र में व्यापक परिचालन वाले कम से कम दो समाचार-पत्रों में प्रकाशित की जायगी।

(3) आयोग, इस धारा के अधीन प्रदान की गई छूट को, ऐसे कारणों से जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे किसी भी समय प्रतिसंहृत कर सकेगा।

लाइसेंसधारी के कर्तव्य और शक्तियां

17—(1) यथास्थिति, पारेषण या प्रदाय के क्षेत्र के सम्बन्ध में पारेषण या प्रदाय के लाइसेंसधारी का यह कर्तव्य होगा कि वह विद्युत पारेषण या प्रदाय की दक्ष, समन्वित और मितव्ययी प्रणाली का विकास और अनुरक्षण करे।

(2) प्रत्येक लाइसेंसधारी और उत्पादन कम्पनी विद्युत प्रणाली और विद्युत प्रदाय लाइनों के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए निबन्धन और शर्तों को शासित करने वाले समय-समय पर बनाये गये विनियमों के उपबन्धों का अनुपालन करेगा।

(3) भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 12 से 19 किसी लाइसेंसधारी के सम्बन्ध में प्रभावी होंगी मानो वह उक्त अधिनियम के अधीन लाइसेंसधारी हो :

प्रतिबन्ध यह है कि आयोग ऐसे निबन्धनों, अपवादों और शर्तों को, जिन्हें वह उचित समझे, आरोपित कर सकेगा।

(4) कोई लाइसेंसधारी जब तक कि उसे लाइसेंस द्वारा अभिव्यक्त रूप से प्रतिषिद्ध न कर दिया जाय, निम्नलिखित से विद्युत के क्रय के लिए व्यवस्था कर सकेगा :—

(क) किसी ऐसे प्रदाय लाइसेंस को धारक से, ऐसे मामले में जहां ऐसा लाइसेंस ऐसे धारक को अन्य लाइसेंसधारियों को उनके द्वारा वितरण करने के लिए अनुज्ञा देता हो; या

(ख) आयोग की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति या उत्पादन कम्पनी से।

लाइसेंस का प्रतिसंहरण

18—(1) आयोग, किसी लाइसेंसधारी के कृत्यों की जो इस अधिनियम के अधीन उसकी बाध्यताओं के सम्बन्ध में हैं निम्नलिखित परिस्थितियों में जांच

कर सकेगा, अर्थात् :–

(क) किसी उपभोक्ता या उपभोक्ता संघ या किसी व्यापार संघ से किसी शिकायत के प्राप्त होने पर; या

(ख) राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा उसे निर्दिष्ट किए जाने पर; या

(ग) विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण या प्रदाय में लगे किसी व्यक्ति से शिकायत प्राप्त होने पर; या

(घ) उसकी स्वयं की जानकारी या सूचना पर कि लाइसेंसधारी ऐसी बाध्यताओं के सम्पादन में कोई चूक कर रहा है या किया है।

(2) आयोग निम्नलिखित में से एक या अधिक आधारों पर लाइसेंस को प्रतिसंहृत कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) यह कि लाइसेंसधारी ने इस अधिनियम, भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 या विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 द्वारा या उसके अधीन किये जाने के लिये अपेक्षित किसी कार्य को करने में जान-बूझकर कोई चूक की है;

(ख) यह कि लाइसेंसधारी ने लाइसेंस के किन्हीं ऐसे निबन्धनों और शर्तों को भंग किया है जिसके सम्बन्ध में लाइसेंस में स्पष्ट रूप से घोषित किया गया हो कि ऐसे भंग से लाइसेंस का प्रतिसंहरण होगा।

(ग) यह कि लाइसेंसधारी, लाइसेंस में विनिर्दिष्ट अवधि या आयोग द्वारा अनुज्ञात किसी दीर्घतर अवधि के भीतर यह दर्शित करने में कि वह लाइसेंस द्वारा उस पर आरोपित कर्तव्यों और बाध्यताओं को पूर्णरूप से और दक्षतापूर्वक निर्वहन करने की स्थिति में है, या लाइसेंस द्वारा अपेक्षित फीस या प्रभार का भुगतान करने या प्रतिभूति को जमा करने या देने में असफल रहा है ;

(घ) जहां आयोग की राय में लाइसेंसधारी की वित्तीय स्थिति ऐसी है कि वह लाइसेंस द्वारा उस पर आरोपित कर्तव्यों और बाध्यताओं को पूर्णरूप से और दक्षतापूर्वक निर्वहन करने में असमर्थ है।

(3) उपधारा (1) और (2) में किसी बात के हुए भी, आयोग, लाइसेंसधारी के आवेदन पर या उसकी सहमति से, पारेषण या प्रदाय के क्षेत्र के पूर्ण या किसी भाग के सम्बन्ध में लाइसेंस को, ऐसे निबन्धन और शर्तों पर जैसा वह उचित समझे, प्रतिसंहृत कर सकेगा।

(4) इस धारा के अधीन किसी लाइसेन्स का प्रतिसंहरण, लाइसेंसधारी को, उन आधारों का, जिन पर प्रतिसंहरण प्रस्तावित है, कथन करते हुए, कम से कम तीन मास की नोटिस देने के पश्चात् और उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ही, किया जायगा।

(5) जहां आयोग उपधारा (2) के अधीन किसी लाइसेंस को प्रतिसंहृत कर सकती हो, वहां वह लाइसेंस को प्रतिसंहृत करने के बजाय ऐसे अग्रतर निबन्धन और शर्तों के अध्यधीन रहते हुये जिन्हें वह आरोपित करना उचित समझे, उसे प्रवृत्त रहने की अनुज्ञा दे सकेगा और इस प्रकार आरोपित कोई अग्रतर निबन्धन और शर्तें लाइसेंसधारी पर बाध्यकारी होंगी और लाइसेंसधारी द्वारा उनका पालन किया जायगा और उन्हें लाइसेंस में सम्मिलित किया गया समझा जायेगा।

लाइसेंस का संशोधन

19—(1) आयोग स्वप्रेरणा से या लाइसेंसधारी के आवेदन पर किसी लाइसेंस के निबन्धन और शर्तों में ऐसे परिवर्तन और संशोधन कर सकेगा जिन्हें वह उचित समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई परिवर्तन या संशोधन लाइसेंसधारी की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जायगा, जब तक कि आयोग की राय में ऐसी सहमति को बिना किसी युक्तियुक्त कारण के विधारित न किया गया हो।

(2) जहां लाइसेंसधारी ने उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन किया हो, वहां निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे, अर्थात् :—

(क) लाइसेंसधारी, आवेदन-पत्र की एक नोटिस, ऐसी रीति से और ऐसे विवरणों के साथ, जैसा विनियमों द्वारा विहित किया जाय, प्रकाशित करेगा ;

(ख) आयोग तब तक कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं करेगा जब तक, नोटिस के अन्ततः प्रकाशन के दिनांक से तीन मास के भीतर प्राप्त सभी आपत्तियों पर विचार न कर लिया जाय ;

(ग) परेषण या प्रदाय के किसी ऐसे क्षेत्र में, जिसमें कोई छावनी, हवाई अड्डा, दुर्ग, आयुधशाला या कैम्प सम्पूर्णतः या उसका कोई भाग सम्मिलित हो, या किसी ऐसे भवन या स्थान में जो प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिए केन्द्र सरकार के अध्यासन में हो, संशोधन प्रस्तावित करने वाले किसी आवेदन की दशा में आयोग, केन्द्र सरकार की सहमति के बिना किसी प्रकार का कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं करेगा।

(3) लाइसेंसधारी के आवेदन के बिना किसी लाइसेंस में कोई परिवर्तन या संशोधन करने से पूर्व, आयोग प्रस्तावित परिवर्तनों या संशोधनों को प्रकाशित करेगा और नोटिस के अन्ततः प्रकाशन के दिनांक से तीन मास के भीतर प्राप्त सभी आपत्तियों पर विचार करेगा।

लाइसेंस के प्रतिसंहरण के पश्चात् अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

20—(1) भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 6 और 7 के उपबन्धों में किसी बात के होते हुये भी, जहां आयोग धारा 18 के अधीन किसी लाइसेंस को प्रतिसंहृत करने का विनिश्चय करे वहां निम्नलिखित उपबन्ध लागू

होंगे, अर्थात् :–

(क) आयोग का विनिश्चय लाइसेंसधारी को संसूचित किया जायगा और विनिश्चय की ऐसी संसूचना पर लाइसेंस प्रतिसंहृत हो जायगा ;

(ख) आयोग, खण्ड (क) के अधीन लाइसेंस के प्रतिसंहरण की संसूचना देने के साथ-साथ विद्युत के पारेषण और प्रदाय का अनुरक्षण करने और उन्हें जारी रहने के प्रयोजनों के लिए लाइसेंसधारी के उपक्रम के सम्बन्ध में ऐसी अन्तरिम व्यवस्था करेगा, जैसा वह उचित समझे, जिसमें ऐसे उपक्रम के लिए किसी प्रशासक या प्रशासकों की नियुक्ति भी सम्मिलित है, और ऐसे प्रशासक या प्रशासकों को अंतरिम लाइसेंसधारी समझा जायगा ;

(ग) आयोग, व्यापक रूप से प्रचालित कम से कम दो समाचार-पत्रों में विज्ञापन द्वारा ऐसे व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करेगा जो उस लाइसेंसधारी के उपक्रम को जिसका लाइसेंस प्रतिसंहृत किया गया है, क्रय करने का इरादा रखते हों, और धारा 15 के अधीन लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक भी हों ;

(घ) आयोग, धारा 15 के अधीन लाइसेंस दिये जाने के प्रयोजनार्थ खण्ड (ग) के अधीन प्राप्त आवेदनों पर विचार करेगा और उक्त उपक्रम के निस्तारण के लिए निबंधन और शर्तें भी अवधारित करेगा और वह लिखित नोटिस द्वारा, उस लाइसेंसधारी से, जिसका लाइसेंस प्रतिसंहृत कर दिया गया हो, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह अपने उपक्रम का विक्रय उस व्यक्ति को करे जिसका आवेदन आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और जिसे इस धारा में आगे क्रेता कहा गया है ; और

(ङ) प्रतिसंहरण के दिनांक को और से, या, जहां इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अनुसरण में लाइसेंसधारी का उपक्रम किसी क्रेता को पहले ही बेंच दिया गया हो, वहां ऐसे विक्रय के दिनांक को और से, इस अधिनियम के अधीन लाइसेंसधारी के सभी अधिकार, कर्तव्य, बाध्यतायें और दायित्व, उन दायित्वों को छोड़कर जो उस दिनांक तक प्रोद्भूत हुए हों, समाप्त हो जायेंगे।

(2) जहां उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन किसी उपक्रम का विक्रय कर दिया गया हो, वहां क्रेता, आयोग द्वारा अवधारित ऐसी अवधि के भीतर जो तीन मास से अधिक नहीं होगी, लाइसेंसधारी को क्रय मूल्य का भुगतान करेगा।

(3) जहां आयोग उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन उपक्रम का विक्रय करने के लिये लाइसेंसधारी से अपेक्षा करते हुये कोई नोटिस निर्गत करे वहां वह ऐसी नोटिस द्वारा उपक्रम को परिदत्त करने के लिये लाइसेंसधारी से अपेक्षा कर सकेगा और तब लाइसेंसधारी नोटिस में विनिर्दिष्ट दिनांक को, उपक्रम के क्रय मूल्य का भुगतान लम्बित रहते हुये, अभिहित क्रेता को उपक्रम

परिदत्त करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि क्रेता उपक्रम को परिदत्त किये जाने के दिनांक से क्रय मूल्य के भुगतान किये जाने तक की अवधि के लिए क्रय मूल्य पर भारतीय रिजर्व बैंक की उपक्रम के परिदान के समय प्रवृत्त उधार दर से अन्यून ऐसी दर से लाइसेंसधारी को ब्याज देगा, जैसी आयोग विनिश्चित करे।

(4) जहां ऐसे किसी लाइसेंसधारी के, जिसका लाइसेंस प्रतिसंहृत कर दिया गया हो, उपक्रम का, किसी भी कारण से, उपधारा (1) के अधीन विक्रय न किया जा सकता हो, वहां राज्य सरकार उक्त उपक्रम का अधिग्रहण करेगी और उस लाइसेंसधारी को जिसका लाइसेंस प्रतिसंहृत कर दिया गया हो, उत्तर प्रदेश में यथाप्रयोज्य भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 7-क के अनुसार अवधारित धनराशि का भुगतान करेगी और जब तक राज्य सरकार उक्त उपक्रम का विक्रय किसी नये लाइसेंसधारी को नहीं कर देती तब तक वह लाइसेन्सधारी की सभी बाध्यताओं का निर्वहन करेगी।

लाइसेंसधारियों और उत्पादन कम्पनियों पर निर्बन्धन

21-(1) कोई लाइसेंसधारी या उत्पादन कम्पनी उत्पादन, पारेषण प्रदाय करने वाले या विद्युत के उत्पादन, पारेषण या प्रदाय का इरादा रखने वाले किसी अन्य लाइसेंसधारी या किसी अन्य व्यक्ति के लाइसेंस को या उसके उपक्रम को तब तक अधिगृहीत नहीं करेगा या उससे सहयुक्त नहीं होगा जब तक कि वह आवेदन करके आयोग की लिखित सहमति नहीं प्राप्त कर लेता है :

प्रतिबन्ध यह है कि आयोग इस धारा के अधीन सहमति देने के पूर्व ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी की, सुनवाई करेगा जिसे वह उचित समझे।

(2) आयोग, उपधारा (1) के अधीन प्राप्त आवेदन का निस्तारण, ऐसे आवेदन की प्राप्ति के एक मास के भीतर संबंधित व्यक्ति या प्राधिकारी की आपत्ति, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्, करेगा।

(3) लाइसेंसधारी, आयोग की लिखित पूर्व सहमति के बिना, विक्रय, बंधक, पट्टा, विनिमय द्वारा या अन्यथा अपने लाइसेंस को समनुदेशित, या अपने उपक्रम या उसके किसी भाग का अंतरण, नहीं करेगा।

(4) ऐसा कोई व्यक्ति जिस पर भारतीय विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 44 के उपबन्ध प्रयोज्य हैं, उस धारा के अधीन बोर्ड के स्थान पर आयोग की सहमति प्राप्त करेगा।

लाइसेंसधारी के वार्षिक लेखे

22—प्रत्येक लाइसेंसधारी, जब तक उसे अभिव्यक्त रूप से लाइसेंस के अधीन छूट न प्राप्त हो, अपने उपक्रम और प्रत्येक पृथक कारबार इकाई के लेखों का वार्षिक विवरण, ऐसे प्रारूप में और ऐसी विशिष्टियों को अन्तर्विष्ट करते हुये, जैसी लाइसेंस के अधीन अपेक्षा की गयी हो, प्रत्येक वर्ष ऐसे दिनांक को या उससे पूर्व जैसा लाइसेंस में विनिर्दिष्ट किया जाय, तैयार करेगा और आयोग को देगा और ऐसा विवरण सम्बन्धित क्षेत्र में व्यापक रूप से परिचालित होने वाले कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जायगा।

अध्याय–छः

विद्युत उद्योग का पुनर्गठन

परिषद् की सम्पत्तियों, शक्तियों, कृत्यों, कर्तव्यों और कार्मिकों का अन्तरण

23—(1) इस अधिनियम के उद्देश्यों को प्रभावी करने के लिये राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी और अधिसूचित किसी अन्तरण स्कीम में विनिर्दिष्ट दिनांक को और से, जिसे आगे इस अधिनियम में नियत दिनांक कहा गया है, परिषद् की सभी सम्पत्तियों और उसके सभी हित, अधिकार और दायित्व राज्य सरकार में निहित हो जायेंगे।

(2) इस प्रकार अधिसूचित अन्तरण स्कीम के अनुसार, उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार में निहित सम्पत्तियाँ, हित, अधिकार और दायित्व ऐसी स्कीम में यथाविनिर्दिष्ट राज्य सरकार की अन्य सम्पत्ति, उसका हित, अधिकार और दायित्व सहित ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसी राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाय, पावर कारपोरेशन या किसी उत्पादन कम्पनी में राज्य सरकार द्वारा पुनर्निहित की जायगी।

(3) इस अधिनियम के अध्याय-चार में पावर कारपोरेशन के यथा-विनिर्दिष्ट अधिकारों और शक्तियों के अतिरिक्त विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अधीन परिषद् द्वारा प्रयोक्तव्य ऐसे अधिकार और शक्तियां, जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, यथास्थिति, पावर कारपोरेशन या उत्पादन कम्पनी द्वारा 1948 के उक्त अधिनियम के अधीन कृत्यों का सम्पादन करने और कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिये प्रयोक्तव्य होंगी।

(4) राज्य सरकार, उत्पादन कम्पनी या पावर कारपोरेशन से, जिसे आगे इस धारा में अन्तरक कहा गया है, परामर्श करने के पश्चात्, किसी व्यक्ति में, जिसे आगे इस धारा में अन्तरिती कहा गया है, किन्हीं कृत्यों, जिसमें वितरण कृत्य भी है, सम्पत्ति, हित, अधिकार या दायित्व को, जो इस धारा के अधीन अन्तरक में निहित किये जा सकते हों, निहित करने के लिये अन्तरण स्कीम तैयार करने और उसे इस अधिनियम के अधीन परिनिग्रत अन्तरण स्कीम के रूप में अधिसूचित करने की अन्तरक से अपेक्षा कर सकेगी। इस उपधारा के अधीन अधिसूचित की जाने वाली अन्तरण स्कीम की उपधारा (2) के अधीन अन्तरण स्कीम के तत्समान प्रभाव होगा।

(5) जहां,–

(क) कोई अन्तरण स्कीम किसी व्यक्ति या उपक्रम के, जो राज्य सरकार के पूर्णतया स्वामित्वाधीन न हो, पक्ष में किसी सम्पत्ति या अधिकार का अन्तरण अन्तर्ग्रस्त हो, वहां अन्तरिती द्वारा अन्तरक को उचित मूल्य के भुगतान करने पर ही स्कीम को प्रभावी किया जायगा।

(ख) अन्तरण स्कीम के अनुसरण में किसी प्रकार का कोई संव्यवहार किया जाता हो वहां वह सभी व्यक्तियों पर जिसमें तृतीय पक्षकार भी हैं, बाध्यकारी होगा भले ही ऐसे व्यक्तियों ने सहमति न दी हो।

(6) किसी अन्तरण स्कीम में,–

(क) (एक) सम्पत्ति, अधिकार और दायित्वों को विनिर्दिष्ट करके;

(दो) अन्तरक के उपक्रम के किसी विनिर्दिष्ट भाग को समाविष्ट करते हुए सभी सम्पत्तियों, हितों, अधिकारों और दायित्वों को निर्दिष्ट करके;

(तीन) अंशतः एक रीति से और अंशतः दूसरी रीति से, किसी ऐसी सम्पत्ति, हित, अधिकार और दायित्व को, जिनका आवंटन किया जाना हो परिभाषित किया जा सकेगा;

(ख) यह व्यवस्था की जा सकेगी कि स्कीम में विनिर्दिष्ट अधिकार और दायित्व अन्तरक या अन्तरिती द्वारा या उनके विरुद्ध प्रवर्तनीय होंगे;

(ग) अन्तरिती पर यह बाध्यता आरोपित की जा सकेगी कि वह अन्य अन्तरिती के साथ इस स्कीम में यथा-विनिर्दिष्ट लिखित करार करे या उसके पक्ष में अन्य लिखत निष्पादित करे ;

(घ) ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक उपबन्ध किये जा सकेंगे, जैसा अन्तरक उचित समझे जिसमें ऐसे क्रम को विनिर्दिष्ट करने के उपबन्ध भी हैं जिसमें कोई अन्तरण या संव्यवहार प्रभावी होगा।

(7) राज्य सरकार, इस धारा के अधीन अन्तरित उपक्रमों के भाग के रूप में. पावर कारपोरेशन या पावर कारपोरेशन के किसी सहायक कम्पनी या किसी उत्पादन कम्पनी में सम्पत्तियों, अधिकारों और दायित्वों के निहित होने पर इस धारा के अधीन बनाई गई किसी अन्तरण स्कीम में कार्मिकों को, पावर कारपोरेशन या पावर कारपोरेशन की किसी सहायक कम्पनी या किसी उत्पादन कम्पनी को, स्थानान्तरित करने की व्यवस्था कर सकेगी और ऐसे स्थानान्तरण पर कार्मिक, यथास्थिति, पावर कारपोरेशन या उसकी किसी सहायक कम्पनी या किसी उत्पादन कम्पनी के अधीन ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जो कि अन्तरण स्कीम के अनुसार निम्नलिखित के अध्यधीन रहते हुए अवधारित की जाय, पद धारण करेगा या सेवा करेगा, अर्थात्, —

(क) कार्मिकों की सेवा के निबन्धन और शर्तें उन पर स्थानान्तरण के ठीक पूर्व लागू निबन्धन और शर्तों से कम अनुकूल नहीं होंगी;

(ख) हर प्रकार से कार्मिकों की सेवा में निरन्तरता बनी रहेगी; और

(ग) स्थानान्तरण के पूर्व उपार्जित सेवा की समस्त सुविधाओं को पूर्ण रूप से मान्यता दी जायगी और सभी प्रयोजनों के लिये जिसमें कोई या समस्त सात्रिक भुगतान भी सम्मिलित हैं, उन पर विचार किया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, और अन्तरण स्कीम और इस अधिनियम में यथा उपबन्धित के सिवाय, इस प्रकार स्थानान्तरित किये गये कार्मिक को स्थानान्तरण के कारण

किसी प्रतिकर या क्षति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् में ऐसे समस्त कार्मिकों के पद जिनकी सेवायें इस प्रकार स्थानान्तरित की जानी हों, स्थानान्तरण के दिनांक से समाप्त हो जायेंगे।

स्पष्टीकरण :–इस धारा और अन्तरण स्कीम के प्रयोजनों के लिये, पद 'कार्मिक' का तात्पर्य ऐसे समस्त व्यक्तियों से है जो नियत दिनांक को परिषद् के कर्मचारी हों और जिन्हें अन्तरण स्कीम के अधीन अन्तरिती के नियन्त्रणाधीन सेवा करने का विकल्प दिया जाय।

(8) परिषद् द्वारा, उसके साथ या उसके लिये उपगत समस्त ऋण और बाध्यतायें, की गयी समस्त संविदाएं और समस्त विषय और कृत कार्य, जिसके अन्तर्गत अन्तरण स्कीम के प्रभावी होने के लिये नियत दिनांक के पूर्व परिषद् की ओर से दी गई समस्त प्रतिभूतियां और गारन्टियां भी हैं, सुसंगत अन्तरण स्कीम में विनिर्दिष्ट सीमा तक, राज्य सरकार या सम्बन्धित अन्तरिती द्वारा, उसके साथ या उसके लिये उपगत की गयी समझी जायेंगी और परिषद् द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित समस्त वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां, यथास्थिति, राज्य सरकार या सम्बन्धित अन्तरिती द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रहेंगी या संस्थित की जा सकेंगी।

(9) जहां उपधारा (4) के अधीन किसी लाइसेंसधारी से उसके उपक्रम के किसी भाग को दूसरे लाइसेंसधारी में निहित करने की अपेक्षा की जाय वहां अन्तरिती का लाइसेंस धारा 19 के अधीन संशोधित या धारा 18 के अधीन प्रतिसंहृत किया जा सकेगा।

(10) परिषद्, उपधारा (3) के अधीन जारी की गई अधिसूचना के दिनांक को और उसके पश्चात् किये गये अन्तरणों के सम्बन्ध में उक्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कृत्यों और कर्तव्यों की भार साधक नहीं रह जायगी और उनका निर्वहन नहीं करेगी।

अध्याय–सात

टैरिफ

लाइसेंसधारी का राजस्व और टैरिफ

24—(1) लाइसेंसधारी, उन प्रभारों से जिन्हें वसूल करने के लिये वह अनुज्ञात है, प्रत्याशित राजस्व की संगणना करने और टैरिफ अवधारित करने में, विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करेगा।

(2) उपधारा (3) में यथा उपबन्धित के सिवाय, आयोग राजस्व और टैरिफ के अवधारण के लिये निबन्धन और शर्तों को विनियमों में विनिर्दिष्ट कर सकेगा और ऐसा करने में आयोग निम्नलिखित से मार्ग दर्शित होगा, अर्थात् :–

(क) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 46, 57 और 57–क में और उसकी छठीं अनुसूची में उपबन्धित वित्तीय सिद्धान्त और उसका लागू होना ;

(ख) कारक, जो दक्षता संसाधनों के मितव्ययितापूर्ण उपयोग, अच्छा सम्पादन, अधिकतम विनिधान, लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन और अन्य मामले जिन्हें आयोग इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उपयुक्त समझे, को प्रोत्साहित करते हों; और

(ग) उपभोक्ताओं का हित।

(3) जहां आयोग उपधारा (2) के खण्ड (क) से (ग) में विनिर्दिष्ट कारकों से हट जाता हो वहां वह इस प्रकार हट जाने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

(4) (क) प्रत्येक लाइसेंसधारी, उन प्रभारों से, जिन्हें वसूल करने के लिये अनुज्ञात होने का उसे विश्वास हो, प्रत्याशित राजस्व के आगामी वित्तीय वर्ष के लिये अपनी संगणना का पूर्ण ब्यौरा, ऐसे समय और ऐसी रीति से जैसा विनियमों द्वारा उपबन्धित किया जाय, आयोग को देगा और तत्पश्चात् वह ऐसी अग्रतर सूचना भी प्रस्तुत करेगा जैसी लाइसेंसधारी की संगणना का निर्धारण करने के लिये आयोग युक्तियुक्त रीति से अपेक्षा करे।

(ख) लाइसेंसधारी, आगामी वर्ष के लिये अपने टैरिफ के प्रस्ताव के प्रस्तुत करने के तीन दिन के भीतर कम से कम दो ऐसे दैनिक समाचार-पत्रों में, जिनका प्रदाय के क्षेत्र में वृहद् परिचालन हो, एक नोटिस जिसमें प्रस्तावित टैरिफ की रूपरेखा और हितबद्ध व्यक्तियों और राज्य सरकार से आपत्तियां आमंत्रित की गई हों, भी प्रकाशित करायेगा।

(ग) आयोग टैरिफ अवधारित करते समय, खण्ड (ख) में निर्दिष्ट नोटिस के अन्ततः प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर प्राप्त आपत्तियों, यदि कोई हों, पर भी विचार करेगा।

(5) आयोग, उपधारा (4) के अधीन लाइसेंसधारी द्वारा सूचना प्रस्तुत किये जाने के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर लाइसेंसधारी को–

(क) यह नोटिस देगा कि वह लाइसेंसधारी की संगणना स्वीकार करता है; या

(ख) कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए और उपान्तर या वैकल्पिक संगणना प्रस्तावित करते हुए, यह नोटिस देगा कि उसके विचार में लाइसेंसधारी की संगणना लाइसेंस में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार नहीं है या वह अन्यथा गलत है।

(6) आयोग, उपधारा (5) में यथाउपबन्धित लाइसेंसधारी की संगणना पर अपना विनिश्चय अधिसूचित करने के पश्चात् यह अवधारित कर सकेगा कि क्या लाइसेंसधारी द्वारा प्रभारित टैरिफ में उपान्तर अपेक्षित है और यदि ऐसा हो, तो वह लाइसेंसधारी से अपेक्षा कर सकेगा कि वह टैरिफ या उसके किसी भाग को तत्कालिक प्रभाव से उपान्तरित करे।

(7) प्रदाय लाइसेंस का प्रत्येक धारक, प्रदाय के क्षेत्र में व्यापक रूप से परिचालित कम से कम दो दैनिक समाचार-पत्रों में अपने प्रदाय के क्षेत्र के भीतर विद्युत के लिये टैरिफ का प्रकाशन करायेगा और अनुरोध पर उसे जनता को उपलब्ध करायेगा और ऐसा टैरिफ ऐसे अन्ततः प्रकाशन के दिनांक से सात दिन के पश्चात् प्रवृत्त होगा और इस धारा के अधीन कार्यान्वित कोई टैरिफ,–

(क) विद्युत के किसी उपभोक्ता के प्रति कोई अधिमान या पक्ष प्रदर्शित नहीं करेगा किन्तु वह किसी विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान या ऐसे समय जिसके दौरान प्रदाय अपेक्षित हो, उपभोक्ता के भारकारक या उपयोग के प्रयोजन या ऊर्जा कारक; उपभोक्ता के कुल विद्युत उपभोग के आधार पर भिन्न हो सकेगा;

(ख) न्यायसंगत और युक्तियुक्त होगा और ऐसी होगी जो विद्युत के प्रदाय और उपभोग में मितव्ययिता और दक्षता की अभिवृद्धि करे; और

(ग) इस अधिनियम के अन्य सभी सुसंगत उपबंधों और लाइसेंस की शर्तों के अनुसार होगी।

(8) किसी ईंधन अधिभार सूत्र के निबन्धनों के अधीन स्पष्टतः अनुज्ञेय किसी परिवर्तन जैसा विनियम द्वारा उपबन्धित किया जाय, के सिवाय टैरिफ को एक वित्तीय वर्ष में एक बार से अधिक बार अवधारित नहीं किया जायगा। किसी टैरिफ के कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित दिनांक से कम से कम सौ दिन पूर्व लाइसेंसधारी प्रस्तावित टैरिफ का ब्यौरा, ऐसी अग्रतर सूचना के साथ, जैसी आयोग यह अवधारित करने के लिए अपेक्षा करे कि क्या प्रस्तावित टैरिफ दर उपधारा (7) के अनुसार है, आयोग को उपलब्ध करायेगा। यदि आयोग यह मानता है कि किसी लाइसेंसधारी की प्रस्तावित टैरिफ, उपधारा (7) के किन्हीं एक या अधिक अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है तो वह, उसके द्वारा अपेक्षित सभी सूचनाओं की प्राप्ति नब्बे दिन के भीतर और धारा 29 के अधीन गठित विद्युत सलाहकार समिति और लाइसेंसधारी से परामर्श करने के पश्चात् लाइसेंसधारी को सूचित करेगा कि टैरिफ आयोग को स्वीकार्य नहीं है और वह लाइसेंसधारी को एक वैकल्पिक टैरिफ देगा जिसे लाइसेंसधारी द्वारा कार्यान्वित किया जायगा। लाइसेंसधारी किसी टैरिफ को तब तक कार्यान्वित नहीं करेगा जब तक कि आयोग द्वारा उसे अनुमोदित न कर दिया जाय।

(9) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 57-क और 57-ख में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् कोई "दर निर्धारण समिति" गठित नहीं की जायगी और आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि विद्युत के थोक और फुटकर दोनों विक्रय के लिए प्रभारों के सम्बन्ध में, और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उनकी आस्तियों या प्रणालियों से संयोजन और उनके प्रयोग के लिये लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस के निबन्धन और शर्तों का अनुपालन किया गया है।

स्पष्टीकरण :–इस धारा के प्रयोजनों के लिए,–

(क) शब्द "लाइसेंसधारी" में विद्युत का पारेषण, विक्रय, वितरण या प्रदाय करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति भी सम्मिलित होगा ;

(ख) "प्रभार से प्रत्याशित राजस्व" का तात्पर्य ऐसे राजस्व से है जो किसी लाइसेंसधारी से उपधारा (4) के अधीन टैरिफ की अवधारणा में प्रयुक्त पूर्वानुमानित प्रदाय के प्रभार से वसूल किया जाना प्रत्याशित हो; और

(ग) "टैरिफ" का तात्पर्य विनिर्दिष्ट सेवाओं के लिए ऐसी मानक कीमतों या प्रभारों की किसी अनुसूची से है, जो ऐसी सभी सेवाओं पर लागू हैं जो टैरिफ में विनिर्दिष्ट ग्राहकों की श्रेणी या श्रेणियों को उपलब्ध कराई जायं।

लाइसेंसधारियों और उत्पादन कम्पनियों का वित्तपोषण

25—(1) राज्य सरकार समय-समय पर धारा 12 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए किसी लाइसेंसधारी को उतनी धनराशि की आर्थिक सहायता प्रदान कर सकेगी जितनी आयोग द्वारा संस्तुत की जाय।

(2) राज्य सरकार समय-समय पर किसी ऐसे लाइसेंसधारी या उत्पादन कम्पनी को, जो तत्समय पूर्णतः या पर्याप्ततः राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन हो, ऐसे निबंधन एवं शर्तों पर, जैसा राज्य सरकार अवधारित करे, ऋण दे सकेगी ।

(3) राज्य सरकार ऐसी रीति से जैसी वह उचित समझे ऐसे किसी ऋण के मूलधन के प्रतिसंदाय या ब्याज के भुगतान, या दोनों की, जो किसी ऐसे लाइसेंसधारी या उत्पादन कम्पनी, जो तत्समय राज्य सरकार के पूर्णतः या पर्याप्ततः स्वामित्वाधीन हो, द्वारा लिया जाना प्रस्तावित हो, या उसकी अन्य वित्तीय बाध्यता के निर्वहन की गारन्टी दे सकेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, जब तक ऐसी गारन्टी प्रवृत्त है, प्रत्येक वर्ष राज्य विधान मण्डल के समक्ष पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान दी गयी गारन्टियों का यदि कोई हों, विवरण और किसी ऐसी गारन्टी के कारण प्रत्येक मामले में राज्य के राजस्व से संदत्त की गयी धनराशि और इस प्रकार संदत्त की गई धनराशि के प्रतिसंदाय स्वरूप राज्य के राजस्व में संदत्त की गयी किसी धनराशि, का अद्यतन लेखा प्रस्तुत करेगी।

(4) राज्य सरकार, उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन किसी लाभ को प्राप्त करने वाले प्रत्येक लाइसेंसधारी या उत्पादन कम्पनी के लेखों का निरीक्षण और सत्यापन करने की हकदार होगी।

अध्याय—आठ

आदेश पारित करने और निदेश प्रवर्तित करने की आयोग की शक्ति

आयोग द्वारा आदेश

26—(1) जहां आयोग को किसी शिकायत से या अन्यथा यह ज्ञात हो कि लाइसेंसधारी द्वारा किसी लाइसेंस की किन्हीं निबन्धन और शर्तों का उल्लंघन किया गया है या उल्लंघन किये जाने की संभावना है, वहां वह लाइसेंस के निबन्धन और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, आदेश द्वारा लाइसेंसधारी से ऐसा कार्य करने या उससे विरत रहने की अपेक्षा कर सकेगा, जैसा उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय।

(2) इस धारा के अधीन कोई आदेश करते समय आयोग निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखेगा, अर्थात्,—

(क) सीमा जहां तक उपधारा (1) में निर्दिष्ट उल्लंघन इस अधिनियम के उद्देश्य और प्रयोजन को पूरा करना प्रभावित करेंगे;

(ख) सीमा जहां तक, कोई आदेश दिये जाने के पूर्व, किसी व्यक्ति को लाइसेंस के किन्हीं निबन्धन एवं शर्तों का उल्लंघन में किसी कार्य को करने या उसे न करने के फलस्वरूप हानि या क्षति होने की सम्भावना हो; और

(ग) उपधारा (1) में निर्दिष्ट उल्लंघन के सम्बन्ध में उपलब्ध कोई अन्य उपचार।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश देने के पूर्व, आयोग लाइसेंसधारी को, —

(क) यह कथन करते हुये कि वह आदेश करने का प्रस्ताव करता है;

(ख) निम्नलिखित का उल्लेख करते हुए,—

(एक) उन शर्तों या अपेक्षाओं, जिनके आधार पर प्रस्तावित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आशयित है;

(दो) उन कार्यों या लोपों, जिनसे उसकी राय में, लाइसेंस के किन्हीं निबन्धनों और शर्तों का उल्लंघन होता हो; और

(तीन) कोई अन्य तथ्य जो, उसकी राय में, आदेश का किया जाना न्यायोचित ठहराते हों; और

(ग) उस अवधि को विनिर्दिष्ट करते हुए, जो नोटिस के दिनांक से तीस दिन से कम न होगी, जिसके भीतर लाइसेंसधारी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध प्रत्यावेदन दे सके या आपत्ति कर सके;

नोटिस देगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन किसी नोटिस को सर्वसाधारण की सूचना के लिये कम से कम एक ऐसे दैनिक समाचार-पत्र में, जो प्रदाय के क्षेत्र में व्यापक रूप से परिचालित हो, प्रकाशित किया जायगा।

(5) जहां आयोग का यह विचार हो कि आदेश करने का प्रयोजन आदेश करने में विलम्ब होने से विफल हो जायगा या परिस्थितियों की आकस्मिकता से ऐसा अपेक्षित है, वहां वह उक्त नोटिस के दिनांक से 7 दिन के पश्चात् किसी भी समय एक अन्तरिम आदेश जो उपधारा (3) के अधीन प्रस्तावित आदेश से असंगत न होगा, दे सकेगा।

(6) आयोग को लाइसेंसधारी के किन्हीं उपक्रमों के प्रबन्ध और नियंत्रण को उपक्रम की आस्तियों, हितों और अधिकारों के साथ मामले में किसी जांच के लम्बित रहते किसी व्यक्ति या प्राधिकारी में निहित करने के लिये निदेश देने की शक्ति होगी, यदि आयोग इस अधिनियम के उद्देश्यों और प्रयोजनों और उपभोक्ताओं को दक्ष एवं सुरक्षित रीति से विद्युत के प्रदाय की निरन्तरता बनाये रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऐसा निदेश देना आवश्यक समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि लाइसेंसधारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना इस उपधारा के अधीन कोई निदेश जारी नहीं किया जायगा।

(7) आयोग प्राप्त अभ्यावेदनों या आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात् और लाइसेंसधारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उपधारा (3) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी भी समय आदेश दे सकेगा, यदि,–

(क) आयोग के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि लाइसेंसधारी ने लाइसेंस के किन्हीं निबन्धन एवं शर्तों का उल्लंघन किया है या उल्लंघन कर रहा है या उसके द्वारा उल्लंघन किया जाना सर्वथा सम्भाव्य है; और

(ख) लाइसेंस के निबन्धनों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आदेश आवश्यक प्रतीत हो।

(8) जहां उपधारा (3) के अधीन कोई नोटिस जारी करने के पश्चात् लाइसेंसधारी ने लाइसेंस के निबन्धनों और शर्तों के कार्यान्वयन के लिए सभी आवश्यक कदम उठा लिये हों या ऐसे कदम उठाने के लिए सहमत हों, वहां इस धारा के अधीन कोई आदेश देना आयोग के लिए आवश्यक नहीं होगा।

(9) इस धारा के अधीन कोई आदेश,–

(क) ऐसे भावी दिनांक से प्रभावी होगा जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय; और

(ख) लाइसेंसधारी और ऐसे अन्य सभी व्यक्तियों को जिन पर ऐसे आदेश का प्रभाव पड़ने की संभावना हो, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् आयोग द्वारा किसी भी समय प्रतिसंहृत या उपांतरित किया जा सकेगा।

(10) उपधारा (1) या उपधारा (5) के अधीन कोई आदेश प्रदाय के क्षेत्र में व्यापक रूप से परिचालित कम से कम एक दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित किया जायगा।

आयोग के आदेशों और निदेशों का प्रवर्तन

27—(1) धारा 45 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयोग द्वारा दिया गया प्रत्येक निदेश या आदेश प्रवर्तित हो सकेगा मानों वह किसी सिविल न्यायालय द्वारा दी गयी, कोई डिक्री या आदेश हो और आयोग के पास उसे निष्पादित करने की सभी शक्तियां होंगी।

(2) आयोग को पुलिस या अन्य प्राधिकारियों से ऐसी सहायता लेने की शक्ति होगी जैसी उसके आदेशों और निदेशों को प्रवर्तित करने के लिए आवश्यक समझी जाय।

जुर्माना, प्रतिकर और प्रभार

28—(1) आयोग को, इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या उसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों या आयोग द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों या आदेशों के किसी उत्पादन कम्पनी, लाइसेंसधारी या अन्य व्यक्ति द्वारा उल्लंघन के लिए, ऐसे जुर्माने और प्रभार आरोपित करने की शक्ति होगी जैसी विनियम द्वारा उपबंधित की जाय। इस अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन के लिए आयोग द्वारा आरोपित किया जाने वाला जुर्माना पांच लाख रुपये तक हो सकेगा और उल्लंघन के जारी रहने की दशा में, आयोग अग्रतर जुर्माना आरोपित कर सकेगा जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, बीस हजार रुपये तक हो सकेगा।

(2) आयोग को यह शक्ति होगी कि वह इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को यह निदेशित करे कि वह ऐसे उल्लंघन के कारण नुकसान या क्षति उठाने वाले व्यक्ति को प्रतिकर का भुगतान करे।

(3) इस धारा के अधीन आरोपित जुर्माना और प्रभार और भुगतान के लिए आदेशित प्रतिकर अध्याय ग्यारह या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी दायित्व के अतिरिक्त होगा न कि उनके अल्पीकरण के लिए।

अध्याय—नौ

विद्युत सलाहकार समिति और उपभोक्ता संरक्षण

विद्युत सलाहकार समिति

29—(1) आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से, एक समिति का, जो आयोग को नीति विषयक मामलों में या लाइसेंसधारी द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता और निरन्तरता से सम्बन्धित किसी अन्य मामले में सलाह देगी, गठन करेगा जिसे विद्युत सलाहकार समिति कहा जायगा।

(2) विद्युत सलाहकार समिति में व्यक्तियों की जिसमें पदेन अध्यक्ष और सदस्य भी हैं, पन्द्रह से अन्यून और 21 से अनधिक ऐसी संख्या होगी जैसी आयोग विनिश्चित करे। आयोग समिति के सदस्यों की नियुक्ति ऐसी रीति से करेगा कि उसमें लाइसेंसधारियो, राज्य में काम कर रही उत्पादन कम्पनियों, वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि, विद्युत प्रदाय उद्योग में नियोजित श्रमिक और विद्युत उपभोक्ताओं में से प्रत्येक के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कम से कम एक सदस्य हो।

(3) आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य विद्युत सलाहकार समिति के क्रमशः पदेन अध्यक्ष और उसके अन्य सदस्य होंगे।

(4) विद्युत सलाहकार समिति प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

आयोग की विनियम बनाने की शक्ति

30—(1) आयोग लाइसेंसधारी और विद्युत सलाहकार समिति और किसी अन्य व्यक्ति के जिसे वह उपयुक्त समझे, परामर्श से विनियम बना सकती है जिसमें निम्नलिखित सभी विषयों का या उनमें से किन्हीं का उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्,–

(क) ऐसी परिस्थितियां जिनमें लाइसेंसधारी ग्राहकों को उनके अधिकारों के सम्बन्ध में सूचित करेगा;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट अधिकारों से उद्भूत किसी कर्तव्य के सम्बन्ध में निष्पादन का मानक; और

(ग) ऐसी परिस्थितियां जिनमें लाइसेंसधारियों को विनियम की किन्हीं अपेक्षाओं से छूट दी जानी हो;

और वह भिन्न-भिन्न लाइसेंसधारियों के लिए भिन्न-भिन्न उपबंध करेगा।

(2) इस अधिनियम की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उपभोक्ताओं के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी।

विद्युत प्रदाय और कुल निष्पादन मानक

31—(1) आयोग समय-समय पर लाइसेंसधारी, विद्युत सलाहकार समिति और किन्हीं अन्य व्यक्तियों जिन्हें वह उपयुक्त समझ, से परामर्श करके,–

(क) विद्युत प्रदाय सेवाओं और उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत के कुशल प्रयोग को बढ़ावा दिये जाने के सम्बन्ध में कुल निष्पादन का ऐसा मानक अवधारित करेगा जो उसकी राय में मितव्ययी हो और जिसे ऐसे लाइसेंसधारियों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए और भिन्न-भिन्न लाइसेंसधारियों के लिए भिन्न-भिन्न मानक अवधारित किये जा सकेंगे; और

(ख) इस प्रकार अवधारित मानकों को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से प्रकाशित करेगा जैसी आयोग उचित समझे।

सम्पादन के स्तरों के सम्बन्ध में सूचना

32—(1) प्रत्येक वर्ष, ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व जैसा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रत्येक लाइसेंसधारी आयोग को निम्नलिखित के सम्बन्ध में सूचना देगा, अर्थात्,–

(क) वादों की संख्या जिनमें कोई शास्ति आरोपित की गयी हो और शास्ति की धनराशि; और

(ख) धारा 31 के अधीन अवधारित प्रत्येक मानक के लिए लाइसेंसधारी द्वारा किये गये निष्पादन का स्तर।

(2) आयोग, प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा प्राप्त सूचना को, लाइसेंसधारी के प्रदाय के क्षेत्र में व्यापक रूप से परिचालित कम से कम दो दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करेगा।

सूचना के प्रकटीकरण पर प्रतिबंध

33—(1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी व्यक्ति या व्यवसाय के संबंध में कोई भी अप्रकाशित सूचना, जो इस अधिनियम के अधीन आयोग को दी गयी हो या उसके द्वारा प्राप्त की गयी हो, संबंधित व्यक्ति या व्यवसाय के प्रभारी की सहमति के बिना आयोग द्वारा प्रकट नहीं की जायगी :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी सूचना केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य के महालेखाकार या किसी ऐसे व्यक्ति को प्रकट की जा सकेगी जो दिवालियापन से संबंधित विधि के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के संबंध में या किसी दाण्डिक अपराध की जांच के संबंध में या किसी सिविल अथवा दाण्डिक कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए उसकी अपेक्षा करे।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट निर्बन्धन, टैरिफ से संबंधित सूचना के संबंध में लागू नहीं होंगे।

अध्याय–दस

माध्यस्थम् और अपीलें

माध्यस्थम्

34—(1) माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 में किसी बात के होते हुए भी, लाइसेंसधारियों के मध्य या धारा 30 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में उत्पन्न किसी विवाद या मतभेद को माध्यस्थम् के लिए आयोग को निर्दिष्ट किया जायेगा। आयोग विवाद के न्यायनिर्णय और निपटारे के लिए माध्यस्थ के रूप में कार्य कर सकेगा या किसी को माध्यस्थ नामनिर्दिष्ट कर सकेगा। माध्यस्थ ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार हो।

(2) जहां आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी माध्यस्थ द्वारा पंचाट दिया जाय, तो इसे आयोग के समक्ष दाखिल किया जायगा और आयोग निम्नलिखित में से कोई आदेश दे सकेगा, –

(क) पंचाट की पुष्टि और उसे प्रवर्तित करना;

(ख) पंचाट को अपास्त या उपांतरित करना; या

(ग) माध्यस्थ के पुनर्विचार के लिए पंचाट प्रतिप्रेषित करना।

(3) आयोग द्वारा उपधारा (1) के अधीन दिया गया कोई पंचाट या उपधारा (2) के अधीन दिया गया कोई आदेश, जो पचास हजार रुपये से अधिक मूल्यांकन का हो इस अधिनियम के अधीन अपीलीय होगा।

(4) आयोग द्वारा उपधारा (1) के अधीन दिया गया कोई पंचाट या उपधारा (2) के अधीन दिया गया कोई आदेश इस प्रकार प्रवर्तनीय होगा मानों वह सिविल न्यायालय की कोई डिक्री हो।

विद्युत निरीक्षक के आदेशों की अपीलें

35—भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 या तद्धीन बनाये गये किसी नियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी विद्युत निरीक्षक के, जो केन्द्र सरकार या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के किसी निरीक्षक से भिन्न हो, विनिश्चय के विरुद्ध अपील किये जाने वाले आदेश की संसूचना के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर, आयोग को अपील की जायगी।

आयोग के आदेशों की अपीलें

36—इस अधिनियम के अधीन आयोग के किसी पंचाट या आदेश से धारा 34 के अधीन किये गये किसी ऐसे पंचाट या आदेश से भिन्न जिसमें पचास हजार रुपये तक का मूल्यांकन अंतर्ग्रस्त हो। व्यथित कोई व्यक्ति, आयोग का आदेश उसे संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिन के भीतर उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि उच्च न्यायालय, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि अपीलार्थी उक्त अवधि के भीतर अपील दाखिल करने से पर्याप्त कारण से निवारित कर दिया गया था, 60 दिन से अनधिक अग्रतर अवधि के भीतर अपील दाखिल करने की अनुमति दे सकेगा।

अध्याय—ग्यारह

अपराध और शास्तियां

अपराध और शास्तियां

37—(1) जो कोई,—

(क) इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के उपबंधों या भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में विद्युत के पारेषण या प्रदाय के कारबार में लगा हुआ है; या

(ख) इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी निदेश, आदेश या अपेक्षा का अनुपालन करने या उसे कार्यान्वित करने से बिना किसी युक्तियुक्त कारण के इन्कार करता है या विफल रहता है;

इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन अपराध का दोषी कोई व्यक्ति, कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो पांच लाख रुपये तक हो सकेगा या दोनों से, और अग्रतर शास्ति, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा अपराध प्रथम दिन के पश्चात् जारी रहे, बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायगा।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अपराध का दोषी कोई व्यक्ति कारावास से जो छः मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से जो पांच लाख रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से, और अग्रतर शास्ति, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा अपराध प्रथम दिन के पश्चात् जारी रहे, बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायगा।

कम्पनियों द्वारा अपराध

38—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो, तो वह कम्पनी और अपराध किये जाने के समय उसके कार्य संचालन के लिए कम्पनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी और उसे दण्डित किया जायगा:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा व्यक्ति किसी दण्ड का भागी नहीं होगा यदि वह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध को रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, और यह साबित हो जाता है कि अपराध उस कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुमति से किया गया है या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ है तो कम्पनी का ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी और उसे दण्ड दिया जायगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम भी सम्मिलित है; और

(ख) फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के भागीदार से है।

अपराधों का शमन

39—(1) आयोग, ऐसे कारणों से जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायंगे, किसी व्यक्ति से, जिसने इस अधिनियम के अधीन कोई दण्डनीय अपराध किया हो या किसी दण्डनीय अपराध को युक्तियुक्त रूप से करने का उस पर सन्देह हो, शमन फीस के रूप में ऐसी धनराशि जो पांच लाख रुपये से अनधिक हो, स्वीकार कर सकेगा और अपराध का शमन कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध के शमन पर ऐसे अपराध के संबंध में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही न तो की जायगी और न जारी रखी जायगी और यदि उस अपराध के संबंध में कोई कार्यवाही किसी न्यायालय में पहले से ही संस्थित की जा चुकी है तो शमन उसकी दोषमुक्ति का प्रभाव रखेगा।

अपराधों का संज्ञान

40—(1) कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत आयोग के किसी अधिकारी के लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं।

(2) इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध अधिकारिता रखने वाले किसी ऐसे न्यायालय द्वारा जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से निम्न श्रेणी का न हो, विचारणीय होगा।

शास्ति और कार्यवाहियां, अन्य कार्यवाहियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगी

41—इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध सभी कार्यवाही या कार्य तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी कार्यवाही या कार्य के अतिरिक्त होंगी और उसके अल्पीकरण में नहीं होंगी।

अध्याय—बारह

लेखा और लेखा परीक्षा

राज्य सरकार द्वारा अनुदान

42—(1) राज्य सरकार, राज्य विधान मण्डल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा सम्यक् विनियोजन किये जाने के पश्चात्, आयोग को अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगी जैसी राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उपयोग किये जाने के लिये उचित समझे:

प्रतिबन्ध यह है कि अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन और भत्तों के सम्बन्ध में व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होगा।

(2) आयोग ऐसी राशि को जैसी वह इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के सम्पादन के लिये उचित समझे व्यय कर सकेगा और ऐसी राशि को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदान से व्यय के रूप में देय माना जायगा।

लेखा और लेखा-परीक्षा

43—(1) आयोग, लेखा और अन्य अभिलेखों को रखेगा और लेखे का एक वार्षिक विवरण, ऐसे प्रपत्र में जैसा विहित किया जाय, तैयार करेगा।

(2) आयोग के लेखों की लेखा-परीक्षा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की जायगी।

(3) आयोग के लेखों के वार्षिक विवरण की प्रतियां उसकी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट सहित राज्य सरकार को अग्रसारित की जायगी।

(4) आयोग के लेखों के वार्षिक विवरण की प्रति उसकी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट सहित, जिसे उपधारा (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किया जाय राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जायगी।

आयोग की वार्षिक रिपोर्ट

44—(1) आयोग, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, ऐसे प्रपत्र में और ऐसे समय पर जैसा विहित किया जाय, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का पूरा विवरण दिया जायगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।

(2) राज्य सरकार, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, उसे राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी।

अध्याय—तेरह

प्रकीर्ण

भू-राजस्व के रूप में वसूली योग्य धनराशि

45—अध्याय दस के अधीन देय किसी धनराशि के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन देय कोई धनराशि आयोग के सचिव के प्रमाण-पत्र पर भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल की जा सकेगी।

जुर्मानों और प्रभारों का उपयोग

46—आयोग, इस अधिनियम के अधीन कोई जुर्माना या प्रभार आरोपित करते समय यह निदेश दे सकेगा कि उसका सम्पूर्ण या कोई भाग किसी पक्षकार को कार्यवाही के व्यय का भुगतान करने में या उसके लिये, उपयोग किया जायगा।

सद्भावपूर्वक की गयी कार्यवाही का संरक्षण

47—किसी व्यक्ति के विरुद्ध, किसी ऐसे कार्य के लिये जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों या किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिए आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

अधिकारिता का वर्जन

48—इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई आदेश या की गयी कोई कार्यवाही अपीलीय नहीं होगा और किसी ऐसे मामले में सम्बन्ध में जिसके लिये इस अधिनियम के अधीन, या उसके द्वारा, आयोग या कोई अन्य प्राधिकारी विनिश्चय करने के लिये सशक्त किया गया है, किसी सिविल न्यायालय को कोई अधिकारिता नहीं होगी।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

49—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को, इस अधिनियम में, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति में, किसी बात के कारण, प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार जैसा अवसर विशेष पर अपेक्षित हो, आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि यह अधिनियम ऐसे आदेश के दिनांक के पश्चात् बारह मास से अनधिक अवधि के दौरान, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुये, चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक और समीचीन समझे, प्रभावी होगा और ऐसा आदेश भूतलक्षी प्रभाव से ऐसे दिनांक से दिया जा सकेगा जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व का न हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायगा।

(3) उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध, उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी आदेश पर उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

आयोग की कार्यवाहियां न्यायिक कार्यवाहियां होंगी

50—आयोग की सभी कार्यवाहियां, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 193, 219 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायगी और आयोग, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय छब्बीस के प्रयोजनों के लिये सिविल न्यायालय समझा जायगा।

आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारिवृन्द लोक सेवक होंगे

51—आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और अन्य कर्मचारियों को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायगा।

विनियम बनाने की शक्ति

52—(1) आयोग, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्ष सम्पादन के लिये ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों से असंगत न हों।

(2) विशेषतः और उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों की व्यवस्था की जा सकेगी, अर्थात् :—

(क) आयोग के कार्यकलाप का, उसके कृत्यों के प्रयोग में, प्रशासन;

(ख) लाइसेंसधारियों और विद्युत के उत्पादन, क्रय, पारेषण, वितरण या प्रदाय में लगे हुये अन्य व्यक्तियों को समनुदेशित किये जाने वाले कृत्यों का अवधारण, ऐसी रीति से जिससे ऐसे कृत्यों का निर्वहन किया जायगा और विद्युत प्रणाली और विद्युत प्रदाय लाइनों के प्रचालन और अनुरक्षण के सम्बन्ध में अंगीकृत और प्रवृत्त की जाने वाली प्रक्रिया;

(ग) लाइसेंस देने की प्रक्रिया और शर्तें, लाइसेंस के लिये आवेदन करने वाले व्यक्तियों द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली विशिष्टियां और दस्तावेज, मानक और सामान्य शर्तें जिसके अध्यधीन रहते हुये लाइसेंस दिया जायगा, किसी लाइसेंस की अपेक्षा से छूट दिया जाना लाइसेंसों का प्रतिसंहरण और संशोधन और उसका प्रभाव और उससे सम्बन्धित सभी मामले;

(घ) लाइसेंसधारियों के कर्तव्य, शक्तियां, अधिकार और बाध्यतायें ;

(ङ) विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण, प्रदाय या उपयोग में लगे हुये व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विशिष्टियां और उनके द्वारा सूचना, विशिष्टियां, दस्तावेज, लेखा और बहियां प्रस्तुत करने के लिये प्रपत्र और रीति ;

(च) राजस्व और टैरिफ को अवधारित करने के लिये निबन्धन, शर्तें और प्रक्रिया;

(छ) राज्य में विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण या प्रदाय में लगे हुये व्यक्तियों की उपलब्धियों के मानक का अवधारण;

(ज) लाइसेंसधारी और विद्युत उपभोक्ता द्वारा देय फीस और प्रभार;

(झ) इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के लिये आरोपित किये जाने वाले जुर्माने की धनराशि और शास्तियां जिसमें जुर्माने और शास्ति को आरोपित करने और उनके संग्रह का ढंग और रीति भी सम्मिलित है ;

(ञ) कोई अन्य विषय जिसे विनियम द्वारा उपबन्धित किया जाना अपेक्षित हो या किया जा सकता हो।

नियम बनाने की शक्ति

53—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।

(2) विशेषतः और उपधारा (1) में दी गयी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार द्वारा ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों की व्यवस्था की जा सकेगी, अर्थात् :–

(क) अध्यक्ष और सदस्यों के चयन और नियुक्ति के लिये चयन समिति द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया;

(ख) प्ररूप और रीति, जिसमें आयोग के लेखों का अनुरक्षण किया जायगा; और

(ग) कोई अन्य विषय जिसे नियमों द्वारा विहित किया जाना अपेक्षित हो या किया जा सकता हो।

अध्याय–चौदह

विद्यमान केन्द्रीय विधि पर प्रभाव

भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 पर इस अधिनियम का प्रभाव

54—(1) धारा 55 के यथा उपबन्धित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबन्ध भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 या विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के उपबन्धों से असंगत या प्रतिकूल होते हुए भी, उपधारा (3) में उपबन्धित रीति से और सीमा तक अभिभावी होंगे।

(2) उपधारा (1) के अध्यधीन रहते हुए, भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 में दिए गए सभी विषय जिनसे परिषद् सम्बद्ध रहा है या व्यवहार करता रहा है, निम्नलिखित के अध्यधीन होंगे :–

(क) परिषद् ऐसे कृत्यों का जिम्मा नहीं लेगा जिनका निर्वहन इस अधिनियम के उपबन्धों या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या विनियमों के निबन्धनों के अनुसार आयोग द्वारा किया जायगा ;

(ख) इस अधिनियम की धारा 23 के निबन्धनों के अनुसार अधिसूचनायें जारी होने पर परिषद् के ऐसे कृत्यों का जिम्मा परिषद् नहीं लेगा जो उस अधिसूचना के अधीन कम्पनियों या निगमित निकाय या व्यक्तियों या प्राधिकारी को समनुदेशित हों;

(3) उपधारा (1) और (2) के अध्यधीन रहते हुए, आयोग की स्थापना होने पर भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के उपबन्ध, जहां तक इस राज्य का सम्बन्ध है, इस अधिनियम में उपबन्धित उपान्तरों और आरक्षणों के, जिसमें निम्नलिखित भी सम्मिलित हैं, अध्यधीन रहते हुए पढ़े जायंगे :–

(एक) जहां तक इस राज्य का सम्बन्ध है, भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 में राज्य विद्युत परिषद् के प्रति सभी सन्दर्भ इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या विनियमों में यथा उपबन्धित आयोग, या कम्पनी या निगमित निकाय या व्यक्ति या प्राधिकारी के प्रति सन्दर्भ और जहां कहीं भी इसका संबंध सामान्य नीति के विषय से होगा, वहां राज्य सरकार के प्रति सन्दर्भ पढ़े जायंगे।

(दो) भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 3 से 11, 28, 36 (2), 49-क, 50, 51 और 52 के उपबन्ध उस सीमा तक जहां तक इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट उपबन्ध किये गये हैं, राज्य में लागू नहीं होंगे।

(तीन) भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की अन्य सभी धाराओं के उपबन्ध निम्नलिखित के सिवाय लागू होंगे :–

(क) पद ''लाइसेंस'' या ''लाइसेंसधारी'' का अर्थ वही होगा, जैसा इस अधिनियम में परिभाषित है और वर्ष 1910 के उक्त अधिनियम के अधीन जारी लाइसेंस, इस अधिनियम के अधीन जारी लाइसेंस समझे जायंगे;

(ख) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के उपबन्धों में भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धाराओं के सन्दर्भ इस अधिनियम द्वारा उपान्तरित सीमा तक इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के सन्दर्भ के रूप में लिये जायंगे;

(ग) इस अधिनियम में माध्यस्थम् के सन्दर्भ, सिवाय जहां यह केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा हो, इस अधिनियम की धारा 34 के अधीन कार्यवाहियों के सन्दर्भ रूप में लिए जायंगे और भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 के अधीन विहित माध्यस्थम् प्रक्रिया लागू नहीं होगी।

(चार) भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की अनुसूची, इस अधिनियम के उपबन्धों के सन्दर्भ में केवल वहीं लागू होगी जहां अनुसूची का लागू होना विनिर्दिष्ट किया गया है, अन्यथा नहीं लागू होंगी।

(पांच) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 में राज्य विद्युत परिषद् के प्रति सभी सन्दर्भ जहां तक राज्य का सम्बन्ध है, इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या विनियमों में यथा उपबन्धित आयोग या कम्पनी या निगमित निकाय या व्यक्ति या प्राधिकारी के प्रति सन्दर्भ और जहां कहीं भी इसका सम्बन्ध सामान्य नीति के विषय से होगा वहां, राज्य सरकार के प्रति सन्दर्भ पढ़े जायंगे।

(छः) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 5 से 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 से 26, 27, 37, 40 से 43, 44, 45, से 54, 56 से 69, 72, 75 और 76 से 83 में उपबन्धित विषयों के सम्बन्ध में, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के उपबन्ध, जिस सीमा तक इस अधिनियम के द्वारा विनिर्दिष्ट उपबन्ध किये गये हों, राज्य में लागू नहीं होंगे।

(सात) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की अन्य सभी धाराओं के उपबन्ध निम्नलिखित के सिवाय लागू होंगे :–

(क) पद ''लाइसेंस'' या ''लाइसेंसधारी'' का अर्थ वही होगा, जैसा इस अधिनियम में परिभाषित है और वर्ष 1948 के उक्त अधिनियम के अधीन जारी लाइसेंस इस अधिनियम के अधीन जारी लाइसेंस समझे जायेंगे ;

(ख) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के उपबन्धों में भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धाराओं के सन्दर्भ इस अधिनियम द्वारा उपान्तरित सीमा तक इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के सन्दर्भ के रूप में लिए जायंगे ;

(ग) इस अधिनियम में माध्यस्थम् के सन्दर्भ, सिवाय जहां यह केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा हो, इस अधिनियम की धारा 34 के अधीन कार्यवाहियों के सन्दर्भ के रूप में लिये जायंगे और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अधीन विहित माध्यस्थम् प्रक्रिया लागू नहीं होगी।

(आठ) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 72 और 73 के उपबन्ध, उत्पादन कम्पनियों तक निर्बन्धित होंगे और इन धाराओं में राज्य विद्युत परिषद् के सन्दर्भ को निकाल दिया जायगा।

(नौ) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की अनुसूची, इस अधिनियम के उपबन्धों के सन्दर्भ में केवल वहीं लागू होगी जहां अनुसूचियों का लागू होना विनिर्दिष्ट किया गया है, अन्यथा नहीं लागू होंगी।

व्यावृत्ति

55—(1) इस अधिनियम में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 या विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन राज्य विद्युत परिषद् और राज्य सरकार से भिन्न क्षेत्रीय विद्युत परिषद्, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, केन्द्र सरकार और प्राधिकारियों की शक्तियां, अधिकार और कृत्य अप्रभावी रहेंगे और निरन्तर प्रवृत्त रहेंगे।

(2) इस अधिनियम में दी गयी कोई बात पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड या लाइसेंसधारियों, उत्पादन कम्पनियों, केन्द्र सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन उपक्रमों या अन्य निकायों पर अन्तर्राज्यीय विद्युत के पारेषण के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।

(3) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व केन्द्रीय अधिनियम के अधीन राज्य सरकार या आयोग द्वारा की गयी समस्त कार्यवाहियां इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत या प्रतिकूल होते हुए भी विधिमान्य और प्रवर्तनीय होंगी।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2से खण्ड–55 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार विधेयक, 1999 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार विधेयक, 1999 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

जनपद अम्बेडकर नगर के चहुमुखी विकास के लिये लुम्बिनी-दुद्धी मार्ग पर घाघरा नदी में सेतु का निर्माण कराये जाने एवं उक्त मार्ग की चौड़ाई बढ़ाये जाने से संबंधित श्रीलाल जी वर्मा का नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद अम्बेडकर नगर के चहुमुखी विकास के लिये लुम्बिनी–दुद्धी मार्ग पर घाघरा नदी में सेतु का निर्माण कराया जाय एवं उक्त मार्ग की चौड़ाई बढ़ाई जाय।

मान्यवर, अगर लुम्बिनी-दुद्धी मार्ग पर घाघरा नदी पर सेतु का निर्माण कराया जाय । यह पूर्वांचल का बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है ।

सदन में कोरम के अभाव के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

अधिष्ठाता जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, कोरम पूरा नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

कोरम के लिये घंटी बजाई जाय ।

(गणपूर्ति के लिये घंटी बजाई गई)

उद्यान मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी)–

सन् 1985 में त्रिलोक चन्द्र जी उपाध्यक्ष थे वह 9 बजे के बाद कहते थे कि आप लिखकर देना कार्यवाही में आ जायगा ।

श्री अधिष्ठाता–

कोरम के अभाव में सदन को स्थगित किया जाता है । अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 9 बजकर 40 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

9 मार्च, 1999

प्रेम चन्द्र सक्सेना,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये ता० प्र० सं०–2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 19 पर)

कौशिक समिति के प्रतिवेदन (संस्तुतियों का सारांश) में, मुख्य रूप से, निम्नांकित संस्तुतियां की गयी हैं :–

(1) आर्थिक दृष्टि से उच्च जातियों के पिछड़े व्यक्तियों के पिछड़ेपन के निर्धारण हेतु रु० 20,000 तक की वार्षिक आय को आधार माना जाय ।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त आय सीमा की परिधि में 3.25 हेक्टेयर क्षेत्रफल के भू-स्वामियों को सम्मिलित किया जाय ।

(3) आर्थिक दृष्टि से, उपरोक्तानुसार, पिछड़े हुये उच्च जतियों के सदस्यों को जिला परिषद् नगर पालिका, विश्वविद्यालय एवं सार्वजनिक उपक्रम को शामिल करते हुए, राज्याधीन सेवाओं में 10 प्रतिशत का आरक्षण, केवल सीधी भर्ती के अवसर पर, तात्कालिक प्रभाव से प्रदान किया जाय तथा आरक्षण की स्थिति का पुनरीक्षण समय-समय पर किया जाय ।

(4) पर्वतीय क्षेत्रों के ऐसे समस्त निवासियों, जो आयकर अदा नहीं करते हैं तथा जिनके अभिभावक (माता-पिता) राजपत्रित अधिकारी नहीं हैं, को जिला परिषद्, नगर पालिका, विश्वविद्यालय एवं सार्वजनिक उपक्रम को सम्मलित करते हुये राज्याधीन सेवाओं में, केवल सीधी भर्ती के अवसर पर, 2 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जाय तथा आरक्षण की स्थिति की सामयिक समीक्षा की जाय ।

(5) धर्म, जाति, सम्प्रदाय एवं वर्ग का विभेद किये बगैर महिलाओं को अर्ध-सरकारी सेवायें जैसे जिला परिषद्, नगर पालिका, विश्वविद्यालय एवं सार्वजनिक उपक्रम आदि को सम्मिलित करते हुए राज्याधीन सेवाओं में, सीधी भर्ती के अवसर पर 4 प्रतिशत का आरक्षपा तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य किया जाय तथा प्रतिनिधित्व की स्थिति की सामयिक समीक्षा की जाय ।

(6) आर्थिक आधार तथा पर्वतीय क्षेत्र में सुपात्र व्यक्तियों को प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए, जिलाधिकारी के स्थान पर सम्बन्धित तहसीलदार को अधिकृत किया जाय ।

(7) इंजीनियरिंग तथा मेडिकल कालेजों की "प्रवेश परीक्षाओं" में सीटों के आरक्षण सम्बन्धी शासनादेशों को सेवाओं में आरक्षण की उक्त संस्तुत सुविधा के अनुरूप पुनरीक्षित करते हुए इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाओं में महिलाओं तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए उच्च जातियों के सदस्यों तथा मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुये उच्च जातियों के कमजोर व्यक्तियों को सीटों के आरक्षण की संस्तुति की गई ।

(8) सेना के विकलांग अधिकारी, इमरजेंसी कमीशन प्राप्त/शार्ट सर्विस कमीशन प्राप्त कर्मचारी तथा भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी सेवाओं के विभिन्न समूहों में वर्तमान में अनुमन्य आरक्षण की सुविधा को समाप्त करते हुये केवल आयु से छूट तथा सरकारी सेवा में आने के बाद वेतन आदि के रूप में परिलब्धियों के संरक्षण की सुविधा यथावत् बनाई रखी जाय ।

(9) अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिये राज्याधीन सेवाओं में निर्धारित कोटा पूरा करने हेतु पिछले नियमित चयन की अवशेष आरक्षित रिक्तियों के लिये "विशेष चयन" के आदेशों को दृष्टिगत रखते हुये शासनादेश दिनांक 4-8-89 में लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" व "घ" की सेवाओं में निर्धारित कोटा पूरा होने तक क्रमशः 25 तथा 30 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था समाप्त की जाय ।

नत्थी 'ख'

(देखिये अता०प्र०सं०–26 का उत्तर पीछे पृष्ठ 34 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के तीसरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 26 के उत्तरालेख हेतु अनुपूरक सूचना का संलग्नक

विवरण

प्रान्तीय खण्ड मैनपुरी में विभिन्न मार्गों पर माह 12/98 तक सड़कों की मरम्मत एवं नवीनीकरण सहित रख-रखाव मद में किये गये व्यय का विवरण

क्र०सं०	सड़क का नाम जिस पर मरम्मत एवं रख-रखाव में व्यय किया गया	सामान्य मरम्मत पर व्यय	श्रमिक वेतन	नवीनीकरण	कुल व्यय माह 4/98 से 12/98	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	सिरसागंज किशनी मार्ग की मरम्मत व रख-रखाव	521951.30	380560.00	322000.00	1224511.30	
2	मैनपुरी-झांवत किशनी मार्ग ,, ,,	67694.00	—	—	67694.00	
3	ओड़न पड़रिया मार्ग ,, ,,	11501.00	—	—	11501.00	
4	भांवत-जागीर मार्ग ,, ,,	9700.00	4825.00	—	14525.00	
5	इटावा-मैनपुरी मार्ग ,, ,,	793969.10	323616.00	765000.00	1882585.10	
6	मैनपुरी कुसमरा मार्ग ,, ,,	637727.60	141478.00	—	779205.60	
7	शिकोहाबाद-भोगांव मार्ग ,, ,,	682.40	—	—	682.40	
8	किरथुआ पशुपुर मोहब्बतपुर मार्ग ,,	209705.00	30745.50	—	240450.50	
9	कल्होर विधूना मार्ग ,, ,,	9960.00	63853.00	—	73813.00	
10	मैनपुरी बाई पास मार्ग की मरम्मत एवं रख-रखाव	28019.00	—	—	28019.00	
11	लिपुलेक भिण्ड मार्ग ,, ,,	793472.10	210956.00	860000.00	1864428.10	

1	2		3	4	5	6	7
12	मैनपुरी-सिरसागंज मार्ग	मरम्मत रख-रखाव	95420.00	129487.60	—	224907.60	
13	जी०टी० मार्ग	,, ,,	500608.30	211315.60	1456000.00	2167923.90	
14	ऊंचा इस्लामाबाद मार्ग	,, ,,	11270.00	4600.00	—	15870.00	
15	टिहुली बरनाहल मार्ग	,, ,,	51401.00	16461.00	—	67862.00	
16	कीरतपुर कुचेला मार्ग	,, ,,	17463.00	62005.00	—	79468.00	
17	करहल घिरोर मार्ग	,, ,,	7873.00	48130.00	160000.00	216003.00	
18	भांवत कुर्रा मार्ग	,, ,,	16480.00	14754.00	—	31234.00	
19	सहन पतारा मार्ग	,, ,,	—	38736.00	—	38736.00	
20	घिरोर कोसम मार्ग	,, ,,	35584.00	—	165000.00	200584.00	
21	बरनाहल कीरतपुर मिसिंग लिंकमार्ग	मरम्मत व रखरखाव	1760.00	37019.00	—	38779.00	
22	बरनाहल कीरतपुर मार्ग	मरम्मत व रख-रखाव	47118.00	52710.00	—	99828.00	
23	करहल बाई पास मार्ग	मरम्मत व रख-रखाव	37750.00	—	—	37750.00	
24	जिला जेल फार्म मार्ग	मरम्मत व रख-रखाव	34254.00	—	—	34254.00	
25	ब्योंती कलां खुर्द मार्ग का	मरम्मत व रख-रखाव	9643.00	—	—	9643.00	
26	नवींगंज-जासमई कैथोली मार्ग	,, ,,	20483.00	61201.00	—	81684.00	
27	नवीगंज जासमई मार्ग	मरम्मत रख-रखाव	9516.00	–	—	9516.00	
28	कुसमरा-रतनपुर वरा मार्ग	,, ,,	9842.00	—	—	9842.00	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

29	सरसई मासूमपुर मार्ग	मरम्मत	रख-रखाव	1297.00	—	—	1297.00
30	किशनी विधूना मार्ग	,,	,,	23643.90	—	—	23643.90
31	इटावा-मैनपुरी हरचन्दपुर मार्ग	,,	,,	38301.00	—	—	38301.00
32	मनीगांव-अरसारा मार्ग	,,	,,	9923.00	—	—	9923.00
33	करहल टाउन मार्ग	,,	,,	9988.00	—	—	9988.00
34	कोसमा रेलवे फीडर मार्ग	,,	,,	1000.00	—	—	1000.00
			योग :	40,74,999.70	18,32,452.70	37,28,000.00	96,35,452.40

इसके अतिरिक्त रु० 16,12,245.00 की धनराशि के दायित्वों को विभिन्न मार्गों पर बिलों एवं अस्थाई असमायोजित अग्रदाय के माध्यम से भुगतान हेतु तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा किये गये हैं जिनका व्यय अधिभार लम्बित है।

कलराज मिश्र,

मंत्री,

लोक निर्माण विभाग।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा के प्रथम सत्र 1999 के तीसरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 26 के उत्तरालेख की अनुपूरक सूचना आख्या

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० मैनपुरी माह 12/99 सामान्य मरम्मत में व्यय का विवरण

क्र०सं०	मार्ग का नाम	सामान्य मरम्मत	नवीनीकरण	श्रमिकों का वेतन	योग
1	2	3	4	5	6
1	शंकरपुर सहायतपुर मार्ग	31034.80	113000.00	41750.00	185784.80
2	गोहटा सहारा मनऊघाट मार्ग	219937.00	–	33273.00	353210.00
3	जी० टी० मार्ग	2890190.40	880000.00	214093.75	3984384.15
4	शिकोहाबाद भोगाव मार्ग	206348.65	800000.00	153227.35	1159576.00
5	मैनपुरी ज्योति मार्ग	69519.10	240000.00	141982.00	451501.10
6	मैनपुरी बाईपास मार्ग	301819.00	–	64593.00	366412.00
7	चिरौरकुरावली मार्ग	123873.35	80000.00	98574.00	302447.35
8	घिरोराबावर मार्ग	63953.00	–	72776.10	136729.10
9	मैनपुरी कुरावली मार्ग	97018.00	80000.00	74209.00	251227.00
10	मलीपुरखेड़ा गोटामार्ग	208894.00	—	—	208894.00
11	शिकोहाबाद भोगांव बाई पास	105310.00	128983.00	—	234293.00
12	मैनपुरी संसारपुर बीती मार्ग	25738.00	—	52985.70	78723.70
13	सिंहनूखेड़ा मार्ग	43050.00	—	32902.00	75952.00
14	सरोमलहरा मार्ग	12485.00	—	43766.00	56251.00
15	छाछाआलीपुरखेड़ा मार्ग	56926.00	—	71703.70	128629.70

उत्तर प्रदेश विधान सभा

16	छोटा मटि मार्ग	143446.00	—	9400.00	152846.00
17	पुरानीखेड़ा मार्ग	536.00	—	—	536.00
18	छिरोर शाहजहांपुर पालम मार्ग	4670.00	—	—	4670.00
19	उरैयाफकीरपुर मार्ग	27894.00	—	—	27894.00
20	किरौर शाहजहांपुर बादशाहपुर मार्ग	85152.00	78017.00	28614.00	191783.00
21	नगराना नढर्रा मार्ग	—	—	30339.00	30339.00
22	मेसरमीदा मार्ग	—	—	114115.00	114115.00
23	सिरसांस्व मार्ग	899.00	—	—	899.00
24	शिवराना मार्ग	—	—	14240.00	14240.00
25	बरोसकिस्वा मार्ग	27886.00	—	—	27886.00
26	बांसीपुर खेड़ामती मार्ग	77426.00	—	—	77426.00
27	विशोर कोरीनकरिहा मार्ग	13500.00	—	—(-)	13500.00
28	मीराभुआ मार्ग	64421.00	—	—	64421.00
29	शाहपुर मार्ग	9987.00	—	—	9987.00
30	श्यामवर मार्ग	9978.00	—	—	9978.00
31	वेतन के दायित्व मार्ग	—	—	2196344.00	2196344.00
				+540000.00	+540000.00
	योग :	4894881.30	2400000.00	4028887.60	11323770.00

कलराज मिश्र,

मंत्री,

लोक निर्माण विभाग ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी-'ग'

(देखिये अता० प्र० सं०-85 का उत्तर पीछे पृष्ठ 53 पर)

(क) वर्ष 1996-97 के स्वीकृत कार्य

क्रमांक	जिला योजना कार्य का नाम	पूर्ण करने की लक्ष्य तिथि
1.	मधौली फरदहा होते हुए हरपुर मार्ग	6/99
2.	रामनगर सोहसा मार्ग का पुनः निर्माण	3/99
3.	सुधियानी सोमली से भटसर मार्ग	3/99
4.	बी०सी०टी० मार्ग से करमहातकिया मार्ग (मिट्टी स्तर से लेपन स्तर)	3/99
5.	बी०सी०टी० मार्ग से करमहातकिया मार्ग (खड़ञ्जा से लेपन)	3/99
6.	बी०टी०सी० मार्ग से बगहाखुर्द मार्ग	3/99
7.	बी०टी०सी० मार्ग से मलगहा मार्ग	3/99
8.	मेंहदीगंज अमडीहा-टेकुआटार मार्ग	3/99
9.	सुधियानी-सोमली-मंसूरगंज कार्य का शेष भाग	3/99
10.	सुधियानी-सोमली-मंसूरगंज मार्ग के कि०मी० 4 में 1x2 मी० पुलिया निर्माण	6/99
11.	हाटा-कल्यानगंज मार्ग के कि०मी० 6.7 व 8 का पुनः निर्माण	6/99

(ख) वर्ष 1997-98 के स्वीकृत कार्य

पं० दीन दयाल योजना

1.	पतया सम्पर्क मार्ग	11/99
	जिला योजना	
2.	रामपुर खास सम्पर्क मार्ग	3/2000
3.	पपउर खास सम्पर्क मार्ग	3/2000
4	फरना सम्पर्क मार्ग	3/2000
5.	पकड़ी बनतीर उर्फ सोनहा सम्पर्क मार्ग	3/2000
6.	परोरहा सम्पर्क मार्ग	3/2000
7.	कुसुम्हा सम्पर्क मार्ग	3/2000
8.	पकड़ी बाजार सम्पर्क मार्ग	3/2000
9.	रामपुर खास सम्पर्क मार्ग	3/2000

क्रमांक	जिला योजना कार्य का नाम	पूर्ण करने की लक्ष्य तिथि
10.	पपउर खास सम्पर्क मार्ग	3/2000
11.	करातीन सम्पर्क मार्ग	3/2000
12.	सोहसा मटिया मार्ग	3/2000
	राज्य सेक्टर (सामान्य)	
13.	सुधियानी -सोमली-मंसूरगंज मार्ग	3/99
	पूर्वांचल विकास निधि	
14.	धर्मपुर काटा अम्बेडकर प्रा० प०	संशोधित स्वीकृति अपेक्षित है ।
	सुनिश्चित रोजगार योजना	
15.	सनेरा मल्ल छपरा सम्पर्क मार्ग	6/99
16.	रामपुर पट्टी सम्पर्क मार्ग	6/99

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं०–121 का उत्तर पीछे पृष्ठ 66 पर)

तहसील सदर जनपद प्रतापगढ़ के जर्जर प्राथमिक विद्यालयों की सूची

क्र०सं०	विद्यालय का नाम	विकास क्षेत्र का नाम
1.	सोनावा	सदर
2.	सिपाहमहेरी	सदर
3.	संसारपुर	सदर
4.	विक्रमपुर	सदर
5.	नरिया	सदर,
6.	पुरेकेशवराय	सदर
7.	बढ़नी	सदर
8.	गम्भीरा	मान्धाता
9.	रामपुर	,,
10.	हैसी परजी	,,
11.	बरईपुर	,,
12.	सरायंभेपत	,,
13.	सराय मुरारसिंह	,,
14.	चमरूपुर पठान	,,
15.	खानीपुर	,,
16.	बांसी	सण्डवा चन्द्रिका
17.	उमरी	,,
18.	भागीपुर	,,
19.	कोठा प्रथम	,,
20.	पारा हमीरपुर	,,
21.	संगामपुर	,,
22.	बझान	,,
23.	दलासराय	,,
24.	अर्जुनपुर	,,

तहसील सदर जनपद–प्रतापगढ़ के भवनहीन प्राथमिक विद्यालयों की सूची

1.	प्रा० वि० पूरेहडहा	सदर
2.	प्रा० वि० पूरनपुर पठखान	सदर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र०सं०	विद्यालय का नाम	विकास क्षेत्र का नाम
3.	प्रा० वि० पड़वासी	सदर
4.	प्रा० वि० मलहूपुर	मान्धाता
5.	प्रा० वि० मझिगवां	मान्धाता
6.	प्रा० वि० वैशपुर	मान्धाता
7.	प्रा० वि० परशुरामपुर प्रथम	मान्धाता
8.	प्रा० वि० धर्मपुर	मान्धाता
9.	प्रा० वि० अकारीपुर	मान्धाता
10.	प्रा० वि० छोटी खरवई	मान्धाता
11.	प्रा० वि० डढ़ैला	सण्डवा चन्द्रिका
12.	प्रा० वि० बेहड़ा	सण्डवा चन्द्रिका
13.	प्रा० वि० पूरे आचार्य	सण्डवा चन्द्रिका
14.	प्रा० वि० लोहंग पट्टी	सण्डवा चन्द्रिका
15.	प्रा० वि० नागमलपुर	सण्डवा चन्द्रिका

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ड़'

(देखिये अता० प्र० सं०–180 का उत्तर पीछे पृष्ठ 86 पर)

वर्ष 1996-97 में स्वीकृत प्राइमरी पाठशालाओं (पूर्ण एवं अपूर्ण) की सूची

विकास खण्ड मैनपुरी–पूर्ण पाठशालाएं (प्राइमरी) : नगला सकरी, वदनपुर, न० स्वामी, दिवलपुर, सिंगारपुर, जसवन्तपुर, लालपुर, नं० हिम्मत, अपूर्ण प्राइमरी पाठशालाएं–रामनगर, बैजनाथपुर, उदयपुरा, उदयपुर, गोपालपुर, सरैया, खिरिया, पीरपुरखीजा ।

विकास खण्ड किशनी : पूर्ण प्राइमरी पाठशालाएं--चतुरीपुर, वरुजा वधौना, पहाड़पुर, विके चन्दनपुर, नं० कले, ख्वाजापुर, वरिहासमान, अपूर्ण पाठशालाएं–खाण्डसरिया, मदनागऊ, उमरहार, जगदीशपुर, चीकौना, अरिया, लठेगर, पदमपुर, नं वन, कुड़रदधौनी, जखा, गडवापुर, नं० वख्ती, मीरपुर, कछपुरा, महमूदपुर, पहाड़पुर (सोनासी) जिजई, लालपुर, कुन्दनपुर, नं० वील, भवानीगढ़, लुकटपुर, हदीसा, अछईपुर, सकतपुर, डडीहार, कुडरिया, डिलहा, सठनवा, कुडरिया, मनिगवा, हविलिया, मनपुरा, बसंतपुर, समदपुर, वदनपुर, निदिया, किशनपुर–मुर्गिया,

वि० खण्ड करहल : पूर्ण प्राथमिक पाठशालाएं–कुतुबपुर बुजुर्ग, नं० धर्म, रानीपुर, असरोई, अपूर्ण प्राइमरी पाठशालाएं : दुत्तपुर, रमपुरा, नगलादोले, मड़ापुर, छनकटिया, नं० अती, नं० वरी, नं० कोझी, पृथ्वीपुर, नगलातरा, नगला भवानी, नगला अन्ती,

विकास खण्ड सुल्तानगंज : पूर्ण प्राइमरी पाठशालाएं–गडरियान, नं० खरा, धारापुर, महरमई भवानीनगर, तोलकपुर, उमरीहार, शिवपालपुर, शास्त्रीनगर, देवपुरा, भरतरा, नं० झाला, अपूर्ण प्राइमरी पाठशालाएं–नगला नया, नगला शम्भू

विकास खण्ड जागीर–पूर्ण प्राइमरी पाठशालाएं : संजापुर, दिवलपुर, वीरपुर खुर्द, अजुरिया, गाड़ीदार, समेरपुर, लुखरिया, रश्मचीदा, किशोरपुर, सोती, मलिकपुर, पडौरा, राजलपुर,

विकास खण्ड घिरौरा–पूर्ण प्राइमरी पाठशालाएं–चिकनी, नं० दुर्जन, नं० भारा, रठेह,

अपूर्ण प्राइमरी पाठशालाएं नईकड, नं० फेरती, नं० भजन, नं० आधा, लहवनखेड़ा, नं० कन्हई, दन्नाहार, नं० मिन्नते, नं० हरिसिंह, शहीदाबाद, नं० गजेन्द्र, चितई, विल्दरा, नं० अन्ती, नं० पाल, नं० बौना, अहमदपुर, नं० धना, मधुपरी,

विकास खण्ड बेवर–पूर्ण विद्यालय (प्रा० पा०) जसराजपुर, लक्षमनपुर, खजा, अडैलकड़ा, भारतपुर, नगला राध, सराय मद्दू, जिलही, रामनगरिया, पचपुरवरा, नदुलिया, मानिकपुर, अकबरपुरगन, मल्लामई, हसैनपुर, जसवन्तपुर, चन्दीपुर, लोधीपुर, सुल्तानपुर, अरसनिया, मददापुर, धअरमदोहरा, मेरापुर छादामी, अपूर्ण प्राइमरी पाठशालाएं- भारापुर, महानन्दपुर, भडहार, शाहजहांपुर, हुसैनपुर, नं० पति, गुलालपुर, बाबपुर, जगनपुर, झण्डेपुर, बडाहार, लालापुर, नगला परम, नं० कंज, पदमनैर, कछपुरा, अहमदपुर, करूआमऊ, खजुइया,

विकास खण्ड. बरनाहाल–पूर्ण प्राइमरी पाठशालाएं–विनेपुर, नं० अनिया, नं० भूड, टकइया, दरथान, गंगानसीरपुर, अपूर्ण प्राइमरी पाठशालाएं–कर्कर्रा, गरिया जैन, जैतपुर, वरहिया, नं० बुखुआ (अहमदपुर) एमाहसनपुर

विकास खण्ड कुरावली–पूर्ण प्राइमरी पाठशालाएं–विरसिंहपुर, दिवरई, गौखुलपुर, गुलाबपुर, आठपुरा, रुस्तमपुर, दुल्हेपुर, अपूर्ण प्राइमरी पाठशालाएं–बल्लमपुर, ईसईसराय, अकबरपुर–झाला, रजापुर, नगलारत, सूरजपुर, राजलपुर खिरिया, पिपलखिरिया, नं० बाग, जैली झिगरपुर, भवानीपुर, हीरापुर ।

वर्ष 1996-97 में स्वीकृत उच्च प्राथमिक पाठशालाओं के पूर्ण एवं अपूर्ण भवनों की सूची

पूर्ण उच्च प्राथमिक पाठशालाएं-जवापुर, नखतपुर, मुडौसी, कुबेरपुर ।

अपूर्ण उच्च प्राथमिक पाठशालाएं–कैथपुर, गुन्हैया, नं० प्रेगी, भरतपुरा, लुढरा, नं० केहरी, लहरा, अलूपुरा, लोधीपुर, पशुपुर ।

वर्ष 1997-98 में स्वीकृत प्राथमिक पाठशालाओं के भवनों की सूची

अपूर्ण विद्यालय–सराय उद्धैतपुर (ओझा), पनिहार (अडैन पड़रिया) दादीपुर लालपुर, कमलपुर, ब्लाक–सुल्तानगंज के एक विद्यालय का नाम जो मा० विधायक श्री राम औतार शाक्य द्वारा नामित होना है । नं० पोढला (कुरांजरावन) गरौरा ।

वर्ष 1997-98 में स्वीकृत उच्च प्राथमिक पाठशालाओं के भवनों की सूची

अपूर्ण भवन–मकरन्दपुर, कुडरविधौनी, नं० टाकन, आलमपुर, झिझाई, नं० झील, थोरवा, अतीकुतलापुर, भूरेपुर, बालमपुर, द्वारिकापुर ।

पी० एस०यू०पी०–एल० 147 विधान सभा (000)–2000-813 (डी०टी०पी०)